# लोक-सभा वाद-विवाद

# का

# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION

# OF

## 6th

## LOK SABHA DEBATES

[ चौथा सत्र
Fourth Session ]

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
14-10-92

[ खंड 10 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. X contains Nos. 1 to 10 ]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

# विषय सूची/CONTENTS

अंक 3, बुधवार, 22 फरवरी, 1978/3 फाल्गुन 1899(शक)

No. 3, Wednesday, February 22, 1978/Phalguna 3, 1899 (Saka


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGE |
|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | Oral Answers to Questions : | 1—14 |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 21, 22, 24, 26 और 27 | *Starred Questions Nos. 21, 22, 24, 26 and 27 | |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर : | Written Answers to Questions : | 14—141 |
| तारांकित प्रश्न संख्या 23, 25 और 28 से 40 | Starred Questions Nos. 23, 25 and 28 to 40 | |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 175, 177, 179 से 186, 188 से 191, 193 से 202, 204 से 255, 257 से 319 और 321 से 374 | Unstarred Questions Nos. 175, 177, 179 to 186, 188 to 191, 193 to 202, 204 to 255, 257 to 319 and 321 to 374 | |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | Papers laid on the Table | 141—147 |
| गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—— ग्यारहवां प्रतिवेदन | Committee on Private Member's Bills and Resolutions—Eleventh Report | 147 |
| कार्य मंत्रणा समिति ग्यारहवां प्रतिवेदन | Business Advisory Committee—Eleventh Report | 147 |
| नियम 377 के अधीन मामले | Matters under rule 377 | 148—151 |
| (एक) शाह आयोग द्वारा आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए कतिपय अधिवक्ताओं को नोटिस दिये जाने का समाचार | (i) Reported issuance of notices by Shah Commission to certain advocates to appear before it. | 148 |
| (दो) सिडनी होटल में, जहां भारत के प्रधान मंत्री ठहरे हुये थे, बम विस्फोट का समाचार | (ii) Bomb blast at a Sydney hotel where India's Prime Minister was staying | 150 |
| (तीन) मध्य प्रदेश के कतिपय जिलों में ओलावृष्टि के कारण खड़ी फसल को हुए नुकसान का समाचार | (iii) Reported damage to standing crops by hailstorm in certain districts of Madhya Pradesh | 150 |


†किसी नाम पर अंकित यह * इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

**The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.**

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGE |
|---|---|---|
| (चार) ओला वृष्टि के कारण मध्य प्रदेश के खजूराहो और छत्तरपुर जिले में खड़ी फसल को हुए नुकसान का समाचार | (iv) Reported damage to standing crops by hailstorm in Khajuraho and Chattarpur districts of Madhya Pradesh . . | 151 |
| (पांच) भारी वर्षा से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता का मामला | (v) Need for Central assistance to Madhya Pradesh to meet the situation arising out of heavy rains . . . | 151 |
| ब्याज विधेयक | Interest Bill . | 151—156 |
| विचार करने का प्रस्ताव | Motion to consider | |
| श्री एच० एम० पटेल | Shri H. M. Patel . . . | 152 |
| श्री आर० वेंकटारमन | Shri R. Venkataraman . . | 152 |
| श्री जगन्नाथ राव | Shri Jagannath Rao . . | 153 |
| श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर | Shri Krishna Chandra Halder . | 153 |
| श्री दुर्गा चन्द | Shri Durga Chand . . | 154 |
| श्री वयालार रवि | Shri Vayalar Ravi . . . | 154 |
| श्री हुकमदेव नारायण यादव | Shri Hukumdeo Narain Yadav | 154 |
| खण्ड 2 से 6 और 1 | Clauses 2 to 6 and 1 | |
| पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूप में | Motion to pass, as amended | |
| श्री एच० एम० पटेल | Shri H. M. Patel . . . | 155 |
| बाल (संशोधन) विधेयक | Children (Amendment) Bill . . | 157—159 |
| विचार करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में | Motion to consider, as passed by Rajya Sabha | |
| डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र | Dr. Pratap Chandra Chunder | 157 |
| श्री वयालार रवि | Shri Vayalar Ravi . . . | 158 |
| श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी | Shri Shambhu Nath Chaturvedi | 158 |
| श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य | Shri Shyamaprasanna Bhattacharyy | 159 |
| वाराणसी में श्री जगजीवन राम द्वारा डा० सम्पूर्णानन्द की मूर्ति का अनावरण किये जाने के घटना के बारे में प्रस्ताव | Motion *re* incident at Varanasi after unveiling of Dr. Sampurnanand statue by Shri Jagjivan Ram | 159—174 |
| श्री आर० एल० कुरील | Shri R. L. Kureel . | 159 |
| श्री मंगल देव | Shri Mangal Deo . . | 160 |
| श्री मोहम्मद शफी कुरेशी | Shri Mohd. Shafi Qureshi | 160 |
| पण्डित डी० एन० तिवारी | Shri D. N. Tiwary . . . | 161 |
| श्री शिव नारायण सरसूनिया | Shri Shiv Narain Sarsonia | 161 |
| श्री एम० एन० गोविन्दन नायर | Shri M. N. Govindan Nair | 162 |
| श्री आर० एन० राकेश | Shri R. N. Rakesh . | 162 |
| श्री बसंत सिंह खालसा | Shri Basant Singh Khalsa . | 163 |
| श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर | Shri Krishna Chandra Halder | 163 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGE |
|---|---|---|
| श्री रामजी लाल सुमन | Shri Ramji Lal Suman . | 163 |
| श्री ए० बाला पजनौर | Shri A. Bala Pajanor . | 164 |
| श्री श्याम सुन्दर लाल | Shri S. S. Lal . . . | 165 |
| श्री सी० एम० स्टीफन | Shri C. M. Stephen . . | 165 |
| श्री छविराम अर्गल | Shri Chhabiram Argal . | 166 |
| श्री उग्रसेन | Shri Ugrasen . . . | 166 |
| डा० हेनरी अस्टिन | Dr. Henry Austin . . | 167 |
| श्री कचरूलाल हेमराज जैन | Shri Kachrulal Hemraj Jain | 168 |
| श्री बी० पी० मण्डल | Shri B. P. Mandal | 168 |
| श्री परमाई लाल | Shri Parmai Lal . | 168 |
| श्री ए० सुन्ना साहिब | Shri A. Sunna Sahib . | 168 |
| श्री महीलाल | Shri Mahi Lal . . . | 169 |
| श्री गोविन्द राम मिरी | Shri Govind Ram Miri . | 169 |
| श्री ज्वाला प्रसाद कुरील | Shri Jwala Prasad Kureel . | 170 |
| श्री धीरेन्द्र नाथ बसु | Shri Dhirendranath Basu . | 170 |
| श्री चित्त बसु | Shri Chitta Basu . | 170 |
| श्री पायस टिर्की | Shri Pius Tirkey . . | 171 |
| श्री राम नरेश कुशवाहा | Shri Ram Naresh Kushwaha . | 171 |
| श्री मनी राम बागड़ी | Shri Mani Ram Bagri . . | 171 |
| श्री धनिक लाल मण्डल | Shri Dhanik Lal Mandal . . | 171 |

# लोक सभा

# LOK SABHA

**बुधवार, 22 फरवरी, 1978/3 फाल्गुन, 1899 (शक)**

*Wednesday, February 22, 1978/Phalguna 3, 1899 (Saka)*

**लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई**

*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

DEVELOPMENT OF EQUIPMENTS TO BE OPERATED BY SOLAR ENERGY

*21. SHRI UGRASEN : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that National Industrial Development Corporation has manufactured various equipments to be operated by Solar energy for agro-industry, fishery etc.;

(b) if so, the details thereof;

(c) the cost of each equipment; and

(d) the time by which these will be available in the market ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती)** : (क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने केवल खाद्यान्न और कुछ अन्य कृषि उत्पादों को सुखाने के लिए सौर ऊर्जा से चलाने वाले सुखाने के उपकरण से सम्बन्धित जानकारी विकसित की है। समुद्री उत्पादों के संबंधी जानकारी का अभी विकास किया जा रहा है। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम स्वयं किसी उपकरण का निर्माण नहीं करता।

(ख) प्रतिदिन 10 मी० टन धान सुखाने की क्षमता वाले सौर ऊर्जा से सुखाने के एक यंत्र का वाणिज्यिक नमूना सेन्ट्रल स्टेट फार्म लुधियाना में लगाया गया है। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने हाल ही में प्रतिदिन 250 किलो लाल मिर्च जैसी नकद फसलें सुखाने की क्षमता वाले उपकरण को विकसित और प्रदर्शित भी किया है। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा 500 किलो ग्राम अदरक और सुपारी सुखाने की क्षमता का एक उपकरण गोहाटी, आसाम में और 16 मी० टन भुजिया चावल सुखाने की क्षमता का एक उपकरण भारतीय खाद्य निगम की मनारगुडी, तमिलनाडु स्थित माडर्न राइस मिल में लगाया जा रहा है।

(ग) 10 मी० टन प्रति दिन अनाज सुखाने वाले एक विशेष प्रकार के उपकरण की अनुमानित लागत 3 लाख रुपये है, जो इंजीनियरी शुल्क के रूप में है।

(घ) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम अब आधोपान्त (टर्न की) के आधार पर सौर ऊर्जा से चलने वाले सुखाने के उपकरण लगाने की स्थिति में हो गया है।

SHRI UGRASEN : The hon. Minister has stated in his reply that in regard to Marine Products, the know-how is in a developmental stage. I want to know definitely when it is likely to be developed and the progress made therein so far.

Besides, the hon. Minister is aware that in Uttar Pradesh and Bihar paddy crop is grown in abundance particularly the major crop of Eastern Uttar Pradesh is paddy. Will the hon. Minister be pleased to provide equipments to be operated by Solar energy for drying paddy in Uttar Pradesh and Bihar ?

**कुमारी आभा मयती :** समुद्री उत्पादों के सम्बन्ध में केन्द्रीय मत्स्यपालन प्रौद्योगिकी संस्था, कोचीन ने मछली सुखाने के लिये सौर ऊर्जा से चलने वाले यंत्र का विकास किया है। 40 किलो ग्राम की क्षमता वाले एक प्रोयोगिक प्लांट का डिजाइन तैयार किया गया है और उसका परीक्षण किया गया है और इसके निर्माण की अनुमानित लागत 50,000/- रुपये है।

बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में मैं आपको बता चुकी हूं कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम किसी उपकरण का निर्माण नहीं करता ; उन्होंने हाल ही में जानकारी विकसित की हैं। उन्होंने इस बार में विस्तृत जानकारी प्रकाशित की है। अतः यदि कोई व्यक्ति चाहे तो उनसे जानकारी प्राप्त करके इस चीज़ का निर्माण कर सकता है।

SHRI UGRASEN : May I know clearly the expenditure incurred by Government on the manufacture of equipment to be operated by Solar energy for drying paddy, spices and chillies etc. ?

Secondly, I want to know whether you are going to develop any technical know-how which may prove helpful in developing new varieties of wheat, paddy and other crops and about which Mr. Swaminathan of I.C.A.R. gives lecture almost daily.

**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने दो प्रश्न पूछे हैं—पहला है : आपने अब तक विकास पर कितना धन खर्च किया है ; दूसरा है : क्या आप गेहूं आदि अन्य फसलों के लिये भी विकास कर रहे है ?

**कुमारी आभा मयती :** मैंने पहले ही बताया है कि इसकी लागत लगभग 3 लाख रुपये होगी जिसमें इंजीनियरिंग व्यय भी शामिल है किन्तु इस उपकरण के विकास पर अब तक हानि क्या खर्च किया है ये आंकड़े मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है। यदि मुझे नोटिस मिलता है तो मैं सभा को बता सकती हूं कि हमने अभी तक कितना रुपया खर्च किया है। हमने नमूने के तौर पर एक उपकरण बनाया है और इस पर लगभग 2 लाख रुपये व्यय हुए हैं। हमने सौर ऊर्जा चालित अनाज सुखाने, नकद फसलों और समुद्री उत्पादों के लिये उपकरणों तथा जानकारी भी विकसित की है।

**श्री एन० के० शेजवालकर :** क्या अनुसन्धान करने वाले व्यक्तियों का यह मालूम हैं कि सौर ऊर्जा को रखने के लिये कतिपय सेलों का विकास किया जा रहा है ? मैं जानना चाहता हूं कि भारत में उन सेलों के निर्माण में अभी तक क्या प्रगति की गई है ताकि सौर ऊर्जा को रखा जा सके और सूर्य के न रहने पर उसका उपयोग किया जा सके ?

**कुमारी आभा मयती :** मुझे इसके लिये अलग से नोटिस चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय :** यह मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित है। आप को इसका उत्तर देना चाहिये।

SMT. CHANDRAVATI : Will the hon. Minister be pleased to state whether the solar energy is limited to only exhibition and laboratory or whether it has been put to some practical are till now ? Besides, may I know the total expenditure incurred on it so far.

**कुमारी आभा मयती :** मैंने सदन को बताया है कि हमने जानकारी विकसित की है। यदि कोई उस जानकारी को प्राप्त करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है और हम इसके निर्माण में उसकी मदद करेंगे।

**श्रीमती चन्द्रावती :** क्या अभी तक सौर ऊर्जा को कोई व्यावहारिक उपयोग किया गया है ? हम जानना चाहते ह कि इस पर अभी तक कितना खर्च किया गया है।

**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने कहा है कि इसके लिये उन्हें अलग से नोटिस चाहिये।

**कुमारी आभा मयती :** अब तक हमने नमूने पर 4 लाख रुपये खर्च किये हैं। हम इसे 3 लाख रुपये में बेचने का विचार कर रहे हैं जिसमें इंजीनियरिंग व्यय भी शामिल है।

SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the hon. Minister be pleased to state whether solar energy can be put to use for 'chulah' building ? In India women are suffering mostly from eye disease and blindness. So, whether efforts will be made to put solar energy to use for making 'chulah' in order to make the eyes of the women healthy and beautiful ?

**कुमारी आभा मयती :** यह एक अच्छा सुझाव है।

SHRI RAM SEWAK HAZARI : May I know whether it is a fact that publicity to solar energy development has not been to the extent to which it should be ? Will the Minister look into it and ensure its wide publicity ?

**कुमारी आभा मयती** : हम ऐसा करेंगे ।

**वर्गीज समिति का प्रतिवेदन**

*22. **श्री पी० जी० मावलंकर**
**श्री राम प्रसाद देशमुख** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की स्वायत्तता के प्रश्न के बारे में वर्गीज समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब और किस प्रकार और क्या सरकार ने इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ग) इस प्रतिवेदन को सरकार संसद तथा जनता को कब उपलब्ध करायेगी; और

(घ) यदि उपरोक्त समिति का प्रतिवेदन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है तो क्या इस समिति के लिए ऐसा करने के लिए कोई समयावधि बढ़ाई गई थी; और यदि हां, तो यह प्रतिवेदन अब कब तक प्रस्तुत किये जाने की आशा है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए स्वायत्तता सम्बन्धी कार्य दल की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो जाने के बाद संसद को उपलब्ध कर दी जायेगी ।

(घ) कार्य दल के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समयावधि बढ़ाई गई थी। अब यह उम्मीद है कि यह दल अपनी रिपोर्ट, मार्च 1978 के पहले सप्ताह तक प्रस्तुत कर देगा ।

**प्रो० पी० जी० मावलंकर :** : यह कार्यकारी दल 13 अगस्त, 1977 को सरकार द्वारा स्थापित किया गया था और इसके अध्यक्ष बी० जी० वर्गीज थे, जो एक प्रसिद्ध पत्रकार और जाने-माने लेखक हैं । इसमें डा० मलकोम आदिसेशिया, श्री चंचल सरकार, श्री पी० एल० देशपांडे, श्री उमाशंकर जोशी तथा अन्य व्यक्ति थे । इस दल ने, जिसने इस महीने के अन्त तक अपना प्रतिवेदन देना था, रिकार्ड समय में यह काम किया है । आकाशवाणी के बम्बई केंद्र की स्वर्ण जयन्ती का उद्घाटन करते समय प्रधान मंत्री ने कहा था कि जनता सरकार का मार्ग स्पष्ट है । उन्होंने कहा कि यह मार्ग अधिक स्वतंत्रता तथा अधिक रचनात्मकता की ओर होगा । मई, 1977 में मद्रास में माननीय मंत्री ने कहा था कि रेडियो पक्षपातपूर्ण प्रचार से दूर होना चाहिए । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन दो महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य बातों पर काम शुरु कर दिया है ?

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं । आकाशवाणी और दूरदर्शन के पुनर्गठन होने से पूर्व ही सरकार की यह नीति रही है कि यह इस ढंग से काम करे जिससे आभास न हो कि यह सत्तारूढ़ दल का प्रचार माध्यम है और इस दौरान ताजा विषयों और समाचारों को निष्पक्ष रूप से तथा संतुलित ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है और इस सम्बन्ध में निदेश भी हैं। कुछ त्रुटियां हो भी सकती हैं परन्तु

इस प्रकार के बड़े संगठन में त्रुटियां हो सकती हैं जहां बताई गई हैं उन्हें दूर किया गया है।

**श्री पी० जी० मावलंकर :** मेरा प्रश्न यह है। मंत्री महोदय कृपया कार्यकारी दल के निर्देश पद को देखें।(घ) में यह बताया गया है :

"(घ) यदि कार्यकारी दल की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार की जाती हैं तो प्रस्ताव को शीघ्र लागू करने की योजना बनाना।"

मैं जानता चाहता हूं क्या मंत्री जी केवल संसद को ही नहीं अपितु जनता को यह रिपोर्ट यथाशीघ्र उपलब्ध करेंगे ताकि उस पर जनता की राय जानी जा सके और सारे देश के विशेषज्ञों की टिप्पणियों का पता चल सके। चूंकि रेडियो और टेलीविजन और फिल्म प्रभाग की स्वायत्तता का प्रश्न महत्वपूर्ण है और क्या सरकार हमें यह आश्वासन देगी कि यह रिपोर्ट मिलते ही वह इसकी सिफारिशों को लागू करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करेगी और वर्तमान कर्मचारियों को स्वायत्तता के सिद्धान्तों और मुख्य बातों को प्रभावित किये बिना खपा लिया जायेगा ?

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : कार्यकारी दल के निर्देशपदों में आकाशवाणी और दूरदर्शन आते हैं। ये फिल्म प्रभाग से सम्बन्धित नहीं हैं। फिल्म प्रभाग के बारे में अलग से विचार किया जा रहा है। अभी तक कोई औपचारिक ग्रुप नहीं है। परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि हमें रिपोर्ट मिलने पर यह सर्व प्रथम संसद में प्रस्तुत की जायेगी ताकि इस पर राष्ट्रीय चर्चा हो सके और रिपोर्ट के प्रकाशित होने और उसपर सरकार द्वारा निर्णय लेने के बीच के समय में सरकार इस बारे में इस सभा के सदस्यों या जनता की राय जान सके कि इस सम्बन्ध में क्या किया जाना चाहिये क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। जहां तक रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखने का प्रश्न है हम यथाशीघ्र ऐसा करेंगे। परन्तु यदि हमें हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक साथ रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी तो इसमें देरी हो सकती है। यदि सभा अनुमति दे मैं अंग्रेजी संस्करण पहले पेश कर दूं और हिन्दी संस्करण बाद में।

**अध्यक्ष महोदय :** चूंकि दोनों भाषाएं महत्वपूर्ण हैं, अतः आप दोनों संस्करण प्रस्तुत करें।

**श्री पी० जी० मावलंकर :** भारत सरकार और अन्य सरकारी निगमों के कई एक प्रतिवेदनों के अंग्रेजी संस्करण पहले प्रस्तुत किये जाते हैं और हिन्दी संस्करण एक वर्ष बाद आता है। अतः इस प्रतिवेदन का भी अंग्रेजी संस्करण पहले आ जाये ताकि विलम्ब न हो।

**अध्यक्ष महोदय :** जहां तक सम्भव हो, दोनों संस्करण साथ-साथ आने चाहियें.. ........(**व्यवधान**)

**श्री लाल कृष्ण अडवाणी :** मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मुझे आशा है कि रिपोर्ट मार्च के पहले सप्ताह सरकार को प्रस्तुत की जायेगी और उसके यथाशीघ्र बाद मैं इस सभा के समक्ष रखूंगा।

SHRI MANI RAM BAGRI : Sir, Hindi Version of the report must come.

SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : May I know whether the hon. Minister is aware that due to delay in the submission of the Report, Regular Programme Officers are being promoted unnecessarily and irregularly ? Does this act on the part of departmental officers not show their intention to absorb persons, who do not have any interest in literature, art and music ? Will the hon. Minister see that such appointments are stopped till the receipt of the report of the Working Committee ?

SHRI L. K. ADVANI : As has been stated by Mr. Mavlankar, I do not think that the Working Committee has not acted promptly. It was set up in August and it will submit its report to us in the beginning of March. There is no delay on their part. We should congratulate them.

The irregularities, if any, should be removed. It has got no relation with the work of the Working Committee.

SHRI B. P. MANDAL : I want to whether it is not possible to make them autonomous before the receipt of the report ? Why should we wait for the report when we are committed to do so ?

SRI L. K. ADVANI : It is a very complicated matter. The staff of A.I.R. includes so many government employees. If we make them autonomous bodies, all of them will become the employees of autonomous bodies. It is not easy job. There are many complicated problems in it. In spite of this Government do not want to delay this matter.

SHRI D. N. TIWARI : There has been misuse of Television and A.I.R. so far and lapses do occur now also. It means there is possibility of their misuse in future also. May I know the steps taken to stop their misuse ?

**अध्यक्ष महोदय** : इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

SHRI L. K. ADVANI : I did not say : "sometimes, they are misused. I said lapses may be there sometimes and it can happen so in newspapers also. Nowhere they have been misused."

SHRI MANI RAM BAGRI : Casteism can be abolished by publicity through A.I.R. and Television, but they are not being utilised for this purpose. Names announced from there denote caste also such as Sharma, Tripathi. I am not against these castes. Whether Government propose to take any steps to abolish casteism through publicity from A.I.R. and Television ?

**अध्यक्ष महोदय** : इसका इस प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

**आयुध कारखानों में उत्पादन**

*24. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1976 की तुलना में वर्ष 1977 में आयुध कारखानों में उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1976 की तुलना में 1977 में उत्पादन की लागत और मूल्य में कितनी वृद्धि हुई;

(ग) क्या आयुध संगठन गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये कुछ वस्तुओं को छोड़ने का विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उन वस्तुओं के नाम क्या हैं और उसके क्या कारण हैं?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) 1976-77 में कुल 475.30 करोड़ रुपए मूल्य का उत्पादन हुआ जबकि इस से पहले वर्ष में यह 381.23 करोड़ रुपए था। बहुत सी मदों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। प्रत्येक मामले में बढ़ी हुई लागत का अलग-अलग ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

SHRI SUKHDEO PRASAD VERMA : I had asked for details in regard to cost and value of production during both the years separately. May I know if yearwise figures will be made available ?

I also want to know the reasons for this increase, whether special works have been undertaken or more funds have been invested or more labour has been put in by workers ?

PROF. SHER SINGH : The army presents their demand according to the needs every year and it is decided to produce things, in factories according to the capacity. This demand undergoes changes every year. I have given separate figures of production for both the years. It is not that only the cost has increased but production of certain items has also increased. We have always met the demands of army whenever they have been made.

**अध्यक्ष महोदय :** आपने उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने लागत और मूल्य के बारे में पूछा है क्योंकि वास्तविक वृद्धि का पता लगाने के लिए लागत का भी पता होना चाहिये। दूसरी बात उन्होंने यह पूछी है कि क्या श्रमिकों ने अधिक मेहनत की है या पंजी निवेश अधिक किया गया है?

**प्रो० शेर सिंह :** अलग-अलग आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं।

**अध्यक्ष महोदय :** आपको लागत बतानी चाहिये थी। आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं प्रश्न को अगले सप्ताह के लिए रख दूंगा। आप उत्पादन लागत और मूल्य बता दें। आपने भारी उन्नति की बात कही है तो लागत से ही अन्दाजा लगाया जा सकता है।

**प्रो० शेर सिंह :** उन्होंने पूछा है कि वर्ष 1976 की तुलना में वर्ष 1977 में आयुध कारखानों के उत्पादन में वृद्धि हुई है और मैंने आंकड़े दे दिये हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** लेकिन प्रश्न के (ख) भाग में 1976 की तुलना में 1977 में उत्पादन की लागत और उसके मूल्य में वृद्धि के बारे में पूछा गया है।

**प्रो० शेर सिंह :** मैंने उत्पादन मूल्य के आंकड़े बताये हैं। लागत के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं। प्रत्येक कारखाने के अलग-अलग निकालने होंगे।

**अध्यक्ष महोदय :** इसके लिए आपको कितना समय चाहिये?

**श्री दीनेन भट्टाचार्य :** आपने ठीक कहा कि प्रश्न का पूरी तरह उत्तर नहीं दिया गया। इसे स्थगित रखा जाये।

**श्री वयालार रवि** : एक अन्य मुख्य बात यह पूछी गई कि क्या गैर-सरकारी क्षेत्र को अनुमति है ?

**अध्यक्ष महोदय** : वह अलग प्रश्न है। आप को कितना समय चाहिये ?

**प्रो० शेर सिंह** : मैं सूचना एकत्र करके बता दूंगा। मैं यह आश्वासन देता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति है। मैं इसे अगले सप्ताह के लिए स्थगित रखूंगा।

**राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग**

*26. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
**श्री मनोरंजन भक्त** } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने कहा है कि देश के सभी राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाये ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जिन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा है ; और

(ग) उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

**विवरण**

एक राज्य सरकार, अर्थात् पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र-राज्य संबंधों पर एक ज्ञापन जिसमें राज्यों के अधिक स्वायत्तता की बात है भारत सरकार की मंत्रिपरिषद् के सदस्यों समेत अनेक विशिष्ट व्यक्तियों को परिचालित किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि वे अपने ज्ञापन में उठाये गये विवादों पर एक राष्ट्रीय विचारगोष्ठी का आयोजन करना चाहते हैं। समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार जम्मू व कश्मीर, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, नागालैंड, पंजाब और तमिलनाडु के मुख्य मंत्री केन्द्र-राज्य संबंधों पर पुनर्विचार के लिए एक ऐसी विचार गोष्ठी करने पर सहमत थे।

2. यह स्मरण कराना उचित होगा कि भारत सरकार द्वारा केन्द्र-राज्य संबंधों के विषय को प्रशासनिक सुधार आयोग के विचारार्थ विषयों में एक अलग मद के रूप में विशेष रूप से शामिल किया गया था। प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस विषय का बड़ी गहराई से अध्ययन किया और "केन्द्र-राज्य संबंधी" पर अपनी रिपोर्ट (जून, 1969) में यह सिफारिश की थी कि भारत की एकता के सर्वोच्च महत्व को ध्यान में रखते हुए केन्द्र तथा राज्यों के बीच उचित तथा सद्भावनापूर्ण संबंध सुनिश्चित करने के लिए किसी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केन्द्र राज्य संबंधी नियंत्रण करने वाले संविधान के उपबंध किसी स्थिति का मुकाबला करने तथा किन्ही समस्याओं, जो इस क्षेत्र में उत्पन्न हो सकती हैं, का समाधान करने के लिए पर्याप्त है । राज्यों के साथ परामर्श करने के बाद केन्द्र सरकार प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सिफारिश की गई सामान्य विधि से सहमत हुई थी।

3. सरकार इस प्रश्न पर कोई औपचारिक विचारगोष्ठी के लिए वर्तमान समय को उचित नहीं समझती।

**श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** राज्यों को विशेष दर्जा देने या अधिक शक्तियां और स्वायत्तता देने की बात देश में पहली बार नहीं उठी है। जम्मू और कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की सरकार, तमिलनाडु में द्रमुक या अन्नाद्रमुक की सरकार, पश्चिम बंगाल में दक्षिणपंथी सरकार और पंजाब में अकाली सरकार ने कई बार ऐसी मांग की है। मिजोरम और महाराष्ट्र राज्य भी इसका समर्थन कर रहे हैं। शेख अब्दुल्ला तो विदेश व्यापार आदि के मामले में भी अधिक शक्तियों की मांग कर रहे हैं। सभा को पता है कि कुछ व्यक्ति तथा दल राज्यों के लिए आजाद दर्जे की भी बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि विशेष उद्देश्य से ही ऐसी मांग की जा रही है। क्या इस से देश का विघटन नहीं होगा और क्या राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ जायेगी?

SHRI DHANIK LAL MANDAL : This Government believes that the provisions relating to the Centre-State relations are adequate and there is no need for any amendment.

**श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** मुझे खुशी है कि गृह राज्य मंत्री जी ने ऐसी सम्भावना से इनकार किया है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि राज्यों को वित्तीय मामलों में कई बार बहुत कठिनाई होती है क्या उन्हें अधिक वित्तीय अधिकार दिये जायेंगे?

SHRI DHANIK LAL MANDAL : I have said just now that there is no need for any amendment in the provisions relating to the Centre and State relations. This also applies to those provisions which relate to financial matters.

**श्री मनोरंजन भक्त :** मंत्री जी ने विवरण में बताया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार की मंत्रिपरिषद के सदस्यों समेत अनेक विशिष्ट व्यक्तियों को परिचालित किया है। मैं जानना चाहता हूं कि किस आधार पर उन्होंने राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग की है। क्या सरकार ने उस आधार की विस्तृत रूप से जांच की है? ताकि पश्चिम बंगाल के लोगों की भावनाओं की पूर्ति की जा सके।

SHRI DHANIK LAL MANDAL : The apprehension expressed in the Memorandum received from the Chief Minister of West Bengal relates to Emergency period.

**श्री दीनेन भट्टाचार्य :** मंत्री जी को तैयारी करके आना चाहिये।

SHRI DHANIK LAL MANDAL : I am citing from the Memorandum and the letter received from the Chief Minister while referring to emergency he has said that for sometime such tendencies are being observed that the Central Government is concentrating more and more powers in its hands which is posing danger to the autonomy of the States. So he has this apprehension. In regard to his apprehension I have to say that the Central Government is having talks with the Opposition leaders and efforts are being made to eliminate those tendencies developed during the emergency and to undo the 2nd Amendment of the Constitution. If we are able to do all this, these things will become ineffective.

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** जनता सरकार ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण अर्थात् राज्यों को अधिक अधिकार देने की बात कही है। इस लिए क्षेत्रीय असमानता दूर करने और संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों को अधिक राजनीतिक तथा वित्तीय शक्तियां प्रदान करने की जरुरत है। आपको पता है पाकिस्तान में क्या हुआ?

**अध्यक्ष महोदय** : आप प्रश्न पूछिये ।

**श्री कृष्ण चन्द्र हालदर** : यह सुझाव नहीं है । क्या सरकार इस महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के लिए तैयार है ?

SHRI DHANIK LAL MANDAL : The hon. Member has said that the Janata Party believes in decentralisation of power. It is correct. But the principle of decentralisation is not limited to state level only, it applies further to district, gram panchayat and village level. (*Interruptions......*).

The Janata Party has made it clear that it believes in decentralisation. But in the context of decentralisation the hon. Members are asking for more powers for States. So far as the powers enjoyed by the States under the Constitution are concerned, the Janata Party wants to follow the Constitution both in letter and spirit. The Janata Party considers the Constitution a sacred document and wants to follow all the provisions. Janata Party does not want to limit the principle of decentralisation only upto state level but wants to take it upto district, gram panchayat and village level. (*Interruptions........*).

**अध्यक्ष महोदय** : आप धैर्य रखिये । पहले मैं उन राज्यों के प्रतिनिधियों को अवसर दे रहा हूं जो अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं ताकि उनके विचारों का पता चल सके । सरकार का विचार मंत्री जी के कथन से पता चलता है ।

**श्री मोहम्मद शफी कुरेशी** : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और मंत्री जी ठीक उत्तर नहीं दे पा रहे हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं, मैं इस से सहमत नहीं ।

**श्री मोहम्मद शफी कुरेशी** : जनता पार्टी विकेन्द्रीकरण के लिए वचनवद्ध है । जम्मू और काश्मीर जो एक अत्यन्त महत्वपूर्ण राज्य है, अनुच्छेद 370 द्वारा शासित होता है और हम उस अनुच्छेद को खून की आखिरी बूंद तक बचायेंगे । उसे समाप्त करना काश्मीर की जनता का अपमान है । (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : आपका प्रश्न क्या है ?

**श्री मोहम्मद शफी कुरेशी** : मेरा प्रश्न है कि (क) क्या सरकार अधिक अधिकार और स्वायत्तता मांगने वाले राज्यों से बात-चीत करने को तैयार है ताकि मामले पर तुरंत चर्चा हो सके और (ख) क्या सरकार स्पष्ट आश्वासन देगी कि संविधान प्रदत्त राज्यों को प्राप्त अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जाएगा ।

**श्री धनिक लाल मण्डल** : काश्मीर के बारे में अनुच्छेद 370 की समाप्ति का कोई प्रस्ताव नहीं ।

**श्री मोहम्मद शफी कुरेशी** : क्या सरकार अधिक अधिकारों की मांग करने वाले सभी राज्यों का सम्मेलन बुलाने को तैयार है ?

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप उन सभी राज्यों की बैठक के लिए तैयार हैं ?

**श्री धनिक लाल मण्डल** : जी नहीं ।

SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA : The hon. Minister has clarified the position regarding giving of financial powers and such other powers but some Chief Ministers are saying certain things. The Chief Minister of Jammu and Kashmir has stated that when meeting between India and Pakistan takes place, he should also be asked to join that meeting and the Bengal Chief Minister has also made a similar demand which is not in the national interest. May I know from the hon. Minister as to what is being done to check such demands.

SHRI DHANIK LAL MANDAL : We do not know what Sheikh Abdullah, Jammu and Kashmir Chief Minister has said, we only know what the Bengal Chief Minister has said in his formal Memorandum received by us.

**श्री के० ए० राजन :** मंत्री जी को पता है कि बंगाल, केरल तथा अन्य कुछ राज्यों के मुख्य मंत्री केन्द्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण मामले पर राज्यों के साथ बात-चीत के मार्ग में बाधा कौन सी है।

SHRI NATHU SINGH : Certain forces are, of late trying to weaken the country. I would like to know from the hon. Minister whether Government are aware of such forces and the parties and if these forces and parties took any disruptive step will the Government be able to face them ?

Secondly, he has stated that they would follow the policy of decentralisation but at the same time he has stated that their policy of decentralisation does not mean that the powers of the Prime Minister should be given to the Chief Minister. But the powers of the Chief Minister should be delegated to the district councils and Panchayats.

MR. SPEAKER : You have not asked any question.

SHRI NATHU SINGH : I have asked the question.

MR. SPEAKER : You have not asked the question but have made a suggestion. Shri Alagesan.

SHRI NATHU SINGH : Mr. Speaker, I have asked a question.

MR. SPEAKER : You have made a suggestion, you have not asked a question.

SHRI NATHU SINGH : Is the Government conscious of such forces ?

SHRI DHANIK LAL MANDAL : The Government is always conscious.

**श्री ओ० वी० अलगेसन :** केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में तमिलनाडु की विशेष स्थिति रही है। द्रमुक ने, जिसे पृथकतावादी दल कहा जाता है और जो तमिलनाडु में सत्ताधारी दल था, श्री राजामन्नार की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया था और द्रमुक सरकार की इच्छाओं के अनुसार ही उस आयोग ने सिफारिश की थी। अब तमिलनाडु में द्रमुक के ही एक भाग द्वारा अलग बनाई गई पार्टी की सरकार ने भारत की एकता की बात कही है। लेकिन उस दल के मुख्य मंत्री ने भी केन्द्र-राज्य संबंधों का मामला उठाया है। मैं तमिलनाडु की वर्तमान सरकार के विचार जानना चाहता हूं।

SHRI DHANIK LAL MANDAL : No formal suggestion has been received by us from the Tamil Nadu Government. What we could gather from Newspaper reports is that the Tamil Nadu Chief Minister has said that a national convention is going to be held in Chandigarh. We shall see that if the proposals made therein are in order from the point of view of national integration then we will consider it.

**श्री चित्त बसु** : क्या मंत्री जी नहीं समझते कि प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन के बाद देश की राजनीतिक स्थिति में भारी परिवर्तन आया है जिसने केन्द्र-राज्य संबंधो पर विचार किया था। यदि हां, तो क्या भारत सरकार इस बात से सहमत है कि क्या ऐसी स्थिति में इन संबंधों पर पुर्नविचार की जरूरत है। क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने अपने ज्ञापन में यह नहीं कहा कि भारत के संविधान के अधीन वर्तमान संघीय ढांचों पर निरंतर प्रहार करने का भारत सरकार का सतत् प्रयत्न रहा है? इन बातों को देखते हुए क्या सरकार देश की एकता और विघटनकारी शक्तियों का मुकाबला करने के लिये क्या संघीय ढांचे की रक्षा करना आवश्यक नहीं?

SHRI DHANIK LAL MANDAL : I agree with the hon. Member that a change has been brought about in the country. He stated that after the 1977 elections a political change has taken place in the country but in the context of that political change he has asked us whether we are prepared to review the Centre-State relationship and in reply we have stated that the time at present is not suitable for that (*Interruptions*).

**श्री चित्त बसु** : महोदय, मैंने मूल महत्व का प्रश्न पूछा है और सरकार उसे महत्वपूर्ण नहीं समझती।

**अध्यक्ष महोदय** : गलत हो या ठीक सरकार का यही विचार है।

**प्रो० पी० जी० मावलंकर** : आपने निर्णय दिया है कि इस प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। आपने कहा है कि स्वायत्तता मांगने वाले राज्यों के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अवसर दिया जायेगा। अतः हमें आपके संरक्षण की जरूरत है। मैं गुजरात से हूं। मुझे भी अवसर दिया जाए। मैंने यह प्रश्न गुजरात के मुख्य मंत्री से भी किया था और उन्होंने सार्वजनिक रूप में कहा था कि इस प्रश्न पर आम चर्चा होनी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न पर काफी चर्चा हो चुकी। मैं और अनुमति नहीं दूंगा।

**श्री बी० पी० मंडल** : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अब राज्य विधान मंडल स्थापित किए जाने की बात हो रही है। जो संविधान के उपबन्धों के अनुसार स्थापित होती है।

**अध्यक्ष महोदय** : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

**दिल्ली में विधान सभा की स्थापना**

*27. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली में विधान सभा स्थापित करने की बात को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने दिल्ली में अनेक प्राधिकरणों की व्यवस्था को समाप्त करने तथा वहां एक समेकित प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रस्तावित विधान सभा को बजट, वित्त तथा सेवाओं संबंधी शक्ति प्रदान करने का है;

(घ) सरकार का विचार प्रस्तावित विधान सभा को अन्य कौन-सी विधायी तथा कार्यकारी-शक्तियां प्रदान करने का है; और

(ङ) दिल्ली में प्रस्तावित विधान सभा की स्थापना हेतु विधेयक कब पेश किया जा रहा है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) :** (क) से (ङ) भारत सरकार दिल्ली के भावी गठन के बारे में सक्रियता से विचार कर रही है।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Sir, Not only Janata Party but all the political parties unanimously want a Legislative Assembly for Delhi. At the same time Metropolitan Council has also unanimously passed a resolution demanding Legislative Assembly for Delhi. Moreover, the Home Minister, himself has assured the Chief Executive Councillor and Member of Parliament from Delhi that the set-up will change and an Assembly will be formed. May I know the progress made in this regard and whether it is a fact that Legislative Assembly as has been provided for Goa will be set up for Delhi also.

SHRI DHANIK LAL MANDAL : The hon. Members know that talks are going on and all these things are under consideration but the idea has not taken any shape. It is proposed to set up a new structure by changing the old one.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : So far as Delhi is concerned, it has always been under experiments. At first an assembly was formed, then came the Corporation and now the Minister says that the structure will undergo a change because the present administration is in the hands of bureaucracy and is ineffective and is incapable of fulfilling the aspirations of the people. Here there is multiplicity of authority on a large scale. I want to know if (1) the present set up will be changed and (2) the new set up will have the provision for services, financial powers and would end the multiplicity of authorities.

SHRI DHANIK LAL MANDAL : It will be kept in mind.

SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA : May I know if a Bill in this regard will be brought in the present Session ?

SHRI DHANIK LAL MANDAL : I cannot say that but it will be brought forward when it is complete.

**श्री कंवर लाल गुप्त :** एक व्यवस्था का प्रश्न है। गृह मंत्री जी ने जो सूची विधेयकों को दी है क्या उसमें यह विधेयक है?

**अध्यक्ष महोदय :** आपके प्रश्न के बाद श्री विजय कुमार मलहोत्रा ने प्रश्न पूछा है। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

SHRI SOMJI BHAI DAMOR : Sir, will the Government consider giving more help to other union territories when we are discussing this matter.

**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न केवल दिल्ली के बारे में है।

SHRI RAGHAVJI : Since when this consideration is going on and how much time will it take ?

SHRI DHANIK LAL MANDAL : It will be decided soon. This apprehension is not correct that it will take a long time.

**श्री पी० एम० सैयद :** क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली की ही तरह क्या जनता सरकार का विचार लक्षद्वीप जैसे द्वीपों के बारे में भी लोकतांत्रिक ढांचा स्थापित करने का है?

**श्री धनिक लाल मंडल**: यह अलग प्रश्न है। इससे पैदा नहीं होता।

SHRI GAURI SHANKAR RAI : In all the federal Governments capital of the cou try is centrally administered to avoid any contradiction. But now when you are providi State assembly for Delhi keeping the responsibility to maintain law and order, have y devised any means to avoid confrontation ? There may be a different ruling party at t Centre and in the Delhi Assembly another party might be running the administrati so certain inherent problems can crop up any time.

SHRI DHANIK LAL MANDAL : We are discussing those very problems which ha been mentioned by the hon. Member.

CHAUDHURY BRAHM PERKASH : There are only two countries where there is assembly for federal capital. One is Australia and the other is America. The hon-Minist is aware that so far under no structure Delhi had a fulfledged assembly enjoying full righ Will you consider this aspect to include in the Bill which is under consideration ?

SHRI DHANIK LAL MANDAL : It will not be possible to accord fulfledged status.

---

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

# ANSWERS TO WRITTEN QUSTIONS

**'नेपोटिज्म इन ए० आई० आर०' (आकाशवाणी में भाई-भतीजावाद) शीर्षक से समाचार**

*23. **श्री राजकेशर सिंह**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'नेपोटिज्म इन ए० आई० आर० (आकाशवाणी में भाई-भतीजावाद) शीर्षक से (29 जनवरी, 1978 के 'सन्डे वीकली' में) प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें नियुक्तियों के मामले में भाई-भतीजावाद के तथा आकाशवाणी के कार्य-कलापों में बाधा डालने के लिये उत्तरदायी श्रेणीगत असमानताओं तथा संघर्षों के ज्वलं उदाहरण दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और भविष्य में ऐसी भ्रष्ट प्रक्रियाओं की पुनरावृत्ति को रोकने तथा पहले की गई ऐसी नियुक्तियों को रद्द करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी)**: (क) जी हां।

(ख) आपातस्थिति के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन में की गई अनियमित नियुक्तियों की जांच दास समिति द्वारा भी की गई थी और जहां आवश्यक था शोधक कार्यवाही की गई थी। आकाशवाणी और दूरदर्शन में भाई-भतीजावाद को पूर्णतया समाप्त करने का सरकार का दृढ़ संकल्प है। सभी भर्तियों में बाहर के असेसरों को सहयोजित किया जा रहा है। इन माध्यमों की संरचना और संगठन के संबंध में सरकार आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिये स्वायत्तता संबंधी कार्य दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है।

## अल्पसंख्यक आयोग

*25. **श्री सी० के० जाफर शरीफ**
**श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों की शिकायतों की देखभाल करने के लिये एक अल्पसंख्यक आयोग नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन हैं और इसके निर्देश क्या हैं; और

(ग) इस आयोग के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अल्पसंख्यक समुदायों संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) :** (क), (ख) और (ग) : अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना तथा उसके गठन और विचारार्थ विषयों का एक सरकारी संकल्प 12 जनवरी, 1978 को अधिसूचित किया गया था। आयोग के कार्य में सभी अल्पसंख्यक आ जाते हैं। चाहे धर्म पर आधारित हो अथवा भाषा पर। जो विशिष्ट समुदाय तथा वर्ग इसके अन्तर्गत आ जायेंगे उनके बारे में ब्योरे स्वयं आयोग द्वारा तैयार किये जाएंगे।

## डी० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में नियुक्त समिति द्वारा दी गई सिफारिशें

*28. **श्री रामानन्द तिवारी**
**श्री वसंत साठे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भरती प्रक्रिया और चयन पद्धति के संबंध में डा० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में नियुक्त की गई समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विशेषक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारती सैन्य अकादमी की परीक्षाओं में परीक्षा माध्यम और अखिल भारतीय अथवा राज्य सेवाओं में कृषि और समाज के अन्य दुर्बल वर्गों के प्रतिनिधित्व के बारे में की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :** (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) समिति की रिपोर्ट की प्रतियां 14 दिसम्बर, 1977 को सदन के पटल पर रख दी गई थीं। समिति की सिफारिशों का सारांश उक्त रिपोर्ट के पृष्ठ 79-90 पर दिया गया है।

विचारार्थ विषय उक्त रिपोर्ट के पृष्ठ 1 तथा 2 पर दिए गए हैं। देखने से पता चल जाएगा कि रक्षा सेवा परीक्षाएं समिति के क्षेत्राधिकार से बाहर थी।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य सरकारों के परामर्श से उक्त सिफारिशों पर विचार किया है। चूंकि प्रस्तावित परिवर्तनों का दूरगामी महत्व है,

इसलिये सरकार ने यह निर्णय किया है कि कोई अन्तिम निर्णय लिये जाने से पहले जनता का मत जान लिया जाए। तदनुसार, सरकार ने अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं के लिये कोठारी समिति द्वारा सिफारिश की गई भर्ती प्रक्रिया तथा चयन पद्धति के किसी भी पहलू पर जानकार जनमत के विचार तथा सुझाव मांगें हैं।

**बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द किये गये व्यक्ति**

*29. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत भर की विभिन्न जेलों में बिना मुकदमा चलाए हुए अब भी काफी संख्या में लोग नजरबन्द हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने;

(ग) कुल आंकड़ों का राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(घ) किन कारणों से अथवा किन कानूनों के अधीन उन्हें नजरबन्द किया गया है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना का विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

'विवरण'

| क्र० सं० | राज्य संघ-शासित क्षेत्र का नाम | मीसा के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या | कोफेपोसा के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या। | जोड़ | अन्य विवरण, यदि कोई हो। |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | गुजरात | – | 57 | 57 | |
| 2. | कर्नाटक | – | 20 | 20 | |
| 3. | महाराष्ट्र | 12 | 34 | 46 | वे व्यक्ति जिनको लोक व्यवस्था बनाए रखने के संबंधित कारणों से मीसा के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया। |
| 4. | मणिपुर | 1 | – | 1 | भूमिगत नागा विद्रोही है। |
| 5. | मेघालय | 1 | – | 1 | एक विदेशी जिसको निष्कासित किया जाना है। |
| 6. | पंजाब | 145 | 9 | 154 | वे जो मीसा के अन्तर्गत नजरबन्द किए गए थे |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | विदेशी है जिनको निष्कासित किया जाना है। |
| 7. | राजस्थान | 101 | – | 101 | वे सभी विदेशी हैं जिनको निष्कासित किया जाना है। |
| 8. | तमिलनाडु | – | 13 | 13 | |
| 9. | त्रिपुरा | 1 | – | 1 | एक विदेशी राष्ट्रीक है जिसको निष्कासित किया जाना है। |
| 10. | उत्तर प्रदेश | – | 8 | 8 | |
| 11. | पश्चिमी बंगाल | – | 5 | 5 | |
| 12. | चंडीगढ़ | 1 | – | 1 | एक विदेशी राष्ट्रीक है जिसको निष्कासित किया जाना है |
| 13. | दिल्ली | 1 | 5 | 6 | मीसा नजरबन्दी एक विदेशी राष्ट्रीक है जिसको निष्कासित किया जाना है। |
| 14. | गोवा, दमन व दीव | – | | 6 | |
| 15. | केन्द्रीय सरकार | – | | 6 | |
| | जोड़ | 263 | 163 | 426 | |

नोट :—शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के बारे में सूचना शून्य है।

**आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत श्री सिकन्दर बख्त के विरुद्ध मामलों का वापस लिया जाना।**

*30. **श्री हितेन्द्र देसाई :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री सिकन्दर बख्त आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दो मामलों में सह-अपराधी थे;

(ख) क्या ये मामले वापस ले लिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है?

**गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) :** (क) (ख) तथा (ग) : आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अधीन दण्डनीय अपराधों से संबंधित एक प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसकी दिल्ली पुलिस द्वारा जांच की गई थी, 12 जून, 1964 को दर्ज की गई थी। जांच पड़ताल पूरी होने के बाद छ: चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये थे। इनमें से दो मामलों में श्री सिकन्दर बख्त को दिल्ली कृषक सहकारी बहुउद्देश्यीय समिति के प्रबंधक तथा कोषाध्यक्ष के रूप में सह-अपराधी दिखाया गया था।

सरकार द्वारा ऐसे मामलों को वापस लेने के प्रश्न पर विचार किया गया था और यह तय किया गया था कि जिन मामलों में कानून का उल्लंघन केवल एक तकनीकी किस्म का है और जहां इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमें लगाए गए थे, उनको व्यक्तिगत लाभ हुआ है, उन्हें वापस ले लिया जाए। दिल्ली प्रशासन ने इन मार्गदर्शनों पर कार्य करते हुए, स्वयं इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में सूचित लेने देने से किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ हुआ है, कुछ मामलों को वापस लेने के आदेश दिये। वापिस किये गये मामलों में वे दो मामले भी शामिल हैं जिनमें श्री सिकन्दर बख्त भी अभियुक्त थे।

## मद्रास में आयोजित फिल्मोत्सव--1978 समारोह

*31. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में मद्रास में फिल्मोत्सव–1978 समारोह हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस समारोह में किन-किन देशों ने भाग लिया और प्रत्येक देश की कितनी फिल्मों का प्रदर्शन किया गया;

(ग) क्या फिल्म समारोह समिति ने सोवियत रूस की दो अच्छी फिल्मों को अस्वीकार कर दिया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) :** (क) जी, हां। फिल्मोत्सव मद्रास में 3 जनवरी से 17 जनवरी, 1978 तक हुआ था।

(ख) समारोह प्रदर्शन कार्यक्रम में 32 देशों ने भाग लिया था। इसके अतिरिक्त, 10 देशों ने समारोह के फिल्म बाजार में भी अनन्य रूप से प्रतिनिधित्व किया था। इन देशों का ब्योरा सदन की मेज पर रखे गए विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं। सोवियत संघ ने समारोह के लिये चार फिल्मों का प्रस्ताव किया था। इनमें से एक फिल्म को समारोह में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि वह पहले ही भारत के पिछले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाई जा चुकी थी। शेष फिल्मों में से, स्क्रीनिंग पैनल ने शामिल करने के लिये उपयुक्त फिल्म के रूप में केवल एक ही फिल्म को ही स्वीकृत किया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण**

**मद्रास में हुए फिल्मोत्सव 1978 में भाग लेने वाले देशों का ब्यौरा:**

**1. समारोह प्रदर्शन कार्यक्रम**

| क्र० सं० | देश का नाम | फीचर फिल्में | लघु फिल्में |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | अल्जीरिया | 1 | |
| 2. | अर्जेन्टीना | 1 | |
| 3. | आस्ट्रेलिया | 1 | |
| 4. | बेल्जियम | – | 1 |
| 5. | ब्राजील | 4 | 1 |
| 6. | बुल्गारिया | 1 | |
| 7. | कनाडा | 2 | 2 |
| 8. | चीन | 1 | |
| 9. | चेकोस्लोवाकिया | 2 | |
| 10. | मिस्र | 1 | |
| 11. | फ्रांस | 12 (अनुदर्शी खण्ड में 5 फिल्मों सहित) | |
| 12. | जर्मन संघीय गणतन्त्र | 5 | |
| 13. | जर्मन जनवादी गणतन्त्र | – | 1 |
| 14. | यूनान | 5 (अनुदर्शी) | |
| 15. | गुयाना | – | 1 |
| 16. | हंगरी | 3 | |
| 17. | इटली | 6 | |
| 18. | जापान | 4 | |
| 19. | मोरक्को | 1 | |
| 20. | नीदरलैण्ड | 2 | 2 |
| 21. | न्यूजीलैण्ड | – | 2 |
| 22. | पोलैंड | 2 | |
| 23. | पुर्तगाल | – | 1 |
| 24. | रोमानिया | 2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 25. | स्वीडन | 4 | |
| 26. | स्विट्जरलैण्ड | 2 | |
| 27. | ट्यूनीशिया | 1 | |
| 28. | इंगलैण्ड | 5 | 7 |
| 29. | अमरीका | 16 | 4 |
| | | (अनुदर्शी खण्डों में 3 फिल्मों सहित) | |
| 30. | सोवियत संघ | 1 | |
| 31. | जाम्बिया | — | 1 |
| | योग : (विदेशी फिल्में) | 85 | 23 |
| 32. | भारत | 33 | 60 |
| | | (अनुदर्शी खण्ड में 5 फिल्मों सहित) | |

2. **फिल्म बाजार**

फिल्म बाजार में 15 देशों ने भाग लिया था । इनमें पांच वे देश भी शामिल हैं जिन्होंने समारोह के प्रदर्शन कार्यक्रम मे भाग लिया था। शेष दस देश इस प्रकार हैं :—

1. अफगानिस्तान
2. हांगकांग
3. इराक
4. मोजाम्बिक
5. नेपाल
6. ओमन
7. सीरिया
8. सूडान
9. श्रीलंका
10. यूगोस्लाविया

फिल्म बाजार में बिक्री के लिये प्रविष्ट फिल्मों में 58 विदेशी फीचर फिल्में और एक विदेशी लघु फिल्म तथा 126 भारतीय फीचर फिल्में और 48 भारतीय लघु फिल्में शामिल थीं ।

**गैर-हिन्दी भाषी लोगों पर हिन्दी का थोपा जाना**

32. श्री आर० कोलनथाइवेलू
श्री आर० मोहनरंगम } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी के थोपे जाने के विरुद्ध नेहरू के आश्वासन को संवैधानिक गारंटी देने में विफल रहने के बारे में गैर-हिन्दी भाषी लोगों में बढ़ते हुए असन्तोष की सरकार को जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो संवैधानिक संशोधन के माध्यम से आश्वासन को संविधान में सम्मिलित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) :** (क) और (ख) स्वर्गीय पंडित नेहरू के आश्वासन को कानूनी रूप देने के लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 पास किया गया, जिसमें 1965 के बाद भी केन्द्रीय सरकार के कामकाज के लिए हिन्दी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था की गई। बाद में, 1967 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। संशोधित अधिनियम के अनुसार हिन्दी को राज्यभाषा के रूप में न अपनाने वाले सभी राज्यों के विधान मंडल अधिनियम में उल्लिखित कार्यों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग को खत्म करने के बारे में अब तक संकल्प नहीं पास करते हैं और उन संकल्पों के आधार पर संसद् के दोनों सदन भी ऐसा नहीं करते हैं, तब तक अंग्रेजी के बारे में संबंधित कानूनी व्यवस्थाएं बनी रहेंगी।

उपर्युक्त को देखते हुए इसके लिए संविधान में किसी प्रकार के संशोधन की जरूरत नहीं है। वास्तव में, राजभाषा अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 343(3) के अनुसार ही बनाया गया था।

### राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा बंद की जाने वाली कपड़ा मिलों के नाम

*33. **श्री के० ए० राजन**
**श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कुछ कपड़ा मिलों को बंद करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है :

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों के नाम क्या हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने खराब कार्य-निष्पादन के कारणों का पता लगाने के लिये इन मिलों का कोई तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण कराया था ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने कुछ ऐसी मिलों का जिनमें काफी हानि हो रही है तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण उनके खराब निष्पादन कार्य का पता लगाने तथा सुधारात्मक अभ्युपाय करने की दृष्टि से किया है।

### मालवाहक जहाजों के लिए ब्रिटेन से अनुदान

*34. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन**
**श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन सरकार 6 मालवाहक जहाजों के लिये शत प्रतिशत अनुदान देने के लिये सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन मालवाहक जहाजों को खरीदने के लिये सहमत है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) इस सौदे के कब तक पूरा होने की संभावना है?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम)** : (क) इन जहाजों को यू० के०-भारत की मिश्रित परियोजना अनुदान में से खरीदा जाएगा।

(ख) जहाज भारतीय नौवहन निगम द्वारा प्राप्त किये जाएंगे।

(ग) तथा (घ) : जहाज अधुनिक माल लाइनर जहाज हैं जो प्रत्येक लगभग 16,000 डी० डब्ल्यू० टी० के हैं। कुछ औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद नौवहन निगम द्वारा समझौते को अंतिम रूप देने की संभावना है।

**अमरीका द्वारा तारापुर परमाणु संयंत्र के लिए परमाणु ईंधन की सप्लाई**

*35. **श्री चित्तबसु**
**श्री जगदीश प्रसाद माथुर** } : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बीच तारापुर परमाणु संयंत्र के लिए नाभिकीय ईंधन की सप्लाई के लिये अमरीका के साथ संविदागत दायित्व के संबंध में अमरीकी सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि नहीं, तो नाभिकीय ईंधन की सप्लाई का सुनिश्चिय करने के लिये सरकार का विचार और आगे क्या कदम उठाने का है?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, नहीं।

(ख) यह मामला दोनों सरकारों के बीच राजनयिकों के स्तर पर विचार-विमर्श का विषय रहा है। हमें अमरीका के राष्ट्रपति से सार्वजनिक रूप से आश्वासन मिल चुका है कि तारापुर स्थित रिएक्टर के लिए नाभिकीय ईंधन भेजा जाएगा। हमें विदित हुआ है कि इस मामले पर अमरीका सरकार के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

**भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड को हैडवर्क्स का नियंत्रण सौंपना**

*36. **श्री महेन्द्र सिंह सैयावाला** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने तीन हैडवर्क्स अर्थात रोपड़, हरिके और फिरोजपुर का नियंत्रण भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड को सौंपने के बारे में पंजाब सरकार के पत्र का उत्तर दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर पंजाब सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? तथा इस मामले में नवीनतम रवैया क्या है।

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन)** : (क) और (ख) भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 79 (1) (ग) के अनुसरण में रोपड़, हरिके और फिरोजपुर हैडवर्क्स भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड को अन्तरित कर दिये हैं। पंजाब सरकार ने इस अन्तरण के

विरुद्ध अभ्यावेदन किया है। भारत सरकार ने यह बात दोहराई है कि यह अन्तरण उक्त अधिनियम की संबंधित धारा के उपबन्धों के अनुपालन में किया गया है।

**कपूरथला में ढिलवान में चांदमारी के दौरान हुई मौतें**

*37. **श्री भगत राम :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें अधिकारियों की लापरवाही के कारण कपूरथला जिले के ढिलवान चांदमारी क्षेत्र में चांदमारी के दौरान हाल ही में हुई पांच व्यक्तियों की मृत्यु के बारे में पता है;

(ख) क्या उस क्षेत्र में बहुत से तथाकथित बिना फटे बम पड़े हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मृतकों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा और पेंशन देने का है; और

(घ) इस बसे हुए तथा कृषि वाले क्षेत्र में ऐसी दुर्घटनाएं न होने देने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** (क) से (ग) इन व्यक्तियों की मृत्यु के बारे में सरकार को सूचना मिली है । यह मामला पश्चिम कमान मुख्यालय को दुर्घटना की जांच करने के लिये भेजा गया है। उनकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद मुआवजा देने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा। उस क्षेत्र में बिना फटा कोई बम्ब नहीं पड़ा है।

(घ) फायर रेंज में दुर्घटनाओं को रोकने के लिये निम्नलिखित कदम पहले ही उठाए जा रहे हैं :—

(1) चांदमारी शुरू करने से पूर्व सिविल पुलिस से रेंज साफ होने का प्रमाण-पत्र लिया जाता है। चांदमारी के स्थान पर पुलिस का प्रतिनिधि मौजूद होता है।

(2) चांदमारी से दो दिन पूर्व लगातार सिविल पुलिस के माध्यम से सार्वजनिक घोषणा की जाती है ताकि उस क्षेत्र के गांव वालों को सूचना मिल जाए।

(3) चांदमारी के समय चांदमारी के क्षेत्र में चारों तरफ संतरी तैनात कर दिये जाते हैं जिन के पास लाल झंडे तथा रेडियो सेट होते हैं।

(4) चांदमारी शुरू करने से पहले बिगुल बजा कर सूचना दी जाती है।

**रूस से भारी जल की सप्लाई**

*38. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोवियत रूस से भारी जल प्राप्त करने के लिये व्यापक पूर्वोपाय स्वीकर कर लिये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो सोवियत रूस के भारी जल की सप्लाई के पूर्वोपाय कनाडा के सी० ए० एन० डी० यू० किस्म के रिएक्टर संबंधी प्रौद्योगिकी के लिये स्वीकार किए गये कनाडा के पूर्वोपायों से तथा उन पूर्वोपायों से जिनकी बड़ी परमाणु शक्तियों की कथित लन्दन क्लब द्वारा मांग की गई है, किन मामलों से भिन्न है;

(ग) क्या सोवियत भारी जल करार तथा इसके लिये स्वीकार किये गये पूर्वोपाय भारत की परमाणु संबंधी विचारधारा में एक नई नीति का प्रतीक है ; और

(घ) सोवियत भारी जल प्राप्त करने के क्या कारण हैं जबकि पांच भारी जल संयंत्रों को आगामी कुछ वर्षों में पूरा किया जाना है?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, नहीं।

(ख) सेफगार्ड संबंधी जो शर्तें भारत ने सोवियत संघ से भारी पानी प्राप्त करने के बारे में स्वीकार की ह, वे उन शर्तों से आगे कुछ नहीं हैं जिन्हें हमने सन् 1976 में कनाडा के साथ दोबारा बातचीत करते समय मानना स्वीकार किया था। लन्दन क्लब द्वारा निर्यात के संबंध में तैयार किए गए स्वीकृत मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों का ब्योरा हमें नहीं भेजा गया है।

(ग) तथा (घ) जी, नहीं। चार भारी पानी संयंत्र (बड़ौदा, तूतीकोरिन, तलचर तथा कोटा में) निर्माण तथा संचालन के विभिन्न चरणों में पहुंच चुके ह। इन संयंत्रों से पर्याप्त भारी पानी की मात्रा अगले कुछ वर्षों में ही प्राप्त हो सकेगी। सोवियत संघ से जो भारी पानी लिया गया है वह राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दूसरे यूनिट को, जिसका निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है, चालू करने संबंधी तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये है।

**औद्योगिक विनियमों तथा प्रक्रियाओं संबंधी रामकृष्ण समिति का प्रतिवेदन**

*39. **श्री जी० एम० बनतवाला** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विनियमों तथा प्रक्रियाओं संबंधी रामकृष्ण समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया गया है यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती)** : (क) जी, हां।

(ख) अध्ययन दल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें 2 फरवरी, 1977 को सरकार द्वारा जारी किए गए प्रेसनोट में दी गई हैं। प्रेस नोट की प्रति संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

**PROMOTION OF TEACHERS IN HINDI TEACHING SCHEME**

*40. **SHRI DAYA RAM SHAKYA** : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of teachers in the Hindi Teaching Scheme and the system of their promotion;

(b) whether there is any system of automatic promotion for these Hindi teachers like lecturers of universities and colleges; and

(c) if the reply to part (b) be in the affirmative, the number of teachers who have not been allowed to cross efficiency bar for the last three years and the number of those who have been allowed to do so?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a), (b) and (c) There are 225 teachers in the Hindi Teaching Scheme. There are 27 posts of Assistant Directors over these posts. According to the recruitment rules the appointment to these posts is made by selection from amongst the teachers by a Departmental Promotion Committee.

So far as the question of crossing the efficiency bar by the Teachers is concerned, it may be mentioned that prior to November, 1975, the concerned Deputy Secretary used to decide the cases of crossing the efficiency bar by the teachers on the basis of their Confidential Character Rolls. According to the orders of the Government of India issued in Nov. 1975, the cases relating to crossing the efficiency bar are considered by a Departmental Promotion Committee. Three meetings of the Committee were held during the last three years and cases of 30 teachers were considered and 27 were allowed to cross the efficiency bar. Three teachers were not found fit for crossing the efficiency bar.

**मृत्यु-दंड को समाप्त करना**

175. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला:**
**श्रीमती पार्वती देवी:** } क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मृत्यु-दंड को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल)**: (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**रुग्ण उद्योगों को स्वस्थ उद्योगों के साथ मिलाया जाना**

177. **श्री समर मुखर्जी:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रुग्ण उद्योगों को स्वस्थ्य उद्योगों के साथ मिलाने के लिये मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों का प्रारूप परिचालित किया है।

(ख) यदि हां, तो योजना की मोटी रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में श्रमिक संघों से भी परामर्श किया है।

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार का विचार श्रमिक संघों से परामर्श करने का है?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती)**: (क) और (ख): रुग्ण एककों को स्वस्थ एककों के साथ मिलाने के कार्य को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से भारत सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन किया है, जिसके फलस्वरूप समामेलित

कंपनी को कुछ शर्तों के अधीन आय कर में कुछ रियायतें मिलेंगी। आयकर संबंधी रियायतें प्राप्त करने की अर्हता की शर्तों के मार्गदर्शी सिद्धान्त केन्द्रीय सरकार द्वारा बना लिये गये हैं। योजना का ब्योरा एवम् मार्गदर्शी सिद्धान्त संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

[ **ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1557/78** ]

(ग), (घ) और (ङ) मार्गदर्शी सिद्धांत ट्रेड यूनियनों की सलाह से नहीं अपितु श्रम मंत्रालय की सलाह से बनाए गए हैं। मार्गदर्शी सिद्धान्तों में श्रमिकों के हितों को भी ध्यान में रखा गया है जो कर संबंधी रियायतें प्राप्त करने के आवेदन पत्रों पर विचार करते समय एक प्रासंगिक कारक होगा।

**'युवजन' को विज्ञापन न देना**

179. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दृश्य एवं श्रव्य प्रचार निदेशालय अभी भी 'युवजन' नामक एक लोकप्रिय तेलुगु मासिक को, जो युवकों और विद्यार्थियों द्वारा चलाई जाने वाली एक पत्रिका है और जिसे आपात् स्थिति के दौरान संजय गांधी की नीतियों की आलोचना करने के कारण काली सूची में सम्मिलित कर दिया गया था, अभी भी विज्ञापन न देने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या दृश्य एवं श्रव्य प्रचार निदेशालय द्वारा उक्त पत्रिका को अब राजनीतिक कारणों से दण्डित किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं तो, उक्त पत्रिका को जो दृश्य एवं श्रव्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापन प्राप्त करने के लिये आवश्यक सब शर्तों को पूरा करती है उसको विज्ञापन न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) दृश्य एवं श्रव्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापन देने की नीतियों की मुख्य बातें क्या हैं और समाचार पत्रों को चयन करने और विज्ञापन दरें निर्धारित करने की कसौटी क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्णन अडवानी) :** (क) और (ख) जी, नहीं। सरकारी विज्ञापनों के लिये हैदराबाद की 'युवजन' पत्रिका का उपयोग प्रचार आवश्यकताओं के अनुसार किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विज्ञापन नीति की एक प्रति संलग्न है जिसमें वह मानदंड दिया हुआ है जिसके आधार पर सरकारी विज्ञापनों के लिये समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों पर विचार किया जाता है।

[ **ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1558/78** ]

**ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिये उद्योग स्थापित करने हेतु**

**180. श्री धर्मवीर वशिष्ट:** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिये उद्योग स्थापित करने हेतु विशेषतया कर्मचारियों, प्रशिक्षण और परामर्श वित्तपोषण के उद्देश्य से परियोजनाओं का चयन और स्वीकृति के संदर्भ में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) विभिन्न उद्योगपतियों ने व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से, राज्यवार, जिन गांवों का चयन किया है उनके नाम क्या हैं और इस बारे में यदि कोई परिणाम प्राप्त हुए हैं तो वे क्या हैं?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती) :** (क) और (ख) विषय कृषि मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) और वित्त मंत्रालय से संबंधित ह, उनसे अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

**कुटीर और लघु उद्योगों में सम्मिलित मिल क्षेत्र के उद्योग**

**181. श्री दुर्गा चन्द:** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिये कोई चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मिल क्षेत्र से किन-किन उद्योगों को लेकर कुटीर और लघु उद्योगों में शामिल किया गया है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार नें राज्य सरकारों से कहा है कि वे अपने-अपने राज्यों में कुटीर और लघु उद्योगों की स्थापना के बारे में ब्यौरा भेजें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती) :** (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने कुटीर तथा लघु उद्योगों को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिये एक कार्यक्रम की घोषणा की है जिसका उल्लेख 23 दिसम्बर, 1977 को सभा पटल पर रखे गये औद्योगिक नीति संबंधी विवरण में किया गया है। इस कार्यक्रम के अनुसार लघु एवं कुटीर उद्योगों के प्रमुख विकास केन्द्र को बड़े शहरों तथा राज्य की राजधानियों से बढ़ाकर दूर जिले में केवल एक ही अभिकरण होगा जो लघु तथा ग्रामोद्योगों की सभी आवश्यकताएं पूरी करेगा और इसे "जिला उद्योग केन्द्र' कहा जाएगा। छोटे तथा ग्रामों के उद्यमियों के लिये जरूरी सभी सेवाओं तथा समर्थन प्रदान करने की व्यवस्था एक ही स्थान पर की जाएगी। सरकार की मंशा आगामी चार वर्षों की अवधि में सभी जिलों में इस महत्वपूर्ण संगठनात्मक ढांचे का विस्तार करना भी है आगामी चार वर्षों की अवधि में ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम के अधीन लघु तथा कुटीर उद्योगों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता

देश के सभी जिलों में दी जाने लगेगी । वित्तीय विपणन सहायता आदि के लिये उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। केवल लघु क्षेत्र के लिये आरक्षित उद्योगों की सूची का खास तौर से विस्तार कर दिया गया है जिसमें अब पहले को 180 की अपेक्षा 504 वस्तुएं सम्मिलित कर ली गई हैं। लघु क्षेत्र के अंतर्गत बहुत छोटे क्षेत्र अर्थात् वे उद्योग जो 1971 की जनगणना के अनुसार 50,000 से कम जनसंख्या वाले नगरों तथा गांवों में स्थिति हैं और जिनमें मशीनों तथा उपकरणों पर 1 लाख रुपये तक विनियोजन किया गया है, विशेष ध्यान दिया जाएगा।

(ग) केवल लघु क्षेत्र में उत्पादन करने के लिये आरक्षित वस्तुओं की एक सूची औद्योगिक नीति पर 23 दिसम्बर, 1977 को दिये गये विवरण के साथ सभा पटल पर रखी जा चुकी है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) स्वरोजगार सहित पूर्ण रोजगार के अधिकाधिक अवसर उत्पन्न करने के प्रमुख उद्देश्य की प्राप्ति के लिये योजना आयोग ने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि वे कृषि विकास तथा उसके सहायक कार्यकलापों ग्रामीण एवं अन्य श्रम प्रधान उद्योगों तथा अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्रों को अपेक्षाकृत उच्च प्राथमिकता प्रदान करें । ग्रामीण विकास के माध्यम से पूर्ण रोजगार की योजना बनाकर राज्य सरकारों को चाहिए कि ये प्रत्येक जिले में अर्थक्षम एककों के रूप विकास योग्य तथा विकास की पर्याप्त संभावनाओं वाले मौजूदा ग्रामीण उद्योगों का पता लगाने के लिये तत्काल कदम उठाए। भिन्न भिन्न जिलों में इस समय रोजगार की कुछ व्यवस्था करने वाले इस प्रकार के उद्योगों का चुनाव करने की सुविधा हेतु 1971 की जनगणना के आधार पर शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में पंजीयित, गैरपंजीयित तथा घरेलू उद्योग क्षेत्र से संबंधित छः चुने हुए उद्योगों की सूचना मिली है। वे उद्योग पहनने के कपड़े, लकड़ी तथा लकड़ी के उत्पाद, फर्नीचर, तथा फिक्श्चर चमड़ा तथा चमड़ा उत्पादन, फर उत्पाद सहित खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, तम्बाकू, तम्बाकू उत्पादन, सूती वस्त्र, वस्त्र उत्पाद के संबंध में है। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे कच्चे माल की उपलभ्यता, उत्पादन लागत, विपणन योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए इन उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर विकास करने के लिये उपयुक्त कार्यक्रम तथा योजनाएं बनाने की समस्याओं का विस्तारपूर्वक अध्ययन करें।

**यात्री किराए और भाड़े की दरों में वृद्धि**

182. **श्री पद्माचरण सामन्त सिङ्हेरा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नौवहन निगम ने यात्री किराये और भाड़े की दरों में वृद्धि कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके कारण क्या हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम)** : (क) और (ख) भारतीय नौवहन निगम ने हाल ही में अपनी सेवाओं पर यात्री और माल भाड़ा दरों में निम्न प्रकार से वृद्धि की है :---

| सेवाएं | वृद्धियां/लागू होने की तारीख | |
|---|---|---|
| (1) मुख्य भूमि---अंडमान<br>(2) मुख्य भूमि लक्षद्वीप | यात्री और माल सेवा पर 25% | 22-1-78 |
| (3) रामेश्वरम्/ तलाईमन्नार | बिजली सतह के जहाजी भाड़ों पर 25% | 1-1-78 |
| (4) मद्रास/जलडमरूमध्य | भाड़ा दरों पर 15% | सितम्बर, 1977 |
| (5) भारत-पश्चिम एशिया खाड़ी | यात्री किरायों पर 10% | अगस्त, 1977 |
| | भाड़ा दरों (बाहरी) पर 27% | अक्तूबर, 1977 |

बंकर लागत और वेतन बिलों इत्यादि में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप परिचालन लागत में अत्याधिक वृद्धि होने के कारण दरों में वृद्धियां की गई हैं। किराए और भाड़ा दरों में की गई ये वृद्धियां लागत में हुई वृद्धि का कुछ हिस्सा ही पूरा कर सकेंगी। इससे कुछ हद तक घाटे में कमी हो सकेगी।

## पूर्वोत्तर परिषद्

183. **श्री कृष्ण चन्द्र हालदर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद् के कार्यकरण की संपूर्ण समीक्षा करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो आलोचना के मुख्य मुद्दे क्या हैं;

(ग) क्या उसके कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल)** : (क) और (ख) 21 जनवरी, 1978 की शिलांग में हुई पूर्वोत्तर परिषद् की 11वीं बैठक में त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ने सुझाव दिया था कि पूर्वोत्तर परिषद् के क्षेत्र तथा कार्य दोनों के पुनरीक्षण की आवश्यकता है। मुख्य मंत्री त्रिपुरा के अनुसार परिवहन, रेलवे, बिजली, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, बैंकिंग सुविधाएं और हस्तांरित कृषि को रोकने के क्षेत्र में बहुत प्रयास ही पिछड़ेपन को दूर कर

सकेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद् के बनने के बाद से अब तक किये गये प्रयासों के बावजूद यह क्षेत्र अविकसित रहा है। अतः उन्होंने सुझाव दिया कि पूर्वोत्तर परिषद् को केन्द्रीय सरकार के समक्ष क्षेत्र की समस्याओं पर जोर देने के लिये एक फोरम अनिवार्य रूप से बनाया जाए।

(ग) और (घ) पूर्वोत्तर परिषद् का, पूर्वोत्तर क्षेत्र के संतुलित विकास के लिये एक सलाहकार समिति के रूप में पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम 84) के अधीन गठन किया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत परिषद् एकीकृत क्षेत्रीय योजना के लिये प्रस्ताव तैयार करने के लिये सक्षम है और परियोजनाओं तथा योजनाओं की प्राथमिकताएं भी निर्धारित करती है। परिषद् में प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ अथवा सभी राज्यों के सामान्य हितों के किसी विषय पर चर्चा करने तथा केन्द्रीय सरकार तथा प्रत्येक संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र को ऐसे किसी विषय के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सलाह देने के लिये परिषद् सक्षम है। परिषद् की योजनाएं और कार्यक्रम संघटक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा हाथ में लिये गये विकास के कार्यक्रमों के अतिरिक्त हैं और परिषद् को क्षेत्रीय हित की सामान्य समस्याओं से स्वयं को आवश्यक रूप से संबंधित रखता है। सामान्य परम्परा यह है कि परिषद् के सभी प्रस्ताव स्वीकार किए जाते हैं यदि वे तकनीकी व्यवहार्यता और वित्तीय साधनों के अनुरूप हों।

**'आंसुका' के अधीन बन्दी-मृतकों के उत्तराधिकारियों को पेंशन**

184. **श्री आर० के० महालगी** : क्या गृह मंत्री 16 नवम्बर, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 56 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न जिला मजिस्ट्रेटों से अब तक 'आंसुका' के अधीन बन्दी-मृतकों के उत्तराधिकारियों को पेंशन मंजूर किए जाने के बारे में कितनी सिफारिशें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) राज्य सरकारों के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेटों को इस बारे में कब अनुदेश दिये गये थे; और

(ग) यदि सब सम्बद्ध जिला मजिस्ट्रेटों से सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) से (ग) अब तक जिन मामलों में मीसा के अधीन बंदी-मृतकों के आश्रितों को पेंशन स्वीकृत करने के लिये सिफारिशें प्राप्त हुई हैं और जिनमें पेंशन स्वीकृत कर दी गई है, उनकी संख्या का राज्यवार विवरण संलग्न है। मीसा के अधीन बंदी-मृतकों के आश्रितों/उत्तराधिकारियों को पेंशन स्वीकृत करने के लिये योजना 12-7-1977 को राज्य सरकारों को परिचालित की गई थी और उनसे जिला प्राधिकारियों के माध्यम से पात्र आश्रितों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने और उन्हें अपनी सिफारिशों के साथ भेजने को कहा गया था। राज्य सरकारों को अपनी सिफारिशें शीघ्र भेजने के लिये समय-समय पर स्मरण-पत्र भेजे जा रहे हैं।

| राज्य | प्राप्त हुई सिफारिशें | स्वीकृत | अस्वीकृत |
|---|---|---|---|
| चंडीगढ़ . . . | 1 | 1 | – |
| दिल्ली | 1 | 1 | – |
| गुजरात . | 6 | 2 | 1 |
| हरियाणा | 4 | – | – |
| केरल | 1 | – | – |
| कर्नाटक . | 1 | – | – |
| राजस्थान . | 3 | 2 | – |
| तमिलनाडु | 2 | 1 | – |
| उत्तर प्रदेश | 6 | 1 | 5 |
| जोड़ . . | 25 | 8 | 6 |

**टिप्पणी** :—कुछ राज्य सरकारों से 11 मामलों में और स्पष्टीकरण मांगे गये हैं।

**कांगडा जिले में पोंग बांध से निकाले गएं व्यक्तियों द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा**

185. **श्री यू० एस० पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में गत छः वर्ष के दौरान पोंग बांध से निकाले गये व्यक्तियों द्वारा सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर अवैध और जबरन कब्जा करने के बारे में संसद सदस्यों से अथवा/अन्यथा कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है;

(ख) सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा करने के कारण सरकार ने निकाले गए उन व्यक्तियों को कितनी बार बेदखली के नोटिस जारी किए;

(ग) निकाले गए इन व्यक्तियों को पूरे मुआवजे का भुगतान किए जाने के बावजूद उक्त भूमि को खाली न कराने और अवैध ढांचों को न गिराने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या निकाले गए व्यक्तियों से पोंग बांध के क्षेत्र अधिकारियों (फील्ड आफिसर्स) की सांठ-गांठ और उन्होंने उन्हें और कुछ ग्राम पंचायतों को भूमि पर निरन्तर कब्जा बनाए रखने की अनुमति दी है; और

(ङ) यदि हां, तो पोंग बांध के ऐसे अधिकारियों और निकाले गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन)** : (क) तीन अभ्यावेदन संसद् सदस्यों से प्राप्त हुए थे और एक अभ्यावेदन व्यथित व्यक्ति से प्राप्त हुआ था;

(ख) और (ग) इस संबंध में उत्तरदायित्व हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार का है। उन्हें शिकायत से अवगत करा दिया गया है।

(घ) ऐसी कोई घटना सरकार की जानकारी में नहीं लाई गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

## महाराष्ट्र में अनुसूचित आदिवासी क्षेत्र का विस्तार

186. **श्री यशवन्त बोरोले** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में अनुसूचित आदिवासी क्षेत्रों का विस्तार करने के बारे में इस बीच कोई निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में इस प्रकार से विस्तृत क्षेत्र कौन-सा है; और

(ग) इस कार्य के पीछे क्या प्रयोजन है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क), (ख) तथा (ग) आदिम जातियों के विकास के प्रयासों की गति तेज करने की दृष्टि से विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में विद्यमान अनुसूचित क्षेत्रों के अतिरिक्त ऐसे सभी क्षेत्रों को अलग कर दिया गया था, जिनमें आदिम जातियों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है। आदिम जाति उप-योजना के अधीन इन क्षेत्रों के लिये विशेष कार्यक्रम तैयार किए गये थे। शोषण को समाप्त करने के लिये नये कार्यक्रम में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। संविधान की पांचवीं अनुसूची में आदिम जाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबन्ध है और प्रभावी विधिक और प्रशासनिक कार्रवाई के लिये सरलता से बदले जा सकने वाले, ढाँचे की एक मोटी रूपरेखा की व्यवस्था है। जिन राज्य में अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें उप योजना क्षेत्रों के पुनर्विलोकन से पता चला है कि उपयोजना क्षेत्र का मुख्य भाग पांचवीं सूची के अधीन आ जाता है किन्तु कुछ भाग इसके बाहर बचे रहते हैं। इसमें एक विचित्र स्थिति हो गई क्योंकि संपूर्ण उप-योजना क्षेत्र में एक साथ प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा सकी। अतः यह तय किया गया कि विभिन्न राज्यों में पांचवीं अनुसूची में आने वाला क्षेत्र सुव्यवस्थित कर दिया जाए ताकि इन राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के अन्तर्गत सभी उप योजना क्षेत्र आ सकें।

बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में सुव्यवस्थित करने की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के मामले में मामला भारत सरकार के विचाराधीन है।

## MEASURES FOR IMPLEMENTATION OF NEW INDUSTRIAL POLICY

188. SHRI R. D. GATTANI : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) what effective measures have been taken for the implementation of new industrial policy of the Central Government after its declaration;

(b) how many new domestic and cottage industries have been set up after the declaration of the Industrial Policy;

(c) whether Government would adopt the same policy regarding leather industry as has been adopted regarding cotton textiles industry for the encouragement of domestic and cottage industries; and

(d) the policy of Government regarding decentralisation of industries of other essential commodities such as oil, soap etc.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) The main thrust of the Industrial Policy laid before the Parliament is on effective promotion of cottage and small industries widely dispersed in rural areas and small towns. With a view to achieving this objective the Statement on Industrial Policy envisages *inter alia* establishment of District Industries Centres in each district where under one single roof all the services and support required by small and village entrepreneurs will be provided. In order to draw up a programme of establishment of District Industries Centres, discussions were held with the representatives of State Governments who have supported the proposal. Detailed schemes are being prepared by the State Governments to implement the programme.

With a view to implementing the programme in regard to "Nai Khadi" referred to in the Statement on Industrial Policy, action is being taken to amend the Khadi & Village Industries Act. A Bill to this effect is expected to be introduced in the Parliament during its Budget session 1978.

In order to carry out periodic review of industries reserved for exclusive development in the small scale sector, different Study groups have been constituted to prepare status papers on the various industries according to a time bound programme.

Chief Ministers of State Governments/Administrators of Union Territory Administrations have also been requested to take steps to implement the Industrial Policy in so far as the State Governments/Union Territories are concerned.

In regard to location of industries in metropolitan cities and urban areas, specific instructions have been issued to the State Governments and Union Territories to ensure that the support to new industries in these areas such as those which do not require an industrial licence is denied.

Instructions have also been issued to the Chief Executives of public sector undertakings for taking follow up action particularly with reference to the programme of ancillarisation envisaged in the Policy Statement.

Steps are being taken to devise suitable modalities and procedures for ensuring workers' participation in the managements of selected public sector undertakings.

(b) The Statement on Industrial Policy was laid on the Table of Lok Sabha on 23rd December 1977 and it is too early to assess the impact of the policy in regard to setting up of new industrial units.

(c) and (d). The Statement on Industrial Policy has *inter alia* emphasised that for the production of foot-wear and soaps, special programmes will be drawn up to increase progressively the share of village industries in the total production of these two items in the country. A number of leather and leather footwear items have also been reserved for exclusive development in the small scale sector. The item "Oil seed crushing" is already governed by special regulations under the provisions of the Industries (Development & Regulation) Act. This has been done with a view to protecting the interests of such units in the cottage sector. Undertakings governed by special regulations are required to obtain industrial licences under the provisions of the Industries (Development & Regulation) Act irrespective of the quantum of investment for manufacture of items covered by such regulations.

## लघु क्षेत्र के उद्योगों में निम्नतम तथा उच्चतम क्षमता का उपयोग

189. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु क्षेत्र के उद्योगों में कितनी औद्योगिक क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है तथा इस क्षेत्र में सबसे कम क्षमता का उपयोग किन पांच उद्योगों में हो रहा है और सबसे अधिक क्षमता का उपयोग किन पांच उद्योगों में हो रहा है ;

(ख) तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न उद्योगों में वर्ष 1974, 1975, 1976 और 1977 के दौरान क्षमता का कितना उपयोग हुआ है;

(ग) निर्यात बिक्री के परिणामस्वरूप किन उद्योगों की क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है और निर्माण संवर्धन उपायों से किन उद्योगों में क्षमता का उपयोग बढ़ाया जा सकता है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती)** : (क) लघु क्षेत्र में आयुक्त क्षमता लगभग 47 प्रतिशत है। लघु क्षेत्र में न्यूनतम क्षमता उपयोग वाले पांच उद्योग निम्नलिखित हैं :—

| | क्षमता का उपयोग का प्रतिशत |
|---|---|
| 1. रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद | 51 |
| 2. लकड़ी उत्पाद | 48 |
| 3. धातु उत्पाद | 46 |
| 4. मूल धातु और मिश्रित धातुएं | 45 |
| 5. एटेटेड पेयों सहित पेय, शर्बत इत्यादि | 34 |

इस क्षेत्र में अधिकतम क्षमता उपयोग वाले पांच उद्योग निम्नलिखित हैं :—

| | क्षमता का उपयोग प्रतिशत |
|---|---|
| 1. चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद | 67 |
| 2. हौजरी तथा सिले-सिलाए कपड़े | 58 |
| 3. कागज उत्पाद तथा मुद्रण | 56 |
| 4. खाद्य तथा खाद्य उत्पाद | 54 |
| 5. मशीनरी तथा पुर्जे इलेक्ट्रीकल्स के अलावा | 54 |

(ख) तकनीकी विकास की महानिदेशालय की परिवीक्षा के अधीन आने वाले चुने हुए उद्योगों के पंचांग वर्ष 1974–1975–1976 और 1977 के क्षमता उपयोग और वृद्धि दर को बताने वाला एक विवरण (अनुबन्ध) संलग्न है। जैसा कि उदाहरणों से स्पष्ट है घरेलू मांग में मन्दी आ जाने और अन्य कारणों से कुछ उद्योग क्षेत्रों जैसे डीजल इंजन, पाईपें और ट्यूबें, लोहा और इस्पात की ढलाई, बैटरियों, बिजली के पंखों और पुर्जों, ट्रांसमिशन टावरों, मशीन उपकरणों आदि में क्षमता उपयोग में वृद्धि कर पाना संभव नहीं हुआ है गैर-इंजीनियरी वस्तुओं में कांच की बोतलों कुछ अकार्बनिक रसायनों, रबड़-उत्पादों विविध रसायनों आदि का उल्लेख किया जा सकता है। उन क्षेत्रों में जहां आंतरिक मांग और अन्य कारणों से क्षमता उपयोग तुलनात्मक दृष्टि से कम है निर्यात में वृद्धि करने संबंधी व्यवस्थाओं की मूल्य भाड़ा लागत और अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर उचित ध्यान देने के बाद बराबर संवीक्षा की जाती है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1559/78]।

(ग) जहां पर निर्यात बिक्री के फलस्वरूप क्षमता उपयोगिता में सुधार हुआ है वह उद्योग ये हैं पाइप तथा ट्यूब, ट्रांसमिशन टावर्स, बैटरियां, बिजली के पंखे, डीजल इंजन, रेलवे वैगन, रबड़ की वस्तुएं, विविध रसायन, शीशे का सामान तथा शीशे की बोतलें इत्यादि।

क्षमता उपयोगिता में निर्यात संवर्धन के अभ्युपायों द्वारा, विशेषकर जिनमें घरेलू मांग में मन्दी है और कीमतें प्रतिस्पर्धात्मक हैं सुधार किया जा सकता है। ऊपर बताए गये उद्योगों के अलावा ऐसे उद्योग कम्परेसर्स, रेडियो रिसीवर्स केवल्स टायर्स आदि वस्तुओं के हैं।

## PROVISION OF AMENITIES TO JAWANS POSTED IN NORTH-EAST AND NORTH-WEST BORDERS

190. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) the special amenities provided to Jawans posted on North-East and North-West borders;

(b) whether the special training programme meant for them has since been discontinued;

(c) whether propaganda work is carried out over loudspeakers by Chinese posts on the other side of the border; and

(d) whether Jawans are familiarised with necessary information patriotism and the progressive democratic system in the country to boost their morale ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHER SINGH) : (a) It is our endeavour to provide our troops with nutritious diet, adequate clothing and proper medical cover. In addition, troops are provided with amenities such as sports gear, indoor games, reading material, radio sets, gramophones and musical instruments. Film shows are held and cultural troupes are sent to give variety entertainment performances.

Two postage-free forces letters are issued per week to each individual for writing letters to their families. Special arrangements are made in Field Offices for collection and delivery of mail. Money Order remittances upto Rs. 50.00 can be made without postal commissions in the field areas.

(b) Training of troops located in North-East and North-West borders is oriented to meet the requirement of the terrain in those areas. This training, including special training by High Altitude Warfare School and by the Counter Insurgency and Jungle Warfare School continues to be imparted.

(c) No.

(d) The training of Jawans, apart from inculcating technical knowledge in them, is intended to broaden their outlook, nurture the spirit of patriotism and of pride in their heritage and democratic institutions and create knowledge and awareness of their surroundings.

## पोरबन्दर पत्तन के विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था

191. श्री धर्म सिंह भाई पटेल : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के पोरबन्दर में बारहमासी पत्तन के पूर्ण विकास के लिये वर्ष 1985-86 तक कौन-कौन सी अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है और इस पर अनुमानतः कितना व्यय होने की संभावना है;

(ख) वर्ष 1995–96 तक क्या-क्या विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है और उस पर अनुमानतः कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ग) पोरबन्दर पत्तन पर इस समय कितने टन माल को चढ़ाया उतारा जा सकता है और वर्ष 1978–79 में तथा 1985–86 और 1995–96 तक कितने टन माल को चढ़ाने उतारने की संभावना है?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम)** : (क), (ख) और (ग) बड़े पत्तन से भिन्न पत्तनों के विकास और रखरखाव की कार्यकारी जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। पता चला है कि गुजरात सरकार ने कुछ प्रस्ताव किए हैं जो 1985–86 और 1995–96 में पोरबन्दर में धरा उठाई किए जाने वाले माल और पत्तन विकास की मास्टर योजना तैयार करने संबंधी उसी माल की धरा उठाई के लिये अपेक्षित सुविधाओं के बारे में हैं।

राज्य के प्रस्तावों के अनुसार पोरबन्दर में धरा उठाई किए जाने वाला माल 1985–86 में 11.00 लाख टन और 1995–96 में 18.00 लाख टन होगा जबकि 1976–77 में धरा उठाई किए गए माल की मात्रा 2.00 लाख टन थी। उन्होंने अनुमान लगाया है कि 1985–86 के अनुमानित माल की धरा उठाई के लिये 5.8 करोड़ रु० की लागत की आवश्यक अतिरिक्त सुविधाओं में अतिरिक्त मूरिंगूज, वर्थ, हारवर क्राफ्ट आदि शामिल होंगे। 1995–96 तक और बढ़े हुए माल की धरा उठाई के लिये इसी तरह की अतिरिक्त सुविधाओं पर लगभग 13.25 करोड़ रु० की अनुमानित लागत आने की सूचना दी गई है।

**जम्मू तथा काश्मीर के लिए परियोजनाओं का सम्भाव्यता अध्ययन**

193. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर के लिये बहुत सी परियोजनाओं के सम्भाव्यता अध्ययन केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

CLOSURE OF FOOT-WEAR FACTORIES IN AGRA

194. SHRI MANOHAR LAL : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on account of imposition of excise duty by the Central Government 50 footwear factories of Agra are on the verge of closure as a result of which about 50,000 people will be rendered jobless; and

(b) if so, the steps being taken by the Government to remedy the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) Levy of excise duty on footwear is not of recent origin and the prevailing rates have been in existence for a long time. In any case small units employing upto 49 people and utilizing upto 2 HP of Power are exempt from payment of duty. As such, the question of closure of footwear factories at Agra on account of imposition of excise duty does not arise.

(b) Does not arise.

EXPENDITURE ON AMAR JAWAN JYOTI

195. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the head under which the expenditure on the Amar Jawan Jyoti at India Gate is debited; and

(b) the total expenditure incurred on this for the last two years and the names of agencies which contribute money to Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHER SINGH): (a) The expenditure on the Amar Jawan Jyoti is on account of gas cylinders; laying of a wreath every day; and replacement of the three Services flags hoisted there, as and when required. The expenditure is met as follows:—

| | |
|---|---|
| (i) Gas cylinders | Debited to the Budget of the Army. |
| (ii) Expenditure on laying of wreaths every day and replacement of the three Services flags and as when required. | Expenditnre on wreaths and flags is met by the three Services Headquarters from Non-Public Funds at their disposal. |

(b) The expenditure incurred during the financial years 1975-76 and 1976-77 is as follows:

1975-76: Rs. 1,77025/- (including Rs. 8000/- on wreaths and flags).
1976-77: Rs. 1,69,446/- (including Rs. 8000/- on wreaths and flags).

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए प्रोत्साहन

196. डा० भगवान दास राठौर: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए 20 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना असफल प्रमाणित हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पेंशन तथा उपदान के उद्देश्य से सैद्धांतिक वेतनवृद्धि-वार्द्धक आयु पर सेवा निवृत्ति होने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की तरह बिना चिकित्सा परीक्षा के पेंशन को राशिकृत (कम्यूट) करने जैसे लाभ देकर योजना को और अधिक आकर्षक बनाने का है; और

(ग) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो उक्त योजना के अन्तर्गत इसके लागू होने के समय से लेकर 31 जनवरी, 1977 तक केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): (क) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना उन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लाभ के लिए तैयार की गई है जो पैंशन के लिए बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद, सरकारी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवा निवृत्त होना चाहेंगे। इस योजना के असफल प्रमाणित होने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) इस समय यह सूचना उपलब्ध नहीं है। इसे एकत्रित करके यथासंभव सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

## COMMISSIONS SET UP ON MINORITIES SCHEDULED CASTES AND BACKWARD CLASSES

197. SHRI MAHI LAL : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the total number of commissions set up so far for giving suggestions to solve the problems of minorities, Scheduled Castes, Backward classes etc.; and

(b) the number of representatives of people and social workers among the members of these commissions, separately ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) and (b) It has been decided to set up three Commissions, one for the Minorities, one for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and one for the other Backward Classes. The appointments of the Chairman and members of these Commissions are expected to be finalised shortly.

## दल बदल के बारे में विधेयक लाया जाना

198. **श्री के० प्रधानी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दल बदल करने वाले सदस्यों, जो अपने दल से त्याग-पत्र दे देते हैं, के संबंध में कोई विधेयक पेश करने का है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में ऐसे दल बदल करने वाले सदस्यों से पुनः चुनाव लड़ने के लिये कहने का है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :** (क) तथा (ख) सरकार ने संसद् में प्रस्तुत करने के लिये दल-बदल पर नियंत्रण रखने के एक विधेयक की विस्तृत रूपरेखाओं को अन्तिम रूप दिया था। परन्तु, पहले इन पर विपक्ष के साथ विचार-विमर्श करने का निर्णय किया। तदनुसार सरकार विपक्ष के नेताओं के साथ बातचीत कर रही है। विचार विमर्श समाप्त होने के बाद प्रस्तावित विधान को संसद् के समक्ष रखा जाएगा।

## कागज निर्माताओं द्वारा पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित करने तथा छात्रों की अभ्यास पुस्तिकाओं के बनाने के लिये कागज न दिया जाना

199. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज निर्माता सरकार के साथ हुई सहमति के उल्लंघन में बाजार में रियायती दर बेचे जाने के लिये पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन हेतु और छात्रों की अभ्यास पुस्तिकायें बनाने के लिये कागज नहीं दे रहे हैं;

(ख) दोषी निर्माताओं के नाम और अन्य ब्योरा क्या है;

(ग) छात्रों में असंतोष पैदा करने वाली इस परिस्थिति के समाधान के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है; और

(घ) ऐसे निर्माताओं, द्वारा राज्यवार सरकारों से कितनी धनराशि ली गई जो बिना कागज सप्लाई के ही उनके पास कई माह से पड़ी है और जिससे राज्य सरकारों को ब्याज की हानि हो रही है?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती) :** (क) तथा (ख) कुछ मिलों खासतौर से ओरियन्ट पेपर मिल्स, टीटागढ़ पेपर मिल्स, बल्लारपुर पेपर इण्डस्ट्रीज, बंगाल पेपर मिल्स तथा मैसूर पेपर मिल्स द्वारा शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न आवंटियों को सफेद छपाई के कागज का संभरण देरी से करने के बारे में कुछ रिपोर्टें मिली हैं।

ज्ञात हुआ है कि महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान के साथ हुई दर संविदा के अनुसार मिलों की वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए कुछ मिलों को, उनके द्वारा सप्लाई की जाने वाली मात्रा से अधिक के आदेश दिये गये थे अतः सप्लाई शीघ्र न की जा सकी।

(ग) शिक्षा क्षेत्र के संभरण किये जाने वाले व्हाइट प्रिंटिंग पेपर की मात्रा को बढ़ाने के लिये अभ्युपाय किये जा रहे हैं।

(घ) अलग-अलग आवंटियों द्वारा समय-समय पर मिलों को क्रयादेश दिए जाते हैं, जिनके आधार पर मिलें में समय में कागज संभरण करती हैं। अतः अग्रिम भुगतान की कितनी राशि दीर्घावधि तक मिलों के पास रही। यह ठीक-ठीक बताना संभव नहीं है। सामान्यतः ये भुगतान आवंटियों द्वारा किये जाते हैं तथा राज्य सरकारों द्वारा नहीं।

### त्रिपुरा में जनजाति कल्याण के लिये धनराशि का नियतन

200. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान त्रिपुरा में जनजाति के लोगों के कल्याण के लिये कुल कितनी धनराशि नियत की गई थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या जनजाति क्षेत्र के विकास के लिये राजसहायता की राशि में वृद्धि करने की आवश्यकता और उसके बेहतर उपयोग के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :** (क) उप-योजना क्षेत्रों के लिए त्रिपुरा सरकार को वर्ष 1974–75, 1975–76 और 1976–77 के दौरान 115 लाख रुपये की विशेष सहायता प्रदान की गई है।

(ख) राज्य योजना, विशेष केन्द्रीय सहायता और केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों से त्रिपुरा की उप योजना क्षेत्रों पर व्यय की गई कुल राशि 765.44 लाख रुपए है।

(ग) और (घ) हाल में वर्ष 1978–79 के लिये त्रिपुरा की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है और राज्य योजना से जनजाति क्षेत्रों के लिये 722.50 लाख रुपये का कुल परिव्यय निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने विशेष

सहायता के रूप में 115 लाख रुपये का आवंटन किया है। इस प्रकार यह परिव्यय चालू वर्ष के परिव्यय से पर्याप्त रूप से अधिक है। वित्तीय परिव्ययों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में जनजाति विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रशासकीय ढांचे का भी पुनरीक्षण किया गया है।

RURAL ELECTRIFICATION SCHEME FOR RAJASTHAN

*201. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) the number of rural electrification scheme of the Government of Rajasthan sent to Centre for approval during the last year; and

(b) the number of the schemes of Rajasthan approved by Government as also of those which are under consideration and the estimate of expenditure involved in them ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) During 1976-77 the Rajasthan State Electricity Board sent 47 rural electrification schemes to the Rural Electrification Corporation for loan assistance. These were in addition to 13 schemes sent by the Rajasthan State Electricity Board in earlier years which were pending sanction with the Corporation.

(b) During 1976-77 the Rural Electrification Corporation had approved 30 schemes costing Rs. 10.97 crores for a loan assistance of Rs. 9.86 crores. In addition to the 30 schemes that were pending clearance at the end of 1976-77, 33 additional schemes were sent during the first eight months of 1977-78 ending on 31-12-1977 to the Corporation by the Rajasthan State Electricity Board. Of these 63 schemes, the Corporation has sanctioned loan assistance of Rs. 12.5 crores in respect of 28 schemes costing Rs. 13.47 crores and 29 schemes which did not conform to the guidelines of the Corporation, have been returned to the Rajasthan State Electricity Board. They will be considered by the Corporation when they are resubmitted by the Electricity Board. 3 schemes costing Rs. 1.13 crores were pending consideration on 31-12-1977 with the Corporation and the remaining 3 schemes costing Rs. 1.17 crores were referred to the Rajasthan State Electricity Board for revision.

सौर ऊर्जा पर सम्मेलन

**श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौर ऊर्जा के उपयोग के बारे में हाल ही में कोई सम्मेलन हुआ था, और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन द्वारा क्या सिफारिशें की गयीं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सम्मेलन, 1977 का नई दिल्ली में जनवरी, 1978 में आयोजित किया गया था।

(ख) सम्मेलन में विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप जो स्थिति उभर कर आई, उसका उल्लेख संलग्न वक्तव्य में किया गया है। सरकार यह अनुभव करती है कि विचारों का आदान प्रदान काफी उपयोगी रहा है और इससे आपसी उपयोगी अध्ययन का क्षेत्र और अधिक विस्तृत हुआ है।

## अन्तर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सम्मेलन

16–20 जनवरी, 1978

विज्ञान भवन, नई दिल्ली, भारत

1. अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सम्मेलन, 77 के अंत में 20 जनवरी, 1978 को सौर ऊर्जा उपयोगीकरण की वर्तमान परिस्थिति पर एक रोचक और सृजनात्मक पैनल चर्चा हुई थी। इस पैनल का नेतृत्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डा० ए० रामचन्द्रन ने किया और इस पैनल में सौर ऊर्जा उपयोगीकरण के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लब्ध प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और इंजीनियर शामिल थे।

2. हालिया वर्षों में इस बारे में बड़ती हुई विश्वव्यापी जागरुकता देखने में आई है कि सौर ऊर्जा का विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। अनुमान किया गया है कि सन् 1985 तक जितनी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा उसका 1 से 2 प्रतिशत भाग सौर ऊर्जा से पूरा किया जाएगा और सन् 2000 तक इसके बढ़ कर 5 से 7 प्रतिशत तक हो जाने की आशा है। बहरहाल, क्योंकि उपलब्ध सौर विकिरण और ऊर्जा के अन्य रूपों की उपलब्धता हर क्षेत्र में भिन्न भिन्न है अतः सौर ऊर्जा के प्रभावशाली उपयोगीकरण के लिए हर देश को अपने ही प्रस्तावों का सूत्रपात करना पड़ेगा। कुछ सौर ऊर्जा उक्तियां इस समय भी तकनीकी दृष्टि से साध्य और आर्थिक दृष्टि से जीवनक्षम हैं। कुछ अन्य युक्तियों के बारे में, लगातार किए जा रहे अनुसंधान और विकास के कारण, उनकी तकनीकी-आर्थिक जीवनक्षमता में वृद्धि हो रही है। बहरहाल यह आवश्यक है कि हम विभिन्न ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सौर ऊर्जा के उपयोग की दिशा में विवेक सम्मत रूप से अग्रसर हों।

3. निम्नलिखित तीन ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सौर ऊर्जा को लाभप्रद रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है :—

1. ऊष्मी (तापीय) युक्तियां।
2. प्रत्यक्ष रूपांतरण (प्रकाश वोल्टीय अनुप्रयोग)।
3. जैव रूपांतरण।

**ऊष्मी (तापीय) युक्तियां**

3.1.1. विभिन्न प्रकार के धातु अवशोषकों (मैटल आब्जवर्स) को इस्तेमाल करने वाले चपटप्लेट संग्राही (फ्लैट प्लेट कलकटर) बाजार में उपलब्ध हो रहे हैं वरणात्मक विलेपों (सिलेक्टिव कोटिंग्स) के विकास पर काफी अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इनसे संग्राहियों (कलक्टरों) की कार्य कुशलता काफी बढ़ जाती है। वैज्ञानिक और इंजीनियर सान्द्रक संग्रहियों (कन्सेन्ट्रेटर कलेक्टरर्स) [स्थिर और अनुवर्तक (स्टेशनरी एण्ड ट्रैकिंग) दोनों प्रकार के] के विकास में लगे हुए हैं। तुरन्त आवश्यकता इस बात की है कि संग्रहियों की कीमत कम की जाए और उनकी कुशलता और उनके स्थायित्व में वृद्धि की जाए।

3.1.2. इसे आवश्यक समझा जाता है कि चपटे प्लेटे संग्रहियों और सांन्द्रक संग्राहियों का परीक्षण विभिन्न क्षेत्रीय परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। यह भी जरूरी है कि संग्राहियों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत परीक्षण क्रियाविधियों का विकास किया जाए।

3.1.3. ऊष्मीम युक्तियों को इस्तेमाल करते हुए कृषि संबंधी और औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न वस्तुओं को सुखने और पानी को पम्प करके निकालने के क्षेत्र में किये जा रहे दिलचस्प कार्यों के बारे में पता चला है।

3.1.4. किस स्थान विशेष के प्रशीतन और तापन के लिये सौर ऊर्जा के उपयोगीकरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। यदि इस क्षेत्र में सफल आदिरूपों का विकास किया जा सके तो इससे संशोधित और सस्ते अभिकल्पों के लिये निवेशों (इनपुट्स) की व्यवस्था की जा सकेगी।

3.1.5. बहुत से देशों में सौर ऊष्मीय विद्युत् प्रणालियों का विकास किया गया है। बहुत बड़े पैमाने पर बिजलीघरों का बीड़ा उठाने की बजाए यह अधिक अच्छा होगा कि हम छोटे बिजलो घरों की बहुत बड़ो संख्या में प्रतिष्ठापना करें।

अधिक बड़े और अधिक सस्ते सांद्रकों (कान्सेन्ट्रटर्स) का संविरचना भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है।

प्रत्यक्ष रूपांतरण (प्रकाश वोल्टीय अनुप्रयोग)

3.2.1. प्रकाश वोल्टीय क्षेत्र में दो विभिन्न उपागमों का अनुसरण किया जा रहा है। एक सिलिकान के इस्तेमाल पर आधारित है और दूसरा तनुफिल्म तकनीक के अनुप्रयोगी पर आधारित है। सिलिकान वाली विधि में 15% तक की कार्य कुशलता प्राप्त की जा सकती है। जबकि तनुफिल्म तकनीक में 5% की वर्तमान कार्यकुशलता के बढ़कर 8% तक हो जाने की संभावना है। आशा की जाती है कि प्रकाश वोल्टीय रूपांतरण से सन् 1990 के आसपास एक डालर प्रति वाट की लागत से बिजली पैदा करना संभव हो पाएगा। यदि बिजलो के निर्माण की वर्तमान लागत को कम करना संभव हो पाया तो प्रकाश वोल्टीय अनुप्रयोग कुछ स्थितियों में आत्मनिर्भर (आत्मक्षम) हो पाएगा जबकि अन्य स्थितियों में यह तापीय बिजलीघरों की आपूर्ति कर पाएगा।

3.2.2. एकल क्रिस्टल सिलिकान सौर सेल अधिक कीमती है और इनकी कीमत कम किए जाने पर बल दिया जा रहा है। जबकि पाली क्रिस्टेलीन सिलिकोन के उपयोग के लाभकारी प्रमाणित होने की संभावना है, लागत कम करने का एक तरीका यह है कि सांद्रकों का इस्तेमाल किया जाए तो जो कि काफी आशाजनक प्रतीत होता है। जिस दूसरे उपागम का सक्रिय रूप से अनुसरण किया जा रहा है, वह है रिबन टाइप एकल सिलिकान सैलों का विकास।

जैव रूपांतरण

3.3. मानव और पशु अपशिष्ट के जैव अवकर्षण द्वारा ईंधन गैस के निर्माण के लिये सस्ती प्रणालियों के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। डाइजेस्टरों का तापमान

बढ़ाने के लिये सौर ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग काफी आशाजनक प्रतीत होता है। औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिये बड़े आकार के डाइजैस्टरों से ईंधन गैस के अनुप्रयोग की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है।

4.1. सौर विकिरण की आतंरायिक उपलब्धि के कारण ऊर्जा के संचयन की ओर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा के निम्न तापमान निर्माण और अल्पकालिक संचयन पर भी विचार किया जा रहा है। संचयन के लिये जिन उपागमों का अनुसरण किया जा रहा है वे हैं:—

1. सम्वेदनशील ताप के रूप में और संलग्न लवणों के रूप में ताप का संचयन।
2. बैटरियों में विद्युत् संचयन।
3. फ्लाईव्हील का उपयोग (ऊर्जा का यांत्रिक संचयन)।

4.2. दीर्घकालीन उच्च तापमान संचयन युक्तियों के लिये रासायनिक संचयन की आवश्यकता होगी और इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में अनुसंधान और विकास कार्य की आवश्यकता होगी। ऐसे ऊर्जा संचयन के लिये हाइड्रोजन के उपयोगीकरण की संभावना का अन्वेषण करना शायद अधिक उपयोगी होगा।

5. ऊर्जा के विभिन्न अ-परम्परागत स्रोतों के उपयोगीकरण की दिशा में एक एकीकृत उपागम को अपनाना आवश्यक है। एक सुझाव दिया गया है कि प्रत्यक्ष ऊर्जा रूपांतरण और सौर ऊर्जा के तापीय रूपांतरण के आधार पर संकर प्रणालियों का विकास किया जाना चाहिए। इस सुझाव का सुचारु रूप से अन्वेषण किया जाना चाहिए। विभिन्न देशों ने अपने अपने प्रयास द्वारा जो योगदान किया है उसको देखते हुए यह लगता है कि सौर ऊर्जा का भविष्य काफी उज्जवल है। सौर ऊर्जा का यथासंभव अधिक से अधिक व्यापक उपयोग करने के लिये प्रयास करना आवश्यक होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सौर ऊर्जा उपयोगीकरण अब अनुसंधान और विकास की अवस्था से क्षेत्रीय परीक्षणों की अवस्था की दिशा में अग्रसर हो रहा है। आशा की जाती है कि इस शताब्दी के समाप्त होते होते विश्व की कुल ऊर्जा आवश्यकताओं में सौर ऊर्जा का योगदान काफी महत्वपूर्ण होगा।

## अक्तूबर-नवम्बर, 1977 में अमरीका तथा कनाडा को जाने वाला बुक किया गया तथा लादा गया माल

204. **श्री बलन्त कुमार पंडित :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम ने अक्तूबर, नवम्बर, 1977 में ग्रेट लेक एरिया (अमरीका-कनाडा) के लिये माल बुक किया था तथा उसे लादा भी था;

(ख) क्या परम्परानुसार ये बन्दरगाहें सर्दियों में बंद रहती हैं;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय निगम को कुछ अन्य खेले पत्तनों पर माल उतारना पड़ा था और गन्तव्य पत्तनों पर जहाजों द्वारा माल भेजने के लिये भारी राशि की विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी थी; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है तथा इसका उत्तर-दायित्व निश्चित किया है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम)** : (क) भारतीय नौवहन निगम ने 9 सतम्बर, 1977 को कलकत्ता से जाने वाले अपने एक जहाज पर ग्रेट लेक एरिया के लिए माल लादा था ।

(ख) ग्रेट लेक के पत्तन वर्ष लगभग 15 दिसम्बर से 15 अप्रैल तक नौचालन के लिए बन्द रहते हैं ।

(ग) और (घ) मलएशिया, सिंगापुर, इन्डोनेशिया, हांगकांग, ताइवान आदि साधारण पत्तनों पर भी और घाटीय विलम्ब जैसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण जहाज माल के उतारने के लिए 1-12-1977 को टारोन्टो पहुंचा । टारोन्टो में जहाज को खराब मौसम और मजदूरों की कमी के कारण देरी हो गई । जो माल अन्य पत्तनों के लिए था वह भी टारोन्टो में उतार दिया गया और सड़क द्वारा ले जाया गया । यदि जहाज अपनी सामान्य समय सूची के अनुसार यात्रा करता तो यह लगभग चार महीनों के लिए लेक में फंस जाता और अधिक व्यय करना पड़ता । जांच करने का प्रश्न नहीं उठता ।

## दिल्ली में राहजनी की घटनाएं

205. **चौधरी ब्रह्मप्रकाश**
**श्री प्रद्युम्मन बल**
**श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में राहजनी की घटनाओं में बहुत अधिक वृद्धि हुई है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) गत तीन महीनों में ऐसे कितने मामलों की रिपोर्ट की गई है;

(ग) अब तक कितने लुटेरे पकड़े गये हैं और उन पर मुकदमा चलाया गया है और उनसे कितनी सम्पत्ति बरामद हुई है;

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है कि ऐसे अपराधियों को कठोर दंड मिले; और

(ङ) असुरक्षित इलाकों में पुलिस चौकियां न खोले जाने के क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क), (ख) तथा (ग) दिल्ली में राहजनी की घटनाओं में कुछ वृद्धि होती जा रही है । गत तीन महीने में ऐसे 62 मामले सूचित किये गये । इन मामलों में अब तक 69 व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं और 4,33,073/— रु० की सम्पत्ति बरामद की गई । अचानक वृद्धि मुख्यत: एक गिरोह की गतिविधियों के कारण हुई है जो जनवरी, 1978 की एक रात को वारदातों तथा

दिसम्बर, 1977 और जनवरी, 1978 के दौरान सशस्त्र डकैती के कुल 35 मामलों में ग्रस्त था । इस गिरोह को अब समाप्त कर दिया गया है और इस मामले हल कर दिये गये ।

(घ) तथा (ङ) राहजनी की घटनाओं को रोकने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) डकैतों की रोकथाम के लिए रात दिन कड़ी चलती-फिरती गश्त लगाई जा रही है ।

(2) विषय समय में अपराधियों की गतिविधियों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हैं स्थानों पर प्रायः सशस्त्र पुलिस टुकड़ियां तैनात की जा रही है ।

(3) नामी लुटेरों पर निगरानी कड़ी की जा रही है और अपराधियों के रिकार्ड अद्यतन बनाये जा रहे हैं ।

(4) अपराधियों के विरुद्ध निष्कासन की कार्यवाहियां तेज की जा रही हैं ।

(5) पुलिस की संख्या बढ़ाने तथा नई पुलिस चौकियां/थाने स्थापित करने के सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं ।

**राजनीतिक दबाव रोकने के लिए भारत सरकार के सचिवों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त**

206. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने भारत सरकार के सचिवों की एक बैठक फरवरी, 1978 में बुलाई थी और उन्हें अनुदेश दिए थे कि वे राजनीतिक दबाव में न आयें;

(ख) यदि हां, तो प्रधान मंत्री द्वारा उनके लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांत क्या हैं;

(ग) क्या राजनीतिक दबाव से बचने में आने वाली कठिनाइयों का उन्होंने भी उल्लेख किया है; और

(घ) उस बैठक में किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई और उसने क्या निष्कर्ष रहे ?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क), (ख), (ग) और (घ) प्रशासन को, विशेषतया 1 अप्रैल, 1978 से चालू होने वाले नई योजना के संदर्भ में, अधिक स्वच्छ, अधिक प्रभावी और दक्षतापूर्ण बनाने के उपायों पर खर्चा करने के उद्देश्य से, मैंने 2 फरवरी, 1978 को भारत सरकार के सचिवों की एक बैठक बुलाई थी । इसमें इन विषयों पर विशेष रूप से जोर दिया गया था : नीतियों का आयोजन, मूल्यांकन तथा कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार का उन्मूलन, कार्यक्रमों का अधिक प्रभावी पर्यवेक्षण, जनता के लिए अधिक सुगम्यता, सरकार को राष्ट्रीय हित में तथा निर्भय होकर सलाह देना, राजनीतिक तथा अन्य व्यक्तियों के दबाव, अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यक्रमों की ओर विशेष ध्यान देना ।

## TRANSPORT FACILITIES IN ANDAMAN ISLAND

207. SHRIMATI CHANDRAVATI
SHRI PADMACHARAN SAMANTASINHERA } : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) the means of transport to link Andaman Island with the mainland and whether it is sufficient;

(b) whether it is a fact that a ship takes ten days and sometimes 15 days to reach there;

(c) the steps being taken by Government to provide adequate transport facilities;

(d) whether it is a fact that due to lack of such facilities lesser number of officials want to go there although 40 per cent more pay is offered there; and

(e) the steps being taken by Government to provide facilities for quick transport from the mainland ?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) Shipping and Air Services are the means of transport to link Andaman Islands with the mainland. So far as Shipping services are concerned, the present fleet is considered to be adequate to serve the available traffic. In fact, the capacity of the vessels is generally underutilised.

(b) No, Sir. It generally takes 3-4 days.

(c) An additional vessel is provided during the vacation period between May and July to cater to the vacation traffic.

(d) The question does not arise in view of (a) above.

(e) A fast and modern vessel Harsha Vardhana was employed on this service in 1976. A new timber carrier 'Diglipur' has been put on this service from July 1977. Further, fast passenger voyages are arranged by reducing Port stay of passenger-*cum*-cargo vessels during such period.

## DEMONSTRATION BY SOME YOUTH ON ARRIVAL OF SHAH OF IRAN

208. SHRI YAGYA DATT SHARMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some youth demonstrated on the arrival of Shah of Iran and his wife in Delhi on the 2nd February, 1978;

(b) if so, whether Government knew about it in advance; and

(c) the action taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Yes, Sir. Adequate police arrangements were made to ensure security of the VIPs and to maintain law and orders.

## रक्षा सेनाओं का पुनर्गठन

209. **श्री लखनपाल कपूर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रक्षा सेनाओं जो इस समय जाति और धर्म पर आधारित है, का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या प्रस्तावित नई योजना में पुरानी अलग-अलग कमानों की पद्धति में भी परिवर्तन किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** (क) जी नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । थल सेना में कुछ रेजिमेंटों का श्रेणी/जाति के आधार पर वर्तमान गठन और नामकरण एतिहासिक कारणों से किया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

**एसोसिएशन आफ इण्डियन इंजीनियरिंग इण्डस्ट्री, नई दिल्ली द्वारा मांगी गई सहायता**

**210. डा० बापू कालदाते :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएशन आफ इंडियन इंजीनियरिंग इण्डस्ट्री, नई दिल्ली ने नई दिल्ली में अपने भारतीय इंजीनियरी व्यापार मेले के प्रचारार्थ सरकार के सूचना विभाग से सहायता मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य पर कितने सूचना अधिकारी लगाये गये; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस एसोसिएशन द्वारा 31-1-1978 को आयोजित तथा प्रबंधित प्रेस सम्मेलन में बहुत से सूचना अधिकारियों ने भाग लिया था ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) :** (क) जी, हां ।

(ख) यह कार्य दो सूचना अधिकारियों को सौंपा गया था ।

(ग) एसोसिएशन ने 31 जनवरी, 1978 को कोई प्रेस सम्मेलन आयोजित नहीं किया था । तथापि, इस्पात और खान मन्त्रालय तथा औद्योगिक विकास और वाणिज्य मंत्रालय से संबंद्ध 6 अधिकारियों, जिन्हें एसोसिएशन द्वारा आमंत्रित किया गया था, ने 30 जनवरी, 1978 को प्रेस विषय में भाग लिया था ।

**फिल्म विकास निगम बनाया जाना**

211. **श्री अहमद एम० पटेल**
**श्री के० राममूर्ति** } : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में फिल्म विकास निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त निगम के कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) :** (क), (ख) और (ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को औपचारिक रूप से 1-5-1975 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निम्नलिखित कार्य करने के लिए निगमित किया गया था :—

(1) फीचर फिल्मों का आयात और निर्यात।

(2) फिल्म उद्योग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कोरी फिल्मों और उपकरणों का आयात, आबंटन और वितरण ।

(3) राष्ट्रीय सिनेमाघरों के निर्माण सहित देश में वर्तमान ढांचे के माध्यम से फिल्मों का वितरण और प्रदर्शन ।

(4) अच्छी फिल्मों को प्रोत्साहन देना ।

(5) फिल्मी उपकरणों और कोरी फिल्मों के अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देना ।

तथापि, इसको सक्रिय नहीं किया गया था क्योंकि भूतपूर्व सरकार भारतीय चलचित्र निर्यात निगम और फिल्म वित्त निगम द्वारा किए जाने वाले इसी प्रकार के कार्यों को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर पुर्नविचार करना चाहती थी । मामला विचाराधीन है ।

## आधुनिकतम हथियार

212. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा सेनाओं द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले आधुनिकतम हथियारों के मामले में देश किस हद तक आत्मनिर्भर हो चुका है; और

(ख) इस मामले में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :** (क) जिन विभिन्न मदों के उत्पादन में काफी हद तक आत्मनिर्भर बनना है और जिनका देश में ही उत्पादन करना है उनमें हमारी सशस्त्र सेना की सारी आवश्यकताएं आती हैं अर्थात आधुनिक लड़ाकू विमान; युद्धपोत टैंक और अन्य वाहन, आधुनिकतम रेडार और संचार तथा बन्दूक नियन्त्रण उपस्कर; फील्ड पर्वत, विमानरोधी, टैंक रोधी और अन्य बन्दूकें, प्रक्षेपास्त्र; राकेट और प्रणोदक, रसायन और विस्फोटक, छोटे शस्त्र और वस्तुत: तीनों सेनाओं के लिए हर प्रकार का गोला-बारूद।

रक्षा उपस्करों में उत्तरोत्तर आत्मनिर्भर बनना और उनका देश में ही उत्पादन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और रक्षा की अधिकांश आवश्यकता पहले ही देशी उत्पादन तथा सप्लाई से पूरी की जा रही है ।

(ख) रक्षा मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विभागीय कारखानों का जहां तक हो सके तेजी से उत्पादनों के देशीकरण का कार्यक्रम है ।

आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण के प्रयत्नों में रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन मुख्य सहायता करता है परन्तु उपक्रम इस तरह का प्रयास अपनी ही इच्छा से कर रहे हैं ।

आधुनिकतम शस्त्रों के बारे में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित विशेष कदम उठाये गये हैं :—

(1) वैज्ञानिक और तकनीकी हुनर का विकास और सक्षमता के वांछित इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था तथा अनुसंधान और विकास की सुविधाएं;

(2) रक्षा उत्पादन के लिए जरूरी आधार सामग्री का उत्पादर स्थापित करना और इस प्रयोजन के लिए औद्योगिक आधार स्थापित करने में सहायता देना;

(3) विमान निर्माण और जहाज बनाने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में डिजाईन और विकास को सुदृढ़ करना अथवा प्रयोगशाला परीक्षण, आधुनिकतम पंजीकृत रेंजों और अन्य आवश्यकताओं के लिए सुविधा जुटाना; और

(4) विदेशी सहयोग अथवा उत्पादन लाइसेंस प्राप्त करने में जहां आवश्यक हो अपने प्रयत्नों को गढ़ाना।

NEW INDUSTRIES TO BE SET UP IN BIHAR DURING THE SIXTH FIVE YEAR PLAN

213. SHRI GYANESHWAR PRASAD YADAV: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the number of new industries proposed to be set up in Bihar during the Sixth five year plan for stepping up the industrialisation of the State;

(b) whether Bihar Government have submitted any plan to the Centre in this regard; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) to (c) The next Five Year Plan of the Central Government is yet to be finalised. The Government of Bihar have also not yet sent their proposals for the Five Year Plan (1978-83) to the Planning Commission. Hence it is not possible to give the details regarding the new industries proposed to be set up in Bihar during this period.

पश्चिम बंगाल के आदिवासी क्षेत्रों में अपर्याप्त विकास

214. श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के आदिवासी क्षेत्रों में अपर्याप्त क्षेत्रों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में गत पांच वर्षों में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या आदिवासियों की स्थिति में सुधार करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने गत वर्ष 1977-78 में अतिरिक्त सहायता की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो उस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) सरकार को पता है कि, अन्य राज्यों के समान, पश्चिम बंगाल में आदिवासी क्षेत्रों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है।

(ख) आदिवासी उपयोजना कार्यक्रम पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किया जाता है और विशेष केंद्रीय सहायता तथा राज्य क्षेत्र से उपयोजना क्षेत्रों पर योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान कुल व्यय 13.38 करोड़ रुपए है ।

(ग) जी हां, श्रीमान ।

(घ) इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को 15 लाख रुपए की विशेष सहायता पहिले ही दे दी गई है ।

STEALING OF GOODS FROM BHEL BHOPAL

215. SHRI MADAN TIWARY : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether factory goods were stolen from Bhopal, Heavy Electricals, Bhopal in April 1976, on 22nd August, 1977, 9th September 1977, 15-16th September 1977, 8th November 1977 and 26th November 1977; and

(b) if so, the value of the goods stolen on the aforesaid dates and the persons responsible therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) Yes, Sir. Minor thefts of factory goods were reported during April 1976, on 8th November 1977 and 26th November 1977. No thefts were reported on other dates.

(b) (i) On 9th April 1976 copper castings weighing about 3 Kgs. were stolen by Shri Girdhari Lal, Artisan. The goods were recovered by security staff and the case was reported to local police for legal action. Police has registered a theft case and put up the same in the court. Shri Girdhari Lal is under suspension now.

(ii) On 25th April, 1976, 161 copper plugs worth about Rs. 10,000/- were found abandoned by the security staff near the Perimeter Wall. On enquiry these were found to have been stolen from switchgear Divn. Block-4. On enquiry the person or persons responsible for this theft could not be located.

(iii) On 8th November 1977 three copper bend bush bars worth about Rs. 300/- were reported missing from rectifier Division Block-7. On enquiry by security staff, person responsible for this theft could not be located. On 26th November 1977 about 109 Kg. of copper was recovered from an Auto Rikshaw in BHEL Township by local police. Subsequently about 46 kgs. copper was found abandoned near the Perimeter Wall. On investigation by local police these goods were found missing from Block-4. The total approx. value is Rs. 3,535/-. The driver of Rikshaw Mohd. Isaq and Raja (both outsiders) were arrested and challaned by the police.

SETTING UP OF A PAPER INDUSTRY AT DANTEWADA IN BASTAR DISTRICT

216. SHRI AGHAN SINGH THAKUR : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether it has been decided to set up a paper industry at Dantewada in Bastar district; and

(b) if so, whether construction work has started there and if not, the time by which it is likely to start ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) & (b) The Government of India have no such proposal before it at present. The Government of Madhya Pradesh, however, are having a detailed feasibility study carried out, with the assistance of the I.D.A. (an affiliate of the World Bank) for the industrial development of Bastar District based on wood processing industries.

FREEDOM FIGHTER PENSIONERS

217. SHRI ISHWAR CHAUDHRY : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Statewise figures of freedom fighters have been collected by Government; and

(b) if so, the present number of freedom fighters and the number of those getting pension ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) & (b). State-wise figures of freedom fighters are not available. However, 2,47,481 persons had applied for freedom fighters pension upto 31-1-1978 and in 1,16,290 cases pensions were sanctioned. A statement showing the State-wise break-up of the applications received and sanctioned is attached.

[Placed in Library. See No. L.T. 1560/78]

MEETING OF REORGANISED PLANNING COMMISSION

218. SHRI KALYAN JAIN : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether first meeting of the reorganised Planning Commission was held on the 3rd July 1977; and

(b) the main decisions taken therein ?

PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) Yes, Sir.

(b) The main decisions are outlined below :—

(i) In the next phase of development a completely fresh approach to planning was necessary, emphasising the people's involvement. The pattern of development should be dispersed and decentralised to the extent possible.

(ii) The highest priority should be given to agriculture, irrigation and rural development in allocating resources. It should be ensured that the benefits of Plan investments percolated to even the smallest farmers and landless labourers.

(iii) The objectives of the next Five Year Plan should include the absorption of a significant proportion of the quantum of unemployed in productive employment within the plan period, and of the balance in the next five years.

(iv) Provision should be made for the availability of public goods such as education, health care, drinking water, etc., to the population in the lowest income groups.

(v) Significant reduction should be effected in the disparities of income and wealth.

(vi) Small and cottage industries should be given greater support than they had received hitherto. In working out employment programmes for inclusion in the next Plan, the possibilities of the generation of self-employment should be fully explored, especially in the small and cottage industries and service sectors.

(vii) In a number of productive sectors in which the potential for employment generation was high, the Planning Commission should undertake studies of the cost of alternative technologies, and recommend the appropriate scale and technique of production in each.

(viii) The planning strategy worked out for the Sixth Plan would also guide the preparation of the Annual Plan (1978-79) and sectoral priorities should be adjusted to the extent possible.

PROJECT REPORT REGARDING INTER-STATE LINE MADHYA PRADESH AND ANDHRA PRADESH

†219. SHRI SUBHASH AHUJA : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether the project report regarding Inter-state line between Barsoor in Madhya Pradesh and Lower Sileru in Andhra Pradesh has been submitted by the State Government for approval;

(b) whether the project report has been examined by the Central Electricity Authority and found technically feasible;

(c) whether this type of Inter-State line will improve the position of thermal power in Madhya Pradesh and meet the power shortage in time of need; and

(d) the steps being taken by Government to expedite approval of the project report ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d). The Central Electricity Authority is about to complete long term power system planning studies. Based on these studies, a decision will be taken in regard to the proposal submitted by the Andhra Pradesh Government.

CONSTRUCTION OF INTER-STATE ROADS IN MADHYA PRADESH

220. SHRI Y. P. SHASTRI : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether a demand has been made to construct three Inter-State Roads in the Rewa District of Madhya Pradesh; (i) Rewa to Manikpur *via* Ueda and Semaria (ii) Semaria to Shanbargarh *via* Jadua Autarila to Badgad and (iii) Hanuman to Allahabad *via* Chaurghat; and

(b) if so, the action taken for the construction of these three Inter-State roads ?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) Yes, Sir.

(b) As all these are State roads, the demand has been brought to the notice of the Government of Madhya Pradesh.

राज्य बिजली बोर्डों का सम्मेलन

221. श्री एस० जी० मुरुगय्यन
श्री वसन्त साठे } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल में राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों का एक सम्मेलन बुलाया था; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन समस्याओं पर चर्चा हुई तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1561/78 ]

### तमिलनाडु के रामनाद और धर्मपुरी जिलों का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता

222. **श्री के० मायातेवर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पिछड़े जिलों को निर्धारित करने में क्या निश्चित भूमिका निभायी है तथा ऐसे पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कितनी मात्रा में सहायता दी गई है;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु में रामनाद और धर्मपुरी जिलों के विकास के लिए कुल कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) आगामी वर्षों के दौरान इन जिलों के विकास के लिए कितनी सहायता देने का विचार है ?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख) सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है ।

(ग) आगामी वर्षों में दी जाने वाली सहायता की मात्रा के संबंध में, वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप देते समय, निर्णय किए जाएंगे ।

### विवरण

(क) पिछड़े जिलों का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । तथापि केंद्रीय सरकार ने ऐसे विशिष्ट समस्याओं वाले कुछ क्षेत्रों को निर्धारित किया है जो विशेष सहायता के लिए पात्र हैं । ये क्षेत्र हैं :—(क) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र, (ख) सूखा प्रवृत्त क्षेत्र, (ग) जनजातीय क्षेत्र, (घ) पहाड़ी क्षेत्र, (ङ) उत्तर-पूर्वी अंचल, और (च) आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र ।

उपर्युक्त क्षेत्रों के विकास के लिए दी जाने वाली सहायता की मात्रा इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| (क) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र | |
| (1) रियायती ऋण वित्त (1970—77) | 612.35 करोड़ रु० |
| (2) निवेश आर्थिक सहायता (जनवरी, 1978 तक) | 36.36 करोड़ रु० |
| (ख) सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम (दिसंबर, 1978 तक) | 240.08 करोड़ रु० |
| (ग) जनजातीय क्षेत्र (पांचवीं योजना का प्रावधान) | 190.00 करोड़ रु० |
| (घ) पहाड़ी क्षेत्र (पांचवीं योजना का प्रावधान) | 170.00 करोड़ रु० |
| (ङ) उत्तर-पूर्वी परिषद के माध्यम से उत्तर पूर्वी अंचल (पांचवीं योजना का प्रावधान) | 90.00 करोड़ रु० |
| (च) छः सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र (पांचवीं योजना का प्रावधान) | 90.00 करोड़ रु० |

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित कार्यक्रमों के अंतर्गत तमिलनाडु में रामानद (रामनाथपुरम) और धर्मपुरी जिलों के विकास पर खर्च की गई धनराशि इस प्रकार है :—

| | चौथी योजना | पांचवीं योजना |
|---|---|---|
| 1. औद्योगिक प्रोत्साहन स्कीमों के अंतर्गत दी गई सहायता | यह सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर प्रस्तुत की जाएगी । | |
| 2. सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई सहायता | 3.84 करोड़ रु० | 7.68* करोड़ रु० |
| 3. जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत दी गई सहायता | यह सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर प्रस्तुत की जाएगी । | |

*यह व्यय योजना के पहले तीन वर्षों और अप्रैल-नवम्बर, 1977-78 के लिए है ।

**कोयला खानों में "पिट-हेड बाथों" के बारे में ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के अभ्यावेदन**

223. **श्री शिवाजी पटनाक** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड से अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें कहा गया है कि कोयला खानों में "पिट हैड बाथ" ठीक प्रयोजन पूरा नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के अभ्यावेदनों पर विचार कर लिया है; और

(घ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन)** : (क), (ख), (ग) और (घ) ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि० ने तथा अन्य कोयला कंपनियों ने भी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि पिट-हैड स्नानघरों संबंधी वर्तमान नियमों की पुनरीक्षा की जाए । क्योंकि इन्हें कामगार सही तरीके से पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं । वर्तमान पिट हैड स्नानघरों को तो रखा ही जाएगा, साथ ही यह कहा गया है कि इस सुविधा में विस्तार, कामगारों की आदतों और आसपास की स्थितियों का अध्ययन करने और उनकी उपयोगिता की पुष्टि हो जाने के बाद ही, किया जाए । इस संबंध में विभिन्न विकल्पों का सुझाव दिया गया है जिनमें सामुदायिक स्नान सुविधाओं की व्यवस्था हेतु, वर्तमान नियमों में संशोधन भी एक है और उस मामले पर श्रम मंत्रालय से सलाह लेते हुए विचार हो रहा है ।

224. **श्री शम्भु नाथ चतुर्वेदी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ों का पांच वर्गों अर्थात सूती, पटमन, ऊन आदि में विभाजन करने के पीछे क्या तर्क है; और

(ख) यदि कारखानों को क्षमता और बाजार की मांग के अनुसार शुद्ध अथवा संश्लिष्ट कपड़े का निर्माण करने दिया जाये, तो क्या अधिक उत्पादन नहीं होगा ।

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती) :** (क) तथा (ख) औद्योगिक लाईसेंसीकरण के प्रयोजन के लिए रेशों पर आधारित वस्त्रों के वर्ग बनाये गये हैं । इन वर्गों को बड़े नियमों के आधार पर नहीं बनाया गया है अपनी उत्पादन प्रक्रिया में एक से अधिक रेशा धागा प्रयोग करने वाले विभिन्न एककों के प्रति इसमें नम्यता बरती जाती है।

**अभ्रक के विसंवाही कागज के उत्पादन के लिए जारी किए गए आशय-पत्र**

225. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अभ्रक के विसंवाही (इन्सुलेटिंग) कागज के उत्पादन के लिये अनेक पार्टियों को आशय-पत्र जारी किये गये हैं;

(ख) इन आशय-पत्रों की सामान्य वेधता क्या है;

(ग) इनमें से कितने एककों ने अभ्रक के कागज का उत्पादन आरंभ कर दिया है और कितने आशय-पत्रों की अवधि समाप्त हो गई है; और

(घ) नये उद्यमियों को आशय-पत्र दिये जाकर अभ्रक विसंवाही कागज संयंत्र स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित क्यों नहीं किया जा रहा है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती)** : (क) जी, हां । 1973 से 1975 की अवधि में 11 पार्टियों को आशय-पत्र जारी किए गए थे ।

(ख) आशय-पत्र की प्रारम्भ में सामान्य वैधता अवधि 12 महीने की होती है ।

(ग) जिन पार्टियों को आशय पत्र जारी किए गए हैं उनमें से किसी भी एकक ने माइका पेपर का उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया है । 7 आशय पत्रों की वैधता अवधि समाप्त हो गई है। एक आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदल दिया गया है ।

(घ) स्वीकृत/लाइसेंस प्राप्त योजनाओं की प्रगति देखने के पश्चात माइका इन्सुलेटिंग पेपर संयन्त्र स्थापित करने के लिए नये उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

**उत्तरी राज्यों में हरिजनों और समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार**

226. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार महीनों के दौरान विशेष रूप से उत्तरी राज्यों में हरिजनों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर अत्याचार के बारे में कोई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :** (क) और (ख) अनुसूचित जातियों के विरुद्ध हत्या, बलात्कार, गम्भीर चोट, उनकी सम्पत्ति इत्यादि के बारे में गंभीर शरारत अथवा आगजनी जैसा अपराध कानून के अधीन दण्डनीय है और "लोक व्यवस्था" की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं जोकि भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य का विषय है ।ऐसे मामलों में वास्तविक कार्यवाही कानून के अन्तर्गत, संबंधित

राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों द्वारा की जानी होती है। फिर भी केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के साथ निकट का सम्पर्क बनाये रखती है और ऐसी घटनाओं के लिए उत्तरदायी मूल तत्वों को दूर करने तथा ऐसे मामलों में तुरन्त तथा कारगर कार्यवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा कमजोर वर्गों को संरक्षण प्रदान करने तथा उनमें सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से समय समय पर उनको सुझाव देती हैं।

2. अब तक राज्य/संघ शासित सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार अक्टूबर, 1977 से जनवरी, 1978 तक की अवधि में अनुसूचित जातियों के सदस्यों के विरुद्ध निम्नलिखित संख्या में अपराध सूचित किये गए :--

| राज्य | अपराधों की सूचित संख्या | वे महीने जिनके आंकड़े, अब तक राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं |
|---|---|---|
| **उत्तरी क्षेत्र के राज्य** | | |
| राजस्थान | 87 | अक्टूबर, नवम्बर, 1977 |
| पंजाब | 7 | अक्टूबर, नवम्बर, 1977 |
| हिमाचल प्रदेश | 22 | अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1977 |
| दिल्ली . . | 2 | अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर 1977 और जनवरी, 1978 |
| **अन्य राज्य/संघ शासित क्षेत्र** | | |
| बिहार . . | 45 | अक्टूबर, 1977 |
| गुजरात . | 157 | अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1977 |
| कर्नाटक . . | 39 | --तदैव-- |
| उड़ीसा . | 26 | --तदैव-- |
| उत्तर प्रदेश | 1,382 | --तदैव-- |
| पांडिचेरी | 11 | अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1977 और जनवरी, 1978 |

## राजस्थान के लिए वार्षिक योजना परिव्यय

227. **श्री एस० एस० सोमानी**
**श्री चतुरभुज** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान राजस्थान के वार्षिक योजना परिव्यय के लिए केन्द्रीय सरकार ने धनराशि की मंजूरी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) तथा (ख) जी, हां । चालू वर्ष अर्थात् 1977-78 के लिए अनुमोदित परिव्यय 175.30 करोड़ रुपए है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है।

[**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1562/78]

PAY SCALES IN SAINIK SCHOOLS

228. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is fact that the condition of teachers and other staff of the Sainik schools is deplorable;

(b) whether class IV employees of these schools and their family members have to work at the residences of the officers in addition to their duties at school; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) No. Sir. The pay scales of Sainik Schools employees, however, have not been revised since 1961 but these employees have been sanctioned from time to time, dearness allowance at the rates admissible to the Central Government employees. Also, these employees are covered by the Contributory Provident Fund Scheme. The teachers in the Sainik Schools are also entitled to free furnished accommodation, free consumption of domestic electricity to a specified extent, free food in the school mess and free medical consultation and medicines for minor ailments from the school dispensary.

(b) No, Sir.

(c) The pay scales of the Sainik Schools employees are proposed to be revised after the State Governments have agreed to enhance the scholarship contributions. A Contributory Medical Scheme is also proposed to be introduced in these schools.

**ब्रिटेन के रक्षा विशेषज्ञों के एक दल द्वारा भारत का दौरा**

229. **श्री के० मालन्ना**
**श्री महेन्द्र सिंह सैंमानवाला** } : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाले जगुआर विमानों को खरीदने के प्रश्न पर बातचीत करने के लिए हाल में ब्रिटेन के रक्षा विशेषज्ञों के किसी दल ने भारत का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने भी, जब वह भारत की यात्रा पर थे, इस संबंध में कोई संकेत दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

**रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** (क) से (ग) पुराने कैनबेरा तथा हंटरों के स्थान पर नए विमान लाने के विचार से सरकार ने लम्बी दूरी तक मार करने वाले विमान खरीदने का निर्णय किया है। इस संबंध में जिन विमानों के बारे में विचार किया जा रहा

है उनमें से ब्रिटेन का जगुआर विमान भी एक है। इस बारे में अभी हाल ही में ब्रिटिश एरोनाटिकल इन्डस्ट्री के एक दल ने भारत का दौरा किया था। ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के साथ बातचीत के दौरान भारतीय वायु सेना द्वारा जगुआर विमान खरीदने के प्रश्न पर क्षणिक विचार हुआ था। हमारा तकनीकी दल स्वीडन, फ्रांस और ब्रिटेन के दौरे पर गया है। इन तीनों देशों के साथ बातचीत चल रही है।

LOSS IN DTC

†230. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether Delhi Transport Corporation is running in loss;

(b) whether it is also a fact that Delhi Transport Corporation buses cover maximum kilometres;

(c) if so, the reasons for running in loss; and

(d) the number of corporation buses which are running on roads at present and the number of buses which are lying idle ?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) Yes, Sir.

(b) During the period from April to December, 1977, a DTC bus covered, on an average, 231 kms. daily. This is comparatively more than the average kilometres rendered daily by the buses of the nationalised transport undertakings in the cities of Ahmedabad, Bombay, Madras and Poona.

(c) These are mainly (i) uneconomical fare structure; and (ii) high cost of operation.

(d) During the first fortnight of February, 1978, the Corporation had an average fleet of 2184 buses, of which 325 remained off the road for major repairs. The serviceable fleet consisted of 1859 buses. Of these, on an average, 1730 buses were operated daily on week days. The remaining 129 buses were off the road for minor repairs or routine servicing or were awaiting inspection by the Motor Vehicles Inspectors of the Directorate of Transport, Delhi before renewal of their fitness certificates.

**दिल्ली में राज्यों के राज्यपालों का सम्मेलन**

231. **श्री डी० जी० गवई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में दिसम्बर, 1977 में राज्यों के राज्यपालों का सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में किन-किन मुख्य समस्याओं पर चर्चा की गई थी ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) और (ख) राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में 24 और 25 दिसम्बर, 1977 को राज्यपालों का एक सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें थी :—

(1) राज्यों में राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्थिति विशेषकर विधि और व्यवस्था के सन्दर्भ में।

(2) राज्यों में अर्थव्यवस्था की समीक्षा---

(क) आगामी पांच वर्षों की योजना।

(ख) उत्पादन में वृद्धि, पूर्ण रोजगार एवं समाज के कमजोर वर्ग तक लाभ पहुंचाने की व्यवस्था पर जोर देते हुए ग्रामीण क्षेत्र का तेजी से विकास।

(ग) सामान्य मूल्य-स्थिति, विशेषकर आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में ;

(घ) महिलाओं तथा बच्चों के कल्याणार्थ विशेष कार्यक्रम।

3. अस्पृश्यता निवारण एवं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का संरक्षण।

4. नशाबन्दी।

5. संघ-राज्य संबंध, अन्तर्राज्यीय समस्यायें।

6. प्राकृतिक विपत्तियां।

7. अपने क्षेत्राधिकार से बाहर राज्यपालों के दौरे।

24 तथा 25 दिसम्बर, 1977 को इस संबंध में निकाली गई प्रेस विज्ञप्तियों में प्रत्येक की एक प्रति संलग्न हैं।

**[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1563/78]**

**पायलट पेन कम्पनी (इंडिया) के 300 कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किया जाना**

232. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाइलट पेन कम्पनी (इंडिया) के लगभग 300 कर्मचारियों को कुप्रबन्ध तथा उसके भारतीय प्रबन्ध निदेशक के निष्ठुर रवैये के कारण वेतन का भुगतान न किये जाने सम्बन्धी समाचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रबन्ध के विरूद्ध कर्मचारियों द्वारा लगाये जा रहे आरोपों की कोई जांच की है और समस्या को सुलझाने के लिए कोई प्रयास किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती) :** (क) जनवरी, 1978 में सरकार को पायलट पेन कम्पनी (इंडिया) इम्पलाइज यूनियन, मद्रास से इस आशय का एक पत्र प्राप्त हुआ था कि कम्पनी के बंकर द्वारा कम्पनी के कार्यों में कुप्रबन्ध और निरन्तर हो रही वित्तीय अनियमितताओं के साथ ही विद्यमान प्रबन्ध निदेशक द्वारा अपनाये गये असहयोगी रूख के कारण लेन देन बन्द कर दिए जाने के कारण पायलट पैन कम्पनी (इण्डिया) प्रा० लि० के तीन कर्मचारियों को पिछले तीन महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) : कर्मचारियों का अभ्यावेदन मामले की जांच करने और शीघ्र ही समझौता करने के लिए तमिलनाडु सरकार को भेज दिया गया है।

TYPES OF CAMERA-FILMS MANUFACTURED IN INDIA

233. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the types of camera-films manufactured in India and those imported from abroad; and

(b) the arrangements made by Government to manufacture all types of Camera-films in India itself ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) Black and white camera films of size 120 only are at present converted from imported jumbo rolls by the Hindustan Photo Films Mfg. Co. Ltd. (HPF), Ootacamund. All other types and sizes such as 620, 127, 126 and 35mm and colour amateur roll films are imported in finished form.

(b) HPF has entered into a technical collaboration agreement with M/s. VEB Film Fabric Wolfen—Foto Chemisches of GDR for manufacture of 120 size and 35mm B&W camera films the production of which is expected to commence before the end of 1978.

LOOTING BY GANG OF DACOITS IN DELHI

234. SHRI YADVENDRA DUTT : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether his attention has been invited to a news item published in "Times of India" dated the 29th January, 1978 to the effect that a gang of dacoits looted people at 13 places within five hours in Delhi; and

(c) if so, the steps being taken by Government to prevent such incidents ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) Yes Sir. 14 incidents of dacoities/robberies were reported on the night of 27/28-1-1978. Out of these one robbery and 8 dacoities were committed by one gang. The members of the gang have since been arrested in case FIR No. 97 dated 29-1-1978 u/s 397/402 IPC, Police Station Kamla Market and almost the entire property looted on that night recovered. The remaining five were individual incidents of robberies committed at different places on the same night and three of these cases have already been worked out and most of the stolen property recovered.

(b) The following steps are being taken to check such incidents;

(i) Intensive mobile patrolling, both during day and night.

(ii) Armed pickets are being often detailed at strategic points to check the movement of criminals at odd hours.

(iii) Surveillance over the known robbers is being strengthened and records of criminals updated.

(iv) Externment proceedings against criminals are being stepped up.

बरहामपुर, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल स्थित रेशम-उत्पादन संस्थान का विस्तार

235. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बरहामपुर, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल स्थित रेशम-उत्पादन संस्थान के विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव मिला है ;

(ख) उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इस योजना पर केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय सहायता अन्तर्ग्रस्त है ; और

(घ) यदि हां, तो अपेक्षित धनराशि को पूरा करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती) :** (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय रेशम अनुसंधान स्टेशन बरहामपुर को सुदृढ़ बनाने/विस्तार करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड से प्राप्त निम्नलिखित योजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं :—

(1) केन्द्रीय रेशम अनुसंधान स्टेशन, बरहामपुर के प्रशिक्षण प्रभाग का संगठन।

(2) केन्द्रीय रेशम अनुसंधान स्टेशन, बरहामपुर को दृढ़ बनाना :

(3) केन्द्रीय रेशम अनुसंधान स्टेशन, बरहामपुर को विस्तार स्कंध की विश्रामगंज में स्थापना।

(ग) समस्त व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

(घ) 1978 के बजट अनुदानों तथा 1978-79 के बजट प्राक्कलन में आवश्यक राशि की व्यवस्था की गई है।

## भारत में ब्रिटेन की खुफिया एजेन्सी की गतिविधियां

236. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की खुफिया एजेन्सी तथा इन्फार्मेशन रिसर्च डिपार्टमेंट की भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों और प्रेस के कार्यकरण में गहरी पहुंच है ; और

(ख) आसूचना ब्यूरो तथा भारत सरकार की अन्य एजेंसियों ने इस ब्रिटिश खफिया एजेन्सी की विशेषकर ब्रिटिश नियंत्रित बड़े व्यापारिक गृहों आदि के द्वारा की जाने वाली कितनी गतिविधियों का अब तक पता लगाया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :** (क) तथा (ख) सरकार के पास ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी की तथाकथित आपत्तिजनक गतिविधयों के बारे में न तो कोई सूचना है और ना ही उसकी भारत में महत्वपूर्ण क्षेत्रों और प्रैस में गहरी पहुंच का कोई मामला ध्यान में आया है। फिर भी, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में विदेशी खुफिया संगठनों की गतिविधियों के बारे में आवश्यक निगरानी रखी जा रही है।

## शाह ईरान के भारत दौरे से पूर्व ईरानी छात्रों की गतिविधियों पर नियंत्रण

237. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाह ईरान के भारत दौरे से पूर्व ईरानी छात्रों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किये थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस बारे में नागरिकों के विरोध तथा दिल्ली में प्रमुख पत्रकारों द्वारा प्रेस वक्तव्य की ओर गया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) तथा (ख) विदेशी व्यक्ति क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, नई दिल्ली ने विदेशी अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत नागरिक प्राधिकारी के रूप में अपने सांविधिक अधिकारों का प्रयोग करते हुये उन ईरानी छात्रों के आन्दोलनों को प्रतिबंधित करने के लिये उपयुक्त आदेश जारी किये थे जिनके बारे में समझा जाता था कि 2 फरवरी, 1978 से 5 फरवरी, 1978 तक शाह ईरान के भारत के दौरे के दौरान उनके विरुद्ध उपद्रवी प्रदर्शन करने की संभावना है। परन्तु, प्रतिबंध आदेश केवल 6 फरवरी, 1978 तक लागू थे।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

### पश्चिम बंगाल में प्रशीतक उपकरण बनाने की एक परियोजना के लिये यूनियन कार्बाइड के आवेदन का अस्वीकृत किया जाना

238. **श्री सौगत राय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में प्रशीतक उपकरण बनाने के लिए एक परियोजना स्थापित करने हेतु यूनियन कार्बाइड के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया है ;

(ख) क्या लाइसेंस देने के लिए राज्य सरकार द्वारा किये गये अनुरोध के उपरान्त भी यह आवेदन अस्वीकृत किया गया ; और

(ग) आवेदन को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती)** : (क) से (ग) मैसर्स यूनियन कार्बाइड आफ इण्डिया ने जून, 1977 में

(1) क्रायोजिनिक बैसिल और कृत्रिम गर्भाधान के लिए तथा अन्य उपयोगों के लिए सहायक सामान बनाने और

(2) इन-ट्रांजिट रेफरिजरेशन प्रणाली लिक्विड सिलिंडरों एवम् सहायक सामानों का उत्पादन करने तथा विदेशी सहयोग के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने हेतु एक मिश्रित आवेदन पत्र दिया था। राज्य सरकार एवम् अन्य संबंधित प्राधिकरणों की टिप्पणियों पर विचार करने के उपरांत कंपनी को सूचित कर दिया गया था कि क्योंकि लघु क्षेत्र में एक पार्टी बिना विदेशी सहयोग के प्रस्तावित वस्तु का उत्पादन कर रही है और सरकारी क्षेत्र की एक अन्य परियोजना देशीय प्रौद्योगिकी के आधार पर इसी वस्तु का उत्पादन शुरू करने वाली है अतः प्रथम प्रष्टया कंपनी को इसके लिए सरकार द्वारा लाइसेंस जारी करने का प्रकरण ही नहीं बनता है। पार्टी ने इस निर्णय के खिलाफ अपील की है और उस पर अभी विचार हो रहा है।

### पिछड़ी जाति आयोग की नियुक्ति

239. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़ी जाति आयोग की नियुक्ति की घोषणा की है ; और

(ख) यदि हां, तो आयोग के गठन, कर्त्तव्यों और कृत्यों का क्या ब्यौरा है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :** (क) तथा (ख) सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित समस्यायों की जांच करने के लिए सरकार ने एक आयोग गठन करने के बारे में सिद्धान्त रूप से निर्णय किया है। आयोग के गठन, कर्त्तव्यों और कृत्यों के बारे में ब्यौरो को शीघ्र अंतिम रूप दिये जाने की आशा है।

## INDO-EGYPT AGREEMENT IN THE FIELD OF ENERGY

†240. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether a trade agreement has been signed between India and Egypt;

(b) the total value of trade which will take place between India and Egypt every year;

(c) the foreign exchange likely to be earned by Government of India from this trade;

(d) whether any assurance has been given by the Government of India to Egypt in the field of energy; and

(e) if so, full details thereof?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : *(a)* to *(e)*. A Protocol to extend the scientific and technical cooperation, and assistance in the sector of Power Energy was signed between the Government of Arab Republic of Egypt and Government of India during the visit of the Deputy Prime Minister and Minister for Electric Power and Energy of the ARE to India between 16th and 27th January 1978.

The details are as follows :—

1. *RURAL ELECTRIFICATION* :

The Government of India agreed to assist on mutually agreeable terms to develop a site earmarked for the rural electrification programme in Egypt, and also expressed willingness to assist, through appropriate manufacturing agreements, the progressive development of capability of the local industries to manufacture the items of equipment in the sector of power and energy for rural electrification.

2. *DEPUTATION OF EXPERTS* :

The Government of India expressed willingness to depute to Egypt, experts in the field of power engineering and rural electrification under the Technical Assistance Programme. The exact requirements would be indicated by the Arab Republic of Egypt.

3. *TRAINING OF ENGINEERS* :

The Government of India greed to make available facilities for training of Egyptian engineers in the following areas :

(a) Hydro, Thermal and Power Systems Engineering;

(b) Plant level training;

(c) Project formulation, design, construction and management;

(d) Contract management.

4. *RESEARCH IN POWER SECTOR* :

The Government of India agreed that, to the extent possible facilities available at the Central Power Research Institute, Bangalore may be utilised for the mutual benefit of the two countries.

5. *SOLAR ENERGY* :

The Government of India agreed to have periodical exchange of information on the results of work in areas of mutual interest.

6. *NUCLEAR ENERGY* :

The Government of India agreed to strengthen cooperation in the field of peaceful uses of nuclear energy, on the basis of the existing agreement signed between the two countries in 1962. A Team of scientists from India will visit Egypt to identify programme of cooperation in this field.

**परमाणु रिएक्टरों की अधिष्ठापित क्षमता का निर्धारित लक्ष्य**

241. **डा० सुब्रामणियम स्वामी :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा० होमी भाभा ने वर्ष 1954 में परमाणु रिएक्टरों की वर्ष 1980-81 की अधिष्ठापित क्षमता का क्या लक्ष्य निर्धारित किया था ;

(ख) भारतीय ऊर्जा सर्वेक्षण समिति ने वर्ष 1965 में इनका वर्ष 1980-81 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित कियां था ;

(ग) डा० विक्रम साराभाई द्वारा तैयार किये गये विवरण में वर्ष 1980-81 के लिए इनका क्या लक्ष्य निर्धारित था ; और

(घ) क्या अब तक के कार्य निष्पादन को ध्यान में रखते हुये सरकार ने वर्ष 1980-81 के निर्धारित लक्ष्य में कोई परिवर्तन करने का विचार किया है और यदि हां, तो किस प्रकार का ?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** : (क), (ख) तथा (ग) रिएक्टरों की क्षमता के संबंध में, सन् 1954 में परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा रखा गया लक्ष्य, सन् 1965 में भारतीय ऊर्जा सर्वेक्षण समिति द्वारा लगाया गया पूर्वानुमान तथा सन् 1968 में परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा दिया गया संशोधित प्रस्ताव निम्नलिखित प्रकार से है :—

| | सन् 1954 में परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार | सन् 1965 में भारतीय ऊर्जा सर्वेक्षण समिति द्वारा लगाये गये पूर्वानुमान के अनुसार | सन् 1968 में परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा प्रस्तावित |
|---|---|---|---|
| | | (मेगावाटों में) | |
| 1980-81 . . | 8000 | 5000 | 2700 |

(घ) जी, हां। ऐसी आशा है कि वर्ष 1980-81 के अन्त तक 1095 मेगावाट क्षमता के रिएक्टर स्थापित हो जायेंगे।

**नारियल जटा उद्योग में मशीनीकरण ग्रामीण रोजगार के लिए खतरा**

242. **श्री वयालार रवि :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नारियल जटा उद्योग में मशीनीकरण इस परम्परागत उद्योग में ग्रामीण रोजगार के लिए एक खतरा है ;

(ख) क्या केरल सरकार तथा मजदूर संघों ने इस मशीनीकरण का विरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो मशीनीकरण रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती) :** (क) से (ग) कयर उद्योग में मशीनीकरण का प्रश्न, इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, समीक्षाधीन है। सरकार सभी पक्षों पर विचार करने के पश्चात् इस पर अन्तिम निर्णय लेगी।

**रक्षा संबंधी आवश्यक सामान का उत्पादन**

243. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में देश में रक्षा संबंधी सामान की कुल आवश्यकता में से कितने प्रतिशत सामान स्वदेश में बनाया गया और कितने प्रतिशत आयात करना पड़ा तथा उसका मूल्य क्या है;

(ख) क्या नैमिक प्रयोग के सामान का उत्पादन कार्य गैर-सरकारी सहायक कारखानों को देने का निर्णय कर लिया गया है और यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कौन-कौन सी वस्तुएं निर्धारित की गई हैं और उनकी वर्ष में अनुमानित आवश्यकता कितने मूल्य की है; और

(ग) इसे कब और किस प्रकार क्रियान्वित किया जायेगा?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :** (क) रक्षा संबंधी सामानों का केवल एक चौथाई सामान ही आयात करना पड़ा; तीन चौथाई सामान देश में ही बनाया गया।

इस संबंध में अन्य ब्यौरे देना लोक हित में नहीं होगा।

(ख) और (ग) निजी सहायक यूनिटों द्वारा उत्पादन किए जाने अथवा सार्वजनिक क्षेत्र से लेकर कुछ मदों को निजी क्षेत्र में दिए जाने के लिए किसी विशिष्ट मद को निर्धारित करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया गया है। सरकार की नीति है कि रक्षा संबंधी उपस्करों और स्टोरों के आयात को कम किया जाए और इस क्षेत्र में अधिक से अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाए। इस बारे में यद्यपि रक्षा विभागीय और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सर्वाधिक भूमिका अदा की जाती रहेगी फिर भी बहुत सी ऐसी मदें हैं जो इन कारखानों में नहीं बनाई जाती हैं परंतु अब उनके लिए सिविल, निजी और साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। इसका यह उद्देश्य है कि स्वदेशीकरण की प्रक्रिया को तेज करने और उसमें वृद्धि करने के लिए इस क्षमता का उपयोग किया जाए।

RURAL ELECTRIFICATION IN BIHAR

†244. SHRI BIRENDRA PRASAD : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) the names of Blocks in Nalanda District of Bihar where rural electrification work by Rural Electrification Corporation is in progress and when the same is likely to be completed; and

(b) whether the progress of work is slow; if so, the reasons thereof ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) The Rural Electrification Corporation has sanctioned two schemes which *inter-alia* cover 215 villages in the following 12 blocks in Nalanda District of Bihar :—

| Name of the Block | Number of villages included in the schemes sanctioned by the R.E.C. |
|---|---|
| 1. Asthawan | 9 |
| 2. Biharsharif | 10 |
| 3. Harnaut | 30 |
| 4. Ekangarsarai | 10 |
| 5. Rajgir | 47 |
| 6. Sarmera | 12 |
| 7. Islampur | 44 |
| 8. Giraik | 7 |
| 9. Hilsa | 21 |
| 10. Rarhui | 8 |
| 11. Chandi | 13 |
| 12. Noor-sarai | 4 |
| | 215 |

The State Electricity Board has intimated that 176 villages have already been electrified and the work of electrification of the remaining villages is expected to be completed by March, 1978.

(b) The progress in the schemes is reported to be slow mainly because of the lack of consumers' response, shortage of construction materials and inadequate power supply during the initial period of their implementation.

## नमक का उत्पादन करने वाले समुद्रतटीय शहरों में केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के लिये स्थान

245. **श्री के० राममूर्ति :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमक का उत्पादन करने वाले समुद्रतटीय शहरों में केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के स्थान कें प्रश्न पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो बोर्ड को जयपुर में बनाये रखने के क्या कारण हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती) :** (क) और (ख) नमक आयुक्त पदेन नमक की केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के सचिव के पद पर भी कार्य करता है नमक आयुक्त का कार्यालय जयपुर में स्थित है। अध्यक्ष की अनुमति से केन्द्रीय सलाहकार समिति देश के किसी भी भाग में अपनी बैठक करने के लिए स्वतन्त्र है। इस दृष्टि से केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड को नमक उत्पादक नगर में ही स्थापित करने की आवश्यकता को महसूस नहीं करती है ।

RESERVATION FOR BACKWARD CLASSES IN GOVERNMENT JOBS

246. SHRI HUKMDEO NARAIN YADAV: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government propose to reserve 33 percent of Government jobs for persons belonging to backward classes in accordance with the recommendation made by the Kaka Kalelkar Commission;

(b) if so, the date from which this provision will be made;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) whether a promise was made by the Janata Party in the Lok Sabha Election manifesto regarding this reservation and if so, the difficulty in the way of fulfilling it ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a), (b), (c) & (d). Government is considering the question of setting up a Commission to enquire into matters concerning backward classes and it is expected that such a Commission would also *inter alia* go into the question whether there should be reservations for backward classes (other than the Scheduled Castes/Scheduled Tribes) in the Services under Government. Government's future policy in this regard would be determined taking into account the views of the Commission.

The Election manifesto of the Janata Party mentioned that reservation between 25 and 33% of all appointments to Government Service would be provided for backward classes.

**धनगर समाज तथा महाराष्ट्र राज्य में बौद्ध बने लोगों का अभ्यावेदन**

247. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को प्राप्त लाभों के समान लाभों की मांग करने के बारे में धनगर समाज तथा महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों के बौद्ध बने लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने उनकी मांग स्वीकार करने का निर्णय कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :** (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को प्राप्त रियायतों के समान रियायतों की मांग करने के बारे में अनुसूचित जातियों से बौद्ध बने हुए लोगों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) तथा (ग) भारत सरकार ने संवैधानिक रिआयतों जैसे केन्द्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण और लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में आरक्षण को छोड़कर अनुसूचित जातियों को

दी गई सभी रिआयतें अनुसूचित जातियों के बौद्ध बने लोगों को दे दी हैं। बौद्ध बने इन लोगों को संवैधानिक रियायतें देना सम्भव नहीं है क्योंकि संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश, 1950 के अनुसार कोई व्यक्ति, जो हिन्दू अथवा सिख धर्म से कोई अन्य धर्म का है, अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता ।

**पश्चिम बंगाल के लिए उद्योग नीति का प्रारूप**

248. **श्री रोबिन सेन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री और उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के लिए तैयार किये गये उद्योग नीति के प्रारूप की ओर सरकार का ध्यान गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह एकाधिकार वाले औद्योगिक गृहों और बहु-राष्ट्रीय गृहों की गतिविधियों पर रोक लगाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती) :** (क) और (ख) मुख्य मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उद्योग मंत्री को दिये गये पश्चिम बंगाल के लिए बनाई गयी औद्योगिक नीति सम्बन्धी नोट में प्रमुखत: बहुराष्ट्रीय एवं एकाधिकार वाले गृहों के क्रियाकलाप को नियंत्रण रखने की आवश्यकता रुग्ण मिलों को पुन: जीवित करने के बारे में च्यनात्मक तरीके सरकारी क्षेत्र को सक्रिय सहयोग, रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना आदि जैसी बातें उठाई गई हैं। उपर्युक्त मामलों में सरकार की नीति की जानकारी 23 दिसम्बर, 1977 को संसद में रखे गये औद्योगिक नीति के विवरण में दी गई है। सरकार द्वारा घोषित नीति के क्रियान्वयन के लिए कार्रवाई की जा रही है।

**श्रीमति गांधी द्वारा स्थापित अर्ध-सैनिक व्यवस्था को समाप्त करना**

249. **श्री समर मुखर्जी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रीमति गांधी द्वारा अपने शासन के दौरान स्थापित अर्ध-सैनिक व्यवस्था को समाप्त करने का विचार कर रही है जिसमें सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, औद्योगिक सुरक्षा बल और अनुसंधान तथा विश्लेषण स्कंध शामिल था तथा सब मिलाकर जिनके जवानों की संख्या लगभग 10 लाख बताई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इन्दिरा-शासन के दौरान इन पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई ; यदि केन्द्र द्वारा नहीं की गई तो राज्यों द्वारा राज्य-वार कितनी कितनी राशि खर्च की गई ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :** (क) तथा (ख) सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा औद्योगिक सुरक्षा बल को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। किन्तु सचिवों की एक समिति मितव्ययिता करने के विचार से विभिन्न अर्ध-सैनिक बलों की संख्या का पुनरीक्षण कर रही है। सरकार ने उसकी अन्तरिम सिफारिश स्वीकार कर ली है

कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की संख्या में से दो बटालियन मार्च, 1978 के अन्त तक कम कर दी जाएं और इसके बाद तीन वर्ष की अवधि में प्रतिवर्ष एक-एक बटालियन की दर से कम की जाए।

अनुसंधान तथा विश्लेषण स्कंध न तो अर्ध-सैनिक बल है न ही यह गृह मंत्रालय के अधीन है।

(ग) सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, औद्योगिक सुरक्षा बल को क्रमशः अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने, देश में आन्तरिक सुरक्षा को मजबूत करने, देश में आन्तरिक सुरक्षा को बनाए रखने तथा औद्योगिक उपक्रमों की सुरक्षा तथा बेहतर संरक्षण के लिए बनाई गई थी तथा जिन कारणों से बलों को बनाया गया था वे अभी तक भी वैध हैं, अतः उन्हें बनाये रखा जा रहा है।

(घ) 1966-67 से 1967-77 तक सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा औद्योगिक सुरक्षा बल पर खर्च की गई कुल धनराशि 853.46 करोड़ रूपये है।

WORKERS' UNION IN THE ORDNANCE FACTORY AMBAJHARI, NAGPUR

250. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether the workers' union in the Ordnance factory Ambajhari, Nagpur, have urged the Central Government during the course of an open enquiry against the corrupt officials that these officials should either be suspended or transferred to some other place with a view to prevent misplacement of the relevant papers and departmental enquiry should be conducted against them; and

(b) if so, the action taken by Government thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHER SINGH) : (a) There has been no open enquiry as referred. The Workers' Union (Ayudh Nirman Mazdoor Sangh) Ambajhari sent two representations dated 6th July and 31st October, 1977 making allegations against certain officials of the Factory.

(b) Regarding the complaint dated 6-7-1977, one official has been reduced in rank, another has been suspended and enquiry is in progress. The complaint dated 31-10-1977 is under investigation.

**दिल्ली परिवहन निगम की दिल्ली-फरीदाबाद सेवा को बल्लभगढ़ तक बढ़ाया जाना**

251. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फरीदाबाद के औद्योगिक क्षेत्र से दिल्ली परिवहन निगम की दिल्ली-फरीदाबाद सेवा को बल्लभगढ़ तक बढ़ाने के बारे में अनुरोध और अभ्यावेदन प्राप्त हुए; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मांग को पूरा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) :** (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

## भारत की वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता

252. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता क्या है और क्या यह योजनाबद्ध कार्यक्रम के अनुरूप है ।

(ख) यदि नहीं, इस के क्या कारण हैं ;

(ग) राजस्थान स्थित परमाणु बिजलीघर और मद्रास स्थित दो बिजलीघर कब तक चालू हो जायेंगे उनमें से प्रत्येक की क्षमता कितनी-कितनी होगी ; और

(घ) नरोरा (उत्तर प्रदेश) में दो एककों के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) भारत की वर्तमान स्थापित परमाणु विद्युत क्षमता 640 मैगावाट है, जोकि 1095 मैगावाट की उस क्षमता से कम है जिसकी स्थापना पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक करने की योजना बनाई गई थी ।

(ख) योजना में निर्धारित क्षमता के स्थापित किए जाने में कमी रहने का मुख्य कारण राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दूसरे यूनिट तथा मद्रास परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट के चालू होने में विलम्ब होना है । यह विलम्ब कुछ देशों द्वारा परमाणु बिजलीघरों के लिए आवश्यक उपकरणों के निर्यात पर पाबन्दी लगा दिए जाने तथा उसके परिणामस्वरूप, इन उपकरणों की सप्लाई के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाने में समय लगने, भारत में ही प्राप्त किए जा रहे उपकरणों के देरी से मिलने तथा भारी पानी के न मिल सकने के कारण हुआ है ।

(ग) राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के दूसरे यूनिट का निर्माण-कार्य पूरा किया जा चुका है तथा इस यूनिट का चालू होना भारी पानी के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है । आशा है कि मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना का पहला यूनिट दिसम्बर, 1979 तक तथा दूसरा यूनिट जुलाई 1981 तक क्रान्तिकता प्राप्त कर लेंगे । ये यूनिट क्रान्तिकता प्राप्त करने के संभवत: कुछ महीने बाद पूरी गति से काम करने लगेंगे । राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के दूसरे यूनिट की स्थापित क्षमता 220 मेगावाट तथा मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के दोनों यूनिटों में से प्रत्येक की क्षमता 235 मेगावाट है ।

(घ) नरोरा म मुख्य सयंत्र का सिविल निर्माण-कार्य जल रहा है । अधिकाँश प्रमुख उपकरण भी बनाये जा रहे है । शेष प्रमुख उपकरणों के लिये आर्डरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

## आगामी पांच वर्षों में बिजली की आवश्यकता के बारे में सर्वेक्षण

253. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी पांच वर्षों में देश में बिजली की आवश्यकता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) :** (क) और (ख) अगले पांच वर्षों के दौरान देश की विद्युत संबंधी आवश्यकताओं को दसवें वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण में, जो कि पिछले वर्ष पूरा हुआ निम्नानुसार आंका गया है :—

| वर्ष | ऊर्जा की आवश्यकताएं (मिलियन यूनिट) | व्यस्ततम भार मेगावाट |
|---|---|---|
| | (उत्पादन केन्द्र के बस पर—केवल उपयोगिताएं) | |
| 1978-79 | 111796 | 20219 |
| 1979-80 | 124262 | 22433 |
| 1980-81 | 137252 | 24748 |
| 1981-82 | 152817 | 27580 |
| 1982-83 | 168392 | 30390 |

इन भावी आवश्यकताओं का पुनरवलोकन अगले पांच वर्षों के दौरान आर्थिक विकास के लिए अपनाए जाने वाले योजना-कौशल के आधार पर किया जाना है।

(ग) दसवें वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण के आधार पर एक अंतरिम कार्यक्रम तैयार किया गया है तथा अगले पांच वर्षों के दौरान विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने की स्कीमों का निर्धारण कर लिया गया है। यद्यपि इस कार्यक्रम को अंतिम रूप समग्र आर्थिक विकास के लिए अपनाए जाने वाले योजना-कौशल को ध्यान में रखकर, मांग की भावी संभावनाओं तथा प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता को तदनुरूपी आवश्यकताओं के पुनरवलोकन के बाद ही दिया जा सकता है तथापि निर्धारित की गई परियोजनाओं के संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है ताकि इन परियोजनाओं से समय पर लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से इनका कार्यान्वयन हाथ में लिया जा सके। भावी कार्यक्रम का मुख्य जोर इस बात पर होगा कि बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए क्षमता में आवश्यक भारी अभिवृद्धि करने के लिए विद्युत विकास की गति में तेजी लाई जाए।

**नौसैनिक प्रशिक्षण स्कूल, चिल्का में नई नियुक्तियां**

254. **श्री पद्मम चरण सामंत सिंहेरा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नौसैनिक प्रशिक्षण स्कूल, चिल्का में नई नियुक्तियां करने वाली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** (क) और (ख) चिल्का में बाल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माणाधीन है इसलिए वहां पर अभी कर्मचारियों की मंजूरी नहीं की गई है। परन्तु प्रतिष्ठान के लिए जिन सर्विस तथा सिविलियन कर्मचारियों की आवश्यकता होगी ऐसी आशा है कि उनमें से अधिकांश की पूर्ति नौसेना के वर्तमान कर्मचारियों में से समायोजन करके कर ली जायेगी। कुछ सिविलियन कर्मचारियों की भर्त्ती की जा सकती है।

**जेल प्रशासन की समस्याओं पर विशेषज्ञ दल द्वारा की गई सिफारिशें**

255. **श्री आर० के० महालगी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जेल प्रशासन की समस्याओं और उनके समाधान के बारे में विशेषज्ञ दल ने केन्द्रीय सरकार को दिसम्बर, 1973 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था ;

(ख) उक्त विशेषज्ञ दल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) सरकार ने किन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उनका क्या परिणाम निकला है; और

(घ) यदि सरकार ने विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के बारे में अभी तक विचार न किया हो तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) इसकी रिपोर्ट में दल की मुख्य सिफारिशें होंगी, जिसकी प्रतियां 23 अक्तूबर, 1974 को संसद भवनों के पुस्तकालय को दी गई थी।

(ग) और (घ) "जेल" राज्य का विषय होने के कारण है, सिफारिशों को स्वीकार करना और कार्यान्वित करना राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। सिफारिशें फरवरी, 1974 में उनके ध्यान में लायी गयी थीं। उनके कार्यान्वयन में मुख्य अड़चन वित्तीय साधनों की कमी रही है। आंशिक रूप से इस कमी को दूर करने के लिए, भारत सरकार ने, चालू वित्तीय वर्ष (1977-78) से, राज्यों को वित्तीय सहायता देना आरम्भ कर दिया है।

NON-SETTING UP OF LARGE SCALE INDUSTRIES IN BIG CITIES

257. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision not to set up large scale industries in big cities;

(b) if so, whether such orders have been issued to State Governments and regional authorities; and

(c) if not, the time by which they are likely to be issued ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) & (b) In pursuance of the Policy announced by Government relating to location of new industries in metropolitan cities having a population of more than one million and urban areas with a population of more than 5 lakhs according to 1971 census, instructions have been issued to the administrative Ministries and technical authorities to the effect that an additional condition as given below will be attached to the Letters of Intent/Industrial Licences :—

> "The new unit should not be located within the standard urban area limit of a large metropolitan city having a population of more than one million and in the urban area of a city with a population of more than 5 lakhs as per the 1971 census."

The State Governments and public financial institutions have also been requested to deny support to new industrial units which do not require any industrial licence in terms of the provisions of Industries (Development & Regulation) Act, in the areas mentioned above.

(c) Does not arise.

SETTING UP OF PAPER INDUSTRIES IN U.P.

258. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether the Government of Uttar Pradesh has approached the Central Government for setting up paper industry in Uttar Pradesh; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**हथकरघा, विद्युतकरघा और कपड़ा मिलों के लिए कपड़ा उत्पादन की पृथक-पृथक मदें**

259. **श्री परमानन्द गोबिन्दजीवाला** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हथकरघा, विद्युतकरघा और कपड़ा मिलों के लिए कपड़ा उत्पादन की पृथक-पृथक मदों को आरक्षित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती)** : (क) और (ख) सरकार ने पहले ही कुछ प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन केवल हथकरघा क्षेत्र के लिए ही आरक्षित कर रखा है तथा नई वस्तुओं को इस क्षेत्र में उत्पादन किये जाने के लिए समय-समय पर शामिल कर लिया जाता है। इस समय हथकरघा क्षेत्र के लिए निम्नलिखित वस्तुएं आरक्षित हैं :—

1. धोतियां (विशिष्ट चौड़ाई आदि की)
2. लुंगी तथा गमछे
3. चद्दरें, बेड-शीट्स, बेड-कवर और काउन्टर पेन
4. लो-रीड पिक क्लाथ
5. मेजपोश और छोटे रुमाल (नेपकिन)
6. डस्टर या डस्टर क्लाथ या वाइपर क्लाथ या ग्लास क्लाथ
7. कपड़े या 85 काउन्ट या इससे अधिक वार्फ और वेंक्ट की बुनाई जिनकी 101.60 संटीमीटर से अधिक की चौड़ाई हो
8. साड़ियां (रंगीन आदि)
9. तौलिए
10. मशरू कपड़ा
11. काटन क्रेप फेब्रिक ।

**विद्युत चालित करघों को चलाने के लिए नये परमिट**

260. **श्री परमानन्द गोबिन्दजीवाला** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत-चालित करघों को चलाने के लिए नये परमिट जारी करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो नये परमिट कब जारी किये जायेंगे ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**राष्ट्रीय कपड़ा निगम (इन्दौर) और उसके प्रबन्धकों के विरुद्ध आरोप**

261. **श्री परमानन्द गोबिन्दजीवाला** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय कपड़ा निगम (इन्दौर) और उसके प्रबन्धकों के विरुद्ध अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम (इन्दौर) के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप प्राप्त हुये हैं ;

(ग) क्या इन्दौर और अन्य स्थानों के कपड़ा विक्रेताओं ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधिकारियों द्वारा परेशान किये जाने, अपमानित किये जाने और असहयोग पूर्ण व्यवहार के कारण राष्ट्रीय कपड़ा निगम से कपड़ा न खरीदने का निर्णय किया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है ।

(घ) राष्ट्रीय कपड़ा निगम (मध्यप्रदेश) के प्रबन्धकों के विरुद्ध पहले मिली कुछ शिकायतों की जांच की गयी थी और यह पाया गया कि सहायक निगम के अधिकारियों द्वारा कोई स्वेच्छापूर्ण तथा अनुचित कार्य नहीं किया गया था । बाद में मिली कुछ अन्य शिकायतों की जांच की जा रही है ।

**भारत में विद्युत उत्पादन**

262. **श्री परमानन्द गोबिन्दजीवाला** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में निर्धारित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) इस समय वास्तव में कितनी बिजली पैदा की जा रही है; और

(ग) बिजली का कम उत्पादन होने के क्या कारण हैं ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन)** : (क) देश में कुल प्रतिष्ठापित क्षमता युटिलिटीज में लगभग 22774.98 मेगावाट तथा नान युटिलिटीज में लगभग 2225 मेगावाट है । इसमें परमाणु विद्युत, जल-विद्युत तथा ताप-विद्युत उत्पादन शामिल हैं ।

(ख) जनवरी, 1978 में ऊर्जा के रूप में विद्युत का राज्यवार वास्तविक उत्पादन उपाबंध एक में दिया गया है ।

(ग) उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्रों के कुछ ताप विद्युत केन्द्रों में उत्पादन कम है । हाल ही में चालू किए गए कुछ ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों का लम्बी अवधि के लिए बन्द रहना तथा ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों को जबरन बन्दी की उच्च दर सामान्य रूप से कम उत्पादन के मुख्य कारण हैं ।

**विवरण**

**जनवरी, 1978 में देश में ऊर्जा का उत्पादन**

(सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में)

| राज्य | ताप-विद्युत | परमाणु विद्युत | जल-विद्युत | जोड़ |
|---|---|---|---|---|
| **उत्तरी क्षेत्र** | | | | |
| दिल्ली . . | 264 | — | — | 264 |
| हरियाणा . . . | 23 | — | — | 23 |
| पंजाब . . . | 70 | — | 34 | 104 |
| जम्मू और कश्मीर . . | 3 | — | 21 | 24 |
| हिमाचल प्रदेश . . | — | — | 8 | 8 |
| उत्तर प्रदेश . | 611 | — | 331 | 942 |
| राजस्थान . . | — | — | 170 | 170 |
| भाखड़ा | — | — | 527 | 527 |
| ब्यास | — | — | 109 | 109 |
| **पश्चिमी क्षेत्र** | | | | |
| गुजरात | 628 | — | 132 | 760 |
| मध्य प्रदेश . | 467 | — | 66 | 533 |
| महाराष्ट्र . | 776 | 73 | 549 | 1471 |
| **दक्षिणी क्षेत्र** | | | | |
| तमिलनाडु . | 396 | — | 401 | 797 |
| कर्नाटक . | — | — | 404 | 404 |
| आंध्र प्रदेश . | 285 | — | 207 | 492 |
| केरल . | — | — | 404 | 404 |
| **पूर्वी क्षेत्र** | | | | |
| बिहार . . . | 200 | — | 4 | 204 |
| दामोदर घाटी निगम . | 424 | — | 10 | 434 |
| उड़ीसा . . | 39 | — | 206 | 245 |
| पश्चिम बंगाल . . | 398 | — | 5 | 403 |
| **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र** . | 45 | — | 21 | 66 |
| **अखिल भारत** . . . | 4629 | 73 | 3609 | 8311 |



6—1189 LSS/77

**लघु क्षेत्र के उद्योगों को संरक्षण देने के बारे में भट्ट समिति की सिफारिशें**

263. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु क्षेत्र के उद्योगों को संरक्षण देने के सम्बन्ध में कुछ वर्ष पूर्व सरकार को भट्ट समिति ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, उसकी मुख्य सिफारिशें क्या थीं ;

(ख) क्या भट्ट समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी; और

(ग) भट्ट समिति की मुख्य सिफारिशों पर सरकार के क्या विचार हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती)** : (क) भट्ट समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थीं :—

(1) लघु उद्योग विकास अधिनियम, प्रतिबन्धित सहभागिता अधिनियम, लघु उद्योग आरक्षण अधिनियम लघु सहायक उद्योग अधिनियम; और सरकारी भण्डार खरीद एवं निपटान अधिनियम जैसे अधिनियमों का अधिनियम करना ।

(2) सांख्यकी एकत्रित करने, कच्चे माल की पूर्ति करने और आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के क्षेत्रों में सम्वर्धनात्मक अथवा संरक्षणात्मक कानून बनाना ।

और

(3) अत्यन्त छोटे एककों को खासतौर से बिक्री कर, उत्पादन शुल्क, ब्याज दर और किराया खरीद की शर्तों के क्षेत्र में अधिमान्य रियायतें प्रदान करना ।

(ख) भट्ट समिति का प्रतिवेदन, यदि आवश्यक होगा तो उचित समय आने पर सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ग) भट्ट समिति की सिफारिशों पर अभी सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

**जिन कर्मचारियों को सेंट्रल वहीकल डिपो, दिल्ली छावनी से वाहन अलाट किये गये थे उनको सुरक्षा देने के बारे में संसद् सदस्यों की ओर से शिकायतें**

264. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें दिसम्बर, 1977 में संसद-सदस्यों की ओर से शिकायतें मिली हैं, जिनमें उन कर्मचारियों को सुरक्षा देने का आरोप लगाया गया है जिन्हें इन विशिष्ट शर्तों पर वाहन अलाट किये गये थे कि वे उनका स्वयं उपयोग करेंगे तथा तीन वर्ष से पहले उन्हें बेचेंगे नहीं परन्तु उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली "इंटक" यूनियन के दबाव में आकर सेंट्रल वहीकल डिपो दिल्ली छावनी के नियमों का उल्लंघन करके वाहनों को काले बाजार में बेच दिया; और

(ख) यदि हां, तो जांच के लिये क्या मुद्दे दिए गए, पहली शिकायत की प्राप्ति की तिथि क्या है; अन्य शिकायतें कब मिली तथा जांच कब आरम्भ की गई ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :** (क) जी हां। एक शिकायत मिली थी।

(ख) जांच के लिये दिया गया विषय है कि व्यक्ति ने वाहन खरीदने के तीन वर्ष के अन्दर ही आवंटित वाहन बेच दिया है। पहली शिकायत सितम्बर 1974 में प्राप्त हुई थी और परवर्ती शिकायतें 6 सितम्बर, 1975, 16 अप्रैल, 1976 और 30 सितम्बर 1976 को प्राप्त हुई थी।

उस व्यक्ति को केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियमावली के अन्तर्गत 14 जून 1977 को आरोप-पत्र दिया गया था। अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रगति पर है।

RAISING AGE LIMIT FOR RECRUITMENT TO GOVERNMENT JOBS

265. SHRI O. P. TYAGI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) Whether Government are of the view that the age limit prescribed for candidates for recruitment by U.P.S.C. and for other Government jobs/public appointments is irrational and against the interest of the students of rural areas where proper arrangements do not exist for education at proper time;

(b) if so, whether Government propose to raise the existing age limit; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a), (b) & (c). No. Sir. Age limits for recruitment to Central Services/posts are prescribed from time to time keeping in view diverse factors and specially having regard to the qualifications and experience required for that service/post. The basic objective is to ensure that Government is able to secure the services of persons at an age most suited for the service/post concerned.

GENERATION OF POWER DURING FIFTH PLAN AND SIXTH PLAN

*266. SHRI DHARMA SINHBHAI PATEL : Will the Minister of ENERGY be pleased be state :

(a) the total estimated megawatt power generation in the country, Statewise, at the end of Fifth Five Year Plan;

(b) the megawatt power out of it generated during the Fifth Five Year Plan; and

(c) whether any State-wise target for power generation has been set for the Sixth Five Year Plan and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) & (b). The Fifth Five Year Plan had envisaged an addition of 12500 MW to the installed generating capacity in the country during the period 1974-75 to 1978-79. The State-wise installed capacity as envisaged at the end of 1978-79 in the Fifth Plan and the installed capacity as on 15-2-1978 are given in the statement attached.

(c) The power programme and the corresponding State-wise targets in the next Five Year Plan have not yet been finalised.

## STATEMENT

State-wise Generating capacity in the country at the end of Fifth Five Year Plan (ending March, 1979) as envisaged in the Fifth Plan and Installed Generating capacity as on 15-2-1978.

(utilities only)

| Sl. No. | State | Installed capacity by the end of Fifth Five Year Plan ending March, 1979 as envisaged in the Fifth Plan* (MW) | Installed generating capacity as on 15-2-1978 @ (MW) |
|---|---|---|---|
| 1. | Andhra Pradesh | 1930·43 | 1520·43 |
| 2. | Assam | 166·50 | 166·50 |
| 3. | Bihar | 959·29 | 784·39 |
| 4. | Gujarat | 2243·60 | 1721·44 |
| 5. | Haryana | 1095·06 | 679·76 |
| 6. | Himachal Pradesh | 126·42 | 52·48 |
| 7. | Jammu & Kashmir | 207·14 | 136·98 |
| 8. | Karnataka | 1469·80 | 1144·80 |
| 9. | Kerala | 1014·60 | 1014·60 |
| 10. | Madhya Pradesh | 1336·52 | 1015·42 |
| 11. | Maharashtra | 3124·95 | 2616·37 |
| 12. | Manipur | 5·84 | 10·07 |
| 13. | Meghalaya | 128·02 | 68·02 |
| 14. | Nagaland | 3·53 | 2·02 |
| 15. | Orissa | 1143·72 | 923·12 |
| 16. | Punjab | 1587·28 | 1093·42 |
| 17. | Rajasthan | 855·82 | 648·76 |
| 18. | Tamilnadu | 2109·00 | 1764·00 |
| 19. | Tripura | 15·15 | 9·88 |
| 20. | Uttar Pradesh | 3501·84 | 2758·99 |
| 21. | West Bengal | 1703·46 | 1385·00 |
| 22. | D.V.C. | 1621·50 | 1301·50 |
| 23. | Central Govt. Projects | 2493·00 | 1646·00 |
| | *U. Ts.* | | |
| | (a) Delhi | 297·00 | 297·00 |
| | (b) Chandigarh | 2·48 | 2·48 |
| | (c) Pondicherry | — | — |
| | (d) Rest | 7·78 | 11·57 |
| | TOTAL : | 29149·71 | 22774·98 |

Note : The installed capacity of jointly owned projects have been divided between partner States as per their share.

*Figures do not allow for retirements/deratings in capacity after 31-3-1974.

@Figures allow for actual retirements/deratings in capacity beyond 31-3-1974.

OFFICERS SUSPENDED IN GUJARAT TO REMOVE UNTOUCHABILITY

267. SHRI DHARMA SINHBHAI PATEL : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of Sarpanches, Dy. Sarpanches, Talatimantri, Police Patel etc. suspended in the State of Gujarat District-wise during 1976-77 and 1977-78 so far under provisions relating to Protection of Civil Rights in order to remove untouchability;

(b) the grounds taken into consideration for suspension; and

(c) the number out of them against whom cases were filed in the courts and the number of them awarded punishment ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a), (b) & (c). Information is being collected from the Government of Gujarat and will be laid before the House.

SCHEME FROM GUJARAT RE-GENERATION OF POWER BASED ON LIGNITE IN KUTCH

*268. SHRI DHARMA SINHBHAI PATEL : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether Gujarat Government have submitted to Central Government a power plant scheme based on lignite in Kutch for the generation of electricity;

(b) if so, when;

(c) the quantum in megawatt and the expenditure to be incurred thereon; and

(d) the action taken so far or proposed to be taken by Government in regard thereto ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) Yes, Sir.

(b) December, 1977.

(c) The capacity of the thermal station proposed is 2 units of 55 MW each i.e. 110 MW. The estimated cost is Rs. 56.50 crores.

(d) The proposal is under examination in the Central Electricity Authority for techno-economic appraisal.

**पटसन उद्योग की समस्यायें**

269. **श्री उग्रसेन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने हाल में पटसन उद्योग की समस्याओं और मिलों की वर्ष भर कच्चे पटसन की सप्लाई सुनिश्चित करने के बारे में बातचीत की थी जिससे, उद्योग तथा श्रमिक, दोनों के हित सुरक्षित किये जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती)** : (क) और (ख) उद्योग मंत्री ने 12 जनवरी, 1978 को कलकत्ता का दौरा किया था और जूट उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में पश्चिम बंगाल, सरकार, पटसन उद्योग, मजदूर संघों के प्रतिनिधियों के साथ अनेक बैठकें की। इन बैठकों में मुख्यतः निम्नलिखित विषयों पर विचार किया गया था।

(1) अल्पकाल में कच्चे पटसन की उपलब्धि तथा जमा भंडारों की खोज निकालने के लिए आवश्यक अभ्युपाय।

(2) पटसन उद्योग के सुझाव पर पटसन उद्योग में उत्पादन कटौती लागू करना तथा श्रमिकों पर उसका प्रभाव।

(3) उत्पादकों को लाभदायक प्रतिफल के सुनिश्चय के साथ-साथ मिलों को कम मूल्यों पर कच्चे पटसन के पर्याप्त संभरण के लिए भारतीय पटसन निगम की भूमिका।

**लद्दाख में परिवहन तथा संचार सुविधाएं**

270. **श्रीमती पार्वती देवी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लद्दाख में परिवहन तथा संचार के साधनों में सुधार करने हेतु सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) :** केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषण की जाने वाली नियोजित 1103 कि० मी० की सड़कों में से अब तक 1050 कि० मी० की सड़कें बन चुकी हैं। राज्य सरकार सड़कों का राज्य योजनाओं के रूप में भी विकास कर रही है और 1976-77 और 1977-78 में 128.36 लाख रुपये खर्च हुआ बताया गया है।

जहां तक सड़क परिवहन का संबंध है, राज्य सरकार ने कई कार्य किए बताये गये हैं जिनमें लद्दाख के अन्दर परिचालन के लिए लदाखियों को यात्री गाड़ी परमिट जारी करना, लद्दाख में यात्री परिवहन के लिए राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा 12 बसों का रख-रखाव, निजी गाड़ियों के रूप में चलाने के लिए 18 सार्वजनिक गाड़ियों और 40 जीप गाड़ी टैक्सियों को लाइसेन्स जारी करना और श्रीनगर और लेह के बीच चलाए जाने के लिए 43 जीप टैक्सियों के लिए परमिट देना शामिल है।

**जम्मू और काश्मीर में उद्योगों का संवर्धन**

271. **श्रीमती पार्वती देवी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण औद्योगिक परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत जम्मू और काश्मीर राज्य में उद्योगों के संवर्धन एवं विकास के लिये क्या उपाय किये गये है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती) :** केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण औद्योगिक परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत जम्मू तथा काश्मीर के अभी तक 4 जिले अर्थात अनन्तनाग, बारामूला, डोडा तथा कठुआ कार्यक्रम के अन्तर्गत आये हैं। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को परियोजना के स्थापित करने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम और सामान्य सुविधा सेवा केन्द्रों जैसी संवर्धनात्मक योजनाओं की व्यवस्था करने पर हुए पूरे व्यय के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है। राज्य सरकार को ऋण के रूप में भी सहायता दी जाती है ताकि परियोजना क्षेत्रों में उद्योग शुरू करने के लिए उद्यमियों को बहुत कम ब्याज दर पर ऋण दिया जा सके।

**SELF-SUFFICIENCY IN MISSILES**

272. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of DEFENCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2050 on the 30th November, 1977 and state :

(a) the time to be taken in attaining self-sufficiency in the matter of missiles for our armed forces and the details of the action yet to be taken in attaining self-sufficiency; and

(b) when India hope to achieve self-sufficiency in guerilla warfare ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHER SINGH) : (a) Some of the rockets/missiles in use by our Armed Forces are already being produced in the country. Efforts continue to be made to produce missiles for the certain major and specific areas of application selected by the Armed Forces. The programme will include the development and production of associated sophisticated communication and radar systems. The action being taken to achieve this target is to step up the infrastructure for research and development and for production in a phased manner. The time frame for this phase is expected to be about 7 to 10 years, although being an area of highly sophisticated technology, the time frame can only be considered as a very rough estimate. However, to achieve self-sufficiency in all areas of application of missiles based on the needs of the Armed Forces and in relation to the components and sub systems needed for such systems will take a longer time.

(b) Instructions in guerilla warfare are imparted to officers, JCOs and Other Ranks at some of our training establishments. However, greater emphasis is given to counter insurgency operations as this is more relevant to us.

## DEMAND FOR RELEASE OF POLITICAL DETENUS IN NAGALAND

273. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 567 on the 16th November 1977 and state :

(a) whether some political parties have demanded the release of all political detenus in Nagaland;

(b) if so, the reaction of Government thereto;

(c) the number of persons arrested in Nagaland, Mizoram, Meghalaya and other adjoining States in connection with anti-national activities during the last three years; and

(d) the nature of cases filed against them and the number of persons out of them, who have been released so far ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a), (b), (c) & (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

## NEWSPRINT QUOTA TO 'AVANTIKA' DAILY

274. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether the daily circulation of 'Avantika' a daily from Ujjain is 1500 copies at present whereas newsprint quota supplied to it is for 10,000 copies; if so, whether Government propose to conduct an on-the-spot check of all types of its parcels; and

(b) whether the daily gets its newsprint quota through a Bombay agency and again sells a large quantity of this newsprint through this agency; if so, the quota of newsprint allotted to them in 1974-75, 1975-76, 1976-77 and 1977-78, year-wise and the quantity of newsprint sold by it through this agency ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) Government have assessed the circulation of 'Avantika' at 2000 copies as on 5th July 1977, against the claimed circulation of 5342 copies per publishing day for the year 1976. Newsprint entitlement for the current licensing year has been worked out accordingly.

(b) Government works out the entitlement of newsprint for newspapers. Releases are through the State Trading Corporation or NEPA Mills. Government does not issue authorisations to private agencies for lifting of newsprint on behalf of any newspaper. The following allotment was made to the paper :

| | |
|---|---|
| 1974-75 | 15 Metric Tonnes |
| 1975-76 | 10 —do— |
| 1976-77 | 35 —do— |
| 1977-78 | 21,48 —do— |

PURCHASE OF COTTON BY TEXTILE INDUSTRY CORPORATION IN M.P.

275. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the names of parties from whom cotton has been purchased during last three years year-wise by the Textile Industry Corporation, Madhya Pradesh, the quantity and the value thereof from which places this cotton was purchased and whether it is a fact that more amount was paid by the corporation even after the fixation of price at which the cotton was to be purchased; if so, whether Government will inquire to ascertain full facts of the matter;

(b) whether such incidents have come into the notice of Government where the same quality of cotton was not supplied as was shown in the sample by certain parties and firms; if so, the number of such incidents which came into light and whether suppliers with the conclusion of officers of the Corporation have obtained approval for their stock; and

(c) whether Government propose to introduce the practice of purchasing goods by tenders to eliminate these malpractices ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) to (c). The reference is perhaps to the National Textile Corporation (M.P.), Indore. Information in respect of seven nationalised mills under this Subsidiary is being collected and would be furnished.

कलकत्ता गोदी श्रमिक संघ की मांग

276. **श्री मोहम्मद हयात अली :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता गोदी श्रमिक संघ ने मांग की है कि कलकत्ता पत्तन न्यास नौभरक फर्मों को अपने अधिकार में ले,

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) इस बारे में अंतिम निर्णय कब तक किया जाएगा ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) :** (क) सरकार को संघ से ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

ANOMALIES IN THE PAY SCALES OF EMPLOYEES OF J.C.B. PRESS AND GOVERNMENT OF INDIA PRESS

277. SHRI MAHI LAL : Will the Minister of DEFENCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1210 on 23rd November 1977 regarding anomalies in the pay scales of employees of J.C.B. Press and Government of India Press and state :

(a) whether any final decision has since been taken in the said matter; and

(b) if so, the details thereof, and if not, the reasons for inordinate delay in this matter pending since 1974?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) No, Sir.

(b) The disparities in the pay scales of Reader Grade I and Copy Holder in the Reading Branch of the Joint Cipher Bureau have existed before and after the award of the Third Pay Commission. The matter, needed examination in the context of similar posts in other Ministries and hence the delay. A decision on the subject is, however, expected to be reached soon.

**समुद्र से नमक**

278. **श्री धर्मवीर वशिष्ट** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार समुद्र महासागर से नमक तथा अन्य मुख्य रसायन निकालने के लिये, विशेष कर पोटाश, ब्रोमाइन तथा आयोडीन प्रासेस करने के लिए क्या प्रयास कर रही है; और

(ख) तटवर्ती नगरों में ताजे पेय जल की कमी तथा महंगी सप्लाई को देखते हुए समुद्रीजल को लवण-रहित बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती)** : (क) केंद्रीय सरकार ने एक अध्ययन दल का गठन किया है जो विभिन्न रसायनों के उत्पादन में नमक के उपयोग के बारे में अध्ययन करेगा एवम् अपनी रिपोर्ट देगा । आशा है कि यह अध्ययन दल अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करेगा ।

(ख) तटवर्ती नगरों को समुद्र के पानी के खारेपन को दूर करके पीने के पानी की पूर्ति करने हेतु कोई प्रस्ताव केंद्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

**राष्ट्रीय राज मार्गों पर विश्राम गृह**

279. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नई परिवहन नीति के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर विश्राम गृह बनाने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) इन विश्राम गृहों के निर्माण का कार्य कब तक हाथ में लिया जाएगा, और

(घ) प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग पर कितनी लागत से कितने विश्राम गृह बनाने का प्रस्ताव है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

**भारत पम्पस एण्ड कम्प्रैसर्स लिमिटेड द्वारा किया गया उत्पादन**

280. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पम्पस ऐंड कम्प्रैसर्स लिमिटेड ने वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77, वर्षवार किन-किन कितनी-कितनी और कितने-कितने मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन किया ;

(ख) 1977–78 में कितनी-कितनी वस्तुओं का उत्पादन करने का विचार है और अब तक उनमें कितनी कितनी वस्तुओं का वास्तविक उत्पादन किया गया है तथा कितना उत्पादन अभी किया जाना है और शेष उत्पादन सम्भवत: कब तक हो जायेगा और यदि उत्पादन होने की संभावना नहीं है तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या 1978-79 में उन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य-मंत्री (कुमारी आभा मयती)** : (क) 1974–75, 1975–76 तथा 1976–77 के उत्पादन से संबंधित सूचना निम्नलिखित विवरण में दी गई है :—

| मद | 1974–75 | | 1975–76 | | 1976–77 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा नग | मूल्य (करोड़ रु०) | मात्रा नग | मूल्य (करोड़ रु०) | मात्रा नग | मूल्य (करोड़ रु०) |
| सैंट्रीफ्यूगल पम्प | 3 | 0.07 | 13 | 0.12 | 83 | 1.33 |
| रेसीप्रोकेटिंग पम्प | 4 | 0.38 | 16 | 0.89 | 12 | 1.63 |
| रेसीप्रोकेटिंग कम्प्रैसर्स | 7 | 1.27 | 21 | 3.15 | 31 | 4.15 |
| गैस सिलेंडर | — | — | — | — | 2997 | 0.29 |
| कार्य प्रगति/समोयोजन | — | 0.61 | — | 0.71 | — | 0.35 |
| योग | | 2.33 | | 4.87 | | 7.75 |

(ख) 1977–78 के उत्पादन से संबंधित सूचना निम्नलिखित विवरण में दी गई है :—

| मद | लक्ष्य 1977—78 | | जनवरी, 1978 तक वास्तविक | | 1977–78 के लिए शेष | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा नग | मूल्य (करोड़ रु०) | मात्रा नग | मूल्य (करोड़ रु०) | मात्रा नग | मूल्य (करोड़ रु०) |
| सैंट्रीफ्यूगल पम्प | 51 | 1.06 | 21 | 0.37 | 30 | 0.69 |
| रैसीप्रोकेटिंग पम्प | 42 | 5.67 | 31 | 3.95 | 11 | 1.72 |
| रेसीप्रोकेटिंग कम्प्रेसर | 6 | 1.77 | 5 | 1.20 | 1 | 0.57 |
| गैस सिलेंडर | 12,800 | 1.47 | 8945 | 1.12 | 3855 | 0.35 |
| कुल मूल्य | | 9.97 | | 6.64 | | 3.33 |

बी० पी० सी० एल० को 1977–78 का उत्पादन लक्ष्य पूरा कर लेने की आशा है।

(ग) जी, हां । 1978–79 के लिये लगभग 14.3 करोड़ रुपए के मूल्य का अस्थाई उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है । जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

| मद | मात्रा | मूल्य (करोड़ रु०) |
|---|---|---|
| सैंट्रीफ्यूगल पम्प | 121 | 2.16 |
| रेसीप्रोकेटिंग पम्प | 30 | 5.04 |
| रेसीप्रोकेटिंग कम्प्रेशर | 21 | 4.55 |
| गैस सिलेंडर | 22,500 | 2.56 |
| योग | | 14.31 |

POLICE OFFICERS OF DELHI BELONGING TO S.C. AND S.T.

281. SHRI UGRASEN
SHRI MOHAN LAL PIPIL : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6028 on the 3rd August 1977

(a) the number and percentage of the Police employees and officers belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes among the total police employees and officers in the Delhi Police separately for each category who are posted in various districts of Delhi Police, Police Stations, and the Traffic branches and those who have been given non-district postings;

(b) the reasons for heavy postings of Scheduled Caste and Scheduled Tribe people on non-district posts;

(c) whether it is a fact that Scheduled Castes and Scheduled Tribes Police Officers in Delhi are being discriminated in matters of promotions and postings; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to remove this disparity and discrimination ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) and (b). A statement giving the requisite information is attached. Some of the personnel who are shown as serving in non-district postings have earlier served in districts.

[Placed in Library. See No. L.T. 1564/78]

(c) and (d). Postings in different units are made strictly on the basis of capability and experience of the person and the requirements of that unit. No discrimination is made on the basis of caste or creed whether be it for postings or promotions. Efforts are always made to give proper representation to Scheduled Castes and Scheduled Tribes communities and the rules laid down in this regard are observed strictly. However, in spite of best efforts posts reserved for Scheduled Castes/Scheduled Tribes could not be filled up because of non-availability of adequate number of candidates. Candidates belonging to these communities are being sent for training in the Intermediate/Upper School Course out of turn so as to fill up the reserved vacancies.

## 26 जनवरी 1978 को दिल्ली सेंट्रल जिले में अपराध

282. श्री उग्रसेन
श्री मही लाल
श्री मोहन लाल पिपिल
श्री चतुर्भुज
श्री कल्याण जैन
श्री राम कवार बेरवा
: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26, जनवरी, 1978 को दिल्ली पुलिस के सेंट्रल जिले में थाना वार, अलग-अलग, दंगे, छुरेबाजी, चोरी, राहजनी, मकानों पर पत्थर फेंके जाने आदि की कितनी घटनाएं हुई तथा इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्तियों ने हौज काजी थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली गली कुंडेवालान में एक मकान पर पथराव किया था और बगीची तनसुखराम, चौक शाह मुबारक में एक व्यक्ति को छुरा घोंप कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त दो घटनाओं में, अलग-अलग, कितने व्यक्ति अन्तग्रस्त थे। उनमें से कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा कितने व्यक्ति फरार थे तथा स्थानीय पुलिस ने फरार व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए या कार्यवाही की है; और

(घ) उक्त क्षेत्र में कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की जान तथा माल और महिलाओं की इज्जत की रक्षा करने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) अपेक्षित सूचना का विवरण संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 1565/78] ।

(ख) तथा (ग) 26-1-1978 को श्री गंगाविशन 767 गली कुंडेवालान हौज काजी के निवासी ने सूचना दी कि सांय 5 बजे श्री मोहनलाल तथा अन्य व्यक्तियों ने उसको घूंसों से मारा तथा उसके मकान की तरफ कुछ ईंटों के टुकड़े भी फैंके । एक मामला देखिए प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 64, भा० द० स० की धारा 147/148/149 के अधीन उसी दिन दर्ज किया गया था और जांच-पड़ताल की गई । 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है ।

26-1-1978 को थाना हौजकाजी के क्षेत्राधिकार में छुरेबाजी की कोई घटना नहीं हुई । किन्तु एक मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 65 दिनांक 26-1-1978 भा० द० स० की धारा 324 के अधीन थाने में दर्ज किया गया था क्योंकि श्री साधू राम नामक व्यक्ति को शराब की एक बोतल मांगने के विवाद पर माथे पर खाली बोतल मारी गई । इस मामले में दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ।

(घ) स्थानीय पुलिस क्षेत्र के बदमाशों पर कड़ी निगरानी रख रही है तथा विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यकता होने पर रोक-थाम के उपाय किये जाते हैं ।

**मसौदा छठी योजना/अनवरत योजना/वार्षिक योजना को अन्तिम रूप में तैयार किया जाना**

283. **श्री पी० जी० मावलंकर**
**श्री दुर्गाचन्द**
**श्री विजय कुमार मलहोत्रा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मसौदा छठी पंचवर्षीय योजना अथवा उक्त अवधि के लिए एक अनवरत योजना अथवा उक्त अवधि के प्रथम वर्ष के लिए एक वार्षिक योजना अन्तिम रूप से तैयार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इसे संसद् तथा भारतीय जनता के समक्ष कब पेश किया जाएगा; और

(ग) जिस दिशा में सरकार द्वारा अग्रसर होने की भी कल्पना की गई है, उस बारे में संकेत क्या हैं तथा किन बातों पर बल दिया गया है ?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क), (ख) तथा (ग) योजना आयोग अगली पंच वर्षीय योजना (1978--83) की रूपरेखा का प्रारूप तैयार करने में लगा हुआ है जिस पर राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में विचार किए जाने का प्रस्ताव है, यह बैठक 18 मार्च, 1978 को होने की संभावना है । 1978—79 की वार्षिक योजना, अर्थात अगली योजना के पहले वर्ष के लिए अभ्यास पूर्ण कर लिए गए हैं और इनका विस्तृत ब्यौरा वर्ष के बजट प्रस्तावों के साथ दिनांक 28 फरवरी, 1978 को संसद् में प्रस्तुत किया जायेगा ।

**राज्यों में कोयले का संकट**

284. **श्री पी० जी० मावलंकर**
**श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में अनेक राज्य कोयले के संकट से प्रभावित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार उक्त स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन)** : (क) व (ख) चालू वित्तीय वर्ष में कोयले की कोई कमी नहीं रही है । फिर भी, कभी कभी कुछ उपभोक्ताओं ने पर्याप्त मात्रा में कोयले की सप्लाई न होने की शिकायत की है । चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर के महीने तक उपभोक्ताओं को की गई कोयले की सप्लाई, गत वर्ष की इसी अवधि में किए गए कोयले की सप्लाई से लगभग 3.8 मिलियन टन अधिक रही है ।

(ग) कोयले के उत्पादन में कुछ कमी, इंडियन एक्सप्लोसिज लि० की गोमिया फैक्टरी में हुई हड़ताल की वजह से विस्फोटक पदार्थों की कमी, मानसून के दिनों में भारी वर्षा, बिजली की सप्लाई में बाधा तथा औद्योगिक अशांति के कारण हुई । परन्तु पिछले कुछ महीनों में कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है और कोयले का खान मुहाना स्टाक बढ़ गया है ।

### सी० आई० ए० की गतिविधियां

285. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 दिसम्बर, 1977 के "पैट्रियट" समाचार पत्र में "सी० आई० ए० हैड न्यूजपेपर्स इन आल दी कपिटलस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) क्या सी० आई० ए० की ऐसी देश विरोधी गतिविधियों में कोई भारतीय समाचार एजेंसी अथवा समाचार पत्र, पत्रिका अथवा ऐसे समाचार माध्यमों का कोई कर्मचारी अन्तग्रस्त पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कितनी एजेंसियां विदेशों से सहायता लेती पायी गई हैं और इसका ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) यद्यपि सरकार के पास, किसी भारतीय समाचार एजेंसी अथवा समाचार पत्र अथवा पत्रिका अथवा उनके कर्मचारियों का सी० आई० ए० के साथ ऐसे किसी संबंध की कोई सूचना नहीं है, तो भी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित को दृष्टि में रखकर, विदेशी गुप्तचर संगठनों की गतिविधियों के संबंध में आवश्यक निगरानी रखी जा रही है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

### भारत के परमाणु बिजली संयंत्रों को भारी जल की सप्लाई के बारे में ठेका

286. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के परमाणु बिजली संयंत्रों को भारी जल की सप्लाई के बारे में भारत और सोवियत रूस के बीच दिसम्बर, 1977 के अन्तिम सप्ताह में एक और ठेके पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संयंत्रों के लिए सोवियत रूस द्वारा पहले की गई सप्लाई में कुछ रुकावट पाई गई थी; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) तथा (ख) सितम्बर 1976 में सोवियत रूस की सरकार की एक फर्म मैसर्स टैक्सनाबएक्सपोर्ट तथा भारत सरकार के बीच 200 मीटरी टन भारी पानी की सप्लाई के बारे में एक संविदा पर हस्ताक्षर हुए थे तथा उसमें से 55 मीटरी टन भारी पानी वर्ष 1976 में प्राप्त हुआ था। भारी पानी की शेष 145 मीटरी टन मात्रा, जो कि सन् 1977 तथा 1978 में विभिन्न चरणों में सप्लाई की जानी थी, की कीमत तथा डिलीवरी की शर्तें तय की जानी थीं। सोवियत संघ द्वारा भारत सरकार को सप्लाई की जाने वाली भारी पानी की मात्रा पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की सेफगार्ड व्यवस्था लागू होनी थी। इसलिये, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के बीच बातचीत हुई तथा नवम्बर, 1977 में एक करार पर हस्ताक्षर किये गये। तदुपरांत, भारी पानी की दूसरी किश्त, जो कि शेष 145 मीटरी टन में से दी जानी थी के मूल्य तथा डिलिवरी की शर्तें मैसर्स टैक्सनाबएक्सपोर्ट के साथ तय की गई और अब 70 मीटरी टन भारी पानी की सप्लाई के बारे में एक करार हो गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**दिल्ली परिवहन निगम के किराये में वृद्धि**

287. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रतिदिन आने-जाने वाले व्यक्तियों के किराए में वृद्धि करने संबंधी दिल्ली परिवहन निगम की मांग स्वीकार कर ली है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या इस वृद्धि का निम्न आय वाले जनसाधारण की आर्थिक स्थिति पर कोई प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, और

(घ) यदि हां, तो इस बुरे प्रभाव को किस प्रकार रोका जायेगा ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम)** : (क), (ख), (ग) और (घ) : दिल्ली परिवहन निगम के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

**बिजली घरों के सुधार के लिये विद्युत् उत्पादन करने वाले अधिकारियों का सम्मेलन**

288. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा**
**श्री आर० बी० स्वामीनाथन**
**श्री के० मायातेवर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विद्युत उत्पादन की नई योजनाएं बनाने तथा विद्यमान बिजली घरों में सुधार के लिए राज्यों के विद्युत मंत्रियों का पूर्ण सम्मेलन आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या लक्ष्य की प्राप्ति तथा अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के वितरण की रीति लिए राज्य बिजली बोर्डों का सहयोग भी मांगा गया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यों ने इसे किस प्रकार स्वीकार किया है तथा उनके द्वारा राज्यवार एवं लागतवार कितनी नवीकरण सहायता मांगी गई है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन)** : (क) जी हां ।

(ख) जनवरी, 1978 में हुए राज्यों के विद्युत मंत्रियों के उपरोक्त सम्मेलन में विद्युत क्षेत्र के विकास से संबंधित मूलभूत मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था तथा अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए । राज्यों के मंत्रियों ने, अन्य बातों के साथ-साथ भविष्य में भार-मांग में होने वाली वृद्धि को पूरा करने के लिए देश में प्रतिष्ठापित क्षमता में वृद्धि करने के महत्व पर जोर दिया और नई क्षमताचालू करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों के बीच सम्यक् समन्वय तथा परियोजनाओं को चालू करने के लिए उच्चस्तरीय मानिटरिंग की आवश्यकता पर बल दिया । विद्युत मंत्री इस बात पर सहमत थे कि प्रतिष्ठापित क्षमता से उत्पादन में सुधार करने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अधीन एक कार्य-बल, जिसमें राज्य के प्रतिनिधि शामिल होंगे, वर्ष 1978–79 के लिए एक कार्यक्रम तैयार करेगा इस प्रकार की कार्यवाही हर वर्ष एक बार की जाएगी ।

(ग) और (घ) : विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन से पहले राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ था । इस सम्मेलन ने भी कई सिफारिशें की थीं । विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को तथा राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों के सम्मेलन की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है जिसके लिए राज्य प्राधिकारियों का सहयोग और सहभागिता मांगी जा रही है ।

इसके पहले 1977 के उत्तरार्ध में ताप विद्युत केंद्रों का प्रत्येक यूनिट की समीक्षा करने के बाद, 14 ताप विद्युत केंद्रों, जिनमें 31 यूनिटें हैं, का दौरा करने के लिए परियोजना नवीकरण दल गठित किए गए थे । पांच ऐसे यूनिटों पर जहां कि यनिटों का आयोजित

बन्द का प्रबंध करना संभव हुआ है, यह नवीकरण कार्य शुरू किया जा चुका है और शेष जिन 26 यूनिटों के नवीकरण कार्यों के लिए संयंत्र को बंद करने की आवश्यकता नहीं है उनके संबंध में सामग्री आयोजन का कार्य हाथ में ले लिया गया है और ये कार्य कार्यान्वियन के विभिन्न चरणों में है ।

INDULGING IN MALPRACTICES BY THE CHAIRMAN, BOARD OF DIRECTORS, JAIPUR UDYOG LIMITED

289. SHRI M. A. HANNAN ALHAJ : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether it is fact that Chairman, Board of Directors, Jaipur Udyog Limited has been indulging in malpractices and he has recently been arrested in Delhi; and

(b) if so, what were the allegations against him and what punishment has been awarded to him ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) and (b) The facts of the case are being ascertained by the Company from the Court and the information will be laid on the table of the House.

INTERIM REPORT OF SHAH COMMISSION

290. SHRI M. A. HANNAN ALHAJ : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have received the interim report of Shah Commission: and

(b) if so, the particulars of the persons against whom prosecution proceedings have been initiated on its basis so far ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRIDHANIK LAL MANDAL) (a) No Sir.

(b) Does not arise.

**आदिवासी लोगों की स्थिति**

291. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
**श्री जी० एम० बनतवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 फरवरी, 1978 के हिंदुस्तान टाइम्स के सम्पादकीय की ओर गया है, जिसमें यह कहा गया है कि देश की आदिवासी जनता के लिए पिछले 30 वर्षों में कुछ भी नहीं किया गया है और आदिवासियों की आज जो स्थिति है, वह 1950 में आर्थिक योजना शुरू होने के समय से बदतर है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले की जांच के लिए सरकार का एक जांच आयोग गठित करने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) जी, हां श्रीमान ।

(ख) कोई जांच आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है । सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जा रहा है ।

**देश में बईमान "नान-कान्फ्रेंस लाईन" अनेमी**

**292. श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
**श्री जी० एम० वनतालवा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बेईमान 'नान-कांफ्रेस लाइन" अनेमी नौवहन चालकों के खतरे से निपटने के लिए कोई कार्यवाही की है,

(ख) क्या यह भी सच है कि ये 'फ्लाइ' बाईनाइट चालक, जो घटिया किस्म के पोतों का प्रयोग करते हैं, भाड़े में रियायत का प्रलोभन देकर निर्यातकर्ताओं को आकर्षित कर लेते हैं और अन्तोगत्वा उनको ठग लेते हैं चूंकि वे आम तौर पर गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचते वल्कि विभिन्न केंद्रों पर वस्तुओं को नीलाम कर देते हैं, और

(ग) इस संबंध में तथ्य क्या हैं तथा क्या कार्यवाही करने के विचार है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम)**: (क), (ख) और (ग) : कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई कि कुछ गैर-सम्मेलन विदेशी जहाजों द्वारा वहन किए गए पोतलदान अपने घोषित गन्तव्य स्थानों पर नहीं पहुंचे । देश में वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार हमारे पोतवणिक किसी भी नौवहन कंपनी के द्वारा माल भेज सकते हैं । हमारे पत्तन भी अन्तर्राष्ट्रीय नौवहन के लिए खुले है । इसलिए, यह पोतवाणिकों का ही काम है कि वे उन विदेशी जहाजों, जिनके बारे में पूर्ववृत पूरी तौर से ज्ञात न हों; को संरक्षण देने से पहले अधिक सावधानी बरतें ।

**चन्द्रगुप्त जहाज का डूबना**

**293. श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
**श्री जी० एम० वनतवाला**
**श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी**
**श्री अहमद एम० पटेल**
**श्री प्रद्युम्न बाल :**
**श्री सी० एन० विश्वनाथन**
**श्री शंकर सिंह जी बाघेला**
**श्री राम कवार बेरवा**
**श्री रामानन्द तिवारी**
: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1978 के महीने में प्रशान्त महासागर में भारतीय नौवहन निगम का चन्द्रगुप्त नामक जहाज डूब गया था,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या करण थे,

(ग) क्या यह भी सच है, कि प्रशान्त महासागर जैसे विशाल और तूफानी समुद्र में यात्रा करने के लिए जहाज पूर्णतः सज्जित नहीं था,

(घ) उन व्यक्तियों के नाम और संख्या क्या है, जिनकी उस जहाज में जानें गई और जहाज के साथ डूब जाने वाले 69 व्यक्तियों के प्रत्येक परिवार को कितना मुआवजा दिया गया अथवा देने का प्रस्ताव है,

(ङ) इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, और

(च) क्या यह भी सच है, कि चन्द्रगुप्त जहाज पर सवार अनेक व्यक्तियों के माता-पिता ने दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए उक्त मामले में न्यायिक जांच किये जाने की मांग की है और यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) :** (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) और (च) : अनुमान है कि भारतीय नौवहन निगम का व्यापार पोत चन्द्रगुप्त 69 व्यक्तियों सहित जनवरी, 1978 में प्रशान्त महासागर में डूब गया है। कर्मीदल के माता-पिता/संबंधियों से न्यायिक जांच करवाने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। केन्द्रीय सरकार ने व्यापार पोत अधिनियम, 1958 की धारा 361 और 358 की उपधारा (1) के खण्ड (3) के साथ पठित धारा 360 के अधीन इस समुद्री दुर्घटना की औपचारिक जांच कराने के आदेश दिए हैं। बंबई के अतिरिक्त चीफ मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट श्री ए० सी० जी० वेलकर जहाज के कथित लापता होने की जांच करेंगे। जांच के परिणामों से उन परिस्थितियों का शायद कुछ पता चल सकेगा जिन में समुद्री दुर्घटना हुई और ऐसे उपायों का भी जो ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए सरकार को करने चाहिए। एक विवरण संलग्न है जिसमें जहाज पर सवार व्यक्तियों के नाम दिए गये हैं और नियमों के अधीन मुआवजा की देय राशि भी दी गई है। परन्तु भारतीय नौवहन निगम ने यह निर्णय कर दिया है कि देय मुआवजा की राशि किसी भी हालत में 50000 रु० से कम न हो।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सख्या एल० टी 1566/78)

### बड़ौदा स्थित भारी जल (हैवी वाटर) संयंत्र की मरम्मत पर लागत

294. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
**श्री अहमद एम० पटेल**
**श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 3 दिसम्बर, 1977 को एक गम्भीर विस्फोट के कारण क्षतिग्रस्त हुये बड़ौदा स्थित भारी जल संयंत्र की मरम्मत पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ख) इसकी मरम्मत पर कितना समय लगेगा; और

(ग) क्या इस भीषण दुर्घटना के बारे में जांच पूरी हो गई है, और यदि हां, तो उक्त जांच सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) सभी प्रभावित उपकरणों की जांच का काम पूरा न हो सकने के कारण मरम्मत पर आने वाले खर्च का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है। विस्फोट के परिणामस्वरूप हुई उस क्षति का, जो बाहर से दिखाई देती है, केवल देखकर निरीक्षण करने से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि उपकरणों की मरम्मत/उन्हें बदलने पर लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपये खर्च होंगे।

(ख) यदि किसी बड़े उपकरण को बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, तो यह संयंत्र मार्च 1979 के अन्त तक उत्पादन करने लगेगा।

(ग) जांच समिति से प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदन के अनुसार, विस्फोट का कारण अमोनिया-शाम्रक असैम्बली की वलनी के एक टुकड़े का खराब होना था। अन्तिम रिपोर्ट विस्तृत जांच-कार्य के समाप्त हो जाने पर प्राप्त होने की आशा है।

**पंजाब में हेडवर्क्स के नियंत्रण की मांग**

295. **श्री कंवर लाल गुप्त**
**श्री महेंन्द्र सिंह सैंयावाला** } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पंजाब के मुख्य मंत्री की ओर कोई पत्र मिला है जिसमें हैडवर्क्स के नियंत्रण के बारे में केन्द्र की मांग को अस्वीकार किया गया है;

(ख) क्या इस मामले में प्रधान मंत्री ने भी पंजाब के मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखा है;

(ग) पंजाब के मुख्य मंत्री की ओर से सरकार को प्राप्त पत्र में क्या लिखा है; और

(घ) इस मामले में केंद्रीय सरकार के पत्र पर पंजाब के मुख्य मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन)** : (क) से (घ) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 79(1)(ग) में की गई अपेक्षाओं के अनुसरण में, भारत सरकार ने रोपड़, हरिके तथा फिरोजपुर हैडवर्क्स भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड को अन्तरित कर दिए हैं। पंजाब के मुख्य मंत्री ने इस अन्तरण के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है। पंजाब के मुख्य मंत्री को सूचित कर दिया गया है कि ये आदेश उपर्युक्त अधिनियम के संबंधित उपबंधों के अनुपालन में हैं।

**राजनीतिक दलों द्वारा तिरंगे झंडे से बहुत अधिक मिलते-जुलते झंडों का प्रयोग**

296. **श्री कंवर लाल गुप्त**
**श्री विजय कुमार मलहोत्रा**
**श्री सौगत राय**
**श्री यज्ञदत्त शर्मा**
**श्री राघवजी**
: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने विधि मंत्रालय को ऐसे विधेयक का प्रारूप तैयार करने को कहा है जिसके द्वारा राजनीतिक दलों की तिरंगे झंडे से बहुत अधिक मिलते-जुलते झंडों का प्रयोग करने से रोका जाये;

(ख) यह विधेयक कब तक पुरःस्थापित किया जायेगा ; और

(ग) इस प्रश्न पर कांग्रेस पार्टी द्वारा किये गये विरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) से (ग) तक इस संबंध में निर्णय अभी लिया जाना है ।

**कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास**

297. **श्री कंवर लाल गुप्त**
**श्री सी० एम० विश्वनाथन**
: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए गत 3 मास में क्या विशिष्ट उपाय किये गये हैं;

(ख) सरकार द्वारा इस बारे में गत 3 मास में किये गये प्रयासों के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या यह सच है कि बड़े उद्योगपति उद्योगों में नयी पूंजी निवेश नहीं कर रहे हैं; और

(घ) देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

**उद्योग मंत्रालय राज्य मंत्री (कुमारी आभा महती)** : (क) और (ख) 23 दिसम्बर, 1977 को औद्योगिक नीति संबंधी एक विवरण सभा पटल पर रखा गया था । इसमें जैसा कि उसमें बताया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे नगरों में विस्तृत रूप से फैले कुटीर तथा लघु उद्योगों के प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया

गया है । 500 से अधिक वस्तुओं को शामिल करने के लिए केवल लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची का भी विस्तार किया गया है । विवरण से इस बात का भी पता चलता है कि अत्यन्त छोटे क्षेत्र के एककों की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा तथा विशेष रूप से लघु क्षेत्र के अत्यन्त छोटे एककों के साथ-साथ सीमांत धन राशि उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं बनाई जायेंगी । विवरण के पैरा 9 से 11 में वे संवंनात्मक उपाय बताये गए हैं जिन्हें सरकार इस मामले में करना चाहती है । विवरण के अनुसार अब कई कदम उठाएं गए हैं जिनमें ये शामिल हैं :—

(1) केवल लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित 504 वस्तुओं की एक सूची की घोषणा की गई थी तथा जिसकी एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर पहले ही रखी जा चुकी है ।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यन्त छोटे एककों की सहायता करने के लिए सीमांत/मूल धन राशि की व्यवस्था हेतु राज्य सरकारों को लगभग 4 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की जा चुकी है ।

(3) विवरण में अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक जिले में केवल एक ही जगह पर लघु तथा ग्रामीण उद्यमियों द्वारा अपेक्षित सभी सेवाएं तथा समर्थन देने के लिए जिला उद्योग केंद्र स्थापित करने की व्यवस्था भी की गई है । जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना करने के लिए एक कार्यक्रम बनाने की दृष्टि से राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया गया था और उन्होंने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है । इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा विस्तृत योजनाएं तैयार की जा रही हैं ।

(4) राज्य हथकरघा विकास निगमों को शेयर पूंजी सहायता दी जाने के लिए राज्य सरकारों को 135 लाख रु० का ऋण दिया गया है ताकि निगम देश में हथकरघा बुनकरों द्वारा उत्पादित हथकरघे की वस्तुओं की अधिक खुदरा बिक्री की जा सकें ।

(5) देश में हथकरघा सहकारी समितियों को दिये जाने वाले ऋण को सुप्रवाही बनाने के लिए हथकरघा सहकारी समितियों के प्रबन्ध तकनीकों में कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण का प्रबन्ध करने हेतु वेकुंट मेहता राष्ट्रीय सहकारिता संस्थान, पुणे के लिए 1 लाख रु० का अनुदान मंजूर किया गया है ।

(6) देश में हथकरघा सहकारी समितियों को दिये जाने वाले ऋण को सुप्रवाही बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की हथकरघा वित्त योजना के कार्य की संवीक्षा करने हेतु एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया है ।

(7) सहकारिता क्षेत्र से बाहर वाले हथकरघा बुनकरों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से मिलने वाले ऋण में वृद्धि करने के लिए हथकरघा राज्य निदेशकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रतिनिधियों के चार क्षेत्रीय सम्मेलन दिसम्बर, 1977 तथा जनवरी, 1978 में हुए थे । सम्मेलनों के परिणाम

उत्साहवर्द्धक थे तथा सहकारिता क्षेत्र से बाहर के हथकरघा बुनकरों को वित्तीय सहायता देने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उदार रुख अपनाया ।

फिर भी कुटीर तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए किये गये अभ्युपायों का क्या प्रभाव पड़ा इसका अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता ।

(ग) कुटीर तथा लघु उद्योगों के संवर्द्धन का मध्यम तथा बड़े उद्योगों के संवर्द्धन के साथ कोई टकराव नहीं है । इन उद्योगों में पूंजी निवेश जारी हैं ।

(घ) पावर, ईंधन, आयातित तथा स्वदेशी कच्चे माल और अन्य निविष्ट साधनों की अधिक मात्रा में व्यवस्था करने के लिए विभिन्न अभ्युपाय किये जा रहे हैं । जिससे अधिष्ठापित क्षमता के साथ औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी । उद्यमियों को नई उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए तथा उन्हें सुप्रवाही बनाने की दृष्टि से औद्योगिक लाइसेंसीकरण, विदेशी सहयोग, पूंजीगत माल का आयात, कच्चे माल आदि से संबंधित प्रक्रिया की जांच की जा रही है ।

## दूर भेदी विमान

298. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारी वायु सेना में दूर भेदी विमानों की कमी है;

(ख) इस प्रकार के विमानों की खरीद के लिए सरकार कब से प्रयास कर रही है;

(ग) इस प्रकार के विमानों की खरीद अब तक क्यों नहीं की गई है;

(घ) इस प्रकार के विमान की खरीद पर मूलतः कितनी धनराशि खर्च की जानी थी और अब उसकी खरीद के लिए कितनी धनराशि का उपयोग करना पड़ेगा; और

(ङ) क्या खरीद करने में विलम्ब होने के बारे में सरकार ने उत्तरदायित्व निर्धारित किया है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :** (क) भारतीय वायुसेना के दूर तक मार करने वाले विमान आधुनिक हवाई रक्षा की दृष्टि से अनुपयुक्त और पुराने हो गए हैं । इसलिये उनके स्थान पर नए विमान लाने की आवश्यकता है ।

(ख) और (ग) दूर तक मार करने वाले पुराने विमानों को बदलने के प्रश्न पर 1972 से विचार हो रहा है । इस कार्य पर ऊंची लागत आने और वित्तीय कठिनाइयों के कारण पुराने विमानों को ही काम में लाया जाता रहा है और दूर तक मार करने वाले नए विमान अभी तक नहीं खरीदे जा सके ।

(घ) चूंकि नए विमान खरीदने के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है इसलिये इस पर आने वाले खर्च को बताने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) भाग (ख) और (ग) के उत्तरों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

**संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिसम्बर, 1977 में आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा**

299. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिसम्बर, 1977 में आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा में अंग्रेजी माध्यम के पब्लिक स्कूलों तथा गैर-अंग्रेजी माध्यम के अन्य स्कूलों के कितने छात्र, पृथक-पृथक, रूप से बैठे ;

(ख) दोनों ही श्रेणियों के पृथक-पृथक रूप से कितने कितने प्रतिशत अभ्यर्थी सफल हुए; और

(ग) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा के निरन्तर रूप से अंग्रेजी माध्यम के कारण यदि पब्लिक स्कूलों के सफल अभ्यर्थियों की प्रतिशतता अन्य श्रेणी के स्कूलों की तुलना में अधिक हो तो आर्थिक कारणों से उत्पन्न होने वाली अवसरों की असमानता को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी । चूंकि राष्ट्रीय रक्षा अकदामी में प्रवेश के लिए चयन करने के लिए उम्मीदवारों से अभ्यावेदन संघ लोक सेवा आयोग मंगाता है इसलिए इस संबंध में सूचना भी आयोग द्वारा दी जायेगी ।

**सीमेंट का मूल्य 20 रुपये प्रति टन बढ़ाया जाना**

300. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम्** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमेंट उद्योग को सीमेंट का मूल्य 20 रुपयें प्रति टन बढ़ाने की अनुमति दे दी है ।

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा और कारण क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा की गई इस कार्यवाही से गैर सरकारी सीमेंट उत्पादनों को कुल कितना लाभ होने का अनुमान है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती)** : (क) से (ग) सार्वजनिक निर्माण के कार्य तथा कृषि उद्योग और मकानों में इस्तेमाल के लिये अधिक मांग होने के कारण सीमेंट की सप्लाई में कमी हो गई थी । आंन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में आये तूफानों से हुए विध्वंस के कारण मरम्मत के लिए भी पर्याप्त मात्रा में सीमेंट की आवश्यकता पड़ी थी । अत: सरकार ने इस अतिरिक्त मांग को पुरा करने के लिये लगभग 10 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का आयात करने की अनुमति देने निश्चय किया था । चूंकि देश में बनाई गई सीमेंट की लागत की अपेक्षा आयातित सीमेंट की तटागत लागत अधिक है, इसलिए सरकार ने 7 जनवरी, 1978 से गन्तव्य स्थान तक रेलपर्यन्त नि:शुल्क सीमेंट के मूल्य में 17 रुपये प्रतिमीट्रिक टन वृद्धि करके मूल्यों कर दिया है ताकि स्थानीय करों को मिलाकर फुटकर मूल्य प्रतिमीट्रिक टन 20 रुपयें अथवा प्रति बोरी : रुपये से अधिक न बढ़ने पाये

चूंकि कारखाने से चलते समय अथवा सीमेंट के संधारण मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए गन्तव्य स्थान तक रेलपर्यन्त नि:शुल्क मूल्य में हुई इस वृद्धि से सीमेंट निर्माताओं को कोई भी लाभ नहीं मिला है :

### बोकारो इस्पात संयंत्र को कोयले की सप्लाई

301. **श्री समर मुखर्जी : क्या ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जनवरी, 1978 के बिजनेस स्टेंडर्ड कलकत्ता में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बोकारो इस्पात संयंत्र को घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई किये जाने के कारण धमन-भट्टी के बन्द हो जाने की आशंका है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में आवश्यक जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) इस्पात संयंत्रों को पर्याप्त मात्रा में कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन :** (क) जी हां ।

(ख) से (घ) : सरकार ने मामले की जांच की है । कठारा वाशरी में कुछ गड़बड़ी होने के कारण बोकारो इस्पात कारखाने को कुछ ऐसा कोयला भेजा गया जिसमें राख का अंश अधिक था । तकनीकी गड़बड़ी को अब दूर कर दिया गया है और धुले कोयले की किस्म बहुत सुधर गई है। सभी कोयला वाशरियों के उत्पादन पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है ताकि इस्पात मिलों को सप्लाई किए जाने वाले धुले कोयले का अपेक्षित स्तर बना रहे । इस्पात मिलों को सप्लाई किए जाने वाले कोयले के लिए विभिन्न स्तरों पर किस्म नियंत्रक उपाय अपनाए गए हैं ।

### PROBE INTO WORKING OF TRANSPORT UNITS OF DOORDARSHAN

302. SHRI RAM PRASAD DESHMUKH : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 522 dated the 16th November 1977 and state :

(a) the stage of departmental proceedings being conducted against each of the officers of the Transport units of Doordarshan; and

(b) what penalty has been imposed on each of the officers on the basis of the departmental proceedings ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) As stated earlier in reply to the Unstarred Question referred to, the disciplinary action against one non-gazetted official has been completed. Proceedings against the remaining eight officials are under process.

(b) The penalty of reduction to the next lower rank has been imposed on the non-gazetted official referred to above.

**सीमेंट एककों को प्रोत्साहन**

303. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम् : क्या उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान क्षमता के उपयोग को बढ़ाने हेतु सीमेंट एककों की सहायता करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती) :** (क) तथा (ख) विद्यमान क्षमता के उपयोग को बढ़ाने हेतु सीमेंट एककों की सहायता करने के लिये उन्हें प्रोत्साहन देने संबंधी प्रस्ताव की सरकार द्वारा जांच की जा रही है :

**द्रुत आर्थिक विकास के लिये विदेशी पूंजी निवेश**

304. **श्री आर० कोलनथाइवेलु : क्या उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्रुत आर्थिक विकास के लिए विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति देने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा अपनाई गई नीति क्या है; और

(ख) निकट भविष्य में जिस विदेशी पूंजी के निवेश की अनुमति देने का विचार है उसका ब्यौरा क्या है और किस प्रकार के उपायों में विदेशी सहयोग लिये जाने की संभावना है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती) :** (क) तथा (ख) विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति के बारे में सरकार की नीति चयनात्मक है। विदेशी निवेश की अनुमति केवल उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, निर्यातोन्मुख उद्यमों तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों में जहां पर विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात आवश्यक समझा गया है अथवा राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, दी जाती है।

विदेशी निवेश के प्रस्तावों पर ऊपर दी गई नीति के अनुसार विचार किया जायेगा ।

**सोवियत संघ के परमाणु शक्ति चालित उपग्रह का खण्डित होना**

305. **श्री आर० कोलनथाइवेलु**
**श्री के० मायातेवर** } **क्या परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में सोवियत संघ के परमाणु शक्तिचालित उपग्रह के खंडित हो जाने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और ऐसे उपग्रहों से मानवता को क्या हानियां हो सकती है ; और

(ख) रिएक्टर-युक्त उपग्रहों पर प्रतिबंध लगवाने के बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) तथा (ख) कनाडा के सीमा क्षेत्र में सोवियत संघ के उपग्रह के खंडित होने के बारे में भारत सरकार को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अतिरिक्त कोई अन्य जानकारी नहीं है। किसी प्रमाणित सूचना के अभाव में इस दुर्घटना के प्रभाव के बारे में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना संभव नहीं है।

**आकाशवाणी, त्रिवेन्द्रम में भ्रष्टाचार**

306. **श्री के० ए० राजन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह इस वर्ष जनवरी में केरल में तीन दिवसीय दौरे पर गये थे ;

(ख) यदि हां तो क्या आकाशवाणी के त्रिवेन्द्रम केन्द्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में केरल के कुछ स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर त्रिचूर में 'मीट दि प्रेस, कार्यक्रम में एक संवाददाता ने उनका ध्यान आकर्षित किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या केरल के उक्त आकाशवाणी केन्द्र के सम्पूर्ण कार्यों में पूरी जांच कराने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) :** (क), (ख) और (ग) : जी, हां। 'मीट दि प्रेस' कार्यक्रम में संवाददाताओं को यह आश्वासन दिया गया था कि यदि विशिष्ट आरोप ध्यान में आए तो उनकी जांच की जाएगी और उन पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

(घ) जी, नहीं। तथापि प्राप्त शिकायतों की जांच की जा रही है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**अग्रणी कपड़ा मिलों द्वारा कपड़े के मूल्य में वृद्धि करना**

307. **श्री के० ए० राजन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अग्रणी कपड़ा मिलों ने हाल ही में कपड़े के मूल्यों में वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह मूल्य वृद्धि सरकार की मंजूरी लेकर की गई है ;

(घ) यदि हां, तो मूल्यों में वृद्धि की अनुमति देने संबंधी ब्यौरा तथा कारण क्या है ; और

(ङ) यदि भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है, तो ऐसी मिलों के विरुद्ध जिन्होंने मूल्यों में वृद्धि की है, क्या कार्यवाही की गई है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती) :** (क) से (ङ) आर्थिक सलाहकार द्वारा संकलित किए गये कपड़े के (मिलक्षेत्र) थोक विक्रय मूल्य के सूचकांक में जनवरी 1977 से जनवरी 1978 के बीच 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नियंत्रित कपड़ा योजना के अधीन वस्त्रों के अलावा अन्य कपड़ों पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है। अतएव सरकार द्वारा मूल्यों में वृद्धि किये जाने की अनुमति न देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**नारियल जटा उद्योग का पुनर्गठन करने के लिये 30 करोड़ रुपये की योजना**

308. **श्री के० ए० राजन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नारियल जटा उद्योग का पुनर्गठन और उसका विकास करने के लिए केरल सरकार की 30 करोड़ रुपये की एक नई योजना के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने उक्त योजना को वित्तीय सहायता देने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती) :** (क) से (घ) जी नहीं। पांचवी योजना की अवधि के लिए, राज्य सरकार ने 41.72 करोड़ रुपये के परिव्यय से एकीकृत कथर विकास योजना का प्रस्ताव तैयार किया है। योजना आयोग के परामर्श पर 15 करोड़ रुपये का परिव्यय पर्याप्त समझा गया, जिसमें राज्य योजना का 12 करोड़ रुपये का आबंटन तथा केन्द्र से 3 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता भी शामिल है। बाद में विचार विमर्श के पश्चात् केन्द्रीय सहायता की राशि बढ़ाकर 4.31 करोड़ रुपये कर दी गई। केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत आंबटित निधि राज्य को दी जा चुकी है।

**सहायक एककों के विकास के लिये समय-बद्ध योजना**

309. **श्री के० ए० राजन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कहा है कि वे सहायक एककों के विकास के लिए एक ठोस समय-बद्ध योजना तैयार करें ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके अनुरोध के कोई उत्साहवर्धक परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती) :** (क) से (ग) उद्योग मंत्री ने हाल ही में 12 जनवरी, 1978 के पत्र द्वारा घोषित औद्योगिक नीति वक्तव्य से उत्पन्न कतिपय महत्वपूर्ण विषयों की ओर उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों का ध्यान आकर्षित किया है। इस पत्र में उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों को अन्य बातों के साथ साथ परामर्श दिया गया है कि वे सहायक एककों का विकास करने के लिये एक ठोस एवं समयबद्ध योजना बनाये। अभी इसके परिणाम आंकना समयपूर्व होगा।

**पंजाब सरकार द्वारा पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पंजाब में मिलाने के लिये अनुरोध**

310. **श्री चित्त बसु :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पंजाब में मिलाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई कार्यवाही आरम्भ की गई है; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :** (क) भारत सरकार को इस संबंध में पंजाब सरकार से कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ग्रामीण विद्युत् सहकारिताओं को वित्तीय सहायता**

311. **श्री चित्त बसु :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विद्युत सहकारिताओं को प्रोत्साहन देना तथा उनकी वित्तीय सहायता करना है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) :** (क) जी हां।

(ख) निगम को वित्तीय सहायता से आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य में एक-एक अर्थात् कुल 5 पाइलट ग्राम विद्युतीकरण सहकारी समितियां 1969 में स्थापित की गई थीं। इसके अलावा, निगम ने सात नई ग्राम विद्युतीकरण सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। इनमें दो आंध्र प्रदेश में, और एक-एक बिहार, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान में हैं। इन सहकारिता समतियों के लिए 22.98 करोड़ रुपए की ऋण सहायता स्वीकृत की गई है।

कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को राज्य सरकारों ने भी अपने अपने राज्यों में एक अथवा इससे अधिक नई ग्राम विद्युतीकरण सहकारी समितियां स्थापित करने का निश्चय किया है।

**प्रेस आयोग की स्थापना**

312. **श्री चित्त बसु**
**श्री बसन्त साठे** } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरे प्रेस आयोग की स्थापना में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) प्रस्तावित आयोग के निर्देश पदों का ब्यौरा क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) :** (क) और (ख) दूसरे प्रैस आयोग के गठन के बारे में अन्तिम निर्णय शीघ्र ही ले लिए जाने की उम्मीद है।

**अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कार्यालय से स्थानान्तरण**

313. **श्री भगत राम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के कार्यालय में परेशान किये जाने के कारण अनेक अनुसूचित जातियों के अधिकारियों का अन्य विभागों में स्थानान्तरण हो गया था या उन्होंने स्वयं ही अन्य विभागों को स्थानान्तरण करवा लिया था ; और

(ख) उन्हें न्याय देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और उक्त मामले में सरकार का क्या भावी सुरक्षा प्रदान करने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :** (क) जी नहीं श्रीमान । 1976 से किसी अनुसूचित जाति के अधिकारी को स्थानान्तरित नहीं किया गया है। गत चार वर्षों के दौरान अर्थात् 1973 से अक्टूबर, 1976 तक, छः अनुसूचित जाति के अधिकारी निम्नलिखित आधारों पर स्थानान्तरित किए गए थे —

1973 एक अधिकारी को पदोन्नत्ति पर स्थानान्तरित किया गया।

1974 एक अधिकारी को उसके अनुरोध करने पर स्थानान्तरित किया गया।

1975 दो अधिकारियों को प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरित किया गया।

1976 एक अधिकारी को अच्छे वेतनमान पर और दूसरे को उसके अनुरोध पर स्थानान्तरित किया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की अदायगी**

314. **श्री भगत राम**
**श्री ईश्वर चौधरी** } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता सेनानियों से पेंशन के लिए अब तक कितने आवेदन पत्र मिल चुके हैं;

(ख) ऐसे कितने व्यक्तियों को पेंशन मिल रही है; और

(ग) कितने आवेदकों के मामले विचाराधीन हैं तथा उसके क्या कारण हैं,

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :** (क) 31-1-1978 तक स्वतन्त्रता सेनानियों से 2,47,481 आवेदन-पत्र पेंशन की मंजूरी के लिये प्राप्त हुये हैं।

(ख) 1,16,290 मामलों में पेंशन मंजूर कर दी गई है।

(ग) केन्द्रीय सरकार के पास कोई आवेदन पत्र प्रारम्भिक जांच के लिये लम्बित नहीं पड़ा है।

GRADES OF EMPLOYEES OF SAINIK SCHOOLS

315. SHRI BHAGAT RAM
SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether the grades of employees of Sainik Schools have not been revised since 1961;

(b) whether the recommendations of the Third Pay Commission report are not applicable to this society like other autonomous bodies under the Central Government;

(c) whether the service conditions of Sainik School employees are not the same as those of other employees of Autonomous Bodies under the Central Government and they do not get retirement benefits like pensions and medical facilities and whether their dearness pay is not merged into basic pay for calculating the Provident fund; and

(d) whether the Sainik School society has appointed committees of principals of Sainik Schools to get recommendations of the High Power Commission appointed in December 1975 implemented ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) Yes.

(b) Yes. However, the employees of Sainik Schools have been sanctioned additional instalments of dearness allowance at the same rates as Central Government employees.

(c) Yes. The conditions of service of these employees are governed by the Rules and Regulations of the Sainik Schools Society which is a registered body under the Societies Registration Act XXI of 1860. The employees are covered by the Contributory Provident Fund Scheme and the teachers of the Sainik Schools are entitled to free food in the school mess, free furnished accommodation, free domestic consumption of electricity to a specified extent and free medical consultation and medicines for minor ailments from the school dispensary. A Contributory Medical Scheme is proposed to be introduced in these schools. The employees are not entitled to pension.

These employees do not get dearness pay and their Provident Fund Contributions are calculated on the basis of their basic pay alone.

(d) No.

**भारत-पाक संघर्ष का विवरण लिखने संबंधी परियोजना**

316. **श्री भगत राम** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाक संघर्ष का एक लोकप्रिय विवरण लिखने के लिए एक विशेष परियोजना मार्च, 1977 में एक सेना अधिकारी को दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है और परियोजना पूरी होने की सम्भावित तारीख क्या है; और

(ग) अब तक उक्त परियोजना पर वस्तुतः कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह)** : (क) से (ग) 1971 के भारत-पाक संघर्ष का विवरण लिखने का कार्य एक सेवानिवृत सैनिक अधिकारी को सौपने का मार्च 1973 में निर्णय किया गया क्योंकि इस कार्य को किसी प्रसिद्ध लेखक को सौंपने के लिए किए गए प्रयासों में सफलता नहीं मिली थी। उस समय यह विचार था कि यह कार्य शायद छः मास में पूरा कर लिया जाएगा। अपने इस कार्य के संबंध में उक्त सेवानिवृत अधिकारी

ने सरकार की मंजूरी पर पूर्वी क्षेत्र का दौरा किया जिस पर 1,223.50 रुपए खर्च आया। परन्तु निर्धारित अवधि में कार्य पूरा नहीं कर सका। उस लेखक को संबंधित सूचना, प्रमुख रिकार्ड और युद्ध संबंधी रिपोर्ट नहीं दी जा सकी क्योंकि वे वृहदाकार में थीं और उनका अभी संकलन तैयार किया जा रहा है और उनकी सुरक्षा, राजनैतिक तथा अन्य दृष्टियों से जांच की जा रही है। इस परियोजना में इसके बाद आगे कोई प्रगति नहीं हुई।

रक्षा मंत्रालय का इतिहास अनुभाग सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समय पर 1971 के संघर्ष का इतिहास प्रकाशित करेगा।

### इलेक्ट्रानिक घड़ियों का निर्माण करने के लिये लाईसेंस दिया जाना

317. **श्री डी० डी० देसाई:** क्या इलैक्ट्रानिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस देश में इलेक्ट्रानिक घड़ियों का निर्माण करने के लिए लाइसेंस न देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पश्चिमी देशों में ऐसी घड़ियां बनाकर उन्हें प्रति घड़ी 10 डालर मूल्य पर बेचा जाता है और यह कीमत और कम होकर प्रति घड़ी 5 डालर हो सकती है;

(ग) यदि हां, तो क्या इलेक्ट्रानिक घड़ियों का निर्माण करने की अनुमति न देने के निर्णय का उद्देश्य सरकार की वामित्व वाली एच० एम० टी० की यांत्रिक घड़ी निर्माण को संरक्षण देना है;

(घ) क्या सरकार यह भी जानती है कि इलेक्ट्रानिकी घड़ी टैक्नोलोजी ने यांत्रिक घड़ियों को अनावश्यक और अपव्ययपूर्ण बना दिया है क्योंकि इसमें प्रति एकक अधिक सामग्री का उपयोग होता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) यद्यपि देश में खपत के लिए आशयित इलेक्ट्रानिक घड़ियों के निर्माण के लिए फिलहाल बड़े उद्योगों को औद्योगिक लाइसेंस/लघु उद्योगों को अनुमोदन प्रदान किए जा रहे हैं तथापि इस नीति पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

(ख) सरकार को इस बात का पता है कि अमेरिका में इलेक्ट्रानिक घड़ियां इतनी सस्ती हैं कि वहां एक घड़ी 10 डालर में ही मिल जाती है, मूल्यों में आगे जो और कमी की जाती है वह ऐसी किस्म की वस्तुओं पर है जिन्हें घटिया समझा जाता है।

(ग) यह निर्णय इस तथ्य के आधार पर लिया गया है कि आजकल इलेक्ट्रानिकी घड़ियों के लिए जिन चार मूलभूत पुर्जों अर्थात् क्रिस्टल, बैटरी, डिसप्ले तथा बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ (एल० एस० आई० सी०) मौड्यल की आवश्यकता होती है वे फिलहाल भारत में नहीं बनाए जाते। आज अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों का निर्माण केवल इसी आधार

पर किया जा सकता है कि इन संघटक पुर्जों का कुल कितनी माला में आयात किया जाता है और हमारे देश में केवल उन को पैक करने उनका परीक्षण करने तथा बेचने का ही कार्य किया जा सकता है। यह स्थिति उसके ठीक विपरीत है जो यांत्रिक घड़ियों के निर्माण के मामले में अपनाई जाती है। यांत्रिक घड़ियों के निर्माण की विशेषता यह है कि इसमें लगभग सभी पुर्जों को एक ही स्थान पर बनाया जाता है।

(घ) यांत्रिक घड़ियों के निर्माण के लिए विदेशी उद्योग पहले से ही मौजूद है, तथा उसका विस्तार किया जा रहा है। अगले कुछ वर्षों में, यांत्रिक घड़ियां बहुत अधिक माला में उपलब्ध होने लगेंगी। यांत्रिक घड़ियों के उत्पादन में इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के उत्पादन की अपेक्षा अधिक श्रम उन्मुख प्रौद्योगिकी (टेक्नालाजी) की आवश्यकता होती है और इसलिए अधिक रोजगार के अवसर मिलते हैं। इलेक्ट्रानिकी घड़ियों की प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप न तो भारत में और न ही विदेशों में यांत्रिक घड़ियों का उत्पादन अनावश्यक होगा। यह अनुमान लगाया गया है कि अब से पांच वर्ष तक दुनिया में यांत्रिक किस्म की घड़ियों का अनुपात (50% से अधिक तथा संभवतः 70% तक) काफी बढ़ा होगा।

(ङ) सरकार इलेक्ट्रानिक घड़ियों के निर्माण के लिए आवश्यक मूलभूत पुर्जों का देश में ही उत्पादन करने का प्रयास करती रही है, क्रिटलों, डिस्प्ले तथा बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथों के संबंध में प्रगति हो रही है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों का निर्माण करने की नीति और इसे उसमें लगने वाले अनिवार्य मूलभूत संघटक पुर्जों के उत्पादन के संदर्भ में योजनाबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने की नीति पर और यांत्रिक घड़ियों के उत्पादन के प्रश्न पर इस समय पुनर्विचार किया जा रहा है।

### गुजरात में विद्युत् उत्पादन की लागत

318. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि गुजरात में विद्युत उत्पादन लागत देश में अधिकतम है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) :** (क) किसी वर्ष में उत्पन्न बिजली की प्रति यूनिट लागत अनेक बातों पर निर्भर करती है जैसे संयंत्र की मूल लागत, ब्याज की दर और ईंधन की लागत। ईंधन की लागत भी ईंधन की किस्म पर अथवा कोयले के मामले में, केन्द्र को कोयला सप्लाई करने वाली कोयला खान से विद्युत केन्द्र की दूरी और वर्ष के दौरान उत्पन्न ऊर्जा की माला पर निर्भर है। उत्पन्न ऊर्जा भी अनेक अन्य बातों पर निर्भर है। 1975-76 के संबंध में उपलब्ध सूचना से यह दृष्टव्य है कि गुजरात में विद्युत उत्पादन की लागत कुल मिलाकर देश में सबसे अधिक नहीं थी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

MISAPPROPRIATION OF LAKHS OF RUPEES IN THE DIRECTORATE OF D.M.S.R.D.E., KANPUR

319. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there was misappropriation of lakhs of rupees in the Directorate of D.M.S.R.D.E., Kanpur and some store officers who had raised their voice against it were transferred to Visakhapatnam from Kanpur by the high officials;

(b) whether it is also a fact that some such store officers, who were to retire only after twenty two months were transferred in contravention of the rules; and

(c) if so, whether Government propose to get the matter against the corrupt officers in this connection investigated by the Intelligence Bureau ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHER SINGH) : (a) and (b) There has been no misappropriation of Government stores or money in Defence Materials & Stores Research & Development Establishment, Kanpur. A Stores Officer of this Laboratory has been transferred to another Laboratory in Vishakapatnam. His transfer has been effected on administrative grounds. In effecting this transfer no contravention of rules has been made.

(c) Does not arise.

वर्ष 1978–79 के दौरान सुडामडीह खानों में कोयले का उत्पादन

321. **श्री के० प्रधानी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को वर्ष 1978-79 के दौरान अधिक कोकिंग कोल का उत्पादन करने और सुडामडीह खानों का उत्पादन स्तर बढ़ाने के लिए, ताकि इस्पात संयंत्रों को इसकी सप्लाई जारी रहे, कहा है अथवा इसका कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) :** (क) व (ख) कोककर कोयले के उत्पादन का लक्ष्य मांग के अनुसार निश्चित किया जाता है। वर्ष 1978-79 के लिए भारत कोकिंग कोल लि० का उत्पादन लक्ष्य, 1977-78 के 12.30 मिलियन टन संभावित उत्पादन की तुलना में, 15.50 मिलियन टन निश्चित किया गया है। जहां तक सुडामडीह और मोनीडीह खानों का सम्बंध है, 1978-79 के दौरान उत्पादन में वृद्धि की मात्रा 0.345 मिलियन टन तय की गई है।

पश्चिम बंगाल में चमड़ा उद्योग का विकास करने के लिये सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना

322. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुओं के उद्योगों की विकास परिषद ने चमड़ा उद्योग के अग्रेतर विकास में सहायता करने हेतु सामान्य सुविधा परिष्करण केन्द्रों की स्थापना की सिफारिश की है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल राज्य चमड़ा उद्योग विकास निगम ने राज्य व्यापार निगम के सहयोग से पश्चिमी बंगाल में सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करने की परियोजना तैयार की है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल चमड़ा उद्योग विकास निगम को सामान्य सुविधा केन्द्र के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने के आशय का आवेदन-पत्र छह महीने से अधिक समय से मंत्रालय के पास पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती)** : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) पश्चिम बंगाल में परिष्कृत चमड़ा बनाने हेतु कलकत्ता जिला स्थित बगलाडांगा रोड में एक सम्मिलित सुविधा केन्द्र के स्थापना करने के लिये पश्चिम बंगाल राज्य चमड़ा उद्योग विकास निगम को 3 फरवरी, 1978 को एक आशयपत्र जारी किया गया है।

(घ) चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुओं के उद्योगों की विकास परिषद ने तो यह सिफारिश की थी कि सम्मिलित सुविधा केन्द्रों का संचालन उत्पादन केन्द्रों की भांति न करके सेवा केन्द्रों की तरह किया जाना चाहिये। किन्तु निगम ने छोटे चमड़ा कमाने वालों के लिये सेवा सुविधा की व्यवस्था के अलावा वाणिज्यिक उत्पादन शुरु करने की अनुमति मांगी थी। सम्मिलित सुविधा केन्द्रों द्वारा परिस्कृत चमड़े का वाणिज्यिक उत्पादन किये जाने की अनमति देने के लिये विस्तृत जांच करनी जरूरी है क्योंकि इससे छोटे चमड़ा कमाने वालों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और ऐसा करने से केन्द्र की स्थापना करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। सरकार ने अब यह निश्चय किया है कि केन्द्रों का संचालन कुटीर एवं लघु एककों के हित में सेवा केन्द्रों की भांति किया जाना चाहिये न कि उन्हें सीधे ही परिष्कृत चमड़े का वाणिज्यिक उत्पादन करने में लग जाना चाहिए।

**पश्चिम बंगाल में योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता**

323. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सहायता से सम्बद्ध इस समय पश्चिम बंगाल में कुल कितनी योजनायें चल रही हैं और इन योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) कुल कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ग) अब तक कितना धन व्यय हुआ है ?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) राज्यों को उनके योजना परिव्ययों के लिए स्कीमों के आधार पर केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती। सहायता हर वर्ष एकमुश्त ऋणों और अनुदानों के रूप में अनुमोदित की जाती है।

(ख) पश्चिम बंगाल की 316.42 करोड़ रु० की 1977-78 की वार्षिक योजना की वित्त-व्यवस्था करने के लिए 82.97 करोड़ रु० को केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई थी। इसके अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशष केन्द्रीय सहायता के रूप में 3.25 करोड़ रुपये दिये गये थे।

(ग) अब तक किए गए व्यय के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

**कोयला खानों में अखिल भारतीय सवक्षण कर्मचारियों द्वारा हड़ताल**

324. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में अखिल भारतीय सर्वेक्षण कर्मचारियों की हड़ताल इस आश्वासन के आधार पर समाप्त की गई थी कि इनकी मांगों के बारे में दो महीनों के अन्दर फैसला कर लिया जायेगा;

(ख) क्या इस आश्वासन को कार्यान्वित किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सर्वेक्षण कर्मचारियों की मांगों को शीघ्रतापूर्वक हल करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) :** (क), (ख), (ग) व (घ) सर्वेक्षण कार्मिकों की हड़ताल, ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि० के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक की अपील पर 21-11-77 को वापस ले ली गई थी। इस अपील में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि सर्वेक्षण कार्मिकों की शिकायतों की जांच के लिए दो महीने के भीतर एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा। तदनुसार एक समिति गठित की गई है और आशा है कि वह शीघ्र ही अपना काम पूरा कर लेगी।

**पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्वीकृत केन्द्र राज्य संबंधों के बारे में दस्तावेज**

325. **श्री सोमनाथ चटर्जी**
**श्री समर मुखर्जी**
**श्री चित्त बसु**
: क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्र राज्य संबंधों के बारे में वह दस्तावेज प्राप्त हो गया है जिसे पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 1 दिसम्बर, 1977 को हुई उसकी बैठक में स्वीकृत किया गया था;

(ख) यदि हां, तो दस्तावेज की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या सरकार सभी राज्य सरकारों के साथ इस दस्तावेज पर किसी उचित बैठक में विचार विमर्श करेगी ताकि केन्द्र राज्य संबंधों को उचित स्वरूप प्रदान किय जा सके ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :** (क), (ख), (ग) और (घ) सरकार को पश्चिम बंगाल मंत्रिमण्डल द्वारा यथा अनुमोदित केन्द्र राज्य संबंधों के बारे एक ज्ञापन के साथ पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री का 7-12-77 का एक पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र और ज्ञापन की एक-एक प्रतिलिपि संलग्न है [परिशिष्ट क तथा ख]।

2. यह स्मरण कराना उचित होगा कि भारत सरकार द्वारा केन्द्र राज्य संबंधों के विषय को प्रशासनिक सुधार आयोग के विचारार्थ विषयों में एक अलग मद के रूप में विशेष रूप से शामिल किया गया था। प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस विषय का बड़ी गहराई से अध्ययन किया और केन्द्र-राज्य संबंधों पर अपनी रिपोर्ट (जून, 1969) में यह सिफारिश की थी कि भारत की एकता के सर्वोच्च महत्व को ध्यान में रखते हुए केन्द्र तथा राज्यों के बीच उचित तथा सद्भावपूर्ण संबंध सुनिश्चित करने के लिए किसी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केन्द्र राज्य संबंधों का नियंत्रण करने वाले संविधान के उपबंध किसी स्थिति का मुकाबला करने तथा किन्हीं समस्याओं, जो इस क्षेत्र में उत्पन्न हो सकती हैं, का समाधान करने के लिए पर्याप्त है। राज्यों के साथ परामर्श करने के बाद केन्द्र सरकार प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सिफारिश की गई सामान्य विधि से सहमत हुई थी।

3. सरकार इस प्रश्न पर कोई औपचारिक विचार गोष्ठी के लिए वर्तमान समय को उचित नहीं समझती।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सूचना एल०टी० 1567/78]

### DECLARATION OF THE ROAD CONNECTING JAIPUR WITH BHOPAL AS NATIONAL HIGHWAY

326. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether Governments of Rajasthan and Madhya Pradesh have demanded the road connecting Jaipur with Bhopal to be declared as National Highway and the action proposed to be taken by Government keeping in view the importance of the section; and

(b) the other roads that the Government of Rajasthan has suggested to be declared as National Highway ?

THE MINISTER OF SHIPPING & TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) Yes, Sir. The Government of India have not however been able to accede to the request, due to financial constraints and other priorities.

(b) Other roads suggested by the Government of Rajasthan for being declared as National Highways are indicated below :—

(i) Hodal-Dholpur Road.

(ii) Fazilka-Ganganagar-Bikaner-Nagpur-Merta-Ajmer-Bhilwara - Chittorgarh - Partapgarh-Piploda-Ratlam-Indore.

### T. V. PROGRAMMES IN JAIPUR

327. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) how Government propose to change the present trend of T.V. programmes in Jaipur; and

(b) the progress made regarding setting up a studio and to prepare programmes in Jaipur itself ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) The TV Transmitter at Jaipur has been set up as part of the SITE-ON-going scheme. Its programming is, therefore, primarily rural-oriented though some of

the programmes are of interest to urban viewers also. No change in the pattern of programming is contemplated.

(b) Programmes for the Jaipur transmitter are produced at the Base Production Centre in Delhi. A proposal to shift this Centre in Jaipur is under consideration. Its implementation will, however, depend on the priorities to be allocated by the Planning Commission.

REVIEWING OF LOCAL PROGRAMMES OF A.I.R.

328. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the arrangements made to review the people's interest in local programmes on various A.I.R. stations; and

(b) whether Government are considering any proposal to constitute Advisory Committees at local level ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) & (b) Programme Advisory Committees are attached to fulfledged programmes broadcast at the Stations. The Programme Advisory Committees are being reconstituted.

**स्कूटरों की बिक्री पर कन्ट्रोल हटाया जाना**

329. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी प्रकार के स्कूटरों की बिक्री और उनके वितरण पर हाल ही मे कन्ट्रोल हटा दिया है और यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से किया गया है; और

(ख) क्या डीलरों की मांग पर "बजाज" और "प्रिया" स्कूटरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती) :** (क) चूंकि स्कूटरों के अनेक निर्माता हैं और सैकंड़ों मेकों के स्कूटर पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं और जनता की माँग कुशलतापूर्वक पूरी करने के लिए स्कूटर उद्योग की प्रत्युत्तरदायिता और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 जनवरी, 1978 से देश में निर्मित किसी भी मेक पर वितरण तथा बिक्री नियंत्रण लागू नहीं होता है।

(ख) बजाज-150, चेतक और प्रिया स्कूटरों के संबंध में नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत जारी किए गए परमिट निर्माताओं द्वारा डिलीवरी के लिए प्रभावी बने रहेंगे। विदेशी मुद्रा भेजने की योजना के अन्तर्गत चेतक स्कूटरों का आवंटन देश में विदेशी मुद्रा भेजने पर इन स्कूटरों के जारी करने की योजना के अन्तर्गत निर्माताओं द्वारा सीधे ही किया जाता रहेगा। आशा है कि नियंत्रण हट जाने से इन मेकों के स्कूटरों की प्रतीक्षा अवधि काफी कम हो जायेगी।

**अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए लोकप्रिय प्रशासन की स्थापना**

330. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में लोकप्रिय प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह की जनता की मांग का पता है;

(ख) क्या पिछली सरकार ने कोई निर्णय किया था;

(ग) क्या सरकार ने अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में लोकप्रिय सरकार बनाने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :** (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) तथा (घ) सरकार को इस मामले में भी निर्णय लेना है ।

## सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में रक्षा उपकरणों का निर्माण

331. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों में रक्षा-उपकरणों के निर्माण के बारे में हाल ही में कोई निर्णय लिया है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस समय कितने प्रतिशत उपकरण गैर-सरकारी क्षेत्र में बनाये जाते हैं और क्या गैर-सरकारी क्षेत्र को इस दिशा में भविष्य में प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :** (क) और (ख) सरकार की यह नीति रही है कि रक्षा उपस्करों और स्टोरों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए रक्षा विभाग की फैक्टरियों के सार्वजनिक क्षेत्र और सार्वजनिक उपक्रमों को मजबूत किया जाए और मुख्यतया उन्हीं पर निर्भर रहा जाये तथा साथ ही जो मदें सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों में नहीं बनाई जा रही हैं अथवा जिन मदों के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है उनके उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र की उपलब्ध क्षमता तथा सामर्थ्य का उपयोग किया जाए ताकि आयातित उपस्करों और स्टोरों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने की आवश्यकता को कम किया जा सके ।

रक्षा उपस्करों में निजी क्षेत्र का अंशदान नगण्य है और उसमें मुख्यतः उपकरण, सब-एसम्बली अथवा अलग अलग स्टोरों की आवश्यकता की अन्य मदें आती हैं ।

## दो निलम्बित वरिष्ठ सिविल अधिकारियों की बहाली

332. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दो वरिष्ठतम सिविल अधिकारियों, सर्वश्री वोहरा तथा अग्रवाल के निलम्बन के मामलों में आगे कोई जांच, छानबीन आदि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त दोनों सिविल अधिकारियों ने स्वयं अपने आप अथवा प्रधानमंत्री/गृह मंत्री के निदेश पर अपने बचाव में कोई लिखित स्पष्टीकरण/वक्तव्य दिये हैं;

(ङ) सरकार को उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) क्या सरकार का विचार उक्त दोनों वरिष्ठतम अधिकारियों को अनिश्चितकाल तक निलम्बित करने का है अथवा क्या सरकार का विचार निलम्बन आदेशों को रद्द करने और उक्त दोनों वरिष्ठ सिविल अधिकारियों को सरकारी सेवा में बहाल करने का है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :** (क) जिन मामलों के सम्बन्ध में सर्वश्री बी० बी० वोहरा और एस० एम० अग्रवाल को निलम्बित किया गया था, उनमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच का कार्य चल रहा है ।

(ख) इस स्तर पर ब्यौरों का प्रकट किया जाना जांच के हित में नहीं होगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) सरकार को इस मामले में इन दो अधिकारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ङ) तथा (च) यह निर्णय करने में लोकहित एक मार्गदर्शक कारक होता है कि क्या किसी ऐसे अधिकारी को, जिसके विरुद्ध किसी आपराधिक आरोप में जांच चल रही हो, निलम्बित रखा जाए अथवा नहीं, और इन दो मामलों में से प्रत्येक में कोई भी निर्णय सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए, उसके गुणावगुण पर लेना होगा । अभ्यावेदनों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

**मृत सशस्त्र सेना कर्मचारियों के आश्रितों को रियायतें**

333. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेना के ऐसे कर्मचारियों, जिनकी मृत्यु युद्ध में न होकर अन्य कारणों से होती है, के आश्रितों को पुनर्वास के लिए प्लाट या मकानों के आवंटन के बारे में उनकी सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली रियायतें नहीं मिलती; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य सरकारों को यह सुझाव देने का है कि मृत्यु का कारण कुछ भी हो "किल्ड इन एक्शन" (युद्ध में मारा गया) खण्ड के स्थान पर "डिसीज्ड" (मृत) रखा जाये ?

**रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** (क) और (ख) आवास राज्य सरकारों का विषय है । सशस्त्र सेनाओं के जो भूतपूर्व सैनिक सामान्यरूप से सेवा निवृत्त होते हैं, उनके लिए बने बनाए मकानों और मकानों के प्लाटों का आरक्षण करने के प्रश्न पर मार्च 1977 में राज्य सरकारों के साथ बातचीत की गई थी । इसके परिणामस्वरूप कई राज्य सरकारों ने सामान्य रूप से सेवानिवृत्त होने वाले भूतपूर्व सैनिकों और साथ ही उनके आश्रितों को भी मकान के प्लाट और मकान देने में अग्रताएं निर्धारित कर दी हैं ।

**मध्य प्रदेश में कोयला खानों के मुहानों पर सुपर तापीय संयंत्रों की स्थापना**

334. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश में ऊर्जा प्रजनन के विकास की योजना को प्रोत्साहित करने हेतु कोरबा के निकट कोयला खानों के मुहानों पर एक सुपर तापीय संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य पर कितना समय तथा धन लगेगा ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) :** (क) और (ख) मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सेक्टर में कोरबा में एक सुपर ताप-विद्युत केन्द्र की स्थापना करने के लिए सरकार की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस केन्द्र का प्रथम चरण 1100 मेगावाट की प्रतिष्ठापना का है। केन्द्र का विकास पश्चिमी क्षेत्र के घटक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, विद्युत उपलब्धता को बढ़ाने के लिए एक क्षेत्रीय के केन्द्र के रूप में किया जाएगा।

200 मेगावाट की प्रथम यूनिट को 1982-83 में चालू करने का कार्यक्रम है तथा परियोजना के प्रथम चरण को 1984-85 तक पूर्ण किए जाने का कार्यक्रम है। संबंधित पारेषण लाइनों सहित परियोजना के प्रथम चरण पर 551.70 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है।

NUMBER OF SMALL AND BIG TRACTORS MANUFACTURING FACTORIES

335. SHRI SUKHENDRA SINGH : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the number of small and big tractor manufacturing factories in India and the places where these are located;

(b) whether this number is adequate to boost up agricultural production;

(c) if not, whether Government propose to set up similar factories in all the States; and

(d) the total number of small and big tractors manufactured in the country till the end of the year 1977?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) The required information is given in the statement attached.

(b) Yes, Sir.

(c) Does not arise.

(d) The production of tractors by the units in the organised sector during the last five years has been as under :—

| *Year* | *Production* |
|---|---|
| 1973-74 | 24,425 Nos. |
| 1974-75 | 31,088 Nos. |
| 1975-76 | 33,252 Nos. |
| 1976-77 | 33,146 Nos. |
| 1977-78 (Upto Jan '78) | 31,898 Nos. |

STATEMENT

(A) LICENSED UNITS

| Sl. No. | Name of the Company | Location |
|---|---|---|
| 1. | M/s. International Tractor Co. of India Ltd. | Kandivli East, Bombay (Maharashtra) |
| 2. | M/s. Tractors & Farm Equipment Ltd. | Madras (Tamilnadu) |
| 3. | M/s. Eicher Tractors India Ltd. | Faridabad (Haryana) |
| 4. | M/s. Escorts Limited | Faridabad (Haryana) |
| 5. | M/s. Escorts Tractors Limited | Faridabad (Haryana) |
| 6. | M/s. Hindustan Tractors Ltd. | Vadodara (Gujarat) |
| 7. | M/s. Kirloskar Tractors Ltd. | Nasik (Maharashtra) |
| 8. | M/s. Hindustan Machine Tools Ltd. | Pinjore (Haryana) |
| 9. | M/s. Punjab Tractors Ltd. | Mohali, Chandigarh (Punjab) |
| 10. | M/s. Pittie Tools Pvt. Ltd. | Pune (Maharashtra) |
| 11. | M/s. Harsha Tractors Ltd. | Loni, Ghaziabad (U.P.). |
| (B) | SMALL SCALE SECTOR | |
| 12. | M/s. Rustom Tractor Mfg. Co. | Bahadurgarh (Haryana) |
| 13. | M/s. P. C. Paul Discs India (Pvt.) Ltd. | Amritsar (Punjab) |
| 14. | M/s. Vikas Agro Engg. (Pvt.) Ltd. | New Delhi. |

STOPPING OF THAI LANGUAGE PROGRAMME BY A.I.R.

336. SHRI SUKHENDRA SINGH : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 540 on the 16th November, 1977 regarding stations of A.I.R. broadcasting for Indians abroad and state :

(a) whether broadcasts in Thai language meant for Thailand have been stopped by All India Radio since the 15th December, 1977; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) Yes, Sir.

(b) The service was discontinued taking into account the poor response from listeners in the target areas and the difficulties in recruitment of competent and qualified staff. However, the matter is being reviewed in consultation with the Ministry of External Affairs.

रत्नगिरि पत्तन

337. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में रत्नगिरि पत्तन के निर्माण कार्य का प्रथम चरण पूरा हो गया है,

(ख) यदि हां, तो प्रथम चरण में क्या-क्या काम पूरे कर लिए गए हैं और इस योजना पर केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गयी है,

(ग) क्या सरकार ने रत्नगिरि पत्तन के दूसरे चरण को अभी अपनी स्वीकृति नहीं दी है, और

(घ) रत्नगिरि पत्तन के दूसरे चरण पर कितनी लागत आयेगी तथा रत्नगिरि पत्तन के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस प्रकार का सहयोग तथा सहायता दी जा रही है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम)** : (क) तथा (ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1500 फुट लम्बाई की पनकट दीवार छतदार लंगरगाह के प्रथम चरण, 8 एकड़ भूमि सुधार, पहुंच मार्ग तथा एक छोटी जेट्टी को कुल 225 लाख रु० के व्यय से पूरा कर लिया गया है जिसमें 167 लाख रु० का केन्द्रीय ऋण भी शामिल है।

(ग) तथा (घ) बड़े पत्तनों से भिन्न अन्य पत्तनों के विकास की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। महाराष्ट्र सरकार ने पत्तन के विकास के द्वितीय चरण के लिए अगली योजना (1978-83) में लगभग 5 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता मांगी है। चालू योजना में छोटे पत्तनों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता की पद्धति अनुसार ऐसी कोई सहायता स्वीकार्य नहीं है।

**'सफेद छपाई कागज' के लिये निर्माताओं को दी गई छूट**

338. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग विभाग ने कागज की अन्य किस्मों की सप्लाई के स्थान पर निर्माताओं को "सफेद कागज छपाई" के लिए छूट दी है;

(ख) क्या इंडियन पेपर मेकर्स एसोसिएशन और इण्डियन पेपर मिल्स एसोसिएशन ने सरकार को सप्लाई किये जाने वाले सामान और अन्य किस्मों के कागज के मूल्य में वृद्धि करने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि नई योजना लागू न की गई तो क्या अनेक निर्माता और कागज के मिलों को आर्थिक रूप से घाटा होने और आगामी कुछ महीनों में उनके रुग्ण होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो कागज उद्योग को बचाने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती)** : (क) कुछ कागज मिलों द्वारा रियायती दर पर छपाई का सफेद कागज बनाये जाने की आशा है जिसके लिये संभरण एवं निपटान के महानिदेशक के साथ की गई दर संविदा के अधीन कुछ अन्य किस्म के कागज के 80 प्रतिशत का समायोजन किया जा रहा है। ऐसा संभरण एवं निपटान महानिदेशालय द्वारा मूल्य का लाभ उठाने हेतु किया गया है।

(ख) सरकार को उद्योग से अभ्यावेदन मिले हैं कि रियायती दर के छपाई के सफेद कागज का 2750 रु०/- प्रति मीट्रिक टन मूल्य अपर्याप्त है। उद्योग से उत्पादन लागत के संबंध में विस्तार से सूचना देने को कहा गया है ताकि सरकार इस विषय में जांच कर सके।

(ग) और (घ) रियायती दर के अखबारी कागज के मूल्य में संशोधन करने तथा उद्योग को मिलने वाले लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रश्न पर विस्तृत जानकारी मिल जाने और उसकी जांच कर लेने के बाद ही निर्णय किया जा सकता है।

**तेलवाहक जहाज एम० टी० देशदीप को चलाना बन्द करना**

339. **डा० वसन्त कुमार पण्डित :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन निगम के एक तेलवाहक जहाज एम० टी० देशदीप का चलना बन्द किया जाना था क्योंकि वह पुराना हो चुका था, और

(ख) क्या इसी जहाज को बाद में आपात स्थिति के दौरान एक पशु-वाहक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आई, ऐसा किसके आदेश पर किया गया तथा निश्चित रूप से किस व्यापार के लिए ऐसा किया गया।

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) :** (क) जी, हां।

(ख) भारतीय नौवहन निगम ने अन्य बातों के साथ-साथ, तंजानिया के पशुओं को ढुलाई के लिए तंजानियां की सरकार के साथ एक समझौता किया। भारतीय नौवहन निगम को एक बरता हुआ पशुवाहक जहाज प्राप्त करके उसे तंजानिया की और चार्टर करना था। मार्केट में बरते हुए पशुवाहक जहाज के अभाव में नौवहन निगम ने "देश दीप टैंकर" जो उनकी आवश्यकताओं से फालतू था, को 1.80 करोड़ रु० से अनधिक की लागत से पशुवाहक जहाज के रूप में बदलने का प्रस्ताव किया : इस पृष्ठ भूमि में, सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकृति दी।

**PRICES OF TROLLEY WATCHES MANUFACTURED BY THE H.M.T. BANGALORE FOR BLIND**

340. SHRI MANOHAR LAL : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that prices of trolley watches manufactured by the Hindustan Machine Tools, Bangalore for the blind are very high; and

(b) whether Government propose to subsidise the prices of these watches in order to make them within the easy reach of the blind ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) & (b) The selling price of HMT Braille watch for the blind has been kept low by reducing import duty on components, parts etc. imported for the manufacture of these watches and by HMT selling these watches free of marketing expenses and profit.

**ब्रिटिश ऋण से छः जहाज खरीदा जाना**

341. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम की सरकार के ब्रिटिश ऋण से छः जहाज उस मूल्य पर खरीदने के निर्णय पर भिन्न राय है जो अत्यधिक समझा जा रहा है।

(ख) क्या सरकार इस बारे में कम्पनी को मुआवजा देने पर सहमत हो गयी है

(ग) क्या इतना अधिक अन्तर पहले कभी नहीं था जितना कि ब्रिटिश जहाजों के मामले में है,

(घ) क्या वित्त मंत्रालय ने ऐसी कोई योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत वह नौवहन निगम को राज सहायता देगी, और

(ङ) क्या ब्रिटिश सरकार का यह दृष्टिकोण है कि भारत सहायता का उपयोग करने में बहुत धीमा रहा है और इसका मतलब न केवल यह है कि पुराने वचन समाप्त हो जायेंगे बल्कि इससे भारत को भविष्य में और अधिक सहायता देने में भी कठिनाई होगी ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम)** : (क) जी, हां ।

(ख), (ग) और (घ) ब्रिटिश जहाजों के लिए कही गई कीमतें उन कीमतों से काफी ऊंची है जो दूर पूर्वी कुछ शिपयार्डों में चालू हैं ।

भारतीय नौवहन निगम को निवेश प्रस्ताव सामान्य तरीके से अनुमोदन के लिए सरकार को भेजने के लिए कहा गया है । यह सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव किया गया है कि भारतीय नौवहन निगम के लिए वित्तीय भार उतना ही हो जितना किसी प्रतियोगितात्क विक्रेता से खरीद करने के संबंध में है ।

(ङ) ब्रिटिश सरकार ने गत 2-3 वर्षों में भारत को दी गयी ब्रिटिश सहायता का कम प्रयोग किए जाने के बारे में चिन्ता व्यक्त की और यह सूचित किया था कि भविष्य में सहायता की मात्रा स्वाभाविक रूप से भारत को पहले से दी गयी धनराशि के उपयोग पर निर्भर करेगी । परन्तु पहले सहायता वचनबद्धताओं के समाप्त हो जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

### गुजरात में गंभीर औद्योगिक संकट

342. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में गम्भीर औद्योगिक संकट आया हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास पंजीकृत 30,000 औद्योगिक एककों में से 24,000 एकक रूग्ण उद्योग सूची में हैं और धन की कमी के कारण दो हजार से अधिक एकक दुर्बल अवस्था में हैं और अपनी अधिष्ठापित क्षमता का 20 प्रतिशत से भी कम उपयोग कर पा रहे हैं ;

(ग) क्या मांग में कमी आने का तीस प्रतिशत उद्योगों पर दुष्प्रभाव पड़ा है ;

(घ) क्या इसका एक अन्य कारण श्रमिक अशांति भी है; और

(ङ) यदि हां, तो गुजरात सरकार की सहायता करने के लिए केन्द्रीय सरकार किन उपायों पर विचार कर रही है ताकि वह इस औद्योगिक संकट को हल कर सके ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती)** : (क) से (ङ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि गुजरात में कोई भयंकर औद्योगिक संकट नहीं है । राज्य में 20 % से कम क्षमता पर कार्य करने वाले एककों को मिलाकर कुल करीब 2000 रूग्ण एकक है ।

इन एककों की रुग्णता के मांग में मन्दी, श्रमिक अशान्ति, पीक पावर की कमी, उद्यमियों के पास धन की कमी आदि जैसे विभिन्न कारण हैं । मांग में मन्दी का तीस प्रतिशत रुग्ण एककों पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । किन्तु ऐसी किसी प्रमुख श्रमिक अशान्ति की सूचना नहीं मिली है जिसका इन एककों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो । रुग्ण एककों को सुदृढ़ और पुन: स्वस्थ बनाने के लिए किए जाने वाले अभ्युपाय हर एकक में उसकी रुग्णता के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों के संदर्भ में भिन्न-भिन्न होंगे । रुग्ण एककों को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है । जिला स्तर पर मामलों को प्रत्यक्षरुप से निपटाने के लिए जिला स्तर पर भी समितियों का गठन किया गया है । सामूहिक अभ्युपाय करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वर्ग के उद्योगों का उद्योगवार अध्ययन भी किया गया है । राज्य सरकार द्वारा जब कभी केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप के लिए अनुरोध किये जाते हैं तब केन्द्रीय सरकार उनकी कठिनाइयों से निपटने के लिए गुजरात सरकार तथा सभी राज्यों की सहायता करती रही है । केन्द्रीय सरकार वित्तीय संस्थानों और भविष्य निधि आयुक्त जैसे सम्बन्धित अधिकरणों के माध्यम से जो वैधानिक कार्य सम्पादन करते हैं, हस्तक्षेप करती है । उचित समझने पर यह उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अधीन भी हस्तक्षेप करती है ।

**राज्य बिजली बोर्डों के कार्यकरण में सुधार के लिये समिति गठित करना**

343. **श्री प्रसन्न भाई मेहता**
**श्री वसन्त साठे** } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य बिजली बोर्डों के कार्यकरण को सुधारने तथा टैरिफ ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से व्यावहारिक सिफारिशें करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन है ;

(ग) उसके मुख्य उद्देश्य क्या होंगे; और

(घ) क्या इस विषय पर ऊर्जा मंत्रियों के जनवरी, 1978 में हुए सम्मेलन में चर्चा की गई थी ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन)**:(क) से (घ) राज्य बिजली बोर्डों के कार्यकरण से संबंधित प्रश्न पर, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ टैरिफ-ढांचे का मामला शामिल है, 23 और 24 जनवरी, 1978 को नई दिल्ली में हुए राज्यों के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया था । सम्मेलन की सिफारिशों में से एक यह थी कि बोर्डों के समग्र कार्य-संचालन के संदर्भ में बोर्डों के वित्तीय कार्य-निष्पादन के वर्तमान मानदण्डों के पुनरीक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए टेरिफ-ढांचे को युक्ति संगत बनाने तथा राज्य बिजली बोर्डों के कार्यकरण में सुधार लाने के उद्देश्य से व्यावहारिक सिफारिशें करने के लिए एक अखिल-भारतीय विशेषज्ञ समिति गठित की जाए ।

समिति के गठन तथा इसके विचारार्थ विषयों आदि को अभी अंतिम रुप नहीं दिया गया है ।

**पिछली पंचवर्षीय योजनाओं और 'रोलिंग प्लान' में व्यावहारिक अन्तर**

344. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ:** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछली पंचवर्षीय योजनाओं तथा अप्रैल, 1978 से आरम्भ होने वाली 'रोलिंग प्लान' में वास्तविक व्यावहारिक अन्तर क्या है; और

(ख) उसके किस प्रकार शीघ्र और अच्छे परिणाम निकलेंगे?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) और (ख) पिछली योजनाओं में और नई योजना में महत्वपूर्ण कार्यात्मक अन्तर यह होगा कि अब कार्यान्वियन करने वाले अभिकरणों के सामने हमेशा ही पंचवर्षीय योजना की समयावधि रहेगी, इसमें योजना के अनुमानों को हर वर्ष एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, अकस्मात् आ जाने वाले व्ययों के लिए त्रुटियों में समय पर सुधार कर लेने की सुविधा होगी और आंतरिक सुसंवद्धता की व्यवस्था रहेगी। सूचना/आंकड़ों के संग्रहण में हर वर्ष सुधार किया जाएगा ताकि अधिक अच्छा संसाधन आवंटन और संक्रियात्मक कार्य-निष्पादन सुनिश्चत हो सके। व्यवहार में केवल कुछ ही लक्ष्यों और वित्तीय आवंटनों को हर वर्ष संशोधित करना होगा। इस बात की कोई आशंका नहीं होनी चाहिए कि अनेक वास्तविक लक्ष्य या वित्तीय आवंटन अस्थिर हो जायेंगे। इसके साथ ही इस समय के समान ही, 5 वर्ष के लक्ष्यों से संबद्ध एक संक्रियात्मक वार्षिक योजना और एक दीर्घकालिक भावी योजना हमेशा बनी रहेगी।

NUMBER OF FACTORIES MANUFACTURING TOILETS, WASHING SOAPS ETC.

345. SHRIMATI CHANDRAWATI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number of factories manufacturing toilet and washing soap and tooth paste and the names of the owners of these factories and the criteria adopted in regard to fixation of their prices;

(b) whether it is a fact that there is a monopoly in the manufacture of soap;

(c) if so, whether Government is taking any steps to end this monopoly;

(d) whether Government propose to open any training school to impart training in the manufacture of soap and tooth paste; and

(e) if so, the names of the States where these schools will be set up and the time by which they are likely to be set up and the action taken to maintain the quality thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) In the organised sector there are 45 units manufacturing Laundry and Toilet Soap and ten units manufacturing Tooth Paste. A statement showing the names of the manufacturers as well as their owners for the manufacture Laundry and Toilet Soap and Tooth Paste is attached. According to the census carried out in 1973 there were 3167 small scale units in existence in 1972, engaged in the manufacture of Laundry Soaps and Washing Soap. About 16 units in the small scale sector were engaged in the manufacture of Toilet Soap. Names of these units as well their owners are not maintained by the Govt. Three units *viz.* M/s. Vicco Laboratories, Bombay, M/s. Chemi-Kleen (India) Pvt. Ltd., New Delhi and M/s. Globe Cosmetics, Rohtak, are engaged in the manufacture of Tooth Paste in the small scale sector. The names of the owners of these units are not readily available. There is no price control on the items like laundry and toilet soap and tooth paste. [Placed in Library. *See* No. L.T. 1568/78].

(b) There is no monopoly in the manufacture of soap.

(c) Does not arise.

(d) At present there is no proposal to open any Training School for training in the manufacture of Soap and Tooth Paste.

(e) Does not arise.

ENQUIRY INTO DEATH OF DACOIT SUNDER

346. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the progress made so far in regard to the enquiry being conducted into the death of dacoit Sunder in Delhi; and

(b) the time by which the enquiry is likely to be completed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) & (b) The Central Bureau of Investigation after conclusion of the investigation filed the charge-sheet in the Court of Chief Metropolitan Magistrate, Delhi, on 9-8-1977, u/s 120-B read with 302, 302, 302/34 and 193/218 IPC against 13 police personnel of Delhi Police. The accused were committed to the Sessions on 24-12-1977 and the charges were framed against them on 21-1-1978 by the court of Sessions. The next date of hearing is fixed for 27-2-1978 for recording of evidence of prosecution witnesses.

CENSORSHIP RULES

347. SHRI YAGYA DUTT SHARMA
DR. LAXMINARAYAN PANDEYA } : Will the Minister of INFORMATION & BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether the Film Censor Board has recently been given powers under which it can allow such scenes in the films which are considered objectionable in the Indian Society; and

(b) if so, the reasons for delegating such powers ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

A copy of the recent Guidelines issued to the Board of Film Censors is attached. It will be observed that while examining films for certification, the Board will have to ensure that they remain responsible to the values and standards of our society and that objectionable scenes such as those depicting vulgarity, obscenity and depravity or those offending racial, religious and other similar sensibilities are not shown.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi-1, the 7th January, 1978

NOTIFICATION

SRO......In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5B of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby directs that, in sanctioning films for public exhibition, the Board of Film Censors shall be guided by the following principles :—

1. The objectives of film censorship will be to ensure that—

(a) the medium of film remains responsible and sensitive to the values and

standards of society;

(b) artistic expression and creative freedom are not unduly curbed; and

(c) censorship is responsive to social change.

2. In pursuance of the above objectives, the Board of Film Censors shall ensure that —

(i) anti-social activities such as violence are not glorified or justified;

(ii) the modus operandi of criminals or other visuals or words likely to incite the commission of any offence, are not depicted;

(iii) pointless or avoidable scenes of violence, cruelty and horror are not shown;

(iv) human sensibilities are not offended by vulgarity, obscenity and depravity;

(v) visuals or words contemptuous of racial, religious or other groups are not presented;

(vi) the sovereignty and integrity of India is not called in question;

(vii) the security of the State is not jeopardised or endangered;

(viii) friendly relations with foreign States are not strained;

(ix) public order is not endangered;

(x) visuals or words involving defamation or contempt of court are not presented;

3. The Board of Film Censors shall also ensure that the film —

(i) is judged in its entirety from the point of view of its overall impact; and

(ii) is examined in the light of contemporary standards of the country and the people to which the film relates.

4. Films that meet the above mentioned criteria but are considered unsuitable for exhibition to non-adults shall be certified for exhibition to adult audiences only.

5. The notification of the Government of India in the Ministry of Information & Broadcasting No. G.S.R. 168, dated the 6th February, 1960 is hereby superseded.

(F. No. F. 5/5/77-FC)

Sd/-

(R. K. SHASTRI)

Joint Secretary to the Govt. of India

## विद्युत् उत्पादन दोगुणा करने की योजना

348. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी
श्री हरगोविन्द वर्मा } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत् उत्पादन को दोगुणा करने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन)** :(क) और (ख) देश में विद्युत् उत्पादन को एक निश्चित समयावधि में दोगुना करने के लिये सरकार ने कोई योजना तैयार नहीं की है। तथापि, दसवें वार्षिक विद्युत् सर्वेक्षण की भावी मांग की संभावनाओं के आधार पर, अगले पांच वर्षों के दौरान उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिये एक अन्तरिम कार्यक्रम तैयार किया गया है। दसवें वार्षिक विद्युत् सर्वेक्षण की मांग की संभावनाओं तथा प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता की तदनुरूपी आवश्यकताओं का पुनरवलोकन समग्र आर्थिक विकास के लिये अपनाए जाने वाले योजना-कौशल को ध्यान में रखकर किया जाएगा। सरकार के भावी कार्यक्रम का मुख्य जोर वर्तमान उत्पादन क्षमता को लगभग सात वर्षों में दोगुना करके विद्युत विकास में वृद्धि करने पर है।

**फिल्म सेंसरशिप व्यवस्था**

349. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म सेंसरशिप व्यवस्था अभी तक नौकरशाही के हाथों में ही है और सरकार से इस व्यवस्था को सरकारी प्राधिकार से पृथक करने और उसमें व्यवसाय कुशल व्यक्तियों को शामिल करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी)** : (क) और (ख) यह सही नहीं है कि फिल्म सेंसर संबंधी व्यवस्था नौकरशाही के हाथों में है। चलचित्र अधि-नियम, 1952 के उपबन्धों तथा उनके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार, सेंसर के लिये प्रस्तुत सभी फिल्मों पर कार्रवाई फिल्म सेंसर बोर्ड की जांच समितियों, और, कुछ मामलों में, पुनरीक्षण समितियों, जिनमें अधिकांशतया गैर-सरकारी व्यक्ति होते हैं, द्वारा उन्हें देखे जाने के बाद निर्धारित प्राधिकारी द्वारा की जाती है।

इस आशय का सुझाव कि सेंसर संबंधी व्यवस्था को सरकारी प्राधिकार से पूर्णतया पृथक कर दिया जाए, देखा गया है। फिल्मों के मामले में सरकार के उत्तरदायित्व के अनुरूप यह सुझाव स्वीकार्य नहीं ह।

HOUSE RENT ALLOWANCE FOR BHEL EMPLOYEES, BHOPAL

350. SHRI MADAN TIWARY : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether the management of the Bharat Heavy Electricals, Bhopal, have declared to pay its employees House Rent Allowance at the rate admissible in Bhopal which has been declared as B1 Class City;

(b) if so, the date from which it would be given;

(c) whether this date is the same date from which Bhopal has been declared as B1 Class City by Government; and

(d) if not, the reasons for not paying the House Rent Allowance to the employees from the date from which Bhopal was declared as B1 Class City ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) Yes, Sir. The management of Bharat Heavy Electricals Limited, Bhopal, have decided to pay its employees House Rent Allowance at the rate admissible to Government servants at Bhopal, which has been upgraded as B-2 Class city and not B-1 Class city.

(b) 27th January, 1978.

(c) No. Sir.

(d) The total emoluments to BHEL employees at each station are governed by wage agreements entered into with the workers on a common basis for BHEL plants. The The HRA of 10% was given to them as part of the total wage agreement entered into earlier. Since a revised wage agreement is under finalization and Bhopal was in the meantime declared as B-2 City, BHEL was allowed to increase the HRA at Bhopal but on condition that this enhancement would have to be kept in view when revised wage settlement is reached with the employees.

## जहाज/जलयान खरीदने के लिये विदेशी निर्माताओं के साथ करार

351. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जहाजों/जलयानों की खरीद के लिये विदेशी निर्माताओं या उनके एजेंटों से कोई करार किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जहाज/जलयान का विदेशी मुद्रा और भारतीय मुद्रा में मूल्य कितना है;

(ग) करार करने वाली पार्टियों के नाम क्या हैं;

(घ) ऐसे जहाजों/जलयानों को भारत को दिये जाने की शर्तें क्या हैं,

(ङ) प्रत्येक जहाज/जलयान का कितना टन भार जल के अन्दर रहता है और उसकी भार वाहन क्षमता कितने टन है; और

(च) यदि कोई कमीशन दिये जाने के बारे में सहमति हुई है तो वह कितना है और पार्टियों के नाम और पते क्या हैं?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) :** (क) जी, नहीं। जहाजों की खरीद के लिये केवल नौवहन कंपनियां ही शिपयार्डों के साथ करार संपन्न करती हैं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

## अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को तैनात करना

352. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कहीं से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, यथा भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को एक बार में निरंतर पांच वर्ष से अधिक अवधि तक केन्द्रीय सरकार की सेवा में रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए;

(ख) क्या यह मांग भी की गई है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को हर सूरत उनके मूल राज्यों में वापस भेजा जाना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :** (क) तथा (ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य संगठित केन्द्रीय समूह 'क' सेवाओं के अधिकारी, केन्द्र में अवर सचिव तथा उससे ऊपर के स्तर के पदों पर निश्चित पदावधियों तक रहते हैं और वे सामान्यतया अपनी पदावधि को समाप्त कर अपने-अपने संवर्गों को लौट जाते हैं। व्यक्तिगत मामलों में अधिकारियों की पदावधियों को, यदि प्रशासनिक विवशता के कारण उन्हें बढ़ाया जाना आवश्यक हो, बढ़ा दिया जाता है। सरकार का यह मत है कि पदावधि प्रणाली को समान रूप से तथा सभी स्तरों पर लागू किया जाए।

**देश की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त प्रौद्योगिक का विकास**

353. **डा० बापू कालदाते:** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की तुरन्त आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त प्रौद्योगिक विकसित करने के लिये कोई प्रयास किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या संप्रदायों के कुछ वर्ग इस विकास में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती):** (2) जी, हां। इस मंत्रालय द्वारा चुने हुए क्षेत्रों में उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिये प्रयास किये गये हैं।

(ख) ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में उपयुक्त प्रौद्योगिकी लागू करने तथा विकास के लिये पता लगाए गए क्षेत्र इस प्रकार हैं:—

1. सिंचाई तथा पीने के काम के लिये धरातल के पानी की समस्याओं के बारे में जल प्रौद्योगिकी का विकास करना।
2. खाद्यान्नों का संरक्षण तथा उन्हें कीटाणु रहित करना।
3. पवन शक्ति को उपयोग में लाना।
4. कृषि संबंधी तथा बेकार सब्जी को उपयोग में लाना।
5. स्वयं को काम देने के लिये एक एक परिवार द्वारा ईंटें बनाना।
6. इमारती लकड़ी काटना, लकड़ी का परिष्करण और परिशोधन करना तथा बेकार टिम्बर उत्पादों का उपयोग करना।
7. चमड़ा कमाना, खेल-कूद का सामान तथा जूते बनाना।
8. उपयुक्त फार्म ढांचा तथा ग्रामीण आवास के लिये उन्नत प्रौद्योगिकी सहित मकानों के डिज़ाइन तैयार करना।

(ग) अभी तक हमारी जानकारी में नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**सीमेंट की कमी**

354. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमेंट की कमी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस समस्या के समाधान के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती) :** (क) और (ख) वर्ष 1977-78 में लगभग 192 लाख मी० टन सीमेंट का उत्पादन होने की आशा है जो कि अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है। रिकार्ड उत्पादन के होते हुए भी वर्ष 1978–79 में लगभग 20 लाख मी० टन सीमेंट की कमी आंकी गई है। सरकारी कार्यों के साथ-साथ कृषि, उद्योग और मकानों के लिये सीमेंट की खपत की अधिक मांग होने के कारण ही सीमेंट की कमी हुई है। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में हाल ही में आए तूफान के विध्वंस के फलस्वरूप मरम्मत के लिये भी काफी मात्रा में सीमेंट की जरूरत पड़ी है।

(ग) सरकार विद्यमान एककों द्वारा उत्पादन बढ़ाने, अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने तथा सीमेंट की बचत और बेहतर उपयोग के लिये अनेक अभ्युपाय कर रही है। ऐसे अधिक महत्वपूर्ण उपायों में प्रिकेल सिनेटरों को स्थापित करना और स्लेग, फ्लाई-एंश तथा अन्य योज-लानिक सामान का अधिकाधिक उपयोग करना। स्थानीय स्लेग तथा चूने के पत्थर के उपयोग के लिये स्टील संयंत्र वाले स्थानों पर नए सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करना चूने के पत्थर के छोटे भण्डारों का उपयोग करने के लिये छोटे सीमेंट संयंत्र स्थापित करना और नए एककों और विस्तार कार्यक्रमों के निर्माण कार्य में तेजी लाना शामिल है। देशी बाजार में सीमेंट की उपलब्धता को बढ़ाने के लिये सरकार ने लगभग 10 लाख मी० टन सीमेंट का आयात करने का भी प्रबन्ध किया है।

**मनीपुर के एक विधायक की दिल्ली में मृत्यु**

355. **श्री एस० जी० मरुगय्यन :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री एम० एन० चोबा सिंह, विधान-सभा सदस्य (मनीपुर) 3 जनवरी, 1978 को दिल्ली में मृत पाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनकी मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिये कोई उच्चस्तरीय जांच की गई है;

(घ) क्या मनीपुर के अध्यक्ष तथा मुख्य मंत्री ने इस संबंध में सन्देह व्यक्त किये हैं तथा इस मामले की गृह मंत्रालय से जांच कराने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :** (क), (ख) तथा (ग) : 3 जनवरी, 1978 को शाम के लगभग 4 बजे पुलिस चौकी तिमारपुर, दिल्ली को सूचना

प्राप्त हुई कि मैगजीन रोड़ के निकट एक शव पड़ा है। जांच पड़ताल से यह पुष्टि हुई कि मृतक मणिपुर का विधायक श्री चौबासिंह था। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन थाना सिविल लाईन्स में एक मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 10 दर्ज किया गया था और जांच पड़ताल की गई थी। अपराध शाखा द्वारा की गई जांच पड़ताल के परिणामस्वरूप 16–2–1978 को एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था। मामले की आगे जांच पड़ताल की जा रही है।

(घ) तथा (ङ) राज्य सरकार के माध्यम से मणिपुर विधान सभा के अध्यक्ष से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें मामले की गंभीरता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था और वास्तविक तथ्यों का पता लगाने के लिये न्यायिक जांच तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करने का सुझाव दिया गया था। राज्य सरकार को श्री चौबा सिंह की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के संबंधित तथ्यों तथा जांच-पड़ताल की प्रगति से अवगत करा दिया गया है।

**इस्पात संयंत्रों के लिये कोकिंग कोयला**

356. **श्री सी० एन० विश्वनाथन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोकिंग कोयले की किस्म और उसके प्रक्षालन का स्तर वैसा नहीं है जो इस्पात उद्योग में उपभोग के लिये उपयुक्त हो; और

(ख) यदि हां, तो स्वदेशी कोयले की किस्म को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) :** (क) व (ख) : अच्छे किस्म के कोयला भंडारों में कमी हो जाने से राख का प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ता रहा है। किन्तु इस्पात मिलों और कोक भट्टियों को सप्लाई किये जाने वाले कोयले की किस्म, परिष्करण तथा कोयला मिश्रणों के विवेक पूर्ण चयन द्वारा सुधारने के लिये कदम उठाए गए हैं। इस्पात के उत्पादन में प्रयोग के लिये निश्चित रूप से अच्छा कोयला ही सप्लाई किया जाएगा।

**बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में हरिजनों पर अत्याचारों के मामलों में वृद्धि**

357. **श्री आर० के० महालगी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में हरिजनों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में राज्यों से स्थिति की रिपोर्ट मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बढ़ते हुए अत्याचार को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :** (क), (ख), (ग) और (घ) अनुसूचित जातियों के विरुद्ध हत्या, बलात्कार, गंभीर चोट, उनकी संपत्ति इत्यादि के बारे में गंभीर शरारत अथवा आगजनी जैसी अपराध कानून के अधीन दण्डनीय है और "लोक व्यवस्था" की परिभाषा के अंतर्गत आता है जोकि भारतीय संविधान की सांतवीं अनुसूची के अनुसार राज्य का विषय है। ऐसे मामलों में वास्तविक कार्यवाही कानून के अंतर्गत, संबंधित

राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों द्वारा की जानी होती है। फिर भी केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के साथ निकट संपर्क बनाए रखती है और ऐसी घटनाओं के लिये उत्तरदायी मूल तत्वों को दूर करने तथा ऐसे मामलों में तुरन्त तथा कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिये प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा कमजोर वर्गों को संरक्षण प्रदान करने तथा उनमें सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से समय-समय पर उनको सुझाव देती है।

राज्य सरकारों द्वारा अब तक भेजी गई सूचना के अनुसार 1976 तथा 1977 के दौरान बिहार, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों की निम्नलिखित संख्या सूचित की गई:

| राज्य | 1976 | 1977 | |
|---|---|---|---|
| बिहार | 621 | 421 | (अक्तूबर तक) |
| महाराष्ट्र | 211 | 367 | (सितम्बर तक) |
| आंध्र प्रदेश | 34 | 70 | (सितम्बर तक) |

ROAD DEVELOPMENT OF VILLAGES IN MADHYA PRADESH

358. SHRI AGHAN SINGH THAKUR : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a great need of approach roads for development of 90 per cent villages in backward area in Bastar district of Madhya Pradesh; and

(b) whether the Central Government will make any plan to construct approach roads there with the assistance of the State Government?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) & (b) Development of villages and construction of approach roads thereto is a State subject. It is, therefore, for the Madhya Pradesh Govt. to assess the need, and plan a programme for constructing the approach roads involved. No reference has, however, been received from them in the matter.

A sum of Rs. 170 lakhs was released to Madhya Pradesh Govt. for construction of link roads in rural areas during 1977-78. In addition, a sum of Rs. 440 lakhs was also allocated by the Planning Commission to them in 1977-78 under the Tribal Sub-Plan out of State Plan and provision for Special Central Assistance for' 'Transport and Communications' for the total Tribal Sub-Plan in Madhya Pradesh.

T. V. CENTRE IN BASTAR DISTRICT

359. SHRI AGHAN SINGH THAKUR : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the names of places in Madhya Pradesh having Television Centres;

(b) whether Government propose to set up television centre in Bastar district to educate the people; and

(c) if not, the reasons therefor; and if so, the details in regard thereto?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) A TV transmitting centre is functioning at Raipur under the SITE on-going scheme.

(b) No, Sir.

(c) Development of TV involves a heavy outlay. The funds made available for this purpose have, therefore, to be utilised in such a manner as to provide the widest possible coverage subject to technical feasibility. Constraint on resources does not permit the setting up of a TV centre in Bastar District.

RURAL ELECTRIFICATION IN BASTAR DISTRICT, MADHYA PRADESH

†360. SHRI AGHAN SINGH THAKUR : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether there is no electricity in 85 per cent of the villages in Bastar district of Madhya Pradesh; and

(b) if so, the proposals of Government to electrify these villages ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) There are 3,382 villages in Bastar district of Madhya Pradesh. 216 villages (6.5%) were electrified upto January 1978.

(b) The State Electricity Board has intimated that they expect to electrify 12 more villages upto March 1978. They have a tentative target for electrification of additional 75 villages for 1978-79.

**दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति**

361. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में कानून और व्यवस्था की वर्तमान स्थिति कैसी है;

(ख) गत दो महीनों के दौरान की गई चोरी, लूटमार और डकैती की घटनाओं की संख्या का माहवार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या राजधानी में पुलिस नियमित रूप से गश्त लगाती है; और

(घ) यदि हां, तो राजधानी में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का और क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :** (क) तथा (ख) विधि और व्यवस्था की स्थिति का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है।

गत दो महीनों के दौरान चोरी, लूटमार और डकैती की घटनाओं की संख्या इस प्रकार है :—

| | सितम्बर, 1977 | जनवरी, 1978 |
|---|---|---|
| चोरियां | 2371 | 2403 |
| लूटमार | 45 | 54 |
| डकैतियां | 3 | 13 |

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) विधि व व्यवस्था तथा अपराध की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिये निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:—

(1) रात दिन दोनों में गाड़ियों पर तथा पैदल गहन गश्त का आयोजन किया जा रहा है।

(2) पुलिस टुकड़ियों को शहर में संवेदनशील स्थानों पर अपराधियों को रोकने तथा शांति बनाए रखने के लिये, बार-बार तैनात किया जाता है।

(3) नामी बदमाशों पर निगरानी कड़ी की जा रही है।

(4) बदमाशों के विरुद्ध निष्कासन आदेश जारी किए जा रहे हैं।

(5) खतरे के स्थानों पर अपराधियों, विशेषकर जेब कतरों को गिरफ्तार करने के के लिये सादे कपड़ों में गुप्तचरों को प्रायः तैनात किया जाता है।

**न्यूक्लीय रिएक्टरों के लिये यूरेनियम की आवश्यकता**

362. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्**: क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में न्यूक्लीय रियेक्टरों में अधिकतम परिचालन के लिये कितनी मात्रा में शोधित यूरेनियम की आवश्यकता है;

(ख) शोधित यूरेनियम किस स्रोत से प्राप्त होता है और अगले पांच वर्षों के लिये कितनी मात्रा में सप्लाई का आश्वासन दिया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि अमरीका से की जाने वाली सप्लाई पर निर्भर नहीं रहा जा सकता;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) हमारी न्यूक्लीय परियोजनाओं के काम में रुकावट को रोकने के लिये क्या कार्य-वाही किये जाने का विचार है?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई)**: (क) तारापुर परमाणु बिजलीघर समृद्ध यूरे-नियम की सहायता से चलने वाला एकमात्र बिजलीघर है। इस बिजलीघर को पूरी क्षमता से चलाने के लिये प्रतिवर्ष यूरेनियम हैक्साफ्लुओराइड के रूप में लगभग 17 से 21 मीटरी टन समृद्ध यूरेनियम की आवश्यकता होती है।

(ख) समृद्ध यूरेनियम हैक्साफ्लुओराइड केवल संयुक्त राज्य अमरीका से भारत तथा संयुक्त राज्य अमरीका के बीच हुए सहयोग करार के अन्तर्गत प्राप्त किया जाता है।

(ग) तथा (घ) समृद्ध युरेनियम का भेजा जाना अमेरिका के निर्यात संबंधी विनियमों पर निर्भर करता है। इसलिये, यूरेनियम के भेजे जाने के हर मामले की जांच की जाती है। अंतिम निर्णय अमरीकी सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूक्लीय ऊर्जा संबंधी नीति पर निर्भर करता है।

(ङ) तारापुर परमाणु बिजली घर ही आयतित समृद्ध यूरेनियम पर निर्भर एकमात्र बिजलीघर है। इसलिए, अन्य बिजलीघरों के लिये समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई में बाधा पड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक तारापुर परमाणु बिजलीघर का संबंध है भविष्य में समृद्ध यूरेनियम की लगातार सप्लाई को सुनिश्चित बनाए रखने के उद्देश्य से अमरीकी सरकार के साथ बातचीत चल रही है।

**अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग को अनुदानों का सीमित किया जाना**

363. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्**: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को दिये जाने वाले अनुदानों की राशि सीमित करने का है; ताकि उसे अधिक आत्मनिर्भर बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग के अधिक कुशल कार्य संचालन में सफलता प्राप्त किये बिना रोजगार अवसरों पर अनुदानों को सीमित करने के परिणामों के बारे में सरकार ने अध्ययन किया है; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान कितनी अनुदान राशि दी गई थी और चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि देने का प्रस्ताव है?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विवरण संलग्न है।

**विवरण**

योजना (लाख रु० में)

| वर्ष | खादी अनु० | ग्रामोद्योग अनु० | खादी ऋण | ग्रामोद्योग ऋण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1972-73 | 812.00 | 300.00 | 295.00 | 330.00 |
| 1973-74 | 640.00 | 250.00 | 100.00 | 100.00 |
| 1974-75 | 489.00 | 150.00 | 350.00 | 300.00 |
| 1975-76 | 550.00 | 75.00 | 1100.00 | 400.00 |
| 1976-77 | 660.00 | 180.00† | 840.00 | 420.00 |
| 1977-78 आर० आई० | 900.00 | 300.00† | 1520.00 | 658.00 |

योजनेत्तर

| वर्ष | ब्याज सहायता | विज्ञान तथा प्रौद्यो० | प्रशासनिक खर्च | बकाया ऋणों का नवीकरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1972-73 | 463.89 | — | — | 691.00 |
| 1973-74 | 511.82 | — | — | 645.44 |
| 1974-75 | 516.00 | — | 347.00 | 4273.00 |
| 1975-76 | 535.11 | 11.33 | 434.00 | 1921.50 |
| 1976-77 | 763.11 | 18.94 | 453.00 | 1735.06 |
| 1977-78 आर० आई० | 947.00 | 40.00† | 465.00 | 1366.00 |

*इसके अतिरिक्त संसद द्वारा स्वीकृति के अधीन आंध्र प्रदेश में बाढ़ सहायता के लिये खादी ऋण के रूप में 100 लाख रुपये, जो कि अनुदानों के लिये पूरक मांग में शामिल किया जा रहा है, मान लिया।

†इसके अतिरिक्त खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों को मकान बनवाने के लिये अग्रिम धनराशि देने के लिये 10 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

## PROFIT AND LOSS OF COCA COLA COMPANY

364. SHRI ISHWAR CHAUDHRY : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government have made an assessment of the investment and profit and loss of Coca Cola company during last ten years; and

(b) if so, the foreign exchange saved as a result of the closure of its sale in India ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) A statement indicating the Assets and Profits of the Indian Branch of the Coca Cola Export Corporation for the period from 1967-68 to 1976-77 is attached.

(b) After the date of closure of its sale in India there would be no further accrual of profits or other charges for remittances abroad.

### STATEMENT

Assets and Profits of Indian Branch of Coca-Cola Export Corporation

(Rs. in lakhs)

| Items | 1967-68 (31-12-67) | 1968-69 (31-12-68) | 1969-70 (31-12-69) | 1970-71 (31-12-70) | 1971-72 (31-12-71) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Assets (in India) . . | 123 ·00 | 243 ·71 | 226 ·68 | 271 ·96 | 399 ·39 |
| 2. Profit before Tax . | 81 ·25 | 156 ·38 | 224 ·12 | 276 ·10 | 334 ·50 |
| 3. Profit after Tax . . | 19 ·65 | 33 ·24 | 44 ·98 | 61 ·10 | 76 ·50 |

| Items | 1972-73 (31-12-72) | 1973-74 (31-12-73) | 1974-75 (31-12-74) | 1975-76 (31-12-75) | 1976-77 (31-12-76) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1. Assets (in India) . . | 510 ·44 | 555 ·02 | 525 ·82 | 531 ·20 | 615 ·76 |
| 2. Profit before Tax . | 332 ·78 | 276 ·78 | 262 ·38 | 190 ·81 | 196 ·99 |
| 3. Profit after Tax . . | 81 ·78 | 71 ·78 | 51 ·09 | 44 ·81 | 46 · |

## ELECTRIC CONSUMPTION IN MADHYA PRADESH

†365. SHRI SUBHASH AHUJA : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether from the point of per head electric consumption Madhya Pradesh is a backward State; and

(b) if so, the efforts being made by the Central Government to improve the availability of electricity in Madhya Pradesh ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) The per capita electric consumption in Madhya Pradesh is at present about 75% of the average per capita consumption in the country;

(b) while efforts are being made to maximise generation from available capacity to improve availability of electricity in the short-term, steps are also being taken to expedite commissioning of projects under construction. The following projects are at present under construction in the state :—

1. Amarkantak (Thermal) Extension (2nd unit)—1×120.
2. Satpura (Thermal) Extn. (6th & 7th unit) 2×200
3. Pench (Hydro) (2/3rd share of 160 MW)—106 MW.
4. Korba (Thermal) East Stage IV—1×120.
5. Korba (Thermal) West—2×210.
6. Satpura (Thermal) Extn. (8th & 9th Unit)—2×200 MW.

In addition, the Central Government is establishing a Super Thermal Power Station at Korba with an ultimate installation of 2100 MW. The first stage of this project involving an installation of 1100 MW has already been approved by the Government. A share will be available from this project to Madhya Pradesh State.

When these projects are commissioned the power availability in the state will improve.

## SUPPLY OF BHEL EQUIPMENT TO AMARKANTAK THERMAL POWER STATION

†366. SHRI SUBHASH AHUJA : Will the Minister of ENERGY be pleased to state whether carelessness on the part of Bharat Heavy Electricals Ltd. with regard to testing, supply and standard of equipment is the major reasons for the delay in the commissioning of 2×120 Mega Watt production units at Amar Kantak Thermal Power Station (Madhya Pradesh) ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : Bharat Heavy Electricals Ltd. is supplying only the turbo generator set for the Amarkantak thermal power station in Madhya Pradesh. These turbo generators are the first sets with a modified L.P. casing design furnished by GEC of U.K., which are being tried in the country. There was some delay due to unforeseen technical problems which arose due to distortion of the low pressure cylinder of the turbine which had to be strengthened at project site. The unit has, however, been rectified and is now running satisfactorily. The second unit is expected to be commissioned in March 1978.

## SUPPLY OF COAL EXPLOITED FROM COLLIERIES OF M.P. TO POWER STATIONS

367. SHRI SUBHASH AHUJA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether the coal exploited from the collieries of Madhya Pradesh and collected at pit heads is despatched to power stations located in other parts of the country instead of being utilized in proposed power stations in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) & (b) All power stations in Madhya Pradesh get coal from the collieries located in that State. There is no restriction that coal produced in one State should not be supplied to the power stations of the other States.

## PROJECT REPORT FROM MADHYA PRADESH FOR EXPANSION OF 8TH AND 9TH UNITS FOR SATPURA EXTENSION SCHEME

†368. SHRI SUBHASH AHUJA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether there will be a gap between the probable demand and the power generation capacity established with the commissioning of the approved projects at the end of the Sixth Plan;

(b) whether Madhya Pradesh Government have submitted the project report in respect of the expansion of 8th and 9th units for Satpura extension scheme; and

(c) if so, the steps being taken in respect of the proposed projects to meet the shortage of power in Madhya Pradesh ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) Studies carried out on the basis of projections of the 10th Annual Power Survey have indicated that there will be a gap between the demand and the power generation capacity established with the commissioning of the approved projects at the end of the next five-year plan. The projections of the 10th Annual Power Survey have to be reviewed in the light of the strategy for overall economic development to be adopted in the next five-year plan. The requirements of installed capacity would change corresponding to the changes in the demand projections.

(b) Yes, Sir.

(c) The project for establishing the 8th and 9th units under the Satpura extension scheme has already been approved. In addition to this project, the following projects are presently under construction :

1. Amarkantak (Thermal) Extension (2nd unit)—1×120.
2. Satpura (Thermal) Extension (6th & 7th unit)—2×200.
3. Pench (Hydro) (2/3rd share of 160 MW)—106 MW.
4. Korba (Thermal) East Stage IV—1×120 MW.
5. Korba (Thermal) West—2×210 MW.

The Central Government has also taken up establishment of a Super Thermal Power Station at Korba. A share from this station would be available to M.P. State. The first stage of this project involving an installation of 1100 MW has already been approved by the Government. With the commissioning of these projects under construction, the power availability in M.P. would improve.

## PER CAPITA INCOME

369. SHRI Y. P. SHASTRI : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) the names of districts in the country where the per capita income is even less than the per capita income in the whole country;

(b) whether Government propose to start special schemes for employment, irrigation and transport facilities as well as to set up industrial units in these districts to bring at par the per capita income of these districts with that of the country; and

(c) if so, the schemes which are likely to be taken up in 1978-79 ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) Most of the State Statistical Bureaus are preparing the estimates of income and per capita income only at State level and at District level. It is, therefore, not possible to give the names of districts in the country where the per capita income is less than that of All-India. (Recently, however, the States of Kerala and Karnataka have brought out certain estimates of per capita income of their districts but due to differences in concepts, methodology and source material used, these estimates are not comparable between States and with those of the All-India estimates).

(b) & (c) It is not possible to allocate plan outlays district-wise on the basis of the level of development, or to devise specific schemes with a view to equalising district-incomes. The Schemes of concessional finance, investment and transport subsidies and State's incentives for industry are available generally for areas classified as backward. All India Financial Institutions make special efforts to invest a sizable part of their funds in backward areas as a whole. As regards minor irrigation, soil conservation and schemes for expansion and improvement of agriculture and allied activities, States make plan allocations after taking disparities between districts and the special needs of backward regions into account. Funds for rural development are also allocated preferentially to tribal districts.

## STEPS TO IMPLEMENT THE INDUSTRIAL POLICY AND SETTING UP OF INDUSTRIES IN REWA AND SIDHI, MADHYA PRADESH

370. SHRI Y. P. SHASTRI : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the steps taken so far to implement the Industrial Policy announced by him in Lok Sabha on 23rd December, 1977;

(b) whether any industrial units are proposed to be set up this year in Rewa and Sidhi, the most backward districts of Madhya Pradesh with a view to implement the said policy; and

(c) if so, the details thereof and the time by which production will be started by them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) The main thrust of the Industrial Policy laid before the Parliament is on effective promotion of cottage and small industries widely dispersed in rural areas and small towns. With a view to achieving this objective the Statement on Industrial Policy envisages *inter alia* establishment of District Industries Centres in each district where under one single roof all the services and support required by small and village entrepreneurs will be provided. In order to draw up a programme of establishment of District Industries Centres, discussions were held with the representatives of State Governments who have supported the proposal. Detailed schemes are being prepared by the State Governments to implement the programme.

With a view to implementing the programme in regard to "Nai Khadi" referred to in the Statement on Industrial Policy, action is being taken to amend the Khadi & Village Industries Act. A Bill to this effect is expected o be introduced in the Parliament during its Budget Session 1978.

In order to carry out periodic review of industries reserved for exclusive development in the small scale sector, different Study groups have been constituted to prepare status papers on the various industries according to a time bound programme.

Chief Ministers of State Governments/Administrators of Union Territory Administrations have also been requested to take steps to implement the Industrial Policy in so far as the State Governments/Union Territories are concerned.

In regard to location of industries in metropolitan cities and urban areas, specific instructions have been issued to the State Governments and Union Territories to ensure that the support to new industries in these areas such as those which do not require an industrial licence is denied.

Instructions have also been issued to the Chief Executives of public sector undertakings for taking follow up action particularly with reference to the programme of ancillarisation envisaged in the Policy Statement.

Steps are being taken to devise suitable modalities and procedures for ensuring workers' participation in the managements of selected public sector undertakings.

(b) & (c) One proposal for grant of an industrial licence in Rewa for manufacture of trailing and flexible cables received in January, 1978 is under consideration and it is not possible at this stage to indicate the date by which production will be started by the undertaking.

### गणतन्त्र दिवस परेड के लिए माडल

371. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गणतंत्र दिवस परेड के लिये राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजे गए माडलों की जांच करने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) झांकियों के कितने माडल प्राप्त हुए और उनमें से कितनों का चयन हुआ और कितने अस्वीकृत हुए; और

(घ) किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माडलों को अस्वीकृत किया गया?

**रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** (क) जी हां।

(ख) समिति का गठन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों तथा खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग से कुल 43 झाँकियों के माडल/ रेखाचित्र डिजाइन प्राप्त हुए थे। कुछ राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों तथा खादी आयोग ने चयन करने के लिये एक से अधिक वैकल्पिक डिजाइन प्रस्तुत किया था। 21 माडलों/डिजाइनों को अंतिम रूप से चुन लिया गया और 22 माडलों/डिजाइनों को रद्द कर दिया गया था।

चूंकि समय नियंत्रित होता है इसलिये परेड में 20–25 से अधिक झांकियों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।

(ग) जिन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के माडलों/डिजाइनों को रद्द किया गया है वे हैं :—

**राज्य**

आन्ध्र प्रदेश

असम

बिहार

गुजरात

हिमाचल प्रदेश

कर्नाटक

मणिपुर

**संघ शासित क्षेत्र**

चण्डीगढ़

दिल्ली

गोग्रा, दमन ग्रौर दिव

**विवरण**

लोक सभा में 22-2-1978 को, गणतन्त्र दिवस परेड के लिये माडलों के बारे में झांकी समिति के गठन के संबंध था पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 371 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

1. रक्षा सचिव —अध्यक्ष
2. श्री ए० पी० कनविंडे, आर्किटेक्ट, नई दिल्ली —सदस्य
3. श्री वी० मुखर्जी, प्रिन्सिपल कालेज आफ आर्ट, नई दिल्ली —सदस्य
4. श्री एच० रेहमान, भूतपूर्व सचिव, दिल्ली शहरी कला आयोग, नई दिल्ली—सदस्य
5. श्री एम० वी० देसाई, निदेशक भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली —सदस्य
6. श्री अशोक चटर्जी; कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद—सदस्य
7. डा० एल० पी० सिहरे, निदेशक, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा —सदस्य
8. संयुक्त सचिव (जी०) रक्षा मंत्रालय —सदस्य
9. श्री एच० वाई० शारदा प्रसाद, सूचना सलाहकार, प्रधान मंत्री कार्यालय —सदस्य
10. उप सचिव (सी०), रक्षा मंत्रालय —सदस्य सचिव

**गत दो वर्षों में दिल्ली में अपराध**

372. **श्री एस० जी० मुरूगय्यन**
**श्री शिव सम्पतिराम**
**श्री महेन्द्र सिंह सैयांवाला**
**श्री यशवन्त बोरोले**
} क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 और 1976 के दौरान दिल्ली में हत्या, हत्या के प्रयास, दंगे, डकैती, राहजनी, सेंधमारी, चोरी और छीन कर भाग जाने के कितने मामले हुए हैं;

(ख) क्या इनकी संख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली में अपराध के मामलों में हुई वृद्धि की ओर ध्यान दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :** (क) तथा (ख) वर्ष 1974, 1976 और 1977 के लिए तत्संबंधी सूचना इस प्रकार है:—

| अपराध शीर्ष | 1974 | 1976 | 1977 |
|---|---|---|---|
| हत्या . . | 174 | 120 | 183 |
| हत्या के प्रयास . . . | 273 | 113 | 206 |
| दंगे | 280 | 38 | 147 |
| डकैती . | 30 | 5 | 19 |
| राहजनी . | 343 | 142 | 355 |
| सेंधमारी . | 2756 | 1588 | 2673 |
| चोरी . | 20395 | 13280 | 21712 |
| छीन कर भाग जाना . . . . | 208 | 122 | 278 |

प्रत्यक्ष कारणों से अपराध आंकड़ों के तुलना आपात्स्थिति-पूर्व वर्ष 1974 के साथ की जानी चाहिए। यह प्रतीत होगा कि हत्या के प्रयास ,दंगे, डकैतियां और सेंधमारी शीर्षों के अधीन अपराध संख्या 1974 की तुलना में वर्ष 1977 में कम हैं।

(ग) तथा (घ) अपराध स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं:—

1. दिन-रात कड़ी चलती फिरती गश्त लगाई जा रही है।
2. विषम समय में अपराधियों की गतिविधियों की रोकथाम के लिये [महत्वपूर्ण स्थानों पर प्राय: सशस्त्र टुकड़ियां तैनात की जा रही हैं।
3. नामी बदमाशों पर निगरानी कड़ी की जा रही है और अपराधियों के रिकार्ड अद्यतन बनाए जा रहे हैं।
4. अपराधियों के विरुद्ध निष्कासन कार्यवाहियां तेज़ की जा रही हैं।

**दिल्ली में बिना परमिट के बस चलाने पर बस मालिकों को कारण बताओ नोटिस**

373. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली यातायात पुलिस ने दिसम्बर, 1977 में दिल्ली में बिना परमिट के अपनी बसें चलाने के कारण बस मालिकों को कारण बताओ नोटिस भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या तथा उनका ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल):** (क) तथा (ख) 1420 वाहनों, जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से दिल्ली आये थे, के रजिस्ट्रेशन नम्बर

ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिस द्वारा नोट किये गये थे। राज्यों के संबंधित पंजीकरण प्राधिकारियों से उन वाहनों के पंजीकृत मालिकों के नाम व पते भेजने का अनुरोध किया गया है जिनके नम्बर आगे आवश्यक कार्रवाई के लिये नोट किये गये थे।

**मजूरी पुनरीक्षण समिति की हाल की रिपोर्ट में विषमता के बारे में मजदूर संघों से अभ्यावेदन**

374. **श्री शिवाजी पटनायक :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मजदूर संघों से पत्तन तथा गोदी श्रमिकों के बारे में मजूरी पुनरीक्षण समिति की हाल की रिपोर्ट में विद्यमान विषमता पर विचार करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अभ्यावेदनों का स्वरूप क्या है? और

(ग) सरकार द्वारा उन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) :** (क) जी, हां।

(ख) मोटे तौर से अभ्यावेदन वेतन पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली असंगतियों और कमियों, कुछ पदों के वेतनमानों में वृद्धि, अलग-अलग वेतनमानों के बीच समानता, वार्षिक वेतन वृद्धि की दरों का उदारीकरण और इस प्रयोजन के लिये गठित की जाने वाली समिति या व्यवस्था की किस्म से संबंधित है।

(ग) कथित असंगतियों और भारत सरकार तथा पत्तन और गोदी कर्मकार परिसंघों के बीच 14-7-1977 को हुए समझौते में यथा निश्चित अन्य मामलों पर विचार करने के लिये एक समिति का गठन करने का प्रस्ताव है।

**(व्यवधान)**

**श्री वयालार रवि :** मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री वयालार रवि :** इस सत्र के शुरू होने से पहले प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री ने राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन में भाग लिया था। इस सभा की प्रथा के अनुसार प्रधान मंत्री को यहां अपना वक्तव्य देना चाहिए था। यह खेदजनक बात है कि प्रधान मंत्री अथवा विदेश मंत्री ने अपना वक्तव्य नहीं दिया है। मैं आपसे इस प्रश्न पर विचार करने की अपील करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं उनसे अनुरोध करूंगा।

अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएं।

**(व्यवधान)**

***कुछ माननीय सदस्य***

**अध्यक्ष महोदय :** आपको संसद की प्रक्रिया का पता होना चाहिए। कोई भी बात कार्य-वाही वृत्तांत में शामिल न की जाए।

**कुछ माननीय सदस्य***

**श्री कृष्ण चन्द्र हालदर :** मैंने नियम 377 के अन्तर्गत सूचना दी है।

**अध्यक्ष महोदय :** यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

**कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए—— (व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे खेद है कि कुछ सदस्यों को नियमों की जानकारी नहीं है। हम प्रति दिन या तो अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार करते हैं या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

SHRI RAM NARESH KUSHWAHA (Salempur) : I wanted to raise discussion under rule 377 about Shri Balbir Singh, M.P.

**अध्यक्ष महोदय :** हम प्रति दिन या तो एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार करते हैं या अल्पसूचना प्रश्न। नियम 377 के अधीन हम प्रति दिन 4 या 5 नोटिस स्वीकार करते हैं। यदि कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता तो समझ लेना चाहिये कि वह अस्वीकार हो गया है।

**श्री कृष्णचन्द्र हालदर :***

**अध्यक्ष महोदय :** इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। अब पत्र सभा पटल पर रखे जायें।

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

**समुद्री तोपखाना अभ्यास (संशोधन) अधिनियम, 1973 और समुद्री तोपखाना अभ्यास अधिनियम, 1949**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :——

(1) समुद्री तोपखाना अभ्यास (संशोधन) अधिनियम, 1973 की धारा 1 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 25 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 21 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

**[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1522/78]**

---

***कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।**
Not recorded.

(2) समुद्री तोपखाना अभ्यास अधिनियम, 1949 की धारा 9 की उपधारा (3) के अन्तर्गत समुद्री तोपखाना अभ्यास नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 21 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 26 में प्रकाशित हुए थे।

**[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1523/78]**

**कम्पनी अधिनियम के अधीन पत्र, 1975-77 के लिए इन्स्ट्रूमेंटेशन उद्योग विकास परिषद् का प्रतिवेदन, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं और आवश्यक वस्तु अधिनियम, आदि**

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मैती)** : श्री जार्ज फरनान्डीस की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(क) (एक) नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

**[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1524/78]**

(ख) (एक) आर्टिफिशयल लिम्ब्स मेनुफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आर्टिफिशयल लिम्ब्स मेनुफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया, कानपुर का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

**[ग्रंथालय में रखा गया देखिए। संख्या एल० टी०-1525/78]**

(ग) (एक) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

**(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1526/78)**

(घ) (एक) नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1527/78]

(ङ) (एक) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1528/78]

(2) उपर्युक्त मद (3) के (घ) और (ङ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत उपकरण उद्योग विकास परिषद् की 1975-77 की अवधि के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1529/78]

(4) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 787(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 28 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो मैसर्स कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध पर नियंत्रण जारी रखने से सम्बन्धित है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1530/78]

(5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत नमक (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 27 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 688(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1531/78]

(6) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1532/78]

**राष्ट्रीय ताप बिजली निगम लिमिटेड की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन**

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(1) राष्ट्रीय ताप बिजली निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च, 1977 को समाप्त हुई अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) राष्ट्रीय ताप बिजली निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का 31 मार्च, 1977 को समाप्त हुई अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०-1533/78]

**वाणिज्य पोत अधिनियम के अधीन अधिसूचना और हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन**

**नौवहन और यातायात मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) वाणिज्य पोत अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत नौवहन विकास निधि समिति (कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि) संशोधन नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 21 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 131 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1534/78]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(क) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1535/78]

(ख) (एक) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1536/78]

**सीमा सुरक्षा दल अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(1) सीमा सुरक्षा दल, मुख्य विधि अधिकारी तथा विधि अधिकारी भर्ती और सेवा की शर्तें नियम, 1977 जो दिनांक 26 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 773 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) सीमा सुरक्षा दल (वेतन तथा भत्तों से कटौती) निमय, 1978, जो दिनांक 7 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 76 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) सीमा सुरक्षा दल पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती नियम, 1978, जो दिनांक 28 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 146 में प्रकाशित हुए थे।

**[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1537/78]**

**पटसन (लाइसेंस देना तथा नियंत्रण) संशोधन आदेश, रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड और हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन और एक वक्तव्य**

**कुमारी आभा मैती** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत पटसन (लाइसेंस देना तथा नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 30 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 794 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

**[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1538/78]**

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(क) (एक) रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

**[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-1539/78]**

(ख) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त मद संख्या (14) (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-1540/78]**

**भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर का भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड, बंगलौर और गार्डन रीचशिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) यह बताने वाला एक विवरण कि उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार सहमत है और इसलिये कम्पनी के कार्यकरण की पृथक समीक्षा सभा पटल पर नहीं रखी जा रही है।

**[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-1541/78]**

(ख) (एक) भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) यह बताने वाला एक विवरण कि उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार सहमत है और इसलिये कम्पनी के कार्यकरण की पृथक समीक्षा सभा पटल पर नहीं रखी जा रही है।

**[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल टी 1542/78]**

(ग) (एक) गार्डन रीचशिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) यह बताने वाला एक विवरण कि उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार सहमत है और इस लिये कम्पनी के कार्यकरण की पृथक समीक्षा सभा पटल पर नहीं रखी जा रही है।

**[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये सं० एल टी 1543/78]**

---

**केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (खंड 1 से 3)**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारूल्ला)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :——

केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण संबंधी वार्षिक प्रविदेन (खंड 1 से 3) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

**[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये सं० एल टी 1544/78]**

---

**गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति**

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

**ग्यारहवां प्रतिवेदन**

**श्री विनोदभाई बी० सेठ** (जामनगर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

**कार्य मंत्रण समिति**

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

**ग्यारहवां प्रतिवेदन**

**डा० मुरली मनोहर जोशी** (अलमोड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं:——

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से, जो 21 फरवरी, 1978 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से, जो 21 फरवरी, 1978 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

*The motion was adopted.*

## नियम 377 के अधीन मामले
## MATTERS UNDER RULE 377

### (एक) शाह आयोग द्वारा आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिये कतिपय अधिवक्ताओं को नोटिस दिये जाने का समाचार

**श्री सी० एम० स्टीफन** (इदक्की) : कल के समाचार पत्र में छपा है कि शाह आयोग ने तीन अधिवक्ताओं को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। किसी दल के विरुद्ध कार्यवाही तो समझ में आ सकती है किन्तु यहां तो दल की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। और यह भी उनके आचरण के कारण नहीं अपितु आयोग के समक्ष फाइल किये गये वक्तव्य के आधार पर।

**श्री कंवर लाल गुप्त** (दिल्ली सदर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

According to our rules every judicial enquiry is considered as sub-judice matter. It cannot be discussed in the House.

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने वाद-विवाद की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने मुझे एक वक्तव्य दिखाया था। मैंने उसी की अनुमति दी है······

**श्री सी० एम० स्टीफन :** नियम 188 के अधीन किसी भी आयोग की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की जा सकती है।

मैं विधि व्यवसाय के बारे में स्वतन्त्रता की चर्चा कर रहा हूं। यदि अधिवक्ताओं इस प्रकार रोका जायेगा तो इस देश में यह लोग कार्य नहीं कर सकेंगे। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है——**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** आयोग के आचरण के बारे में सभी वक्तव्य कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं लिए जायेंगे।

**श्री सी० एम० स्टीफन :** इस वक्तव्य में आयोग के आचरण पर आक्षेप नहीं किया गया है? कृपया आप बतायें कि वक्तव्य के किस भाग में मैंने आयोग के आचरण का उल्लेख किया है।

**अध्यक्ष महोदय :** कार्यवाही वृत्तान्त से निकालने से पूर्व मैं आपसे बात करूंगा। आयोग के आचरण की यहां चर्चा नहीं की जा सकती। परन्तु उसकी प्रक्रिया की चर्चा की जा सकती है।

SHRI UGARSEN (Deoria) : You would remove the reflection from the record. But what about condemning of the commission in the words "in the eyes of the Speaker' and in the eyes of the House.

---

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला गया।
Expunged as ordered by the Chair.

**श्री मोहम्मद शफी कुरैशी** (अनन्तनाग) : श्री स्टीफन ने शाह कमीशन की प्रक्रिया के बारे में प्रश्न उठाया है। आपने उनके भाषण के बारे में उनसे मिलकर निर्णय करने का निर्णय किया है ।

शाह आयोग के बारे में क्या मामले यहां पर लिए जा सकते हैं यह सभा को पता होना चाहिए।

**श्री सी० एम० स्टीफन :** मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपकी अनुमति से मैंने प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ प्रश्न उठाये थे। यह मामला नियम 188 में लिया जा सकता है। मेरे वक्तव्य में आयोग के बारे में कोई रिफलेक्शन नहीं किया गया । यदि मेरे वक्तव्य को प्रकाशित नहीं किया जाता तो वक्तव्य देने का लाभ ही क्या? जो भी वक्तव्य दिया गया है वह सभा की कार्यवाही का अंग है।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री स्टीफन ने मुझे एक लिखित वक्तव्य दिया था जिसकी मैंने अनुमति दी थी। मैंने केवल इतना ही कहा था कि जब तक यह मामला तय नहीं होता इसे प्रकाशित नहीं किया जायेगा ।

**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : आपने नियम 377 के अधीन अनुमति दी है। मेरे मित्र ने नियम 188 का भी सहारा लिया है। वह यहां पर लागू नहीं होती।

**अध्यक्ष महोदय :** क्यों ?

**श्री हरि विष्णु कामत :** नियमानुसार इस प्रकार की चर्चा नहीं उठाई जा सकती।

जहां तक नियम 380 का प्रश्न है यह अत्यन्त व्यापक है। इसमें अध्यक्ष को व्यापक अधिकार हैं। इस मामले पर आपको उनसे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय :** इस बारे में अंतिम निर्णय तो मुझे ही लेना है। परन्तु मेरा कर्त्तव्य है कि मैं उनसे चर्चा करूं।

**प्रो० पी० जी० मावलंकर** (गांधीनगर) : मैं नियम 380 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस नियम के अनुसार अध्यक्ष को इन मामलों में स्वविवेक से निर्णय लेना होता है। इस पर आप सदस्य महोदय से कैसे चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि आपकी व्यवस्था से नियम 380 का विस्तार होता है। इसलिए कृपया इस पर पुनर्विचार करके स्वयं निर्णय लें। (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय :** इस मामले में पर्याप्त भ्रम पैदा हो गया है। चर्चा द्वारा हम अवसर देना चाहते हैं। अंतिम निर्णय अध्यक्ष द्वारा लिया जायेगा। श्री स्टीफन के साथ चर्चा के बाद मैं अपना निर्णय दूंगा। (**व्यवधान**)

**श्री सूरत बहादुर शाह** (खेरी) : आप प्रत्येक सदस्य से बातचीत कर सकते हैं। (**व्यवधान**) आपको अपना स्व-विवेक बरतना चाहिए।

SHRI KISHORE LAL (East Delhi) : All the rules are based on common sense. My point of order is that the procedure of a commission can be discussed in Parliament. I want to know whether it is correct to cast reflection and then withdraw it.

**अध्यक्ष महोदय :** इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

### (दो) सिडनी होटल में जहां भारत के प्रधान मंत्री ठहरे हुए थे बम विस्फोट का समाचार

**श्री वयालार रवि** :(चिटींयकील) : मैं सभा का ध्यान राष्ट्र मंडल सम्मेलन के दौरान सिडनी होटल में हुए बम विस्फोट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारा सौभाग्य है कि प्रधान मंत्री सहित हमारे सभी अन्य लोग जो उस होटल में ठहर हुए थे, बिना किसी चोट के बच गये।

किन्तु सिडनी होटल (आस्ट्रेलिया) में हुई दुर्घटना जानबूझ कर की गई तोड़फोड़ की घटना थी। मैं गृह मंत्री से विशेष रूप से जानना चाहता हूं कि मंत्रियों एवं विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की अधिक सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गई है ? आनन्द मार्ग जैसी कुछ संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। तीन संसद-सदस्य श्री समर गुह, श्री ज्योतिर्मय बसु तथा श्री वाजपेयी आनन्द मार्ग के मुखिया को जेल में मिले थे जिससे कि उन लोगों को महत्व मिल गया।

खेद की बात है कि सरकार ने इस प्रकार की आतंक पैदा करने वाली गतिविधियों की देश-विदेश में गुप्तचरी समाप्त कर दी है। सरकार को राजनीतिक दृष्टिकोण को ताक में रख कर अपने इस प्रकार के गुप्तचर अभिकरण की पुनः स्थापना करनी चाहिये। केवल तभी हम विदेशों में रह रहे भारतीयों की रक्षा कर सकते हैं।

**श्री समर गुह** (कन्टाई) : माननीय सदस्य को बिना कारण मेरा नाम लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। या तो आप इसे प्रकाशित न करें अथवा कल मुझे वक्तव्य देने दें।

इन सब तोड़फोड़ की घटनाओं के पीछे कोई बड़ा दिमाग कार्यरत है जो देश-विदेश में ऐसी घटनाएं करवाता है।

### (तीन) मध्य प्रदेश के कतिपय जिलों में ओलावृष्टि के कारण खड़ी फसल को हुए नुक्सान का समाचार

SHRI Y. P. SHASTRI (Rewa) : I want to draw your attention towards a serious incident in Madhya Pradesh. The State has completely undergone a crisis. Rewa, Satna, Sidhi Sagar, Jabalpur and Mandla Districts have been badly effected by hailstorm. As a result the crops have been totally destroyed.

Not only the crops have been destroyed but even the houses of the poor have been destroyed. This should be taken as national calamity.

Due to hailstorm famine conditions have come up in Madhya Pradesh. The whole country should come to the rescue of the State. Realisation of 'tacavi' should also be stopped.

Not only the recovery of loans from the people of Madhya Pradesh be suspended, but relief measures should be taken at war level, at this time of difficulty.

I would like to appeal to the Prime Minister and the Central Government to give help to Madhya Pradesh in this hour of difficulty and provide fund to them from the Prime Minister's Relief Fund.

### (चार) ओलावृष्टि के कारण मध्य प्रदेश के खजूराहो और छत्रपुर जिले में खड़ी फलसल को हुए नुक्सान का समाचार

SHRI LAXMI NARAIN NAYAK (Khajuraho) : Several districts of Madhya Pradesh particularly, Khajuraho and Chhatarpur districts were hit by hailstorm. Crops there have been destroyed, cattle heads perished. There is no sign of crop, due to which workers and farmers are facing starvation there.

The Central Government as well as the State Government of Madhya Pradesh should provide help to people there in this hour of difficulty. Today they are in need of foodgrains, seeds and fodder. They need immediate help to sow next crop.

Relief measures should be undertaken immediately. The workers and farmers there do not have purchasing power. Supply of foodgrains is essential to save them from starvation. The Central Government should provide immediate relief to them.

### (पांच) भारी वर्षा से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिये मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सहायता

SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN (Seoni) : Madhya Pradesh has had untimely rains this year. Jabalpur and Seoni districts recorded 85 inches of rain. The hailstorm has destroyed standing crop. The crops in Jabalpur, Seoni and other districts of Madhya Bharat were adversely affected.

Last time, the State Government spent Rs. 35 crores on relief measures out of which the Central Government gave only Rs. 5 crores. Now, the Central Government should give them more and more assistance. Recovery of Tacavi loans should be suspended forthwith. The interest on loans advanced by banks should be waived. Immediate help should be given to Madhya Pradesh in the form of foodgrains and cash. The same urgency should be shown in this case also as has been done in respect of Andhra Pradesh and Tamil Nadu.

---

## ब्याज विधेयक

## INTEREST BILL

**अध्यक्ष महोदय :** अब हम अगली मद पर चर्चा करेंगे। श्री वेंकटरामन, आप इस स्टेज पर इस पर आपत्ति उठाना चाहते थे ।

**श्री आर० वेंकटरामन :** ब्याज विधेयक का एक भाग संसद् के क्षेत्राधिकार में नहीं आता ।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि क्या इस बारे में निर्णय लेने की ड्यूटी मेरी है या न्यायालय की ।

**श्री आर० वेंकटरामन :** मैं केवल यह चाहता हूं कि रिका में यह जाये कि मने इस पर आपत्ति उठाई है ।

**वित्त और राजस्व तथा बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि कुछ मामलों में ब्याज अनुज्ञात किये जाने से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक का उद्देश्य भारत के विधि आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करना है, जिसने वर्तमान ब्याज अधिनियम, 1889 में कुछ संशोधन करके फरवरी, 1975 में अपना प्रतिवेदन पेश किया था। आयोग ने अधिनियम में व्यापक रूप से संशोधन किये ताकि इसके उपबन्ध अधिक उपयुक्त, विशिष्ट, असन्दिग्ध तथा कानूनी रूप से सन्तोषजनक हो सकें। आयोग ने इस बात को ध्यान में रखा है कि यह आवश्यक है कि यह ब्याज अधिनियम, सामान्य रूप में महत्वपूर्ण होने के नाते स्वत: पूर्ण अधिनियम हो जिसमें संगत तथा सरल उपबन्ध हों और जिन्हें इस समय साधारण नागरिक को कई न्यायिक उदघोषणाओं से एकत्रित करना पड़ता है। तदनुसार यह आवश्यक समझा गया कि पुराने अधिनियम के स्थान पर एक नया अधिनियम बनाया जाये।

अधिनियम को यह सुनिश्चित करने के लिये पुन: प्रारूपित किया गया है कि यह सिविल अर्थाभियोगों के अतिरिक्त अन्य मामलों पर भी लागू हो। इस तरह से ब्याज देने के स्वविवेक की आवश्यकता उसी तरह अन्य मामलों में भी होगी जैसा कि सिविल अर्थाभियोगों में। यदि अन्य शर्तें संतोषजनक हों तो भी इस अधिनियम के अन्तर्गत ब्याज का दावा करने से पूर्व एक लिखित विवरण की आवश्यकता नहीं होगी। ऋण की किसी अनिश्चित धन राशि को देयता के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें वस्तु के रूप में दिया जाने वाला ऋण भी सम्मिलित है। क्षतियों पर भी ब्याज दिया जायेगा। जब तक विपरीत कारण नहीं होते, तब तक क्षतियों पर, मृत्यु पर या व्यक्तिगत क्षति पर ब्याज देय होगा। विधि या संविदा द्वारा दहेज या बनाये रखने का दावा तथा जमा धन राशियों पर ब्याज के लिये भी विशेष उपबन्ध किये गये हैं। इसी तरह धोखा धड़ी से प्राप्त की गई धन राशि अथवा सम्पत्ति पर ब्याज लेने के लिये भी विशेष उपबन्ध किया गया है। न्यायालय को ब्याज वर्तमान दर पर देने के लिये अनुमति देने का अधिकार, दिया हुआ है। अर्थात् अनुसूचित बैंकों द्वारा धन राशियों के विभिन्न वर्गों पर देय ब्याज की अधिकतम दर की अनुमति न्यायालय दे सकता है।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव पेश किया गया :

> "कि कुछ मामलों में ब्याज अनुज्ञात किये जाने से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री यादव अपना संशोधन पेश नहीं कर रहे हैं।

**श्री आर० वेंकटरामन** (मद्रास दक्षिण) : ब्याज स्वयं में एक सारभूत अधिकार है। यह तो किसी दावे का मात्र अनुषंगी है। यह ऋण देने तथा ऋण दाताओं या कृषि ऋणों अथवा कार्यवाही योग्य दावों का अनुषंगी हो सकता है। किन्तु ब्याज स्वयं में कोई वस्तु नहीं है और इस संविधान की तीन सूचियों में से एक में भी शामिल नहीं किया गया है।

यदि कोई चीज किसी अन्य दावे का अनुषंगी दावा होता है तो यह सारभूत वस्तु नहीं हो सकती और इसका सम्बन्ध उसी वस्तु से होगा जिससे यह सम्बद्ध है। यदि यह ब्याज

ऋण देने पर देय है तो यह राज्य की सूची में आता है। ऋण देने सम्बन्धी बातों को निपटाने के लिये राज्य विधान मंडल सक्षम प्राधिकार लगता है, जिसमें कि ऋणों पर देय ब्याज सम्मिलित है। अतः इस तरह का विधेयक संसद् के समक्ष लाना जिसमें कि ऋण देने पर देय ब्याज सम्मिलित हो तथा संसद् को यह कहना कि ऐसा विधान बनाया जाये, केन्द्र के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करना होगा।

हम कार्यवाही योग्य दावों तथा उन पर देय ब्याज, विनिमय पत्रों, प्रामिसरी नोटों आदि तथा संविदाओं और उन पर देय ब्याज के लिये विधान बना सकते हैं किन्तु हम ऋण देने तथा ऋण दाताओं के बारे में विधान नहीं बना सकते हैं क्योंकि यह पूरी तरह राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है। अतः जहां तक इस विधेयक का उद्देश्य मुकद्दमा दायर करने से पूर्व देय ब्याज को नियमित करने का सम्बन्ध है, यह इस संसद् के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

**श्री जगन्नाथ राव** (बरहामपुर) : यह एक समेकन और निरसन करने वाला विधेयक है जिसका उद्देश्य ब्याज अधिनियम, 1839 का निरसन करना है। यह विधेयक विवादास्पद नहीं है। श्री वेंकटरामन द्वारा उठाई गई बात पर विधि आयोग; ने अपने 63वें प्रतिवेदन में विचार किया और आयोग ने स्वीकार किया कि इस विषय में विधान बनाने में संसद सक्षम है। यह सही है कि ऋण देने का काम राज्य की सूची में आता है। इस विधेयक के द्वारा राज्य सूची के अन्तर्गत राज्यों को नियत किये गये विभिन्न क्षेत्रों से वंचित नहीं किया जा रहा है।

इस विधेयक में कई संदेह स्पष्ट कर दिये गये हैं। जिनकी 1839 के अधिनियम में भ्रामक व्याख्या थी। उसमें विवादास्पद न्यायिक निर्णय थे। इसमें लाहौर न्यायालय तथा कलकत्ता न्यायालय का विचार भी था। विधि आयोग ने व्यापक रूप से इन सब बातों परविचार किया है और इस विधेयक का प्रारूप विधि आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर आधारित है।

**तत्पश्चात्-लोक सभा मध्याह्न-भोजम के लिये 14 बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

*The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock.*

---

**लोक सभा मध्याह्न-भोजन के बाद 2.07 म० प० पर पुनः समवेत हुई।**

*The Lok Sabha reassembled, after lunch, at seven minutes past Fourteen of the clock.*

**उपाध्य महोदय पीठासीन हुए**

MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*

**ब्याज विधेयक**—जारी

INTEREST BILL (*Contd.*)

**श्री कृष्ण चन्द्र हालदर** (दुर्गापुर) : विधि आयोग ने वर्तमान ब्याज अधिनियम, 1839 का संशोधन करने के लिये सिफारिश की थी। अतः यह विधेयक लाया गया है। यद्यपि यह एक छोटा सा विधेयक है किन्तु साथ ही यह एक महत्वपूर्ण विधेयक भी है। इसमें ब्याज का सामान्य कानून निर्धारित किया गया है जो कि किसी सांविदिक या सांविधिक उपबन्धों के न होने में लागू होगा। यह विधेयक निर्विवाद है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

SHRI DURGA CHAND (Kangra) : The previous Interest Bill was introduced in 1839. Certain difficulties were being experienced in it. So, the Law Commission has recommended in its 63rd report that the Interest Act be amended. It should be simplified in order to remove the difficulties being experienced. Hence, it is merely a simplification Bill to confer upon the courts the rights in respect of interest in the event of damage or injury so that they can decide in their own way. I feel Government have done a good thing in bringing this Bill. Certain difficulties used to arise in regard to interest; the courts also used to feel difficulties in interpreting it. These will be removed now. This Bill held all persons.

**श्री वयालार रवि** (चिटपिकोल) : विधि आयोग ने वर्तमान ब्याज अधिनियम में संशोधन करने की सिफारिश की है। किन्तु उनमें कुछ भ्रांतियां हैं कि क्या यह अवशिष्ट सूची के क्षेत्राधिकार में आता है अथवा यह राज्य सूची का एक भाग है। यह अधिनियम 1836 में पारित किया गया था। जब हमारा देश आजाद हो गया था तथा हमने अपना संविधान अपना लिया था तो फिर यह अधिनियम नहीं रहना चाहिए।

कुछ राज्यों के ऋणग्रस्तता के बारे में अपने ही विधान हैं जिनमें ब्याज भी सम्मिलित है।

यहां तक कि विधि आयोग भी किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया कि क्या यह पूरी तरह केन्द्र के क्षेत्राधिकार में आता है। किन्तु ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री जी ने पूरी तरह विधि आयोग की सिफारिश के अनुसार कार्य किया है। समूचे देश में, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों, तथा अन्य लोगों में ऋण ग्रस्तता व्याप्त है। उनके वेतन तथा बोनस में होने वाली समूची वृद्धि ऋण भुगतान में लग जाती है। उन्हें राहत पहुंचाने के लिये न तो केन्द्रीय सरकार ही कुछ कर रही है और न ही राज्य सरकारें। इस विधेयक में 4 हजार रुपये का जो उपबन्ध किया गया है, वह अच्छी बात है। इससे अधिकाधिक तथा गरीब लोगों को राहत पहुंचेगी। ग्रामीण लोगों को ऋण ग्रस्तता से बचाने के लिये राज्य सरकारों को उचित विधान बनाने चाहिये। आज भी हमारे देश में ग्रामीण ऋण ग्रस्तता विभिन्न रूपों में विद्यमान है।

मैं चाहता हूं कि मंत्री जी समूची स्थिति तथा परिस्थितियों पर ध्यान दें तथा ब्याज अधिनियम के इतिहास को देखें। वह विशेषकर विधि आयोग के प्रतिवेदन के पाठ दो को देखें, जिसमें ब्याज खोरी की प्रणाली के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है, जोकि गरीब ग्रामीण लोगों के लिये एक मुसीवत है। आज भी ऋण देकर गरीब लोगों से विभिन्न तरीकों से ब्याज वसूल करने तथा उन्हें लूटने की बातें हो रही हैं। सरकार को राज्य सरकारों को आदेश देने चाहिये ताकि वे लोगों को इस तरह की मुसीबत से छुटकारा दिला सकें।

SHRI HUKAMDEO NARAIN YADAV (Madhubani) : The previous legislation was a small legislation. Now this legislation has been brought before the House. I want to know from the Government what is being done for the welfare of rural people. What measures are being adopted by the Government to give relief to the rural people in the matter of interest. During emergency period steps were taken to abolish indebtedness but nothing could be achieved. It is seen in villages that whenever poor people borrow money from money lender, the poor people are badly exploited and atrocities are committed on them. The moneylenders charge high rate of interest from them. Government has not taken any step to avoid the exploitation of those poor people by the money lenders. The money lenders in some cases charge 20% interest. The Government should fix the minimum rate of interest.

When the Government do not give loan to poor farmers, they have to depend on money lenders for loan purpose, because that is the only alternative for them. If they

take loan from the money lenders at the rate fixed by Government, the money lenders will not give them loan. Some arrangements should be made by Government to provide loans to these people. Some financial institutions should be set up from where they may get loans at reasonable rate of interest. Otherwise money lenders in rural areas will continuously charge high rate of interest and this legislation will be of no use to rural people. They must get loan at the rate of interest to be fixed by the Government otherwise this Bill will not be beneficial to those people.

**श्री एच० एम० पटेल** : मुझे हर्ष है कि इस विधेयक का विरोध नहीं हुआ क्योंकि इसमें खूबियां हैं। एक बात यह कही गई है कि यह राज्य का विषय है। किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। विधि आयोग ने अपने प्रतिवेदन के पाठ तीन में इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को विधान बनाने के लिये सक्षम ठहराया है। जहां तक सांविधिक देयता पर व्याज देने की बात है यह विधान संविधांन की सातवीं अनुसूची की समवर्ती की 7वीं प्रविष्टि के अन्तर्गत आता है। जहां तक नुकसानों पर ब्याज का सम्बन्ध है यह प्रविष्टि 8 के अन्तर्गत होगा जोकि कार्यवाही योग्य गलतियों से सम्बन्धित है क्योंकि कार्यवाही योग्य गलतियों से सम्बन्धित है। जहां तक ब्याज के सम्बन्ध में निर्णय देने का प्रश्न है यह न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार होगा और प्रविष्टि संख्या 13 के अन्तर्गत होगा जोकि सिविल प्रक्रिया से सम्बन्धित है। इस तरह यह विधान संविधान की तरह सप्तम अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 97 जोकि अवशेष शक्तियों अथवा उन मामलों से सम्बन्धित है, जिनका उल्लेख सूची संख्या 2 अथवा 3 में किया गया है, के अन्तर्गत आ जाता है। चूंकि इस विधान का आशय मुख्यत: धन देने से सम्बन्धित नहीं है, इसलिये राज्य सूची की प्रविष्टि 30 अर्थात कर्ज देना अथवा महाजन से यह प्रत्यक्षत: सम्बन्ध नहीं है।

इस विधेयक का उद्देश्य बहुत सरल है और वर्तमान स्थिति को सरल बनाना और स्पष्ट करना है। आम जनता को इससे वास्तव में सहायता मिलेगी इसमें कोई गरीब और अमीर का प्रश्न निहित नहीं है। ब्याज की स्पष्ट व्याख्या करके मुकदमेवाजी को रोका जा रहा है। अत: इस विधेयक का समर्थन किया जाना चाहिये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि कुछ मामलों में ब्याज अनुज्ञात किये जाने से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

*The motion was adopted.*

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2 से 6 तक विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

*The motion was adopted.*

**खंड 2 से 6 तक विधेयक में जोड़ दिए गए)।**

*Clauses 2 to 6 were added to the Bill.*

खण्ड 1

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3

"1977" के स्थान पर '1978' प्रतिस्थापित किया जाये। (2)

(श्री एच० एम० पटेल)

**उपाध्यक्ष महोदय :** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

*The motion was adopted.*

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

*Clause 1, as amended, was added to the Bill*

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 --

'Twenty eights' (अठाईसवां) के स्थान पर "Twenty ninth" (उन्नीसवां) प्रतिस्थापित किया जाये। (1)

--(**श्री एच० एम० पेटल**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप से और विधेयक का शीर्षक विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

*The motion was adopted.*

**अधिनियमन सूत्र, संशोधधित रूप में, तथा विधेयक का शीर्षक विधेयक में जोड़ दिये गये।**

*The Enacting Formula, as amended, and the Title of the Bill were added to the bill.*

**श्री एच० एम० पटेल** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप से पारित किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

*The motion was adopted.*

# बाल (संशोधन) विधेयक
# CHILDREN (AMENDMENT) BILL

**शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृत मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र)** : बच्चे समाज के सबसे कमजोर वर्ग में आते हैं, अतः उन्हें सर्वाधिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों में एक विशेष उपबन्ध अन्तस्थापित किया है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों द्वारा सौंपे गये कर्तव्य के अनुरूप संसद् ने 1960 में संघ राज्य क्षेत्रों के बच्चों की सुरक्षा और कल्याण हेतु बाल अधिनियम पारित किया लेकिन इस बाल अधिनियम के कार्यान्वयन के समय यह पता चला कि इसमें कुछ त्रुटियां हैं। इन त्रुटियों को दूर करने हेतु यह विधेयक पेश किया गया है और वहां यह सर्वसम्मति से पारित हो गया।

इस विधेयक में अनेक उपबन्ध हैं । "उपेक्षित बालक" की परिभाषा में माता पिता की स्थिति का उल्लेख किया गया है । पहले यह अधिनियम केवल उन "अयोग्य" व्यक्तियों पर लागू होता था जो अपने बच्चों की ठीक तरह से देखभाल और नियन्त्रण नहीं कर पाते थे, परन्तु अब यह उपबन्ध किया गया है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत वे बालक भी आ जायेंगे जिनकी ठीक तरह से देखभाल नहीं होती।

जहां तक संरक्षण गृहों का सम्बन्ध है, स्वैच्छिक कल्याणाकारी संगठनों को ध्यान में रखते हुए कोई उपबन्ध नहीं किया गया था । लेकिन अब इन संगठनों को भी समावेश करने का विचार है ।

यह भी प्रतिस्थापित किया गया है कि अधिनियम के अधीन गठित बाल-न्यायालयों की सहायता कम से कम दो सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा की जानी चाहिये जिनमें से 1 महिला होनी चाहिये।

जहां तक बाल-गृहों और विशेष विद्यालयों का सम्बन्ध है, इन संस्थानों के वास्तविक उद्देश्यों की व्याख्या नहीं की गई है और अब इन उद्देश्यों की व्यख्या का प्रस्ताव है ताकि बालक के व्यक्तित्व की सम्पूर्ण वृद्धि और विकास सुनिश्चित हो। साथ ही उन संस्थानों द्वारा अनुसरण किये जाने वाले स्तरों की भी व्यावस्था की गई है।

अब हम पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के लिये भी उपबन्ध कर रहे हैं। यह भी उपबन्ध किया गया है कि विधि व्यवसायी न्यायालय के समक्ष बालको अथवा माता-पिता की ओर से पेश हो सकता है।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बाल अधिनियम 1960 का संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव है :—

"कि बाल अधिनियम, 1960 का संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये ।"

**श्री वयालर रवि** (चिरयिंकिल) : विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि बालक न्यायालय की सहायता कम से कम दो सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा की जानी चाहिये जिसमें एक महिला होनी चाहिये। आज जब हम ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का रवैया देखते हैं तो हमारे मन में कुछ संदेह उठता है । जिनकी कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है, उन्हें इन संगठनों में केवल मात्र इसलिये रखा जाता है कि कि उन्हें अंशकालिक नौकरी चाहिये । अतः सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि निहित स्वार्थ वाले लोग ऐस संगठनों में न आने पायें ।

बच्चे राष्ट्र की सम्पदा हैं। हमारे देश की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणाली ऐसी है, जिसके अन्तर्गत बच्चे परिवार की सम्पत्ति है और परिवार की जिम्मेदारी है। परिवार को उनकी शिक्षा, भोजन, आदि की भी व्यवस्था करनी पड़ती है । यदि परिवार निर्धन है तो बच्चे कमजोर होंगे और उनका उचित विकास नहीं होगा। देश को बच्चों को राष्ट्र की सम्पत्ति समझना चाहिये और उनके सर्वांगीण विकास के लिये तथा उनके जीवन के निर्माण के लिये राष्ट्र को जिम्मेदारी अपने ऊपर समझनी चाहिये। यह राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिये। हमें इस दिशा में पहल करनी चाहिये और इसके लिए कार्यक्रम तैयार करना चाहिये।

मुख्य प्रश्न बच्चों के स्वास्थ्य का है। देश के 80 प्रतिशत से अधिक बच्चे फुप्फस रोग से ग्रस्त हैं। ऐसा कुपोषण के कारण होता है। केरल में बच्चों को दोपहर का खाना अथवा दूध देने के लिये एक योजना है । ऐसी योजना अन्य राज्यों में भी शुरू की जानी चाहिये। हम इस राज्य का विषय मानकर इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य की देख-भाल और उनकी शिक्षा के लिये सरकार का अवश्य कोई कार्यक्रम होना चाहिये। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

SHRI SHAMBHUNATH CHATURVEDI (Agra) : I support this Bill. Every one should welcome this Bill. The number of neglected children is in crores. I think whatever legislations have been enacted for the welfare of children are confind to urban areas and that too in some big cities. What is being done in this regard in States, we have not any clear position about it. There is not clear picture before us about the functioning of children' Courts and children's homes. Although this bill is only for the union teretories, even then I welcome it Today there are 50 to 60 per cent people living under poverty line. Their childrens' condition is miserable. They do not get even two times meal. If they adopt wrong way, there is no wonder in it. Their parents are also not educated and even they do not know what is their responsibility towards their children. You can go in any city, and you will find that the children in large number between the age of 14 to 16 are working to meet their both ends meet. Of course their is law to prevent children of this age to work.

Cinema and Televisions are also spoiling our children. The tendency of crime is increasing in our students. They are being addicted to intoxicating drugs. It is well known what is the condition of orphanage today. In these orphonages children are exploited and they are compleled to do worst things. All these problems are before us.

Although I welcome this Bill, but at the same time I want to say that it is a gigantic problem. We have to consider in this matter in depth. How far we will be neglecting rural areas. We should make arrangements for their welfare. There is no provision in this bill.

Only such persons should be appointed in the Board who are efficient enough to do work. Very often some undesirable persons are appointed in these Boards who have no ability and who have no interest in the work. We should see that only such persons are appointed in these Boards who have field knowledge. No persons on the basis of

high degrees should be appointed as director. It should be kept in view that what is their past records. How much socialable they are. Degrees should not be the only criteria to appoint directors.

**श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** (उलुबेरिया) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यह विधेयक सभी बच्चों के लिये नहीं अपितु मुख्यत: उपेक्षित और अपकारी बच्चों के लिये है। समस्या यह है कि उपेक्षा की जो कानूनी व्याख्या है, उसकी परिधि से बाहर नहीं जा सकते।

हमारे देश की मुख्यत: समस्या निर्धनता है। प्राथमिक स्कूलों में जाने वाले 60 प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में ही स्कूल छोड़ देते हैं। इसका कारण यह है कि उनके माता-पिता उनसे कुछ काम धन्धा कराके पैसा कमाना चाहते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वे बच्चों का पालन पोषण कर सकें। जब तक उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं हो तब तक वे बच्चों को स्कूली शिक्षा नहीं दे सकते। अत: सबसे पहले निर्धनता की समस्या को हल करना होगा। संसद का यह कर्तव्य है कि बच्चों के कल्याणार्थ हर समय प्रयास करे।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

MR. SPEAKER *in the Chair*

ताकि वे सब लाभान्वित हो सकें तथा अपना भविष्य सुधार सकें।

---

## वाराणसी में श्री जगजीवन राम द्वरा डा० सम्पूर्णानन्द की मूर्ति का अनावरण किये जाने की घटना के बारे में प्रस्ताव

## MOTION RE : INCIDENT AT VARANASI AFTER UNVEILLING OF DR. SAMPURNANAND STATUE BY SHRI JAGJIVAN RAM

**अध्यक्ष महोदय** : अब हम श्री आर० एल० कुरील के प्रस्ताव को लेते हैं। मैं प्रत्येक सदस्य को केवल दस ही मिनट दूंगा।

SHRI R. L. KUREEL (Mohanlalganj) : I beg to move :

> "That this House do take serious note of the incident at Varanasi on the 24th January, 1978 where a statue of Dr. Sampurnanand after it was unveiled by the Hon'ble Defence Minister (Shri Jagjivan Ram) was washed with Ganga wate by certain persons thereby causing an insult to the national leader and the community and calls upon the Government to take action under the protection of Civil Rights Act, 1955."

Ill treatment is being meted out to persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the last hundreds of years. The previous Government during its reign of 30 years did not do anything concrete to improve the situation. Only propaganda was made nothing material was done. Economic, social and political independence has not been attained by us so far. It could be well imagined that when a national leader like Shri Jagjivan Ram is insulted in this manner, what treatment the poor people of these communities may be getting in rural areas.

This is not a political issue, it is rather a national problem which should not be side tracked. In every sphere attrocities are being perpetuated on the people of these communities. They are not taken on key posts. When such things are brought to the notice

of the Minister or the Chief Minister concerned, proper attention is not paid. Incidents of burning or killing the persons of these communities often take place. Government should pay particular attention towards this with a view to prevent likelihood of further division of the country. Serious efforts should be made to check practising of untouchability.

Persons of these communities are denied quotas, permits and licences as they could not afford to give securities. The condition of securities should be waived in their case.

The incident relating to Babuji is a very serious one. An enquiry should be made into it and those found guilty should be punished. A separate ministry should be formed for Scheduled Castes and Scheduled Tribes to deal with the situation in a better manner. in the Commission meant for these communities persons belonging to these communities only should be taken.

**श्री बी० पी० मंडल :** मै अपना संशोधन संख्या 1 पेश करता हूं ।

**श्री सी० एम० स्टीफन :** मैं अपना संशोधन संख्या 2 पेश करता हूं ।

SHRI MANGAL DEO (Akbarpur) : The incident at Varanasi may appear to be very insignificant but, in fact, it involves a deep-rooted question of casteism. It appears from this incident that there is a great conspiracy behind it and it will not be fair for the Government to dismiss it so lightly. I would, therefore, request the Government to conduct a judicial enquiry into this incident. It is surprising that the State Government of U.P. took no note of this incident and they have taken no action against the persons involved in it. It is the Union Government that is responsible for safeguarding the interests of Scheduled Castes and Scheduled Tribes that have been granted to them under the Constitution. Government should take earnest steps to protect them.

**अध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी बात संकल्प तक ही सीमित रखें ।

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI (Anantnag) : The incident of 24th January is really regrettable ....

SHRI MAHILAL (Bijnor) : There will be no speeches till some cabinet Minister comes here. (*Interruptions*).

**श्री पी० डी० मावलंकर :** यह बात सममुच महत्वपूर्ण है कि यहां कोई केबिनेट स्तर का मंत्री नहीं है । सरकार की ओर से कौन जवाब देगा ।

**श्री धीनेन भट्टाचार्य** यह अच्छा रहेगा कि हम सभा की बैठक को स्थगित करें क्योंकि कोई भी मंत्री यहां उपस्थित नहीं है ।

**अध्यक्ष महोदय :** कल जब इस विषय पर चर्चा हुई थी तो उस समय आप में से प्रत्येक ने कहा था कि इसके बारे में तुरन्त निर्णय लिया जाना चाहिये । इसीलिये मैंने शीघ्र ही कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई तथा आपको समय दे दिया । गृह मंत्री महोदय दिल्ली में नहीं हैं ....(व्यवधान) ।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य : (सीरमपुर :** इससे यह पता चलता है कि सरकार का हरिजनों के प्रति कैसा रवैया है कल आपने निर्णय लिया था, आज वह उपस्थित नहीं है. (व्यवधान)

**श्री बाला [illegible]विन्द प[illegible]नौर :** मेरा व्यवस्था का प्रश्न है संसदीय कार्य मंत्री को क्या हुआ.... (व्यवधान)

**श्री कृष्ण कान्त :** यह केवल संसदीय या विधायी मामला नहीं है । यह तो एक ऐसा मामला है जिसका सम्बन्ध देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं से है । यह बात मानी जा

सकती है कि प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री चुनाव दौरे पर हो सकते हैं परन्तु कम से कम एक मंत्रिमंडल के स्तर के मंत्री को तो यहां उपस्थित रहना ही चाहिये . . . (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : अब तो मंत्री महोदय आ गये हैं।

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : Mr. Speaker, Sir the motion which is before the House relates to the entire country. It does not simply relate to two personalities, but it relates to whole of the country and I think the whole country should be ashemed of it. Shri Jagjivan Ram is one of the leading leaders of the country. The incident of washing the statute of Dr. Sampurnanand in "Gangajali" is actually a stigma on the country. India is a country where the people of different castes and creeds are living in quite harmony with each other and they all have submitted themselves to one constitution. But it is a matter of grave concess for all of us that now-a-days the attrocities on Harijans are on increase. Now the time has come when a through prople should be made into Varanasi incident. It must be throughly investigated as to who are the people who were actually behind this incident? All of us must stand unitedly against all such incidents. It is a matter of pity that although for the last 30 years all sort of safe guards have been provided by the Government to Harijans but still there hardly appears to be any notable improvement in their flight. It is not an insolated incident at Varanasi. Such like incidents are taking place almost every day against Scheduled Castes, Harijans and other minorities. Therefore I am of the opinion that no commission can solve this problem. Moreover, the people who have been associated with the minorities commission, that is also far from satisfactory. It is correct that the Government is been to observe some people but how long the Government will go on observing the people who she fails to accommodate in other offices. May I know how the Government is going to help the poor Harijans by appointing Commissions?

Sir, whatever has happened an varanasi, I think State Government is responsible for it. A medical inquiry should be made into whole of the incident and the people responsible for it should be brought to book. The people who excite the people for such like things just for their own selfish ends are the real emenities of the country. We must rise where the party politics for deciding such like things. We must join hands for raising our voice against any atrocities or injustices to Harijans and Scheduled Castes.

SHRI D. N. TIWARI (Gopalganj) : At the very outset I would condomn the incident of Varanasi which is the most glaring example of casteism in the country. I will request my friends not to lower down the stature of Shri Jagjivan Ram because Shri Ram is not only a great national leader but he is a leader of international stature. If you happen to visit the Constituency of Shri Jagjivan Ram, you will find that Brahmins will be his most endent supporters and their number too will be much more. On 2nd February, 1977 when Shri Jagjivan Ram left Congress, at that time Shri Bahuguna and Smt Satpathy were with him. So the people belonging to other communities were all the time with Bahuji even at the time of such a crisis.

Sir, it is my firm conviction that Hindus should condemn this incident to the maximum extent and they must bear in mind that a man is worshiped for his virtues as a goodman. The Caste should not play such a role in our country. Such like incidents should not be repeated in our country. We must bear in mind the fact that we all are responsible for such like incidents. It is a matter of great concern that although more than a months' time has clapsed but no action has been taken by the State Government so far. It is strange that uptill now just 19 persons have been arrested. My submission is that calprits should be brought to book at the earliest.

SHRI SHIV NARAIN SARSOMA (Karol Bagh): Whatever has happened at Varanasi with Shri Jagjivan Ram is a very serious thing and a matter of great shame for all of us. It reflects the duel state of slavery in the country. The various incidents of

atrocities on Harijans in different parts of the country prove that they are not being considered as a part and parcel of this nation but they are being treated as animals......

It is not a political or a party issue. So, it is necessary to nip in the bud the inhuman elements which work behind such incidents. It is most distressing to note that Government have not attached as much importance to this issue as it deserves. Therefore, the most essential thing to be done in this regard is to give deterrent punishment to those who indulge in such activities. Action should be taken against them under the Untouchability Act Government should take all necessary steps to ensure the safety of Scheduled Castes people. A separate Ministry should be formed to protect the interests of scheduled castes and scheduled tribes. Similarly, a separate budget should be framed to provide for the welfare of these people and all rules providing reservations to them in services should be implemented honestly.

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : (त्रिवेन्द्रम) : कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस कार्य की निन्दा न करे । मुझे श्री तिवारी के इस कथन से कि यह गुंडा तत्वों का काम है, दुःख हुआ है । इस प्रकार वह इस घटना के महत्व को घटाना चाहते हैं । इस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता । कुछ लोग संविधान के उपबन्धों का जानकर उल्लंघन कर रहे हैं । मैं अनुभव करता हूं कि इस प्रश्न का एक मात्र उत्तर आन्दोलन करना है । कुछ लोग यह सोचते हैं कि यह उचित अवसर है कि जब इन लोगों पर अपना कानून चलाया जाये । इसका हल नागरिक अधिकार आन्दोलन है और इस आन्दोलन में अनुसूचित जातिया और जन जातियां निर्णयात्मक भूमिका निभायेंगी । सभी राजनैतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस आन्दोलन में शामिल किया जाये । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों का संसदीय फोरम एक ऐसी बैठक बुलाने की पहल करे जिसमें इन विचारों में रुचि रखने वालों को एक साथ लाया जा सके । एक तदर्थ समिति का गठन किया जाये और यह समिति वाराणसी से जहां यह घटना हुई यह आन्दोलन चालू करें जो देश भर में फैले । ऐसा करने पर ही संविधान का उल्लंघन करने वालों को रोका जा सकता है । इस आन्दोलन को गांवों में ले जाया जाये । ये लोग गांव के लोगों को संगठित कर उन्हें नागरिक अधिकारों की जानकारी करायें और फिर उन्हे सामाजिक अत्याचारों से लड़ने में मदद करें । सदन के विभिन्न दल अपने मतभेद भूलकर ऐसे आन्दोलन को चलाने का निणय करें ।

SHRI R. N. RAKESH (Chail) : It is distressing to note that such a serious incident as took place at Varanasi on the 24th January is not highlighted in the Press. It is a great blow to the fundamental rights of oppressed people. It has been learnt that this incident was planned by those who believe in casteism. It is not the insult of Shri Jagjivan Ram, but it is an affront to humanity. The Sampurnanand Sanskrit University is an institution where seeds of casteism are being sown. It is also distressing to find that the Government of Uttar Pradesh is complacent in this matter only with the a es ot 19 persons. The most important thing in this regard is that the Union Home Minister has failed to give adequate protection to Scheduled Castes, and atrocities continue to be committed against them. Therefore, a separate Ministry at the Centre should be formed to safeguard the interests of Scheduled Castes and Tribes and backward classes.

The memorandum submitted to you has been signed by all of us and I lay it on the Table of the House. We are not going to bear more insult now. We will crash all the atrocities and conspiracies against us.*

---

*अध्यक्ष द्वारा आवश्यक अनुमति न दिये जाने पर पत्र सभा पटल पर रखा नहीं माना गया ।

The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission, the paper was not treated as laid on the Table.

SHRI BASANT SINGH KHALSA (Ropar): The entire nation has to hang its head in shame over such an incident as has taken place at Varanasi. It is not a party question or a communal issue. It is well-known that people of lower castes have been subjected to various sorts of atrocities for centuries. But it is most distressing to find that the same attitude and trend still continues. It appears that there is a calculated conspiracy against 20 crores of poor people with a view to suppress them inspite of various safeguards given to them in the constitution. Therefore, a judicial enquiry should be instituted in this case to find out the culprits and deterrent punishment must be given to them. In order to vender justice to the lower caste people, a separate Ministry should be framed to look after the welfare of these people and to protect their interests.

*श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : यह दुखद घटना 24 जनवरी, 1978 को, एक केन्द्रीय मंत्री द्वारा डा० सम्पूर्णानन्द की मूर्ति के अनावरण के बाद घटी। सभा के सभी वर्गों द्वारा बिना किसी संकोच के ठीक ही भर्त्सना की गई है।

यह बहुत दुख की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 30 वर्षों के उपरान्त भी अनुसूचित जातियों के लोगों पर होने वाले अत्याचारों में तनिक भी कमी नहीं हुई है। हमारा समाजिक आर्थिक ढांचा ऐसा है कि लोगों की शताब्दियों से ऐसी ही मनोवृत्ति चली आ रही है। निर्धन वर्ग का अभी भी शोषण जारी है। नागरिक अधिकारों के मामले में उन्हे अभी भी समानता प्राप्त नहीं है। इस प्रकार की मनोवृत्ति हमारी आर्थिक प्रणाली में अन्तर्भूत है। यह ठीक ही कहा गया है कि अन्य लोगों के समान नागरिक अधिकार प्राप्त करने लिये हमें आन्दोलन आरम्भ करने होंगे। वास्तव में शोषण की आदत को रोकना होगा। हमे इस बीमारी को जड़से उखाड़ फेकना होगा। अन्यथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति प्रति वर्ष होती रहेंगी। यह हमारे देश के लिये बहुत शर्म की बात है कि ऐसी घटनाए आज भी हो रही हैं। इस समस्या की गहराई से जांच करने के लिये एक सर्वदलीय संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिये।

कहा गया है कि वाराणसी घटना के सम्बन्ध में 19 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह लोग किस राजनीतिक दल के हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वाराणसी घटना के बाद उस क्षेत्र के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

हमें इस समस्या पर दो तरफा बार करना होगा पूर्ण और समान नागरिक अधिकार दिए जाने चाहिय और हमें एक वर्ग रहित समाज की स्थापना करनी चाहिये। इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेकना के लिये एक वर्ग रहित समाज की स्थापना बहुत आवश्यक है। ऐसे होने पर ही हम छुआछूत की बुराई तथा दलित वर्गों के शोषण को समाप्त करने में सफल होगें।

SHRI RAMJI LAL SUMAN (Firozabad): It will not be an exaggeration to say that our Government have not done any concrete thing to solve the problems of Harijans.' No social changes have come in the country despite the change in Government.

So far as this incident is concerned, Shri Kamlapati Tripathi and Shri Karunapati Tripathi have direct hand in it. Shri Karunapati Tripathi is the Vice-Chancellor there and

*बंगला भाषा में दिये गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

is fully responsible for any incident that takes place there. It is very clear case and culprits should be punished.

So far as Shri Jagjivan Ram is concerned, he is not the leader of Harijan community alone. He is a national leader and his disrespect amounts to disrespect of the entire nation. The Government should take steps to root out reactionary elements who are responsible for such incidents. While giving details about the otrocities on Harijans in the House during last session, Shri Mandal had said that U.P. tops in the country so far as incidents of atrocities on Harijans are concerned. It is a matter of great regret. Government of Uttar Pradesh nas toid the Distt. authorities and S.Ps. that they will be responsible in case any atrocities on Harijans come to notice. But inspite of this nothing has been done to protect them. On 17th July, 1977, the Prime Minister asked the Chief Ministers of States to keep strict eye on the incidents of atrocities on Harijans. I will have to accord my approval for launching non-violent movements against such cases.

There were incidents of atrocities on Harijans. All such incidents should be inquired into. The Government should take effective steps to anveliorate the lot of Harijans and to check atrocities on them.

**श्री अरविन्द बाला पजनौर** (पांडिचेरी) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं सदन में व्यक्त किये गये जोरदार विचारों का पूरा समर्थन करता हूं । परन्तु मुझे यह बताते हुए खेद है हे कि यह सच है कि अभी भी यहां कुछ अवांछनीय तत्व हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि मैं उस दल से सम्बन्धित हूं जिसने न केवल आज या कल से ही अपितु गत 50 या 60 वर्षों से इसके लिये संघर्ष किया है। यदि यह आन्दोलन विन्ध्याचल के पार चलता तो यह बात अधिक अच्छी होती। हमारे कुछ मित्रों ने कहा है कि हमें इस मामले को राजनीतिक मामला नहीं बनाना चाहिए। मैं भी उनसे एक हूं। परन्तु हम सच्चे दिल से इस कार्यवाही की निन्दा करते हैं।

वराणसी में जो कुछ हुआ है, उससे मेरा सिर लज्जा से झुक जाता है। आज हम इस बारे में भाषण इसलिए दे रहे हैं कि ताकि लोग समझ सकें कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के हम ही रक्षक हैं। मैं नहीं जानता कि ऐसा लज्जाजनक कार्य किसने किया है किन्तु जिस किसी ने किया है, वह जातिवाद तथा साम्प्रदायिकता के वातावरण में पला है। मैं ऐसे दल का सदस्य हूं जो कि इस बुराई को समाप्त करना चाहता है। हम माननीय समानता में विश्वास रखते हैं। बाबू जगजीवन राम का, जो एक राष्ट्रीय नेता हैं, अपमान हमारा ही नहीं बल्कि समूचे विश्व का अपमान है। मैं ऐसे दल का सदस्य हूं जोकि इस बुराई को जड़ से समाप्त करना चाहता है। कानून के सामने सभी बराबर हैं किन्तु सरकार इस समय के दौरान क्या करती आई है। इस तरह की बात वास्तव में निन्दनीय है।

हमें अपनी जाति पर गर्व है और हम ब्राह्मणवाद तथा वर्ग समुदाय पर विश्वास नहीं कर सकते। आज हरिजनों की कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए सरकार को इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए।

बाबू जगजीवन राम जाति प्रथा को समाप्त करने में लगे हुए हैं। परन्तु हम में से कितने इस प्रयोजन के लिए गंभीरता से काम करते हैं। तमिलनाडु और पांडिचेरी कोई दल रामास्वामी के कथन की उपेक्षा नहीं कर सकता। उनकी विचारधारा आन्न की छत्रछाया में राज्य भर में फलीफूली है तथा वर्तमान मुख्य मंत्री श्री एम० जी० रामचन्द्रन द्वारा यह और भी फैली है। उत्तरी भारत के राज्य समानता की इस नीति का पालन करें और साम्प्रदायिकता ब्राह्मणवाद तथा सभी पापों का सामना करें।

हम अनेकों संकल्प पारित कर सकते हैं। परन्तु उस कार्यवाही क्या होती है । अनेकों सदस्यों ने सरकार से वक्तव्य देने के लिए कहा है ।

राज्य मंत्री 19 लोगों के गिरफ्तार किए जाने की अभी बातें कहेंगे । इससे प्रचार मिलेगा । इस सम्बन्ध में आवश्यक ठोस कदम उठाए जाने चाहिएं । सरकार तुरन्त जांच करने का आदेश दे ।

SHRI SHYAM SUNDER LAL (Bayana) : The incident which happened on 24th January, 1978 and in which Babu Jagjivan Ram was insulted is a matter of great concern. The Government machinery *i.e.* policemen became silent spectators. It is a shameful matter. This is not insult only of Shri Jagjivan Ram, but the slogans raised there clearly show that the entire exploited society as well as the scheduled castes were insulted. If such popular leader of national level can be treated like this, then what will be the fate of poor scheduled castes people living in rural areas as well as in urban areas. It can easily be guessed. It is a national problem. It can not be solved by giving figures but some concrete steps will have to be taken to eradicate untouchability and casteism.

People had very high expectations from Janata Party that they would ably protect the interests of scheduled castes and other backward people. But the reality is quite contrary. It seems that it is free for all to commit atrocities, exploit people, etc. Theer are so many instances when the houses of Harijans were set on fire and they were murdered.

The Harijans are not being given adequate representation in services. They should be given more opportunities of employment in public sector as well as in private sector.

The incident should be looked into. I want that the Superintendent of Police responsible for it should be dismissed. At the same time the Chief Minister and the Home Minister should be asked to resign.

I want that a separate Ministry should be set up for looking after the interests of scheduled castes and scheduled tribes and only those persons should be appointed in that Ministry who belong to these communities. Only then some attention will be given to their problems. No one is interested in looking after our welfare.

[श्री धीरेन्द्रनाथ बसु पीठासीन हुए ]

[SHRI DHIRENDRANATH BASU *in the Chair*]

**श्री सी० एम० स्टीफन** (इदक्की) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । इस प्रस्ताव का सम्बन्ध एक ऐसे विषय से है जिसके बारे में सदन में ही नहीं, बाहर भी सर्वत्र शेष है। 30 वर्षों की स्वतन्त्रता और अस्पृश्यता विरोधी कानून के पारित होने के 20–22 वर्ष बाद ऐसी घटना वाराणसी में घटी है । यह समूचे देश के लिए चुनौती है ।

देश भर में अनुसूचित जातियां फैली हुई हैं और अपने खून पसीने से देश की अर्थ-व्यवस्था सुधारने में योगदान दे रही हैं । ये हमारे राष्ट्र के प्राण हैं। इनका एक विशाल समाज है । परन्तु आज भी ये लोग पददलित हैं। जब तक इन सब जातियों का उत्थान नहीं होता तथा ये संगठित नहीं होते तब तक इनकी समस्या हल नहीं हो सकती । इसी में सम्पूर्ण क्रांति का आधार है ।

अन्य जातियों ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया की है ? यदि ऐसा किसी अन्य व्यक्ति के साथ होता तो सभाएं करके विरोध प्रकट किया जाता । परन्तु बाबू जगजीवन राम के सम्बन्ध

में समाचार पत्रों तथा अन्यत्र कहीं कुछ नहीं हुआ । सदन के लिए यह गर्व का विषय है कि उसमें इस पर चर्चा हो रही है और इस चुनौती का सामना किया जा रहा है तथा देश की हरिजन जाति पर हुए अत्याचार के विरोध में आवाज उठाई जा रही है ।

इस घटना के बाद सरकार को अपनी प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए थी । दिन प्रति दिन हरिजनों के जिन्दा जलाए जाने और मारे जाने की खबरें आ रही हैं। इसकी प्रतिक्रिया मामूली सी हुई है । सत्ताधारी लोगों को ऐसी घटनाओं के न होने के लिए उपाय करने चाहिएं । सहनशक्ति की सीमा होती है । अब भी यदि ऐसी ही उपेक्षा होती रही तो राष्ट्र को हानि पहुंच सकती है ।

महात्मा गांधी ने यह विषय क्रांतिकारी ढंग से उठाया था । उसके बाद हमने इसे अधिक महत्व नहीं दिया। एक विस्फोट की आवश्यकता है। एक क्रान्तिकारी नेता की आवश्यकता है। प्रत्येक गांव और मोहल्ले में संगठन बनाने की आवश्यकता है, जिससे नागरिक अधिकारों की प्राप्ति हो सके । इस क्रांतिकारी आन्दोलन को चलाने के लिए कोई नेता सामने आना चाहिए ।

SHRI CHHABIRAM ARGEL (Morena) : When Babu Jagjiwan Ram unveiled the statue of Dr. Sampurnanand at Vavanase, some undesirable elements washed that statue with Ganga water. It is not insult only of Shri Jagjivan Ram, but it is insult of exploited and the respectable society of India. Those persons found responsible for this incident should be penalised under Civil Security Law. They should not be spared.

There should not be any discrimination against any caste. There should be no casteism. If such shameful incident can be with Babu Jagjivan Ram, what will be the condition of a poor Harijan living in rural area. Nothing can be said in this regard. There is some consipiracy behind the atrocities being committed on Harijans.

It is true that during the rule of present Government the atrocities on Harijans have reduced. But there should not be any such incident. The Government should make efforts in this direction. If such incidents are not stopped in the country, we will be united and fight against such evils. Only then Government will feel that we are also united. You know Ministers of Cabinet Level were here. When this motion was moved they left the House. I am grateful to the House that it has compelled them to come here and they have to come. We warn the Government that such atrocities and injustice should be done away with.

Government should bring forward intercaste marriage Bill and that Bill should be welcomed and have unanimous support. If the Government is keen to abolish casteism and other discriminations, then only those persons should be appoint in first class services who go for marriage Bill.

This whole incident should be judicially enquired into and the persons found guilty should be punished. Our Prime Minister has declared that wherever atrocities are committed, the Collector and the Superintendent of Police of that area will be deemed guilty. I want that the Collector and S. P. of Varanasi should be dismissed.

All the institutions based on religion and casteism should be abolished so that we may establish a society without castes.

SHRI UGRASEN (Deoria) : The incident which took place at Varanasi in which Babu Jagjiwan Ram, our national leader has been insulted should be condemned as much as possible. If is not insult of Babu Jagjiwan Ram, neither it is insult of any national leader, but it is insult of the whole humanity. It is insult of Lord Krishna, Ram and Alah.

There should be a casteless society in the country. For achieving this goal you will have to abolish caste system. This social evil will have to be fight strongly. There is need of bringing revolution to do away this evil. It would not be a ordinary revolution. Unless and until the revolution mooted out by Shri Jai Prakash Narain and late Dr. Lohia is adopted, the discrimination, casteism and differences in the society will not be finished, and we will not be able to remove all these evils from our society.

Very often it is said that the backward people, Harijans and Scheduled Castes should rise. They can only rise if they are given adequate representation in Government and at the same time they should be given money also. Landless people, Harijans and Adivasis should be given land. If they had some business or factories they would have also become Caste Hindus and those who are Thakur and Brahmins would have become Harijans and Scheduled Castes.

I want to know what steps you are taking in this regards. You may conduct enquiry. Some members said that the Collector and the S. P. of Varanasi should be dismissed from service. But if you remove these two person another hundred such persons will come up. Efforts should be made to remove inequately in the society. If you want to give Harijans equal status in the society, you should distribute land among them. They should be provided adequate, employment opportunities. You should issue an order that the employment opportunities will be given only to those persons who have been neglected for the last many decades. For employment Thakurs and Brahmins should not be given first priority.

I appeal to the elite and to the educated to eradicate this evil from the Society. With these words I severly condemn the incident showing disrespect to Babuji and support this resolution.

**डा० हैनरी आस्टिन** (एर्नाकुलम) : वाराणसी की इस घटना से प्रत्येक भारतीय की आत्मा को चोट पहुंचानी चाहिए । एक ओर तो सत्ताधारी दल नागरिक अधिकारों और मानवीय प्रतिष्ठा का इतना अधिक ढोल पीट रहा है और दूसरी ओर यह गन्दी घटना हुई है । यह अत्यन्त दु:ख की बात है कि जगजीवन राम जी जैसे राष्ट्र नेता का इस प्रकार अपमान किया गया । जब तक जातिवाद विद्यमान है, किसी भी प्रकार का लोकतंत्र बेकार है ।

इस घटना के बारे में इतनी बात कही गई पर श्री जगजीवन राम ने एक शब्द भी इस सम्बन्ध में नहीं कहा । यह उनकी महानता है । इस मामले को अपने हाथ में लेने का काम भारतीयों का है कि वे इस सामाजिक बुराई को समाप्त करें अन्यथा लोकतंत्र बच नहीं सकता । इसलिए हम संसद सदस्यों को चाहिए कि इस समस्या पर गहराई से विचार करें । हमें इस बारे में जनमत तैयार करना चाहिए । यदि आवश्यक समझा जाए तो इस घटना की जांच के लिए एक संसदीय समिति गठित की जा सकती है ।

जो कुछ हुआ है उस पर हमें शर्म आनी चाहिए । हम यह संकल्प करें कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न होने पाए । मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस में हरिजनों की अधिक संख्या में भर्ती की जाए । आज हम यह प्रतिज्ञा करें कि हम भारत की जनसंख्या के उस छठे भाग के साथ हैं जिनमें हरिजन और गिरिजन आते हैं ।

यदि हम इस घटना के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते, तो हम अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर जाति भेद के विरुद्ध कैसे बोल सकते हैं ?

SHRI KASHARULAL HEMRAJ JAIN (Balaghat) : Sir, this incident of Varanasi is very shameful. It is regrettable that the former Congress Government did not take any action against the atrocities on Harijans. It is Shri Jagjivan Ram who raised his voice against the Congress Government and it is he who is responsible for the establishment of the present Janata Government. The treatment which has been meted out to such a man only showed that atrocities continued to be perpetrated on the Harijans in the Janata rule and the Government is unable to check them. It is a matter of great shame that this Government is unable to protect the Minister who has been incharge of Defence in the country. When this is the situation how can it gaurantee the defence of the country ?

How we can forget Shri Lal Bahadur Shastri, one time Railway Minister who had resigned when there was a railway accident ? Every day we see atrocities being committed on Harijans. Still the Home Minister is sitting content as if nothing has happened. Let Shri Charan Singh and the Chief Minister of Uttar Pradesh resign. While we support the Janata Government, we cannot shut our eyes to these shameful incidents. It is hightime that Janata Government took some concrete steps to prevent the recurrence of such incident, otherwise people will not forgive them.

SHRI B. P. MANDAL (Madhepura) : Sir, this incident is not an insult to Babu Jagjivan Ram but to the whole nation. Babuji is one of the ablest Ministers you may entrust any Ministry to him, he will prove worthy of it. Incidents of atrocities on Harijans are increasing. I do not know when the Government will be able to check them.

Harijans are not being given high posts and they are being ignored at every level. There representation is quite inadequate. There is incharge in the incidents of atrocities on Harijans since the Janata Party has formed its Government. The Central Government should pull up that Chief Minister in whose State these atrocities are committed. The Janata Party must take initiative in ending Brahamanism in the country.

SHRI PARMAI LAL (Hardoi) : Every body in the country is unhappy over the incident at Varanasi. What happened with Babu Jagjivan Ram is an insult of the whole country and the House is also concerned about it. Atrocities are being committed on Harijans every day and their women are being raped. The Congress Party is blaming the Janata Party that it is indifferent to the needs of Harijans. I think it is a conspiracy to discredit Janata Party.

Harijans in Uttar Pradesh feel themselves quite insecure. The atrocities on them are on the increase. The administration is not taking stern action against the culprits.

Moreover Harijans are not employed in Government Services. They are not considered for posts like those of S. P., D. M. and other I.A.S. services. The Congress Government was unseated because they were befooling the Harijans for the last 30 years. So the Janata Government should be more alert and agile. They should take immediate steps to safeguard the interests of Harijans.

***श्री ए० मुन्ना साहिब** (पालघाट) : इस महान राष्ट्र के इतिहास में 24 जनवरी, 1978 का दिन बहुत दुःखद माना जाएगा । हमें तो सम्पूर्णानन्द का नाम लेने से ही खुशी अनुभव होती है । लेकिन इस दिन बाबू जगजीवनराम का जो अपमान किया गया वह तो हमारी आने वाली सन्तानों का भी अपमान है । केवल शब्दों से इस अघात का उपचार नहीं हो सकता इसके लिए ठोस कार्यवाही की जरूरत है ।

---

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर

यह कितनी विडम्बना है कि इस देश में जहां समस्त मानव मात्र को प्रकाश उपलब्ध होता था, आत्मा को परमात्मा से मेल मिलाने का रास्ता माना जाता है, वहां इस प्रकार जातियों और साम्प्रदायों का विभाजन होता है। यह घटना तो असहनशीलता का अभद्र प्रदर्शन है और हजारों वर्षों की शानदार सफलताओं के पैरों तले रोंदने वाली बात है। हमें अपनी संस्कृति को कलुषित नहीं करना चाहिए प्रत्युत उसके गौरव में वृद्धि करनी चहिए। महात्मा गांधी जीवन भर 'ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको संमति दे भगवान' करते रहे। खेद की बात है हमारे भाई ही उनकी विचारधारा का सत्यानास कर रहे हैं। वाराणसी की घटना को सदा के लिए समाप्त किया जाना चाहिए। हम आजकल अन्तर्राष्ट्रीयता के युग में प्रवेश कर रहे हैं। राष्ट्रीयता तक के बन्धन टूट रहे हैं। क्या आज भी हम जन्म के आधार पर व्यक्ति को ऊंचा-नीचा मानते रहेंगे? फिर भी इस तरह की घटिया बातें हो रही हैं जिनकी जितनी निंदा की जाए कम है। में समाज में प्रचलित इस बुराई का समूल नाश करने के लिए व्यावहारिक कार्य करना चाहिए हमारी बातें केवल सभा के परिसर तक ही सीमित न रहें।

SHRI MAHILAL (Bijnor) : Sir, I had been very near to Dr. Sampurnandji. The persons who have shown disrespect to Babu Jagjivan Ram have troubled the soul of Dr. Sampurnandji himself. Dr. Sampurnand did not believe in Casteism. When the Calcutta High Court included Kayasthas in the list of scheduled castes he protested through his book 'Brahman Savdhan' (Brahmin be beware). So one can see that he believed in humanity.

Today untouchability can not have any place in our society. This evil has to be eradicated for all time to come. We should accept this challenge and fight against Casteism otherwise our nation will become weak.

I have little doubt that this incident has political overtones. The persons having political differences with Babuji have played this dirty trick. These acts should be termed as anti-national. Babuji has not only done great service to the Hinduism but he has actually defended it.

The law and order situation in Uttar Pradesh has considerably deteriorated. These days dacoities are being committed in the houses of Judicial Magistrate, Police Sub-Inspectors and other high ups. It appears that there is no administration. It, is, therefore, requested that you should have up the administration. You should try to ameliorate the condition of Harijans. By doing so you will be doing a national service. If you ignore the problem of Harijans, you will be ignoring the national interest.

SHRI GOVIND RAM MIRI (Sarangarh) : The incident which took place at Varanasi on 24th January was unfortunate. It is really sad that the attitude of the present Government towards this incident is as indifferent as that of the previous Government.

The services rendered by Babu Jagjivan Ram to the cause of the nation are well known. He took a great risk of resigning from the Congress during emergency.

It was not insult to Babuji but this House and country also. It is really regrettable that the Government and the ruling party leaders are unperturbed over this incident.

The Janata Party leaders took oath at the Samadhi of Gandhi before assuming the power. We are pledged to protect Harijans by all means including constitutional means. The incident is indicative of the measures in which we are protecting Harijans.

Police is not even aware of the provisions of the untouchability Act. We have not seen anybody punished under this Act. I think that all those who commit such offences should be dealt with sternly.

Our problems will not be solved till a separate Ministry is opened.

SHRI JWALA PRASAD KUREEL (Ghatampur) : It should not be thought that we are expressing anger over this incident. This is not a new incident. We are not feeling angry because Babuji was subjected to insult. We are angry because caste Hindus believe as if Hindu religion is their ancestoral property. We cannot allow them to destroy the religion of which we are also a part. We are not surprised at the insult to a national leader because greatmen engagd in removing social disparities have always been subjected to such a humiliating treatment. In the past, greatmen like Guru Ravi Das and Swami Daya Nand were also subjected to such a treatment.

Protection of Hindu religion is not an ancestoral obligation of a section of society. Harijans have also played their part or role in the progress and prosperity of the country. We are sorry that atrocities on Harijans are being committed under the Janata rule also. This incident should serve as eye opener to the Janata Government. We want the Government to have a soft corner for the betterment of this section of society.

**श्री धरेन्द्र नाथ बसु** (कटवा) : यह घटना सभी सभ्यताओं द्वारा निंदनीय है। आजादी के तीस वर्ष बाद भी हम इस प्रकार की दुर्घटना की कल्पना नहीं कर सकते थे । राज्य सरकार तथा स्थानीय अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में क्या किया । दोषियों के विरुद्ध कोई भी सख्त कार्यवाही नहीं की गई ।

अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों के बारे में बातें तो बहुत की जाती हैं लेकिन उनके कल्याणार्थ कोई भी काम नहीं करता । हरिजनों की अपेक्षा बहुत पहले से क्यों होती रही है और आज भी क्यों हो रही हैं ? मैं मंत्री महोदय से पूछता हूं कि उन्होंने वाराणसी की दुर्घटना के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

बाबू जी एक राष्ट्रीय नेता ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय नेता भी हैं, अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस दुर्घटना की न्यायिक जांच कराएं ।

**श्री चित्र बसु** (बारसाट) : मैं सभा के उन माननीय सदस्यों का समर्थन करता हूं जिन्होंने 24 जनवरी को हुई दुर्घटना की निंदा की है । इस दुर्घटना की निंदा जितनी भी की जाए, उतनी ही कम है । यह अपमान श्री जगजीवन राम का नहीं, भारत के रक्षा मंत्री का नहीं, बल्कि समूचे राष्ट्र का है । यह एक अक्षम अपराध है । राष्ट्रीय आत्मा को इस निंदनीय कृत्य का विरोध करने के लिए जागना चाहिए ।

मैं गृह मंत्री को बताना चाहता हूं कि कुछ समाज विरोधी ताकतें देश की एकता को छिन्न-भिन्न करने के लिए काम कर रही हैं। इन ताकतों का मुकाबला किया जाना चाहिए । इस बुराई का मुकाबला राजनैतिक तथा प्रशासनिक दोनों स्तरों पर किया जाना चाहिए । इस मामले में हमें भावनाओं से काम नहीं लेना चाहिए । इस मामले में पहली दोषी यू० पी० सरकार है जो जातपात सम्बन्धी कानूनों को लागू करने में असफल रही है । इसके बाद दूसरा दोषी गृह मंत्रालय है जो संविधान के अन्तर्गत हरिजनों को सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहा है । अब तक भी भारत सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं कर पाई है । हमने गृह मंत्री से वक्तव्य देने का अनुरोध किया था । इसलिए मैं कहता हूं कि भारत तथा यू० पी० सरकारें इस दुर्घटना के दोष से बच नहीं सकतीं ।

मैं जनता पार्टी के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इतिहास से भी कुछ सीखें। यदि वे नहीं सीखते तो एक और क्रांति आ सकती है। इसे राजनैतिक समस्या नहीं समझा जाना चाहिए। यह समस्या हमारे मूल्यों से सम्बन्धित है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस दुर्घटना की न्यायिक जांच कराए।

SHRI PIUS TIRKEY (Alipurduar) : This incident has amply made it clear that casteism is still deeprooted in India. Weaker sections have always been subjected to atrocities in every society. Shri Jagjivan Ram was insulted because he belonged to a weaker section of the society. Scheduled Castes and Scheduled Tribes are economically, educationally and by all other means weak, who have always been treated as servants and subjected to exploitation. The scheduled castes and scheduled tribes want nothing but their rights. Affluent section in the villages are granted licences to keep firearms. The scheduled castes and scheduled tribes should also be allowed to keep firearms.

A national leader has been insulted because he belonged to scheduled caste. The State Government have failed so far to render justice to scheduled caste people. They have been keeping silence over this incident which is not less than a great injustice to this section of the community. We preach in V.N. that racialism should be put to an end in the whole world but we have not been able to do so in our own country. We should see that such incidents do not recur again in future.

SHRI RAM NARESH KUSHWAHA (Salempur) : The Varanasi incident is not a lone and accidental one. There has been one very serious incident at Deoria in U.P. in which three hostels of Harijan students were ransacked. The State Government has been callous enough to remain silent in such incidents. The bureaucracy has to change its attitude towards backward classes or scheduled caste people. I will appeal to the Government to implement the report of the backward classes commission at the earliest. Reservation in services for backward classes must be made, whatever be the basis for it.

SHRI MANI RAM BAGRI (Mathura) : I congratulate the mover for raising the basic question of eradication of casteism. Whatever has happened at Varanasi is an indication of deeprooted existence of casteism in the country. Brahmin is not bad, Brahmanism is bad. It has very adverse affects. We have to keep ourselves away from such Brahmanism. Varanasi has ancient traditions and culture but it must be relieved from the bondage of casteism. Poor people have been continuously ignored for thousand of years. They may not be good in administration work. But they are honest. Today the scheduled caste people are no more a weaker section of society and they have enough potentialities for development. But they should be given all opportunities for making progress and development. They can be appointed High Commissioner/Ambassadors abroad. If public schools continue to exist, they will not be able to show their capability. However, the mover of the motion deserves all appreciation for raising this issue in the House.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIR (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : On 24th January, 1978 when Babu Jagjivan Ram went to Varanasi to unveil the statue of Dr. Sampurnanand, 70 persons in cooperation with the National Students Union of Dr. Sampurnanand Sanskrit Vidyalava, took out a procession, raised objectionable slogans and tried to disrupt the statue unveiling function. Their attempt to disturb the function was foiled because of the alertness of the officials and the function was held.

After the function was over some students again collected there and washed with Ganga water the statue to purify it. After this incident the police registered cases against these people under section 7 of the Civil Rights Act and arrested 19 out of the 20 students. One student is still absconding.

AN HON. MEMBER : Please give their names.

SHRI DHANIK LAL MANDAL : Their names are not with me. The Uttar Pradesh Government have taken serious note of the incident. Charge sheets have been filed against the arrested students in a court.

In Deoria on the 15th a procession was taken out by the Shoshit Samaj Dal to protest against the Varanasi incident. On the 16th students of Vinoba Bhave College belonging to caste Hindus took out a procession in protest against the procession taken out on 15th and presented a memorandum to District Officials. After the procession dispersed some of the students formed three groups and attacked three Harijans hostels. Students of two hostels fled and certain articles were set on fire there. There was clash in the third hostel and the police brought the situation under control.

**डा० हेनरी आस्टिन** : मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं । क्या यह रिपोर्ट सही है कि अन्य सेक्शनों के छात्रों ने छात्रावास में घुसकर होस्टल को लुटा और छात्रों को धमकी दी और उनमें से अधिकांश भाग गए ? क्या यह सूचना ठीक है ?

**श्री धनिक लाल मंडल** : जी हां ।

**डा० हेनरी आस्टिन** : क्या उनके विरुद्ध कोई मामला दर्ज किया गया है ?

SHRI DHANIK LAL MANDAL : Now the situation in Deoria is under control.

SHRI UGRASEN : May I know whether the Hon. Minister is aware that the Collector of Deoria has ordered closure of all schools—colleges there ?

SHRI RAM NARESH KUSHWAHA : What is the number of arrests effected and the number of persons hospitalised in Deoria ?

SHRI DHANIK LAL MANDAL : Arrests have also been made and some persons have also been hospitalised.

SHRI RAM NARESH KUSHWAHA : Before this incident the Police looted the house of a Teli. No action has been taken in this matter. A report has been sent to Chief Minister and Home Minister. Everything is being done in connivance with police. The matter should be investigated after shifting the Superintendent of Police.

**डा० हेनरी आस्टिन** : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या हरिजन छात्रावास पर हमला करने वाले और छात्रों को वहां से निकाल बाहर भगाने वाले बदमाशों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ा गया है या केवल मामला दर्ज करने के बाद छोड़ा गया है ? क्या वे अभी फरार हैं ? क्या आपने उनके विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही की है ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** जहां तक देवरिया की घटना का सम्बन्ध है, मंत्री को नोटिस की जरूरत है।

SHRI DHANIK LAL MANDAL : I have noted down the points raised by the Mon. Members and we will take action on them.

The root cause of such incidents lay in untouchability. Our Government have pledged to eradicate this evil within five years. Political, economic, social and administrative measures will have to be taken to remove this malady.

The Janata Government have given directions that strict action should be taken against officials who fail to take necessary action against the persons responsible for committing atrocities on Harijans. On the 2nd October, the birthday of Mahatma Gandhi the Home Minister had written to all State Governments to take steps to eradicate the evil of untouchability. We will have to launch a big movement for this purpose. Cooperation of all political parties and social workers is required for this purpose. The Government have also started taking steps to ameliorate the economic condition of Harijans.

Harijans have been treated as slaves all these years. Now, a struggle has been started for their emancipation. It is gratifying that Harijans and other backward people are striving hard for their uplift. The problems of these people will be solved before long.

SHRI R. L. KUREEL (Mohanlalganj) : The Hon. Minister has not stated the provisions of laws under which the persons had been arrested in Varanasi and Deoria. The U.P. police had handled the situation most inefficiently. They did not move quickly in the matter. The S.P. of Deoria should be suspended. As regards Sanskrit Vidyalaya at Varanasi, Government grant for this institution should be stopped.

A separate Ministry should be created for looking after the problems of scheduled castes and scheduled tribes.

A judicial inquiry should be held into the whole incident. A judge belonging to Harijan community be included in the inquiry body.

**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रस्ताव पर दो संशोधन पेश किए गए हैं—एक श्री मंडल द्वारा और दूसरा श्री स्टीफन द्वारा। क्या श्री मंडल अपने संशोधन पर मतदान चाहते हैं ?

SHRI B. P. MANDAL : I beg leave to withdraw my amendment.

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The amendment was, by leave, withdrawn.

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब, मैं श्री स्टीफन के संशोधन को मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

*The amendment was put and negatived.*

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं मुख्य प्रस्ताव मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा 24 जनवरी, 1978 को वाराणसी में हुई घटना पर, जिसमें माननीय रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) द्वारा डा० सम्पूर्णानन्द की मूर्ति का अनावरण

किए जाने के बाद उसे कुछ व्यक्तियों द्वारा गंगा जल से धोया गया जिससे राष्ट्रीय नेता तथा समुदाय का अपमान हुआ, गहरी चिन्ता व्यक्त करती है तथा सरकार से अनुरोध करती है कि नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1955 के अधीन कार्यवाही की जाएं ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

*The Motion was adopted.*

**तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 23 फरवरी, 1978/4 फाल्गुन 1899 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।**

[*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday the 23rd February 1978/Phalguna* **4, 1899 (*Saka*)].**

—1189LSS/77—GIPF.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिए गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है।

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]